



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052024-254049
CG-DL-E-06052024-254049

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]
No. 311]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2024/वैशाख 12, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2024/VAISAKHA 12, 1946

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2024

एफ. नं. बीओए/2-सी/2024.—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 55 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (डी), (ई), (एस), (टी), (यू), (डब्ल्यू), (एक्स), (वाई), (जेड), (जेडए) (जेडबी) और (जेडसी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नलिखित नियमों को निरस्त करके, अर्थात् भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों (कॉलेज) और संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2016 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अध्ययन या प्रशिक्षण के नए या उच्चतर पाठ्यक्रम के प्रारम्भ, और मेडिकल कॉलेज विनियम, 2019 द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि स्नातकीय कार्यक्रम के संबंध में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

अध्याय-।

प्रारंभिक

- लघु शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- परिभाषाएं -** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, अधिनियम, 2020 (2020 का 14) अभिप्रेत है;
- (ख) "एएसीसीसी" का अर्थ केंद्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति से है;
- (ग) "अनुलग्नक" इन विनियमों से संलग्न एक अनुलग्नक से अभिप्रेत है;
- (घ) "परिशिष्ट" से इन विनियमों में संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है;
- (ङ) "किसी संस्था का आकलन" का अर्थ बुनियादी ढांचे, मानव संसाधनों और संस्थानों और इसके संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय की कार्यक्षमता के संदर्भ में इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की उपलब्धता के सत्यापन का कार्य से है;
- (च) "संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय" का अर्थ है एक आयुर्वेद चिकित्सालय जो मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, जो आयुर्वेद के छात्रों को पढ़ाने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान से जुड़ा हुआ है;
- (छ) "शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र" का अर्थ है एक पारिस्थितिकी तंत्र जहां संस्थान के सभी हितधारक, सभी विभाग और संस्थान की अन्य इकाइयां एक अकादमिक वातावरण में छात्रों को व्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग कार्य करती हैं;
- (ज) 'विस्तारित अनुमति' का अर्थ है किसी संस्थान को दिया गया अनुमोदन जो इन विनियमों में उल्लिखित 'विस्तारित अनुमति स्थिति' के मानदंडों को पूरा करता है। यह संस्थान को वार्षिक प्रवेश अनुमति की प्रतीक्षा के बिना छात्रों को प्रवेश देने के लिए काउन्सलिंग प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाती है, जब तक कि अन्यथा अस्वीकार या निर्दिष्ट न किया जाए;
- (झ) 'चिकित्सालय कार्यात्मकता' का अर्थ एक संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय से है जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करता है। यह चिकित्सालय मेडिकल छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और परामर्श, निदान (क्लीनिकल एंड इंवेस्टीगेशनल), उपचार (सर्जिकल, प्रोसीज़रल एंड मेडिकल), निवारक स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा सलाह, परामर्श, नर्सिंग देखभाल, औषधि वितरण सहित चिकित्सा सेवाओं की एक शृंखला प्रदान करता है, और सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियों से संबंधित है। चिकित्सालय में एक उचित दस्तावेज और चिकित्सालय प्रबंधन पद्धति होगी, और सभी संबंधित व्ययों को चिकित्सालय के आधिकारिक बैंक खाते में परिलक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चिकित्सालय को अपनी जनशक्ति और बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए किसी भी समय किसी भी प्रकार के रोगी का उपचार या देखभाल करने के लिए तैयार रहेगा;
- (ज) 'संस्थान कार्यात्मकता' का अर्थ एक आयुर्वेद संस्थान से है जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करता है। यह संस्थान आयोग द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अनुसार आयुर्वेद छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करता है, एक एजुकेशनल इकोसिस्टम स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त, इसे आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों के अतिरिक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया जाएगा;
- (ट) 'पूर्ण रूप से स्थापित संस्थान' का अर्थ उस संस्थान या कॉलेज से है जिसने स्थापना के सभी चार चरणों, अर्थात्, अनुमति पत्र, अनुमति का पहला, दूसरा और तीसरा नवीनीकरण चरण को पूरा कर लिया है;
- (ठ) "आईपीडी" का अर्थ है अंतरंग रोगी विभाग (इन-पेशेंट विभाग);
- (ड) "स्थापना के अंतर्गत संस्थान" का अर्थ एक नए संस्थान या कॉलेज से है जो चरणबद्ध स्थापना के दौर से गुजर रहा है, जिसमें विकास के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण शामिल हैं;
- (ढ) 'लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई)' प्रारंभिक अनुमोदन है, जो एक नए आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना या मौजूदा कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदक को जारी की गई शर्तों और समय सीमा के साथ जारी किया जाता है;
- (ण) "लेटर ऑफ परमिशन" (एलओपी)" का अर्थ आवेदक को एक नया आयुर्वेद कॉलेज स्थापित करने, या मौजूदा स्नातक कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने और स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देने के लिए दी गई अनुमति से है;
- (त) "एम.ए.आर.बी.आई.एस.एम." का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड;

- (थ) "न्यूनतम आवश्यक मानक" का अभिप्राय महाविद्यालय या संस्थान के आधारभूत ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता या मानकों के स्तर के संदर्भ में अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं से हैं जिन्हें न्यूनतम के रूप में स्वीकार्य और इससे कम होने पर अस्वीकार्य माना जाता है; न्यूनतम मानक यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि स्नातकों के पास प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें शास्त्रीय आयुर्वेदिक सिद्धांतों और आधुनिक प्रगति दोनों का गहन ज्ञान शामिल है। स्नातक के पास सामान्य नैदानिक स्थितियों का निदान करने, नैदानिक परीक्षणों को निर्धारित करने या संचालित करने, डेटा जांच की व्याख्या करने और उपचारात्मक, प्रोत्साहक, निवारक, उपशामक और पुनर्वासि पहलुओं को समाविष्ट करने वाली नैदानिक सेवाओं का प्रशासन करने की क्षमता को विकसित करना। इसके अतिरिक्त, स्नातक को सामान्य प्रसव सहित चिकित्सा, प्रक्रियात्मक और शल्य चिकित्सा प्रबंधन प्रदान करने में सक्षम बनाना। आवश्यकतानुसार विभिन्न चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने और चिकित्सा-कानूनी मामलों को संभालने के लिए प्रभावी संचार कौशल आवश्यक हैं;
- (द) "ओपीडी" का अर्थ है बाह्य रोगी विभाग (आउट पेशेंट विभाग);
- (ध) "संस्थान की रेटिंग" का अर्थ उस स्कोर या मापदंड से है कि कोई संस्थान कितना अच्छा है, यह स्कोर आयुर्वेद बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या किसी नामित रेटिंग एजेंसी द्वारा किसी पूर्णतः स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान की रेटिंग प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।
- (न) "अनुमति का नवीनीकरण" का अभिप्राय इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति के नवीनीकरण में यथा विनिर्दिष्ट स्वीकृत विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के पश्चात क्रमिक अकादमिक वर्षों के दौरान किसी स्थापनाधीन (अर्थात् चरण-वार स्थापना के क्रमशः दूसरे तीसरे और चौथे चरण से गुजर रहे) महाविद्यालय या संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान की गई अनुमति (अर्थात्, पहला, दूसरा और तीसरा नवीनीकरण) के नवीकरण से है।
- (न) "स्वीकृत प्रवेश क्षमता" का अर्थ एक निर्दिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम में उस विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रों के प्रवेश के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान को स्वीकृत सीटों की संख्या है;
- (प) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (फ) "शिक्षण दिवसों" का अभिप्राय किसी पूर्णकालिक नियमित शिक्षक द्वारा किसी महाविद्यालय और उससे संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय, जहां उसे नियुक्त किया गया है, में बारह माह की अवधि में, की गई ड्यूटी या उपस्थिति के दिनों की संख्या से है;
- (ब) "वार्षिक अनुमति" का अर्थ उन संस्थानों से है जो "विस्तारित अनुमति" के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, परंतु आवश्यक न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं, ऐसे संस्थान प्रत्येक वर्ष प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो यहां परिभाषित नहीं हैं, उनके बही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः सौंपे गए हैं।

अध्याय-II

सामान्य विचार

3. वार्षिक प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक : साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ की संख्या में वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए आवश्यक भूमि, आधारभूत संरचना, मानव संसाधन और इसी प्रकार के न्यूनतम आवश्यक मानक निम्नानुसार होंगे:
4. भूमि की आवश्यकता - (1) न्यूनतम आवश्यक भूमि अनुसूची-1 के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
- (2) भूमि दो भूखंडों से अधिक नहीं होगी और दो भूखंडों के बीच की दूरी पांच किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।
- (3) यदि भूखंड सङ्क या नहर या नाले से अलग किए गए हैं लेकिन पुल से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें एक ही भूखण्ड माना जाएगा।

बशर्ते कि मेट्रो, मेगा, टियर- I और टियर- II शहरों (X और Y श्रेणियों), उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों के मामले में, दो भूखंडों के बीच की दूरी दस किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।

- (4) किसी आयुर्वेद चिकित्सा संस्था या महाविद्यालयों के लिए नामित भूमि, उसके संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय और छात्रावासों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाएगा और उनका उपयोग आयुर्वेद चिकित्सा संस्था या कॉलेज की गतिविधियों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा;
- (5) भूमि कॉलेज के स्वामित्व में या कॉलेज के नाम पर होगी, संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के नियमों और विनियमों के अनुसार कम से कम तीस वर्ष या अधिकतम अनुमेय अवधि के लिए लीज पर होगी।
- (6) भूमि के लिए लीज समझौता करने वाले संस्थानों के प्रकरण में, संस्थान को लीज की अवधि के अंतिम पांच वर्षों के लिए प्रवेश के लिए अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि संस्थान लीज का उल्लेख करते हुए प्रत्येक वर्ष एक नोटरीकृत शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि लीज की इसकी समाप्ति से पहले नवीनीकृत किया जाएगा और बाद में लीज अवधि की समाप्ति से पहले नवीनीकृत लीज समझौता प्रस्तुत किया जाएगा।
5. **कॉलेज परिसर और सामान्य विचार-** (1) आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के लिए नामित परिसर में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- (क) आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज - विभागों, सहायक अनुभागों या इकाइयों या सुविधाओं के साथ;
 - (ख) संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय के साथ-साथ अधीनस्थ अनुभाग या इकाइयां या सुविधाएं;
 - (ग) छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर;
 - (घ) दो भूखंडों के प्रकरण में, संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय और इंटर्न हॉस्टल (पुरुष और महिला के लिए अलग) एक ही परिसर में होंगे।
 - (ङ) आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय के लिए नामित परिसर में एक उचित पहुंच मार्ग, भली भाँति निर्मित परिसर की दीवार और सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था होगी।
 - (च) सभी भवनों में संबंधित प्राधिकारियों से सभी प्रासंगिक अनुमतियां होंगी;
 - (छ) अग्रि सुरक्षा प्रमाणपत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन उपायों और इसी प्रकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति होगी;
 - (ज) संस्थान को एक बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना होगा जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सुविधा और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इसमें रैप और लिफ्ट के अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।
 - (झ) परिसर में मुक्त वाहन आवाजाही के लिए उपयुक्त लेआउट होगा;
 - (ञ) पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा और इसे कर्मचारियों और छात्रों की श्रेणी के लिए लेबल लगाया जाएगा;
 - (ट) परिसर में पर्याप्त जल आपूर्ति, उचित जल निकासी पद्धति और विजली आपूर्ति सहित विजली बैकअप पद्धति होगी;
- (2) परिसर के लिए केंद्रीय कार्यशाला या रखरखाव प्रकोष्ठ होगा। रखरखाव प्रकोष्ठ विद्युत, बढ़ीगिरी, नलसाजी, स्वच्छता, सिविल कार्यों, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, हाउसकीपिंग और रखरखाव से संबंधित इस प्रकार की गतिविधियों के रखरखाव के लिए नियुक्त या आउटसोर्स किए गए उपयुक्त तकनीकी कर्मचारियों के साथ उपयुक्त रूप से सुसज्जित होगा। न्यूनतम आवश्यक निर्मित क्षेत्र अनुसूची-II में निर्दिष्ट अनुसार होगा और न्यूनतम आवश्यक कर्मचारी अनुसूची-V में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।
6. **आधिकारिक कॉटेक्ट विवरण-** (1) सभी आधिकारिक संचार केवल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के आधिकारिक कॉटेक्ट नंबर और आधिकारिक ई-मेल पहचान दस्तावेज के माध्यम से होंगे।
- (2) प्रत्येक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में कॉलेज के प्रमुख (प्रिंसिपल या निदेशक या डीन) के लिए एक आधिकारिक मोबाइल नंबर होगा।

- (3) सभी आधिकारिक संचार केवल आधिकारिक कॉलेक्ट नंबर और आधिकारिक मेल पहचान दस्तावेज (ई-मेल आईडी) के माध्यम से होंगे।
- (4) प्रत्येक कॉलेज के पास आधिकारिक पत्रव्यवहार के लिए निम्नलिखित पैटर्न में बनाया गया एक आधिकारिक ई-मेल आई.डी. होगा और कॉलेज आयोग के, सभी चार स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और आयोग के सचिव को आधिकारिक ई-मेल आई.डी. संप्रेषित करेगा:
- [कॉलेज की स्थापना का वर्ष एवं MARBISM@SERVICE PROVIDER द्वारा प्रदान की गई कॉलेज यूनिक कॉलेज पहचान दस्तावेज, (उदाहरण के लिए 2023AYU00001@gmail.com)]
- (5) आधिकारिक दूरभाष / मोबाइल नंबर और ई-मेल आई.डी. के अन्य अतिरिक्त मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी. के माध्यम से पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (6) आयोग या बोर्ड, कॉलेज के प्रमुख के आधिकारिक मोबाइल नंबर और कॉलेज के आधिकारिक ईमेल आई.डी. के माध्यम से ही कॉलेज को सूचित करेंगे।
- (7) कॉलेज आधिकारिक मोबाइल नंबर और ई-मेल आई.डी. की उचित कार्यात्मकता सुनिश्चित करेगा।
- (8) विशिष्ट मामलों में आयोग, किसी विशेष गतिविधि के लिए कॉलेज को अलग या विशेष मोबाइल नंबर और या ईमेल आई.डी. के लिए निर्देश दे सकता है; ऐसे विशेष संपर्कों का उपयोग केवल उस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
7. बैंक खाते- (1) संस्था और संबद्ध चिकित्सालय के नाम पर अलग से आधिकारिक बैंक खाते होंगे; यदि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (वाणिज्यिक उत्पादन) कॉलेज से जुड़ी हुई है, तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग बैंक खाता बनाए रखेगी।
- (2) संस्थान के सभी आधिकारिक बैंक खाते किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में होंगे।
- (3) संबंधित इकाइयों (कॉलेज, चिकित्सालय और किसी भी औपथि निर्माण इकाई) के लिए आय और व्यय सहित सभी आधिकारिक लेनदेन विशेष रूप से निर्दिष्ट आधिकारिक खातों में दर्ज किए जाएंगे।
- (4) विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार के शुल्क, जुर्माना (यदि कोई हो) सहित, केवल आधिकारिक बैंक खाते के माध्यम से ली जाएगी।
- (5) कॉलेज को छात्रों से प्राप्त जुर्माना, (यदि कोई हो), सहित सभी शुल्क भुगतानों के लिए रसीदें जारी करनी होंगी।
- (6) सभी प्रकार के संस्थागत व्यय जैसे शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारी, चिकित्सालय के कर्मचारी का वेतन, आउटसोर्सिंग एजेंसी को भुगतान, क्रय, करों का भुगतान, रखरखाव व्यय आदि आधिकारिक बैंक खातों के माध्यम से होंगा।
- (7) खातों की वार्षिक लेखापरीक्षा (ऑडिट) एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म या ऑडिट फर्म द्वारा लेखा परीक्षित की जाएगी।
- (8) लेनदेन का विवरण और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट को चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या आयोग को समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी।
- (9) भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन एवं रेटिंग बोर्ड केवल उन लेनदेन पर विचार करेगा जो आकलन और रेटिंग उद्देश्यों के लिए संस्थागत आधिकारिक बैंक खातों में परिलक्षित होते हैं।
8. सूचना प्रौद्योगिकी सेल और सूचना प्रौद्योगिकी संरचना- (1) कॉलेज में एक सूचना प्रौद्योगिकी सेल होगा जो संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय सहित कॉलेज एवं इसकी इकाइयों की सभी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए सुसज्जित होगा।
- (2) प्रत्येक संस्थान को आयोग द्वारा निर्दिष्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) और चिकित्सालय सूचना प्रबंधन पद्धति (एचआईएमएस) से सुसज्जित या स्थापित किया जाएगा।
- (3) संस्थान के पास न्यूनतम 500 एमबीपीएस बैंडविड्थ की ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी के साथ इंटरनेट कनेक्शन होगा।
- (4) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेल संस्थान या कॉलेज की वेबसाइट, चिकित्सालय सूचना प्रबंधन सॉफ्टवेयर, डिजिटल लाइब्रेरी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलेज की वेबसाइट, स्मार्ट बोर्ड या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, वर्चुअल

प्रयोगशालाएं, इंटरनेट, इंट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी, आधार-सक्षम बायोमेट्रिक या आईरिस रिकग्निशन या फेस रिकग्निशन अटेंडेंस, क्लोज-सर्किट टेलीविजन और आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य वस्तुओं का रखरखाव करेगा।

- (5) सूचना प्रौद्योगिकी सेल वास्तविक समय डेटा हस्तांतरण के लिए, आयोग द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल इनफार्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस (आईरिस या फेस डिटेक्शन) सिस्टम जैसी प्रणालियों को इंटरफेस या कनेक्ट करेगा।
- (6) सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ आभासी (वर्चुअल) बैठकों, वेबिनार, व्याख्यान की वीडियो रिकॉर्डिंग, वर्चुअल या हाइब्रिड मोड विजिटेशन या आकलन प्रक्रियाओं और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करेगा।
- (7) सूचना प्रौद्योगिकी सेल कॉलेज के सभी अनुभागों को सहायता प्रदान करेगा जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी सहायता की अनिवार्यतः आवश्यकता है।
- (8) न्यूनतम निर्मित क्षेत्र अनुसूची-III में निर्दिष्ट अनुसार होगा और न्यूनतम आवश्यक कर्मचारी अनुसूची-V में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।
9. बायोमेट्रिक उपस्थिति पद्धति – (1) शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, चिकित्सालय के कर्मचारियों, स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और इंटर्न द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट बायोमेट्रिक या आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली या आईरिस पहचान या चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली संस्थापित की जाएगी।
- (2) बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण कॉलेज और चिकित्सालय के प्रवेश द्वारों पर संस्थापित किए जाएंगे और क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा की निगरानी में होंगे। ये उपकरण शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, चिकित्सालय कर्मचारियों, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं की उपस्थिति दर्ज करने के प्रयोजनार्थ होंगे। स्नातक विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपकरणों को अपनाया जाएगा।
- (3) क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा इस प्रकार से संस्थापित किया जाएगा कि उपस्थिति का अंकन करते हुए कर्मचारी का चेहरा और बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
- (4) आयोग द्वारा नियुक्त की गई एजेंसी के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर पूरे वर्ष का बायोमेट्रिक डेटा संबंधित नियामक निकाय, आयोग या आयोग के स्वायत्त बोर्डों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (5) उपस्थिति उपकरण के साथ-साथ क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा फीड को आयोग के कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर से जोड़ा या संरेखित किया जाएगा। आयोग या इसके स्वायत्त बोर्डों के पास कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर और कॉलेजों में स्थापित उपकरणों में संग्रहीत डेटा की समीक्षा करने और आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति होगी।
10. क्लोज-सर्किट-टेलीविजन- (1) क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी के लिए कैमरे बायोमेट्रिक उपस्थिति क्षेत्र, कक्षाओं, पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, योग्य नैदानिक कौशल प्रयोगशाला और परीक्षा हॉल सहित विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कॉलेज और चिकित्सालय के प्रवेश और निकास, आउट पेशेंट विभाग और इन-पेशेंट विभाग पंजीयन काउंटर, आउट पेशेंट विभाग ब्लॉक, डायग्नोस्टिक जोन, पंचकर्म खंड, ऑपरेशन थिएटर, क्रियाकल्प खंड, अनुशास्त्र इकाई, थ्रम थिएटर और अन्य स्थानों पर संस्थागत आवश्यकता के अनुसार स्थापित किए जाएंगे।
- (2) कैमरों का न्यूनतम कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा कि चेहरा और अन्य विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और कैमरे दिन और रात की रिकॉर्डिंग में सक्षम होंगे।
- (3) डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) में न्यूनतम छह महीने के डेटा को संग्रहीत करने की क्षमता होगी। हालांकि, संस्थान कम से कम तीन वर्षों तक डेटा-बैकअप बनाए रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर आयोग या उसके स्वायत्त बोर्डों को प्रस्तुत करेगा।
- (4) क्लोज-सर्किट-टेलीविजन को आयोग के केंद्रीय सर्वर के साथ या आयोग द्वारा निर्दिष्ट के अनुसार संरेखित किया जाएगा।
11. कॉलेज की वेबसाइट- (1) संस्थान को स्वयं के नाम पर विशेष वेबसाइट बनानी होगी।

- (2) वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा और आयोग और उसके स्वायत्त बोर्डों द्वारा निर्दिष्ट विवरण अपलोड किया जाएगा।
- (3) आयोग विभिन्न अंतरालों पर लगातार डेटा संगृहीत (कैप्चर) करेगा।
- (4) वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए डेटा, सूचना और विवरण की प्रामाणिकता की जांच करना कॉलेज की जिम्मेदारी होगी।
- (5) प्रत्येक माह की 10 तारीख या उससे पहले, पिछले माह से संबंधित डेटा अद्यतन या अपलोड किया जाएगा।
- (6) कॉलेज द्वारा कॉलेज की वेबसाइट पर निम्नलिखित विवरण का अनुरक्षण किया जाएगा, नामतः -
- (क) निदेशक या डीन या प्रिंसिपल और चिकित्सा अधीक्षक का विवरण, जिनमें उनका नाम, जन्म तिथि, फोटो, विशिष्ट शिक्षक कोड, परिषद पंजीयन संख्या, शैक्षणिक योग्यता, पदनाम, ज्वाइनिंग की तिथि, अनुभव, संपर्क मोबाइल नंबर, ई-मेल पहचान दस्तावेज़, इत्यादि विवरण शामिल हैं;
- (ख) पंजीयन अनुमोदन और संबद्धता, अनुमति की स्थिति का विवरण;
- (ग) सभी शिक्षण स्टाफ का विवरण उनकी योग्यता, पंजीकरण संख्या, शिक्षक कोड और उनकी शैक्षणिक अहर्ता और अन्य पेशेवर क्रेडेंशियल, पदनाम, कार्यग्रहण की तारीख, अनुभव, शिक्षण विभाग, संपर्क मोबाइल नंबर, ई-मेल पहचान दस्तावेज़, और इसी प्रकार;
- (घ) चिकित्सालय और सलाहकारों की विशेषताएं, उनके आउटडोर रोगी विभाग (बाह्य रोगी विभाग) दिन और समय;
- (ङ) कॉलेज और चिकित्सालय के कर्मचारियों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों का विवरण जिसमें शैक्षिक योग्यता पद का नाम, विभाग या अनुभाग या इकाई और इसी तरह का नाम शामिल है;
- (च) वर्तमान और पिछले वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों की मेरिट-वार और श्रेणी-वार सूची;
- (छ) विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम और पिछले तीन वर्षों का तुलनात्मक ग्राफ़;
- (ज) विद्यार्थियों या संकायों द्वारा पिछले वर्ष के शोध प्रकाशनों का विवरण;
- (झ) सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संकाय विकास कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, व्यावहारिक प्रशिक्षण, अनुसंधान परियोजनाओं, सहयोगात्मक कार्यक्रमों और पिछले एक वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी अन्य शैक्षणिक या नैदानिक कार्यक्रमों का विवरण;
- (ज) प्रवेश क्षमता सहित आयोजित किए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों का विवरण;
- (ट) संस्थान द्वारा प्राप्त मान्यताएं, पुरस्कार, उपलब्धियां और सराहना, यदि कोई हो;
- (ठ) चिकित्सालय के मरीजों के आंकड़े और पिछले वर्ष का तुलनात्मक डेटा या ग्राफ़;
- (ड) सेमिनार, कार्यशालाएं आदि जैसे आगामी कार्यक्रमों की घोषणाएं।
12. गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उपकरणों, साधनों, रसायनों, अभिकर्मकों, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इसी प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है।

अध्याय-III

आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक

13. आयुर्वेद में स्नातक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, विशेष रूप से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, न्यूनतम निर्धारित बुनियादी ढांचे, योग्य और कुशल मानव संसाधनों से लैस होंगे, और उन्हें उचित और प्रभावी कार्यक्रमता के साथ काम करना होगा।
14. (1) कॉलेज का प्रशासनिक अनुभाग निम्नलिखित इकाइयों को समायोजित करेगा, अर्थात्:
- (क) संस्थान के प्रमुख का कार्यालय (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) जिसमें प्रवेश कक्ष और संलग्न शैक्षालय शामिल हैं;
- (ख) संस्थान के प्रमुख के निजी सहायक का कक्ष;
- (ग) संस्थान के प्रमुख के आगंतुकों के लिए आगंतुक लाउंज;

- (घ) कार्यालय अधीक्षक कक्ष;
- (ङ) स्थापना और लेखा अनुभाग जिसमें कैश काउंटर शामिल है;
- (च) कार्यालय आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय या लाउंज;
- (छ) रिकॉर्ड कक्ष;
- (ज) सेंट्रल स्टोर;
- (झ) पैंट्री;
- (ञ) कार्यालय कर्मचारियों के लिए शौचालय;
- (ट) कॉलेज परिषद बैठक कक्ष;
- (ठ) उप निदेशक या उप डीन या उप-प्रमुख सौ से अधिक प्रवेश क्षमता के प्रकरण में दो पद।
- (2) प्रशासनिक अनुभाग की प्रत्येक इकाई के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र इन विनियमों की अनुसूची-II में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
15. आवश्यक मानक, मानदंड और व्याख्यान कक्ष या कक्षाओं की न्यूनतम संख्या तालिका -1 में निर्दिष्ट और नीचे दिए गए अनुसार होगी:
- (क) कक्षाओं में बैठने की क्षमता प्रवेश क्षमता के बीस प्रतिशत से अधिक होगी जैसा कि इन विनियमों की तालिका-1 में प्रदान किया गया है।
- (ख) सभी व्याख्यान हॉल या कक्षाएं सूचना संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्ष होंगे जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों जैसे स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो-विजुअल गैजेट, इंटरनेट कनेक्शन या वायरलेस फ़िडेलिटी सुविधा आदि से सुसज्जित होंगे;
- (ग) सभी कक्षाएं क्लोज-सर्किट टेलीविजन की निगरानी में होंगी।
- (घ) व्याख्यान कक्ष या कक्षाओं के लिए न्यूनतम मानदंड और मानक तालिका-1 में दिए गए अनुसार होंगे।

तालिका-1

व्याख्यान कक्ष या क्लास रूम के लिए न्यूनतम मानदंड और मानक

(संदर्भ-विनियम 15)

क्रम संख्या	अंतर्ग्रहण क्षमता	व्याख्यान कक्ष या कक्षा-कक्ष		
		संख्या	बैठने की क्षमता	क्षेत्र प्रति वर्ग कक्ष (वर्ग मीटर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	60	4	75	100
2.	100	4	120	150
3.	150	4	180	220
4.	200	4	240	300

नोट: दो सौ चालीस विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता वाले व्याख्यान हॉल में, एक सौ बीस विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता वाले दो व्याख्यान हॉल की भी अनुमति दी जा सकती है। ऐसे प्रकरण में दो शिक्षकों को एक साथ शिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना होगा।

- (द) कक्षाएं बहुत लंबी या बहुत चौड़ी (विस्तृत) नहीं होंगी और बैठने की व्यवस्था थिएटर प्रकार (स्तरों में सीटों के साथ व्याख्यान कक्ष) होगी और अधिमानतः अर्ध-गोलाकार हो सकती है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षक, ब्लैकबोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हो, जैसी भी स्थिति हो। कक्ष में केंद्रीय डिस्प्ले का आकार कक्ष की क्षमता के अनुपात में होगा और पिछले छोह पर बैठे विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त डिस्प्ले की व्यवस्था की जा सकती है;
- (च) यदि कॉलेज और चिकित्सालय अलग-अलग परिसरों में स्थित हैं, तो चिकित्सालय भवन के परिसर में या चिकित्सालय भवन में ही एक कक्ष (कक्ष में बैठने की क्षमता और संबंधित प्रवेश क्षमता के लिए निर्दिष्ट अन्य सुविधाओं के साथ) होगी।
16. बहुउद्देशीय हॉल : (1) संगोष्ठियों, सम्मेलनों, परीक्षाओं, योग और इसी प्रकार की गतिविधियों के संचालन के लिए बहुउद्देशीय हॉल में एक निर्मित क्षेत्र होगा जैसा कि अनुसूची III में निर्दिष्ट है।
- (2) इस हॉल में उपयुक्त और पर्याप्त फर्नीचर, योग मैट, ऑडियो-विजुअल सुविधा, क्लोज्ड-सर्किट-टेलीविजन निगरानी और इसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी।
17. केंद्रीय पुस्तकालय: (1) केंद्रीय पुस्तकालय में अच्छी वैटिलेशन, उचित लाइटिंग, बैठने की उचित व्यवस्था, सुव्यवस्थित बुक स्टैकिंग और निम्नलिखित ढंग से समान होगा:
- (2) पुस्तकालय के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता, अनुभव और कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या अनुसूची-V में प्रदान की जाएगी।
- (3) पुस्तकालय में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, जैसे निर्मित क्षेत्र, बैठने की क्षमता, पुस्तकों की संख्या और इसी प्रकार, जैसा कि तालिका-2 में प्रदान किया गया है।

तालिका-2

केंद्रीय पुस्तकालय के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक

क्रम संख्या	अंतर्ग्रहण क्षमता	बैठने की क्षमता	पुस्तकों न्यूनतम संख्या	की न्यूनतमआवश्यक क्षेत्र (वर्ग मीटर)	न्यूनतम अनुक्रमित पत्रिकाओं की संख्या	वैज्ञानिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	60	75	8000	150	10	
2.	100	120	10000	250		
3.	150	180	12000	350		
4.	200	240	15000	450		

नोट-1: कॉलेज निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में संदर्भ पुस्तकें (प्रत्येक बीस छात्रों के लिए एक पुस्तक) के साथ-साथ निर्धारित पाठ्यपुस्तकों (प्रत्येक दस छात्रों के लिए एक पुस्तक) सुनिश्चित करेगा।

नोट-2: सूचकांक पत्रिकाओं का अर्थ है संबंधित विषयों की वैज्ञानिक पत्रिकाएं जो पब-मेड, विज्ञान के बेब, विज्ञान प्रशस्ति सूचकांक और स्कोपस में अनुक्रमित हैं।

- (4) सभी छात्रों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाएगी।
- (5) पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर कैटलॉग कोर्डिंग सिस्टम (भौतिक या स्वचालित) उपलब्ध कराया जाएगा;
- (6) नई आने वाली पुस्तकों के लिए पुस्तकालय में एक उपयुक्त स्थान पर एक प्रदर्शन सुविधा होगी। सभी नई आने वाली पुस्तकों को संस्थागत पुस्तकालय नीति के अनुसार एक विशिष्ट अवधि के लिए या न्यूनतम पंद्रह दिनों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।
- (7) रीडिंग रूम में बैठने की व्यवस्था एक यूनिडायरेक्शनल पैटर्न का पालन करेगी, और आमने-सामने बैठने से बचा जाएगा। ऐसी स्थिति में जहां आमने-सामने बैठना आवश्यक है, पार्टीशन प्रदान किया जाएगा।

- (8) एकल उपयोगकर्ता (सिंगल यूजर) के लिए रीडिंग रूम टेबल का आकार 900 x 600 मिलीमीटर, दो पाठकों के लिए 1600 x 600 मिलीमीटर और तीन पाठकों के लिए 2400 x 600 मिलीमीटर होगा, जो सभी लैपटॉप चार्जिंग सुविधा से लैस होंगे। टेबलटॉप की ऊँचाई 750 मिलीमीटर होगी, और फुटरेस्ट रॉड की ऊँचाई 150 मिलीमीटर होगी।
- (9) छात्रों को पुस्तकों तक सुगम पहुंच प्रदान करने के लिए सभी पुस्तकों और पत्रिकाओं को लॉक किए बिना खुली अलमारियों पर रखा जाएगा। हालांकि, दुर्लभ और आउट-ऑफ-प्रिंट किताबें, पुरानी पांडुलिपियां और सूचीबद्ध किताबें बंद अलमारियों पर रखी जा सकती हैं।
- (10) संपूर्ण पुस्तकालय क्लोज्ड-सर्किट-टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी में होगा;
- (11) संस्थान के शिक्षण और वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रत्येक पुस्तकालय उपयोगकर्ता पुस्तकालय नीति में निर्दिष्ट चुप्पी और पुस्तकालय शिष्टाचार बनाए रखेगा। पुस्तकालय शिष्टाचार पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जाएगा;
- (12) सभी कार्य दिवसों, सोमवार से शनिवार तक पुस्तकालय का न्यूनतम कार्य-समय बिना किसी अवकाश के सुबह 9:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक होगा; और तथापि कार्य समय रविवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगा। इन विनियमों में निर्धारित कार्य घंटे न्यूनतम निर्धारित कार्य घंटे हैं; कॉलेज पुस्तकालय के काम के घंटे बढ़ा सकते हैं।
- (13) केंद्रीय पुस्तकालय में एक पुस्तकालय कार्यालय, पुस्तकालयाध्यक्षों और अन्य पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था, नई आने वाली पुस्तकों और रखरखाव या बाइंडिंग की जा रही पुस्तकों के लिए समर्पित स्थान, पुस्तके जारी करने और वापस जमा करने के लिए सुविधाएं।
- (14) पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग शौचालय, पीने के पानी (गर्म और ठंडा) की सुविधा आदि शामिल होगी;
- (15) पुस्तकालय केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय संस्थानों (यूनानी, आयुर्वेद सिद्ध), आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, द्वारा प्रकाशित सभी पत्रिकाओं को विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए पुस्तकालय में रखेगा;
- (16) केंद्रीय पुस्तकालय निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा, नामतः -
- (i) पुस्तकें जारी करना और वापसी जमा करना;
 - (ii) अनुक्रमणिका (इंडेक्सिंग) बनाना
 - (iii) कॉपी करने की सुविधा;
 - (iv) पुस्तक को सुरक्षित रखने की पद्धति को अपनाना;
 - (v) पुस्तकालय का उपयोग करने में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सहायता करना;
 - (vi) पुस्तकालय गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए पत्रिकाएं और समाचार पत्र और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त अध्ययन और पढ़ने की सामग्री, प्रतियोगी परीक्षा की किताबें आदि संसाधन प्रदान करेगा;
 - (vii) दिव्यांग विद्यार्थियों सहित सभी लोगों के लिए आसान पहुंच की सुविधा के लिए संपूर्ण पुस्तकालय निर्बाध आवाजाही वाला होगा;
 - (viii) यदि कॉलेज एक अलग भवन में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के साथ विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है, तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन में आयुर्वेद के लिए एक विशेष विंग प्रदान किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, यदि कॉलेज स्वतंत्र है और विश्वविद्यालय परिसर में स्थित नहीं है, तो इसमें एक केंद्रीय पुस्तकालय होगा।
 - (ix) संपूर्ण पुस्तकालय में पर्याप्त प्रकाश और क्रॉस वेंटिलेशन प्रदान किया जाएगा। जहां तक संभव हो प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त विद्युत फिटिंग के साथ प्राकृतिक प्रकाश होगा। कृत्रिम प्रकाश यथासंभव प्राकृतिक प्रकाश के जैसा बिना चकाचौंधू और बिना प्रतिबिंब का होगा, ताकि पाठकों द्वारा रंगों को आसानी से देखा जा सके और आंखों पर पड़ने वाले जोर से बचा जा सके।

- (x) संपूर्ण पुस्तकालय की संरचना या आंतरिक (इंटीरियर) भाग ऐसा होगा कि पुस्तकालय में कोई अनुनाद या प्रतिध्वनि नहीं होगी;
- (xi) पुस्तकालय परिसर में छात्रों के सामान के लिए स्टॉर्किंग सुविधाएं और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे।
- (xii) कॉलेज परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित एक अच्छी प्रकार से परिभाषित संस्थागत पुस्तकालय अनुशासन रखरखाव नीति लागू की जाएगी।
18. **डिजिटल लाइब्रेरी** - डिजिटल सेवा के लिए मानक और मानदंड निम्नलिखित होंगे, नामतः
- (1) इन विनियमों की तालिका-3 में दिए गए विस्तृत आधारभूत ढांचे वाली डिजिटल लाइब्रेरी विद्यार्थियों को इंटरनेट ब्राउज़ करने और ई-जर्नल्स, ई-सामग्री, ई-पुस्तकें, शैक्षिक कॉम्पैक्ट डिस्क, ई-संसाधन इत्यादि तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी;
 - (2) डिजिटल लाइब्रेरी के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक तालिका-3 में दिए गए अनुसार होंगे।

तालिका-3

डिजिटल लाइब्रेरी के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक

क्रम संख्या	अंतर्ग्रहण क्षमता	कंप्यूटर सिस्टम वाले स्टेशनों की संख्या	स्कायर मीटर में आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र		
		वाई-फाई कैंपस	गैर वाई-फाई कैंपस	वाई-फाई कैंपस	गैर वाई-फाई कैंपस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	60	06	15	20	40
2.	100	10	25	30	50
3.	150	15	35	40	60
4.	200	20	45	60	80

- (3) डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल लाइब्रेरी प्रभारी के लिए कार्यालय स्थान और बैठने की जगह, ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर सिस्टम स्टेशन, कॉम्पैक्ट डिस्क भंडारण सुविधाएं, हेडफोन सेट आदि सुविधा शामिल होंगी;
- (4) सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शनिवार) पर डिजिटल लाइब्रेरी का न्यूनतम कार्य-समय बिना किसी अवकाश के सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक होगा;
- (5) रविवार को डिजिटल लाइब्रेरी का कार्य समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक होगा;
- (6) इन विनियमों में निर्धारित कार्य घंटे न्यूनतम निर्धारित कार्य घंटे हैं; तथा
- (7) कॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के काम के घंटे बढ़ा सकते हैं।
- (8) सूचना प्रौद्योगिकी सेल सहित डिजिटल लाइब्रेरी के लिए न्यूनतम योग्यता, अनुभव और कर्मचारियों की आवश्यक न्यूनतम संख्या को अनुसूची-5 में विस्तृत किया जाएगा।

19. **शिक्षण विभाग-** (1) चौदह शिक्षण विभाग होंगे;
- (2) शिक्षण विभागों के न्यूनतम मानदंड और मानक निम्नलिखित होंगे, नामतः
 - (क) शिक्षकों को उनके संबंधित विभागों में पर्याप्त स्थान और गोपनीयता के साथ समायोजित किया जाएगा, प्रत्येक के पास एक अलग कमरा या क्यूबिकल होगा।
 - (ख) प्रत्येक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर और सहायक प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए न्यूनतम निर्मित क्षेत्र क्रमशः पंद्रह, तेरह और दस वर्ग मीटर होगा;
 - (ग) कॉमन हॉल या विभाग में शिक्षकों को खुले में बैठने की व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जाएगी;
 - (घ) प्रत्येक विभाग को कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

- (ङ) प्रत्येक विभाग हेतु यथा उपयुक्त विडियो, चित्र, पोस्टर, चाटर्स, विषय संबंधी सूचना, मोडल्स, उपचार के तरीके, सर्जिकल प्रक्रियाएं, पैथोलॉजिकल स्लाइड, उपकरण, औषधि तैयार करने की प्रक्रिया, औषधीय पौधों के चित्र, हर्बेरियम, एक्स-रे, नैदानिक उपकरण इत्यादि जैसी ई-सामग्री के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक विभाग को ई-डिस्प्ले की सुविधा प्रदान की जाएगी;
- (च) प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों और अन्य लागू इकाइयों के लिए आवश्यक न्यूनतम उपकरण, उपकरण, रसायन, अभिकर्मक (रीएजेंट), ग्लासवेयर और इसी प्रकार की वस्तुएं अनुसूची VI से XIV के अनुसार होंगी।
- (छ) प्रैक्टिकल प्रशिक्षण आयोजित करने वाले विभाग, पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध सभी प्रैक्टिकल आयोजित करने के लिए विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के अनुसार सभी सुविधाएं बनाए रखेंगे;
- (ज) विभागों और उनकी संबद्ध इकाइयों में अच्छी तरह से निर्मित आंतरिक सज्जा (इंटीरियर) के साथ-साथ उचित वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था (लाइटिंग) होगी। आंतरिक विभाजन (इंटरनल पार्टीशन) क्रॉस-व्यवधान को रोकने और एक सुखद माहौल बनाने के लिए पर्याप्त होगा। प्रत्येक शिक्षण विभाग और इसकी इकाइयों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र इन विनियमों की अनुसूची III में निर्दिष्ट होगा।
- (3) संहिता सिद्धांत और संस्कृत: विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्;
- (क) विभागीय पुस्तकालय, क्यूटोरियल रूम, और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था, साथ ही कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ई-सामग्री जैसे वीडियो, चित्र और जानकारी डिस्प्ले करने के लिए एक ई-डिस्प्ले सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- (ख) संस्कृत, अंग्रेजी या किसी अन्य प्रासंगिक भाषा में भाषा कौशल, संचार कौशल और ध्वन्यात्मकता (फोनेटिक्स) में कौशल को बढ़ाने के लिए संहिता सिद्धांत और संस्कृत विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग की स्थापना की जाएगी जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के साथ आवश्यक सॉफ्टवेयर पर स्थापित किये जाएंगे, इसके साथ ही अतिरिक्त आवश्यकताओं जैसे इंटरनेट एक्सेस, माइक्रोफोन, हेडसेट, और इसी प्रकार स्थापित किए जाएंगे।
- (ग) न्यूनतम निर्मित क्षेत्र और आवश्यक कंप्यूटर सिस्टम की संख्या तालिका 4 में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।

तालिका-4

भाषा विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक

क्रम संख्या	मानक	न्यूनतम आवश्यकता अंतर्ग्रहण क्षमता के अनुसार			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200
1	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर)	25	30	35	40
2	माइक्रोफोन और हेड सेट के साथ कंप्यूटर सिस्टम की न्यूनतम संख्या	05	10	15	20
3	संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के लिए डिजिटल भाषा विभाग समाधान सॉफ्टवेयर (अन्य भाषाएं वैकल्पिक)	भाषा प्रयोगशाला के सभी कंप्यूटर सिस्टम में स्थापित			
4	भाषा सॉफ्टवेयर से जुड़ा स्मार्ट बोर्ड	एक			

- (4) रचना शारीर विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) विभागीय पुस्तकालय, विच्छेदन हॉल (डिसेक्शन), संग्रहालय, एम्बलिंग रूम, कैडेवर स्टोरेज टैंक या फ्रीजर, और छात्रों के सामान के लिए भंडारण सुविधा।
- (ख) कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधाओं के साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था।
- (ग) ई-सामग्री जैसे वीडियो, चित्र और जानकारी डिस्प्ले करने के लिए एक ई-डिस्प्ले सुविधा।
- (घ) डिसेक्शन हॉल का आकार प्रति छात्र न्यूनतम 4.2 वर्ग मीटर के साथ वार्षिक प्रवेश क्षमता के 50% को समायोजित करने के लिए पर्याप्त होगा। डिसेक्शन हॉल में पर्याप्त वेंटिलेशन, निकास सुविधाएं, हैंडवॉश स्टेशन और एक आभासी डिसेक्शन या ई-डिसेक्शन सुविधा होगी।

- (ङ) डेमो और डिसेक्शन स्टेशन सभी छात्रों विशेष रूप से छोटे भागों में डिसेक्शन प्रदर्शनों की स्पष्ट दृश्यता की सुविधा को सुनिश्चित करना।
- (च) डेमो स्टेशन, छाया-रहित ऑपरेशन थिएटर लाइट और इनबिल्ट हाई-रिजॉल्यूशन क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा से लैस होगा, साथ ही डिसेक्शन के प्रदर्शन के लिए आवश्यक डिसेक्शन टेबल और अन्य सामान होंगे।
- (छ) डिसेक्शन अभ्यास स्टेशनों में डेमो स्टेशन के क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरे से जुड़ी एक डिस्प्ले यूनिट (जैसे स्मार्ट टेलीविजन, लाइट एमिटिंग डायोड (एल.ई.डी.) स्क्रीन, स्मार्ट बोर्ड, आदि) शामिल होगी।
- (ज) प्रत्येक डिसेक्शन अभ्यास स्टेशन में कम से कम दस (10) छात्रों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान और एक बड़ी डिसेक्शन मेज होगी।
- (झ) रचना शारीर विभाग और इसकी संबद्ध इकाइयां अधिमानतः शीर्ष तल पर या कॉलेज भवन के अंतिम भाग में स्थित होंगी।
- (ज) रचना शारीर विभाग के लिए न्यूनतम निर्मित क्षेत्र और अन्य न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची III और VII में निर्दिष्ट होंगी।
- (5) क्रिया शारीर विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, और इंटरनेट सुविधाएं; गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था; और ई-सामग्री (वीडियो, चित्र, जानकारी, और इसी प्रकार) को प्रदर्शित करने के लिए एक ई-डिस्प्ले सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ख) फिजियोलॉजी या क्रिया प्रयोगशाला (जैव रसायन परीक्षण के लिए एक वैकल्पिक सुविधा के साथ) में रासायनिक रैक के साथ प्रयोगशाला टेबल, पानी के नल के साथ वॉशबेसिन, गैस बर्नर और गैस कनेक्शन शामिल होंगे। प्रयोगशाला में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्डिंग और अन्य मानव-संबंधित प्रैक्टिकल की सुविधा भी होगी।
- (ग) न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची III और VIII में निर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
- (6) द्रव्यगुण विज्ञान विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) विभाग, विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट की सुविधा और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ख) हर्बेरियम-सह-द्रव्यगुण संग्रहालय में सूखे नमूने, गीते नमूने, औषधीय पौधों के ई-संसाधन और वीडियो, चित्र, चार्ट और जानकारी जैसी ई-सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए एक ई-डिस्प्ले सुविधा शामिल होगी।
- (ग) आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों की कम से कम दो सौ प्रजातियों के साथ एक अच्छी तरह से विकसित जड़ी-बूटियों (हर्बल) का उद्यान उपलब्ध होगा।
- (घ) औषधीय पौधों का विवरण प्रदान करने के लिए पौधों को त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू. आर.) कोड के साथ लेबल किया जाएगा, जिसमें स्थानीय नाम, स्थानीय भाषा में नाम, वनस्पति नाम, परिवार का नाम, पहचान बिंदु, औषधीय गुण आदि शामिल हैं।
- (ङ) पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध द्रव्यगुण, व्यावहारिक (फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी और अन्य) के संचालन के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ एक प्रयोगशाला उपलब्ध होगी।
- (च) द्रव्यगुण विभाग और इसकी इकाइयों के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची III और IX में निर्दिष्ट होंगी।
- (7) रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा के साथ प्रिंटर और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ख) शिक्षण फार्मेसी छात्रों के शिक्षण, निरूपण और प्रशिक्षण के लिए होगी, परंतु वणिज्यिक उत्पादन के लिए नहीं। व्यावहारिक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में तैयार की गई औषधियां रोगियों को नहीं दी जाएंगी।

- (ग) शिक्षण फार्मेसी अधिमानतः कॉलेज भवन के कोने या अंत में या उसी परिसर में एक अलग इमारत में स्थित हो सकती है। यदि संस्थान वाणिज्यिक उत्पादन की फार्मेसी से जुड़ा हुआ है, तो इसे शिक्षण फार्मेसी के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (घ) फार्मेसी पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्जित (लैस) होगी, जिसमें निकास, चिमनी या रासायनिक हुड शामिल हैं, जो सूचीबद्ध व्यावहारिक संचालन के लिए आवश्यक हैं।
- (ङ) कद्दी औषधियों, खनियों, धातुओं और इसी प्रकार की वस्तुओं, मुषा, यंत्र इत्यादि को प्रदर्शित (डिस्प्ले) किया जाएगा।
- (च) ई-सामग्री (वीडियो, चित्र, चार्ट, सूचना और इसी प्रकार की वस्तुओं) को प्रदर्शित करने के लिए ई-डिस्प्ले सुविधा उपलब्ध होगी।
- (छ) रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची-III और X में निर्दिष्ट की जाएंगी।
- (8) गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगी, अर्थात्:-
- (क) एक स्वतंत्र इकाई और एक सामान्य सुविधा होगी।
- (ख) रसशास्त्र, भैषज्यकल्पना या द्रव्यगुण के नामित संकाय सदस्य इस प्रयोगशाला के प्रभारी होंगे।
- (ग) रसशास्त्र-भैषज्यकल्पना और द्रव्यगुण पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (घ) यह प्रयोगशाला छात्रों और कर्मचारियों को अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करने में भी सुविधा प्रदान करेगी।
- (ङ) गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची-III और XI में निर्दिष्ट की जाएंगी।
- (9) रोगनिदान और विकृतिविज्ञान विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा और बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (ख) विभाग के लिए स्वतंत्र पैथोलॉजी प्रयोगशाला (चिकित्सालय की नैदानिक या पैथोलॉजी प्रयोगशाला के अतिरिक्त) रोगनिदान से संबंधित व्यावहारिक संचालन के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (ग) पैथोलॉजिकल नमूनों, विशिष्ट एक्स-रे और इसी प्रकार के प्रदर्शनों की विशेषता वाला एक संग्रहालय ई-डिस्प्ले सुविधा द्वारा पूरक होगा। यह सुविधा वीडियो, चित्र, चार्ट, पैथोलॉजिकल हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड और सूचनात्मक डिस्प्ले जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रदर्शन करेगी।
- (घ) रोगनिदान और विकृतिविज्ञान के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची-III और XII में निर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
- (10) अगद तंत्र विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था।
- (ख) खाद्य पदार्थों और इसी प्रकार के पदार्थों सहित विभिन्न विष का परीक्षण करने के लिए सुसज्जित विष परीक्षण सुविधा।
- (ग) हथियारों, सांपों, जहरीले जानवरों और अन्य संबंधित प्रदर्शनों की विशेषता वाला एक संग्रहालय, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जैसे वीडियो, चित्र, सूचना चार्ट और अधिक दिखाने के लिए ई-डिस्प्ले सुविधा।
- (घ) आग्ने तंत्र के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची-III और XIII में निर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
- (11) स्वस्थ-वृत और योग विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था।
- (ख) एक पोषण प्रयोगशाला और वीडियो, चित्र, चार्ट और जानकारी जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री दिखाने के लिए एक ई-डिस्प्ले सुविधा।
- (ग) स्वस्थ्य-वृत और योग के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची-III और XIV में निर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

- (12) काय-चिकित्सा विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री (वीडियो, चित्र, चार्ट, नैदानिक प्रस्तुतिकरण, सूचना, आदि) को प्रदर्शित करने के लिए एक ई-डिस्प्ले सुविधा और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था।
- (ख) काय-चिकित्सा विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची-III और VI में निर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
- (13) पंचकर्म विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री (वीडियो, प्रक्रियाएं, तैयारी, चित्र, चार्ट, सूचना, आदि) दिखाने के लिए एक ई-डिस्प्ले सुविधा और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था।
- (ख) पंचकर्म विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची-III और VI में निर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
- (14) शल्य तंत्र विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा; ई-सामग्री (सर्जिकल प्रक्रियाओं, चित्रों, चार्ट, सूचना, आदि के वीडियो) को प्रदर्शित करने के लिए ई-डिस्प्ले सुविधा, और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था;
- (ख) विशिष्ट एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट और संबंधित सामग्रियों के साथ पित्त पथरी, गुर्दे की पथरी, घूमर और इसी प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय उपलब्ध होगा।
- (ग) शालाक्य तंत्र विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची-III और VI में निर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
- (15) शलाक्य तंत्र विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधाएं के अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जैसे सर्जिकल प्रक्रियाओं के वीडियो, क्रियाकल्प प्रक्रियाओं, चित्रों, चार्ट, सूचनाओं और अन्य को प्रदर्शित करने के लिए एक ई-डिस्प्ले सुविधा प्रदान करेगा। गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी।
- (ख) शलाक्य तंत्र विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची-III और VI में निर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
- (16) प्रसूति और स्त्रीरोग विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) एक विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री (शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के वीडियो, क्रियाकल्प प्रक्रियाओं और इसी प्रकार) के साथ-साथ चित्र, चार्ट, जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करने के लिए एक ई-डिस्प्ले सुविधा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ख) शलाक्य तंत्र विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यकता अनुसूची-III और VI में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।
- (17) कौमारभृत्य विभाग निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-
- (क) विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा, ई-सामग्री प्रदर्शित करने के लिए ई-डिस्प्ले सुविधा (वीडियो, छवियां, चार्ट, जानकारी और इसी प्रकार) उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ख) कौमारभृत्य विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची-III और VI में निर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
- नोट 1: एक विभाग की सभी इकाइयाँ, जिनमें शिक्षकों के बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशालाएँ या विच्छेदन कक्ष, संग्रहालय, शिक्षण फार्मेसियाँ और अन्य प्रासंगिक सुविधाएँ शामिल हैं, विभाग के भीतर एक साथ स्थित होंगी, जिससे पर्याप्त जगह सुनिश्चित होगी।
- नोट 2: आयोग समय-समय पर पाठ्यक्रम को संशोधित कर सकता है; तदनुसार, उपकरण और अन्य सुविधाओं की आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं। संस्थानों को आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रम के अनुसार इन आवश्यकताओं को पूरा करना अपेक्षित है।

- नोट 3:** सभी प्रयोगशालाओं में उपयोग में आने वाली मेज कठोर पत्थर या स्टेनलेस स्टील से बनी होनी चाहिए, और उचित अलमारियों और वॉश बेसिन में बहते पानी के नल की व्यवस्था होनी चाहिए।
- नोट 4:** शब्द 'विजनना,' 'विज्ञान (क),' और 'विद्युत्यां (ए)' पर्यायवाची हैं और इनका एक ही अर्थ है।
- 20.** **योग-नैदानिक कौशल प्रयोगशाला या सिमुलेशन प्रयोगशाला:** (1) संस्थान में निम्नलिखित सुविधाओं के साथ एक योग्य-नैदानिक कौशल प्रयोगशाला या सिमुलेशन प्रयोगशाला होगी:
- (क) संस्थान में मॉडल, पुतले (मैनक्लिन), वर्चुअल या ऑगमेटेड वास्तविकता शिक्षण और प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी, और सिमुलेटर होंगे। ये सुविधाएं निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अनुसार प्रशिक्षण नैदानिक और अन्य कौशल की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।
 - (ख) संस्थान पुतलों (मैनक्लिन), सिमुलेटरों और अन्य प्रशिक्षण सामग्रियों के भंडारण के लिए उचित भंडारण सुविधा प्रदान करेगा।
 - (ग) संस्थान समन्वयक, कार्यालय सहायक और एक परिचर के लिए कार्यालय स्थान प्रदान करेगा।
 - (घ) संस्थान में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से सुसज्जित प्रदर्शन (डेमोस्ट्रेशन) और अभ्यास कक्ष होंगे, जैसे स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो-विजुअल उपकरण और इसी प्रकार और;
 - (ङ) एक रिसेप्शन, रिकॉर्ड रखने की सुविधा, छात्र के सामान के लिए भंडारण की सुविधा, और पर्याप्त संख्या में स्लॉट के साथ प्रवेश द्वारा पर जूता रैक।
- (2) यदि कॉलेज विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है, और सिमुलेशन प्रयोगशाला एक साझा सुविधा के रूप में एक अलग भवन में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में, आयुर्वेद कॉलेज के लिए उसी सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि आयुर्वेद कॉलेज के लिए समर्पित प्रदर्शन और अभ्यास कक्ष हों, और आयुर्वेद कॉलेज से कम से कम एक संकाय सदस्य सिमुलेशन प्रयोगशाला के प्रबंधन या समन्वय दल का हिस्सा होगा।
- (3) योग्या-नैदानिक कौशल प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं और मानक तालिका 5, अनुसूची III, V और XV में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार होंगे।

तालिका-5

न्यूनतम आवश्यक मानक और योग्या-नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला के लिए आवश्यक निर्मित क्षेत्र, जिसे प्रवेश क्षमता द्वारा वर्गीकृत किया गया है।

क्रम संख्या	अंतर्ग्रहण क्षमता	प्रदर्शन और अभ्यास कक्ष		स्कायर मीटर में आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (सामान्य क्षेत्र + डेमो और अभ्यास कक्ष)
		संख्या	क्षमता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	60	1	न्यूनतम 30 छात्रों को समायोजित करने के लिए प्रत्येक डेमो रूम	125 (75+50x1)
2.	100	2		200 (100+50x2)
3.	150	3		275 (125+50x3)
4.	200	4		350 (150+50x4)

- 21. मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ:** (1) संस्थान निम्नलिखित सुविधाओं के साथ एक मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ की स्थापना करेंगे, अर्थात्:
- (2) यह प्रकोष्ठ चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण इकाई और शिक्षकों के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त, यह संस्था के चिकित्सा, पैरामेडिकल, तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों के लिए एक अभिविन्यास या प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगा।
- (3) मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ में समन्वयक और कार्यालय सहायक के लिए कार्यालय शामिल होंगे, साथ ही कार्यशालाओं के संचालन के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित (फर्नीचर सहित) एक हॉल भी शामिल होगा, जिसमें कम से कम तीस प्रतिभागियों को समायोजित किया जाएगा।

- (4) हॉल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से लैस होगा, जिसमें ऑडियो-विजुअल सिस्टम, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, वाई-फाई कनेक्टिविटी, प्रतिभागियों के लिए पर्याप्त लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, साथ ही एक प्रिंटर और कॉपियर शामिल होगा।
- (5) ई-शिक्षण सामग्री के विस्तार के लिए फोटोग्राफी सुविधा और एक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा होगी।
- (6) संस्थान के लिए एक मानव संसाधन विकास समिति होगी। समिति की संरचना, जैसा कि तालिका 6 में विस्तृत है, मानव संसाधन विकास सेल की गतिविधियों की योजना, निष्पादन और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी।

तालिका-6

मानव संसाधन विकास समिति की संरचना

क्रम संख्या	पद का नाम	विशिष्ट व्यक्ति
(1)	(2)	(3)
1.	अध्यक्ष	निदेशक या डीन या प्रिंसिपल
2.	समन्वयक	प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर (शिक्षण कर्मचारियों के बीच)
3.	सदस्यों	चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक पहले वृत्तिक विषयों के एक संकाय सदस्य दूसरे व्यावसायिक विषयों के एक संकाय सदस्य तृतीय वृत्तिक विषयों (चिकित्सा विषयों) से एक संकाय सदस्य तीसरे वृत्तिक विषयों (सर्जिकल विषयों) से संकाय सदस्य प्रशासन या मानव संसाधन से एक सदस्य
नोट: समिति का कार्यकाल दो वर्ष या संस्थागत नीतियों के अनुसार होगा। समिति आवश्यकतानुसार किसी विशेषज्ञ या किसी अन्य सदस्य को सहयोगित कर सकती है। सदस्य वे हैं जो चिकित्सा शैक्षिक प्रौद्योगिकी (एमईटी) प्रशिक्षण से गुजरे हैं या नवाचार सिखाने के लिए जाने जाते हैं, सक्रिय और नए विकास प्राप्त करने में रुचि रखते हैं।		

- (7) समिति कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रशिक्षण या अभिविन्यास के लिए आवश्यक कौशल, तकनीक या ज्ञान की पहचान करेगी, एक कार्यक्रम तैयार करेगी, और तदनुसार उन्हें घोषित और कार्यान्वित करेगी। यह संस्थान की कार्यक्षमता में 360-डिग्री दृष्टिकोण और समग्र विकास सुनिश्चित करता है।
- (8) एक कॉलेज और चिकित्सालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अभिविन्यास, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग गतिविधियों के लिए निम्नलिखित शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।
- (क) शिक्षण स्टाफ, पुस्तकालय स्टाफ, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक, योग प्रदर्शनकर्ता;
- (ख) प्रशासनिक कर्मचारी;
- (ग) नर्सिंग स्टाफ और प्रयोगशाला तकनीशियन;
- (घ) क्रियाकल्प, अनुस्वर्कर्म के चिकित्सकों सहित पंचकर्म चिकित्सक;
- (ङ) तकनीकी कर्मचारी (सूचना प्रौद्योगिकी, विजली, नलसाजी और इसी प्रकार);
- (च) रसोइया, पथ्य रसोइया, पंचकर्म तैयारी कक्ष के रसोइये;
- (छ) सहायक कर्मचारी (उद्यान श्रमिक, ड्राइवर, सुरक्षा और इसी प्रकार);
- (ज) परिचारक (मेनियल) स्टाफ या ग्रुप-डी या हाउसकीपिंग या मल्टी-टास्किंग स्टाफ;
- (9) मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताएं और मानक अनुसूची-III और V में निर्दिष्ट अनुसार होंगी।
22. अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ- (1) अनुसंधान और नवाचार प्रकोष्ठ के मानदंड, मानक और अवसंरचना अनुसूची- III में निर्दिष्ट अनुसार होंगे, अर्थात्:

- (2) अनुसंधान और नवाचार प्रकोष्ठ के लिए न्यूनतम तीस वर्ग मीटर का कमरा, पर्याप्त फर्नीचर और दस्तावेज भंडारण से सुसज्जित होगा। यह प्रकोष्ठ नवाचार, इनक्यूबेशन, अनुसंधान, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा।
- (3) कॉलेज निम्नलिखित संरचना के साथ एक संस्थागत नवाचार समिति का गठन करेगा, अर्थात्:
- | | | |
|-----|---|------------|
| (क) | संस्थान के प्रमुख: | अध्यक्ष; |
| (ख) | दूरदर्शी और रचनात्मक गतिविधि के लिए
जाने जाने वाले वरिष्ठ संकाय सदस्य: | समन्वयक; |
| (ग) | तीन संकाय सदस्य (प्रत्येक पेशे से एक) | सदस्य; तथा |
| (घ) | प्रत्येक बैच से दो छात्र (एक लड़का और एक लड़की): | सदस्य। |
- (4) संस्थागत नवाचार समिति संस्थान के छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों से नवान्वेषी विचारों की पहचान करेगी या उन्हें आमंत्रित करेगी और विचारों को विकसित करने या पोषित करने, उन्हें उपयोगी उत्पादों या परिणामों में बदलने की सुविधा प्रदान करेगी। नवाचार शिक्षण, निदान, चिकित्सीय उपकरण, शल्य चिकित्सा उपकरण, डोज़ फॉर्म्स, औषधि वितरण पद्धति, सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग, मूल्यांकन पैमाने आदि में हो सकते हैं।
- (5) कॉलेज में एक संकाय सदस्य, जिसके पास अनुसंधान, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों का ज्ञान है, या जिसने आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त किया है, या जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है, या समन्वयक की नियुक्ति के बाद, उसे छह महीने के भीतर प्रशिक्षण पूरा करना होगा।
- (6) प्रत्येक संस्थान नवाचार, इनक्यूबेशन, अनुसंधान, प्रकाशन, बौद्धिक संपदा अधिकार, अनुसंधान अनुदान के संवितरण, अनुसंधान प्रोत्साहन, प्रकाशन प्रोत्साहन और इसी प्रकार की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए संस्थागत नीतियां विकसित करेगा।
- (7) नीति सभी हितधारकों की ओर उन्मुख होनी चाहिए और एक अच्छी तरह से विकसित कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र होना चाहिए।
23. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ- (1) प्रत्येक कॉलेज में संस्थान की योजना, मार्गदर्शन और गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता वृद्धि गतिविधियों की निगरानी के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ होगा;
- (2) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन समिति की संरचना निम्नलिखित के अनुसार होगी:
- | | |
|-----|---|
| (क) | संस्था का प्रमुख (प्रधान या निदेशक या संकायाध्यक्ष) - अध्यक्ष; |
| (ख) | चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक- सदस्य; |
| (ग) | तीन वरिष्ठ संकाय (प्रत्येक वृत्तिक पाठ्यक्रम से एक)-सदस्य |
| (घ) | दो वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी (एक कॉलेज से और एक चिकित्सालय से) - सदस्य; |
| (ङ) | मैट्रन-सदस्य; |
| (च) | गुणवत्ता प्रबंधन पर एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य; तथा |
| (छ) | एक वरिष्ठ संकाय सदस्य-सदस्य सचिव। |
- (3) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन समिति तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी;
- (4) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के मुख्य कार्य
- | | |
|-----|--|
| (क) | संस्थान की विभिन्न शैक्षणिक, नैदानिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास और अनुप्रयोग हैं। |
| (ख) | संस्था के विजन दस्तावेज के कार्यान्वयन की निगरानी; |
| (ग) | शिक्षार्थी केंद्रित पर्यावरण और शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को सुविधाजनक बनाना; |
| (घ) | गुणवत्ता संबंधी संस्थागत प्रक्रिया पर 360-डिग्री फीडबैक की व्यवस्था; |

- (ङ) गुणवत्ता में सुधार के लिए कॉलेज की सभी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण।
- (च) गुणवत्ता से संबंधित गतिविधियों का समन्वय और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसारण;
- (5) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के लिए आवश्यक न्यूनतम मानदंड और मानक अनुसूची-III और V में दिए गए अनुसार होंगे।
24. कॉलेज परिषद की संरचना और इसके कार्य- एक कॉलेज परिषद होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:
- (1) सदस्यों के रूप में विभागों के प्रमुख और अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य, निदेशक या संकाय।
 - (2) कॉलेज परिषद पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्यान्वयन रणनीति, अनुशासन के प्रवर्तन और अन्य शैक्षणिक मामलों को तैयार करने के लिए वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी, और इसका रिकॉर्ड रखेगी।
 - (3) कॉलेज परिषद संस्थान में नियमित रूप से अंतर-विभागीय बैठकें जैसे उच्चस्तरीय बैठकें, सांख्यिकीय समीक्षा बैठकें, नैदानिक बैठकें और अनुसंधान समीक्षा भी आयोजित करेगी।
 - (4) महाविद्यालय परिषद संस्था, रणनीतिक योजना और कार्यान्वयन, छात्रों के प्रदर्शन और सुधार के शैक्षणिक, स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और सह-पाठ्यक्रम या पाठ्येतर गतिविधियों की योजना, समीक्षा और उन्नयन करेगी;
 - (5) कॉलेज परिषद संस्था के विजन दस्तावेज विकसित करेगी और समय-समय पर इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी; तथा
 - (6) कॉलेज परिषद आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थान की शैक्षणिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और संस्थान समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और इस तरह के तरीके से आयोग को शैक्षणिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
 - (7) कॉलेज परिषद बैठक कक्ष के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र अनुसूची-II में वर्णित अनुसार होगा।
25. शैक्षणिक समिति-(1) कॉलेज शिक्षण अनुसूचियों की योजना, निष्पादन और निगरानी के लिए शैक्षणिक समिति का गठन करेगा।
- (2) शिक्षण कार्यक्रम एकीकृत प्रकृति का होगा और एक माह पहले इसकी घोषणा की जाएगी।
 - (3) शिक्षण कार्यक्रम संस्थागत वेबसाइट के साथ-साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) पोर्टल पर होस्ट किया जाएगा।
 - (4) अकादमिक समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:-
 - (क) उप-प्रधान या उप संकायाध्यक्ष या उप निदेशक - अध्यक्ष
 - (ख) प्रत्येक विभाग में एक संकाय सदस्य - सदस्य
26. छात्र परिषद और उसकी संरचना: (1) एक छात्र परिषद होगी। कॉलेज चयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्र परिषद का गठन करेगा जब तक कि संबद्धता विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए।
- (2) विद्यार्थी परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-
 - (क) अध्यक्ष;
 - (ख) महासचिव;
 - (ग) सदस्य: सभी बैचों के वर्ग प्रतिनिधि;
 - (घ) साहित्यिक सचिव;
 - (ङ) सांस्कृतिक या ललित कला सचिव;
 - (च) खेल सचिव;
 - (छ) महिला छात्र प्रतिनिधि;
 - (ज) राष्ट्रीय सेवा योजना प्रतिनिधि; तथा

- (ज्ञ) संस्थागत आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सदस्य।
- (3) छात्र परिषद कक्ष के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र अनुसूची-III में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
27. छात्र सहायता, कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल का गठन और कार्य –
- (1) इस सेल की संरचना और कार्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्: -
- (क) सेल का उद्देश्य शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, व्यक्तिगत, कैरियर विकास और प्लेसमेंट में छात्रों का समर्थन और प्रोत्साहित करना है;
- (ख) प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा और प्लेसमेंट के लिए विभिन्न अवसरों की पहचान कर सकता है और तदनुसार छात्रों को सलाह दे सकता है;
- (2) छात्र सहायता, कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल की संरचना निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्: -
- (क) संयोजक: एक वरिष्ठ संकाय, और
- (ख) सदस्य:
- (i) तीन संकाय सदस्य (कम से कम एक महिला);
- (ii) प्रशिक्षुओं सहित प्रत्येक बैच से दो छात्र प्रतिनिधि (एक पुरुष और एक महिला); तथा
- (iii) दो माता-पिता शिक्षक संघ प्रतिनिधि।
- (3) संस्थान सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं वाले छात्रों की सहायता के लिए एक परिषद या अंशकालिक आधार पर, एक परामर्शदाता नियुक्त करेगा।
- (4) इस प्रकोष्ठ के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र अनुसूची-III और V में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
28. सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधि का संचालन: (1) संस्थान सह-पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या गतिविधियों के संचालन के लिए पर्याप्त सुविधाएं और सुविधा प्रदान करेगा, अर्थात्:
- (क) शारीरिक शैक्षिक सुविधा;
- (ख) मनोरंजनात्मक सुविधा;
- (ग) राष्ट्रीय सेवा योजना और इसी प्रकार से संबंधित गतिविधियां;
- (घ) संस्थान विभिन्न छात्र क्लबों जैसे एडवेंचर्स क्लब, साइंस क्लब, पर्यावरण क्लब, संस्कृत क्लब, फोटोग्राफी क्लब, पशु प्रेमी क्लब, और इसी तरह के संगठन के गठन का अवसर प्रदान करेगा।
- (ङ) सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसी प्रकार;
- (च) चिकित्सा शिविर या ग्राम गोद लेने या स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और इसी प्रकार;
- (छ) फ़िल्ड विजिट या सर्वेक्षण और इसी प्रकार;
- (ज) संगोष्ठी, कार्यशाला, ब्रेन स्टोर्मिंग सत्र, संगोष्ठी और इसी प्रकार का आयोजन करना; तथा
- (2) सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर सुविधाओं की न्यूनतम आवश्यकताएं अनुसूची-III और V में निर्दिष्ट के अनुसार होंगी।
29. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ- (1) शिकायत या सुझाव बॉक्स, उचित रूप से लेबल किए गए और अगली ओपनिंग तिथि पर जानकारी सहित, संस्था के भीतर उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे।
- (2) शिकायत निवारण समिति द्वारा समय-समय पर शिकायत या सुझाव बॉक्स खोले जाने हैं, और शिकायतों या सुझावों का रिकॉर्ड, की गई कार्रवाई रिपोर्ट और परिणामों के साथ बनाए रखा जाएगा।
- (3) संस्थान के पास शिकायत निवारण प्रकोष्ठ समिति के गठन और इसकी कार्यक्षमता की नीति होगी;
- (4) इस प्रकोष्ठ के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र अनुसूची-III में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।

30. **यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति** - (1) प्रत्येक कॉलेज में एक सुरक्षित, न्यायसंगत और समावेशी परिसर बातावरण के निर्माण के लिए यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक समिति होगी;
- (2) समिति परिसर में आगंतुकों सहित छात्रों, संकाय, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, यौन अनाचार और यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायतों या शिकायतों का निपटान करेगी। इसके अतिरिक्त, समिति यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करेगी।
- (3) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायतों को प्राप्त करने और उनके निपटान में गोपनीय प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।
- (4) प्रत्येक संस्थान की समिति के गठन और उसके कार्य में अपनी संस्थागत नीति होगी।
- (5) इस प्रकोष्ठ के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र अनुसूची-III में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
31. **सामान्य सुविधाएं-** (1) संस्था में उपलब्ध कराई जाने वाली सामान्य सुविधाएं निम्नलिखित होंगी:
- (क) पुरुष छात्रों के लिए अटैच्ड शौचालयों के साथ एक सामान्य कक्ष;
- (ख) एक सामान्य कक्ष जिसमें पुरुष छात्रों के लिए अटैच्ड शौचालय हों;
- (ग) एक सामान्य कक्ष जिसमें महिला छात्रों के लिए अटैच्ड शौचालय हों; और
- (घ) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए अटैच्ड शौचालयों (पुरुष और महिला के लिए अलग) के साथ एक सामान्य कक्ष;
- (ङ) पर्याप्त फर्नीचर और मनोरंजक सुविधाएं;
- (च) पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग से उपयुक्त और आसानी से सुलभ स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय;
- (छ) सभी महिला शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इंसिनेटर प्रदान किया जाएगा।
- (2) संस्थान निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा: परिवहन, बैंक या स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम), कैंटीन और इसी प्रकार।
- (3) सामान्य कमरों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र अनुसूची-III में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
32. **छात्रावास -** (1) पुरुष और महिला छात्रों के साथ-साथ इंटर्न लड़कों और इंटर्न लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास होंगे। ये छात्रावास पर्याप्त आवास, एक भोजनालय, एक वाचनालय (रीडिंग रूम), मनोरंजन सुविधाएं और उचित सुरक्षा प्रदान करेंगे।
- (2) छात्रावास संस्थागत परिसर में ही स्थित होगा। यदि चिकित्सालय एक अलग परिसर में स्थित है, तो परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी, और इंटर्न हॉस्टल चिकित्सालय परिसर में स्थित होंगे।
- स्पष्टीकरण:** - लड़कों और लड़कियों के छात्रों के लिए निर्धारित छात्रावासों में आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए प्रवेश और निकास का समय निर्दिष्ट होगा। इंटर्न, जिन्हें चिकित्सालय की झूटी और आपात स्थितियों में उपस्थित होना होता है, उन्हें अलग-अलग छात्रावास प्रदान किए जाएंगे। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि वे अन्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपने नैदानिक कर्तव्यों को आराम से पूरा कर सकें।
33. **कैंटीन** - परिसर में उपयुक्त लाइसेंस के साथ एक कैंटीन होगी। कैंटीन में बैठने की पर्याप्त क्षमता होगी और सलाहकारों (शिक्षण स्टाफ सहित), इंटर्न, मेडिकल छात्रों, रोगियों और उनके परिचारकों के लिए अलग सेवान सेवान होंगे। ऐसे मामले में जहां कॉलेज और चिकित्सालय अलग परिसरों में हैं, प्रत्येक परिसर में एक अलग कैंटीन उपलब्ध कराई जाएगी।
34. **मानव संसाधन:** (1) कॉलेज के न्यूनतम मानदंड, मानक और शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित होगी:
- (क) शिक्षण स्टाफ की योग्यता और अनुभव भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद शिक्षा न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
- (ख) शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम संख्या अनुसूची-IV में उल्लिखित अनुसार होगी
- (ग) विभाग में अतिरिक्त वरिष्ठ संकाय (फैकल्टी) कनिष्ठ संकाय (फैकल्टी) की कमी को पूरा कर सकता है।

- लेकिन कनिष्ठ संकाय (फैकल्टी) वरिष्ठ संकाय (फैकल्टी) की भरपाई नहीं कर सकते;
- (2) विभाग में कई प्रोफेसरों के प्रकरण में, विभाग का प्रमुख प्रत्येक तीन वर्षों के लिए रोटेशन के साथ वरिष्ठता के आधार पर प्रोफेसरों में से होगा।
- (3) गैर-शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या और न्यूनतम योग्यता अनुसूची-V में उल्लिखित अनुसार होगी
- (4) संस्थान के प्रमुख आयोग द्वारा आयोजित या आयोग द्वारा निर्दिष्ट शैक्षिक प्रशासन में क्षमता-निर्माण या अभिविन्यास कार्यक्रम से गुजरेंगे। यह संस्था के प्रमुख के पद को धारण करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। ऐसा न करने पर भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा संस्था के प्रमुख के पद के उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा।
35. **शिक्षक दिवस और अवधि की गणना :** (1) शिक्षक दिवसों की गणना प्रत्येक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत रूप से और संस्थान के सभी शिक्षकों के लिए संचयी रूप से की जाएगी।
- (2) 'गणना की अवधि' मूल्यांकन महीने से बारह महीने पहले होगी।
- (3) यदि आकलन मई 2023 के महीने में किया जा रहा है, तो 'गणना की अवधि' मई 2022 से अप्रैल 2023 (बारह महीने) तक होगी;
- (4) एक शिक्षक के कार्य दिवसों को केंद्रीय सर्वर या केंद्रीय कमान केंद्र में उपलब्ध उपस्थिति रिकॉर्ड (वायोमेट्रिक या आईरिस मान्यता या चेहरे की पहचान या आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य विधि) से माना जाएगा;
- (5) संस्थान के कार्य दिवसों की गणना उस अवधि के लिए आधिकारिक छुट्टियों को छोड़कर, मूल्यांकन अवधि में दिनों की कुल संख्या पर विचार करके की जाएगी।
- (6) केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला कलेक्टर द्वारा घोषित छुट्टियों पर विचार किया जाएगा।
- (7) कॉलेज को समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी स्थानीय आधिकारिक अवकाश और इसी प्रकार के कार्यक्रमों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ, अवकाश की घोषणा के दस दिनों के भीतर अपलोड करना होगा।
- (8) दस दिन के बाद किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (9) संस्थान के लिए व्यक्तिगत शिक्षक दिनों और संचयी शिक्षक दिवसों की गणना के लिए केवल केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध डेटा पर विचार किया जाएगा।
- (10) व्यक्तिगत शिक्षक दिवसों की गणना निम्नलिखित के आधार पर की जाएगी:
- (क) कॉलेज में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक ने गणना अवधि के दौरान कितने कार्यदिवसों में भाग लिया।
- (ख) कार्य दिवसों की संख्या, गणना की अवधि के दौरान शिक्षक संस्था से जुड़ा हुआ था।
- उदाहरण:** यदि इस छह महीने के दौरान 'गणना की अवधि' में एक शिक्षक को छह महीने की अवधि के लिए संस्थान से जोड़ा गया था, तो कितने कार्य दिवस हैं और शिक्षक के रूप में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कॉलेज में भाग लेने वाले कितने दिनों पर विचार किया जाता है। शिक्षक दिनों की गणना।
- (11) व्यक्तिगत शिक्षक दिवसों की गणना नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार की जाती है:
- पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कॉलेज में उपस्थित दिनों की संख्या
-
- x 100
- संस्थान से जुड़े शिक्षक की अवधि में कार्य दिवसों की संख्या
- (12) प्रत्येक शिक्षक को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 2022 में निर्दिष्ट कार्य दिवसों के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत में भाग लेना होगा।
- (13) लंबे समय तक बीमारी के लिए मातृत्व अवकाश और चिकित्सा अवकाश को छोड़कर शिक्षण से अनुपस्थिति के पञ्चिस प्रतिशत की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि वह शिक्षक की लंबी छुट्टी के प्रकरण में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। यदि आवश्यक हो तो आयोग लंबे समय तक चिकित्सा छुट्टी की जांच और सत्यापन करने के लिए एक 'मेडिकल बोर्ड' का गठन कर सकता है।

- (14) संस्था के संचयी शिक्षक दिवस पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं होंगे और इसकी गणना उल्लिखित सूत्र के अंतर्गत प्रदान की गई है:

मूल्यांकन अवधि के दौरान सभी शिक्षकों द्वारा कुल कार्य दिवसों में भाग लिया

X100

मूल्यांकन अवधि के दौरान संस्था के सभी शिक्षकों के कार्य दिवसों की कुल संख्या

नोट 1: सभी शिक्षकों की व्यक्तिगत उपस्थिति जोड़कर मूल्यांकन अवधि के दौरान सभी शिक्षकों द्वारा कुल कार्य दिवसों की गणना की जा सकती है।

नोट 2: मूल्यांकन अवधि के दौरान संस्था के सभी शिक्षकों के कार्य दिवसों की कुल संख्या उस मूल्यांकन अवधि में कार्य दिवसों की संख्या को गुणा करके उस विशेष प्रवेश क्षमता के लिए निर्दिष्ट शिक्षकों की न्यूनतम संख्या के साथ प्राप्त की जा सकती है।

उदाहरण के लिए, चालीस शिक्षक शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यकता हैं और उस मूल्यांकन अवधि के लिए कार्य दिवस तीन-सौ दिन हैं। तब संस्था के सभी शिक्षकों के कुल कार्य दिवस होंगे: $40 \times 300 = 12000$

36. शिक्षण कर्मचारियों को कार्यमुक्त करना और उन्हें बदलना: (1) अध्यापकों को लंबित कानूनी मुद्दों के प्रकरण को छोड़कर, अधिकतम तीस दिनों की नोटिस अवधि के भीतर इस्तीफे पर कार्यमुक्त किया जाएगा;

- (2) ऐसे महाविद्यालय जो विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक कर्मचारियों को रोकते हैं, राहत आदेश और अनुभव प्रमाणपत्र जारी नहीं करते हैं, उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा दंडित किया जाएगा;

हालांकि, यदि किसी शिक्षक को सरकारी नियुक्ति मिली है, तो शिक्षक को अनुरोध के अनुसार राहत दी जाएगी;

- (3) संस्थान से कार्यमुक्त किए गए शिक्षण कर्मचारियों के प्रकरण में, संस्थान कार्यमुक्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर रिक्त पद को योग्य शिक्षक से बदल देगा। नियुक्ति में देरी के मामले में, कॉलेज को न्यूनतम वेतन का तीन गुना या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या आयोग द्वारा समय-समय पर विलंबित अवधि के प्रत्येक महीने के लिए दंडित किया जाएगा।

- (4) शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति में देरी की अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होगी, और इस तरह के देरी शिक्षण स्टाफ की गैर-नियुक्ति के रूप में माना जाएगा।

उदाहरण : यदि किसी संकाय सदस्य को 30 जून को कार्यमुक्त कर दिया गया है, तो कॉलेज को तीन महीने के भीतर रिक्त पद को भरना होगा, जो कि 30 सितंबर को या उससे पहले है। देरी की स्थिति में, कॉलेज 31 दिसंबर तक खाली सीट भर सकता है, लेकिन देरी की अवधि के लिए प्रति माह न्यूनतम वेतन (जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 2022 में निर्दिष्ट है) के तीन गुना जुमानि के साथ। 31 दिसंबर से अधिक की देरी को गैर-नियुक्ति के रूप में माना जाएगा।

37. अधिकारिक कर्तव्य: (1) संस्थान निम्नलिखित शर्तों के तहत सरकारी ड्यूटी पर कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करेंगे:

- (क) आयोग या उसके स्वायत्त बोर्ड द्वारा आधिकारिक असाइनमेंट के मामले में; तथा

- (ख) यदि आयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण पहल, या ऐसी कोई अन्य गतिविधियां आयोजित कर रहा है और इन कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने का संकेत है;

- (2) संस्थान द्वारा यात्रा, बोर्डिंग और आवास के खर्चों के वहन और निर्दिष्ट दिनों के लिए ऑन-ड्यूटी अवकाश यात्रा के दिनों सहित स्वीकृत किया जाएगा।

अध्याय-IV

एक संलग्न शिक्षण चिकित्सालय के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक

38. संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए सामान्य शर्तें: - (1) संलग्न शिक्षण चिकित्सालय को उसकी स्थापना और संचालन के लिए संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण की सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, और समय-समय पर ऐसी अनुमतियों या मंजूरी की अद्यतन प्रतियां भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को प्रस्तुत करनी होंगी।
- (2) संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय रोगियों के लिए आसानी से सुलभ होगा और एम्बुलेंस सहित मुफ्त वाहन आवाजाही का प्रावधान होगा।
- (3) चिकित्सालय की सभी प्रविष्टियों और निकासों का स्पष्ट रूप से सीमांकन और उचित रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
- (4) उचित और पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं होंगी।
- (5) संपूर्ण चिकित्सालय, जिसमें सभी प्रवेश द्वार और निकास शामिल हैं, गैर-एम्बुलेंट (व्हील-चेयर, स्ट्रेचर), अर्ध-एम्बुलेंट, नेत्रहीन और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आसान आवाजाही के लिए व्यापक और बाधा मुक्त होगा।
- (6) स्ट्रेचर की आसान आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सालय के भीतर सभी गलियारों की न्यूनतम चौड़ाई दस फीट होनी चाहिए।
- (7) सीढ़ी या एस्केलेटर या लिफ्टों की उपलब्धता के बावजूद, सभी मंजिलों को जोड़ने वाला रैंप अनिवार्य है। स्ट्रेचरों की मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए रैंप कम से कम आठ फीट चौड़ा होना चाहिए, जिसमें ठीक से घुमावदार मोड़ होने चाहिए।
- (8) पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग से दिव्यांग अनुकूल शौचालय होंगे। आपात स्थिति में रोगियों को बचाने के लिए शौचालयों और स्नानघरों के सभी दरवाजे बाहर खुलने योग्य होने चाहिए;
- (9) आपातकालीन घोषणाओं और अलर्ट के लिए पूरे चिकित्सालय से जुड़ी एक केंद्रीकृत घोषणा सिस्टम होगा;
- (10) पूरे चिकित्सालय को टेलीफोन से जोड़ा जाएगा, और प्रत्येक इकाई में इंटरकॉम सुविधा होगी;
- (11) पूरे चिकित्सालय में उचित अग्नि सुरक्षा और अग्निशमन पद्धति होगी;
- (12) आपदा निवारण के साथ-साथ आपदा प्रबंधन उपाय किए जाने चाहिए;
- (13) चिकित्सालय प्रबंधन, पूरे चिकित्सालय में उपयुक्त स्थानों पर पीने के पानी (गर्म और ठंडा) की सुविधा और पुरुषों एवं महिलाओं (रोगियों, चिकित्सालय के कर्मचारियों, चिकित्सा छात्रों और इंटर्न, डॉक्टरों और सलाहकारों) के लिए अलग से पर्याप्त संख्या में शौचालय प्रदान करेगा।
- (14) पूरे चिकित्सालय में स्थानीय भाषा में एक सहित कम से कम दो भाषाओं में और उपयुक्त सचित्र प्रदर्शन के साथ स्पष्ट संकेत होना चाहिए; तथा
- (15) आवश्यकतानुसार उचित स्थानों पर प्रशिक्षित सुरक्षा तैनात की जाएगी।
- (16) रोगी के अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ झूटी पर चिकित्सकों पर हमले के कानूनी पहलुओं को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
39. रिसेप्शन और रजिस्ट्रेशन जोन - (1) इस जोन में रिसेप्शन और पूछताछ काउंटर, रजिस्ट्रेशन और बिलिंग काउंटर, मेडिकल रिकॉर्ड रूम और एंट्रेस लॉबी शामिल हैं। ज्ञोन की प्रत्येक इकाई के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची- XVI और अनुसूची XX में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
- (2) रिसेप्शन और पूछताछ केन्द्र के लिए मानक और मानदंड निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:
- (क) यह चिकित्सालय के प्रवेश द्वार पर प्रमुख स्थान पर होगा;

- (ख) रिसेप्शनिस्ट को अधिमानतः चिकित्सालय, विभागों, या विशेष-वार सलाहकारों, उनके बहिरंग रोगी विभागों के कार्यक्रम, सलाहकारों की उपलब्धता का समय और इसी प्रकार की सभी सेवाओं में बहुभाषी और अच्छी प्रकार से प्रवीण / सुशिक्षित होना चाहिए।
- (ग) रिसेप्शनिस्ट व्यक्तिगत रूप से और टेलीफोन पर संबोधित दोनों पूछताछ में भाग लेगा / लेगी।
- (घ) काउंटर एक कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा जिसमें चिकित्सालय सेवाओं के बारे में अद्यतन (अप-टू-डेट) जानकारी उपलब्ध होगी, साथ ही चिकित्सालय के भीतर किसी भी इंटरकॉम के लिए कॉल ट्रांसफर क्षमताओं की विशेषता वाला एक टेलीफोन कनेक्शन होगा।
- (इ) यह काउंटर जनसंपर्क अधिकारियों, यदि कोई हो, के लिए आवास भी प्रदान करेगा; और
- (च) इस क्षेत्र में एक सुझाव बॉक्स, शिकायत बॉक्स, या प्रतिक्रिया बॉक्स प्रदान किया जाएगा।
- (3) पंजीकरण और बिलिंग- (क) नए रोगियों या क्लाइंट के केंद्रीय पंजीकरण, मौजूदा रोगियों या क्लाइंट के पंजीकरण के नवीनीकरण, अंतरंग रोगी प्रवेश, बिलिंग और भुगतान के लिए पर्याप्त संख्या में पंजीकरण काउंटर होंगे।
- (4) कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय पंजीकरण पद्धति होगी जिसे आयोग के केंद्रीय सर्वर पर वास्तविक समय डेटा हस्तांतरण की सुविधा के लिए जोड़ा या संरेखित किया जाएगा;
- (5) रोगी पंजीकरण प्लेटफॉर्म या चिकित्सालय सूचना प्रबंधन पद्धति (एचआईएम), आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (एबीएचए), हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर), स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) और यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूएचआईडी) के अनुकूल होगी।
- (6) रोगियों का प्रमाणीकरण आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (एबीएहेल्थ) के माध्यम से किया जाएगा।
- (7) यदि आयोग किसी चिकित्सालय सूचना प्रबंधन पद्धति की सिफारिश करता है, तो अनुशंसित सॉफ्टवेयर में माइग्रेट करना अनिवार्य है;
- (8) चिकित्सालय सूचना प्रबंधन सॉफ्टवेयर को केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित राष्ट्रीय आयुष रुग्णता और मानकीकृत शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक (नमस्ते) पोर्टल के साथ जोड़ा जाना है।
- (9) आउट पेशेंट विभाग और इनपेशेंट विभाग से संबंधित सभी मेडिकल रिकॉर्ड चिकित्सालय द्वारा बनाए रखे जाएंगे। पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत अस्पतालों के प्रकरण में, भौतिक रिकॉर्ड के रखरखाव की आवश्यकता नहीं है और एक छोटा मेडिकल रिकॉर्ड रूम महत्वपूर्ण अभिलेखों को संग्रहीत करने के लिए पर्याप्त है।
- (10) यदि चिकित्सालय पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत नहीं हैं, तो सभी चिकित्सा रिकॉर्ड भौतिक रूप में बनाए रखेंगे और चिकित्सा रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक चिकित्सा रिकॉर्ड तकनीशियन होगा।
- (11) स्वस्थवृत्त विभाग महामारी विज्ञान के दृष्टिकोण से चिकित्सालय के डेटा का विश्लेषण करेगा।
- (12) प्रवेश लॉबी और परिसंचरण क्षेत्र निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:
- (क) पर्याप्त परिसंचरण स्थान / सुक्त आवागमन सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सीय कर्मचारियों, पैरामेडिकल स्टाफ, सहायक कर्मचारियों, रोगियों, परिचारकों और चिकित्सालय में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करना।
- (ख) प्रवेश लॉबी में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था प्रदान करना।
- (ग) व्हीलचेयर और स्ट्रेचर प्रदान करना।
40. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ज्ञोन- (1) आउट पेशेंट ज्ञोन के लिए मानक और मानदंड निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:- इस ज्ञोन में स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग, विभागीय ओपीडी और उनकी संबद्ध इकाइयां, यदि कोई हो, विशेष बाह्य रोगी विभाग, ऑनलाइन परामर्श सुविधा, बाह्य रोगी विभाग के ज्ञोन प्रभारी का कार्यालय, औषधि स्टोर या फार्मेसी या औषधालय, रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र, स्तरपान के लिए क्षेत्र, स्टोर, पेयजल सुविधा, रोगी और कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पुरुष और महिला शौचालय और इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।
- (2) बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों के लिए आवश्यक न्यूनतम मानदंड और मानक अनुसूची XVII और XX में दिए गए मानकों के अनुसार होंगे।

- (3) एक आदर्श बाह्य रोगी विभाग परामर्श कक्ष, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, में पर्यास स्थान और फर्नीचर होगा, अधिमानतः दो परस्पर जुड़े कक्षों से मिलकर: एक इंटर्न द्वारा प्रारंभिक परामर्श के लिए और दूसरा सलाहकारों द्वारा परामर्श के लिए।
- स्पष्टीकरण: - यह पद्धति इंटर्न को विस्तृत हिस्ट्री लेने, नैदानिक परीक्षाएं आयोजित करने और इसी प्रकार के कार्यों के लिए पर्यास अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह रोगी के प्रतीक्षा समय को कम करता है और व्यापक हिस्ट्री लेने और परीक्षाओं की अनुमति देकर रोगी की संतुष्टि को बढ़ाता है।
- (4) प्रत्येक बाह्य रोगी विभाग को एग्जामिनेशन टेबल विथ स्टेप, एक्स-रे व्यू बॉक्स, वॉश बेसिन, दर्पण, सामान्य नैदानिक किट (स्टेथोस्कोप, टॉर्च लाइट, मेजरिंग टेप, त्वचा अंकन पेसिल, नी हैमर, टंग डिप्रेसर, गैर-संपर्क डिजिटल थर्मामीटर, नॉन-मक्यूरियल स्फिग्मोमैनोमीटर) और संबंधित विभागीय या विशेष बाह्य रोगी विभागों द्वारा निर्दिष्ट अन्य वस्तुओं के साथ एक निरीक्षण टेबल से सुसज्जित किया जाएगा।
- (5) बाह्य रोगी विभाग की जांच (स्क्रीनिंग) निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगी:
- (क) सभी नए पंजीकृत रोगियों (आपातकालीन स्थिति के रोगियों को छोड़कर) की संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंड के अनुसार जांच की जाएगी और परामर्श के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग को निर्देशित किया जाएगा;
- (ख) स्क्रीनिंग सिस्टम योग्य विशेषज्ञ द्वारा रोगी को परामर्श की सुविधा प्रदान करता है और अनावश्यक भ्रम, विलंब या अनुपयुक्त परामर्श को रोकता है।
- (ग) स्थापना के अंतर्गत कॉलेजों के प्रकरण में प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा और पूरी तरह से स्थापित कॉलेजों के प्रकरण में प्रशिक्षुओं द्वारा जांच (स्क्रीनिंग) की जाएगी;
- (घ) स्क्रीनिंग मानदंड प्रत्येक आयुर्वेद संस्थान या कॉलेज द्वारा विभागीय बाह्य रोगी विभाग और विशेष बाह्य रोगी विभाग, यदि कोई हो, के अनुसार विकसित किया जाएगा और संबंधित व्यक्तियों के लिए उचित अनुकूलन और प्रशिक्षण के बाद लागू किया जाएगा;
- (ङ) मुख्य शिकायतें, लम्बाई, वजन, बॉडी मास इंडेक्स, रक्तचाप, तापमान, नाड़ी रिकॉर्डिंग उपकरण द्वारा नाड़ी रिकॉर्डिंग और यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य बुनियादी पैरामीटर को स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग में दर्ज किया जाएगा;
- (च) रोगी प्रवाह के अनुसार पर्यास संख्या में स्क्रीनिंग काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे;
- (छ) प्रत्येक स्क्रीनिंग काउंटर के लिए, अनुसूची-XVIII में निर्दिष्ट चिकित्सालय सूचना प्रबंधन सॉफ्टवेयर और अन्य उपकरणों से जुड़ा कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा;
- (ज) बाह्य रोगी विभाग परामर्श के लिए एक टोकन पद्धति (सिस्टम) होगी;
- (झ) पहले और दूसरे व्यावसायिक छात्रों को प्रारंभिक नैदानिक प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने के लिए, तदनुसार पर्यास बैठने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी;
- (ज) स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या उप चिकित्सा अधीक्षक या नामित प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा;
- (6) आत्याधिक चिकित्सा (आपातकालीन बाह्य रोगी विभाग) निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगी, अर्थात्: -
- (क) यह ओपीडी काय-चिकित्सा विभाग के अधीन कार्य करेगा, अन्य विभागों की सेवाओं का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- (ख) मेडिकल ट्रैक्टिस से संबंधित राज्य के नियमों को पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी योग्य चिकित्सक नियुक्त किया जाएगा।
- (ग) आपातकालीन बाह्य रोगी विभाग चौबीस घंटे काम करेगी और आपातकालीन इकाई के लिए कोई अवकाश नहीं होगा;

- (घ) आपातकालीन स्थिति में उपस्थित होने के लिए रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी या सामान्य डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी को चौबीसों घंटे तैनात किया जाएगा; आवश्यकता के अनुसार विशेष सलाहकार कॉल पर होंगे।
- (ङ) यह यूनिट आपातकालीन देखभाल के लिए गैर-एम्बुलेंट, सेमी एम्बुलेंट, नेत्रहीन और बुजुर्ग लोगों के लिए आसानी से सुलभ होगी।
- (च) पर्यवेक्षण (देखरेख) विस्तर :
- बशर्ते कि इन देखभाल विस्तरों को रोगी विस्तरों के रूप में नहीं गिना जाएगा।
- (छ) यह इकाई अनुसूची-XIX और XX के अनुसार उपकरणों और उपकरणों से सुसज्जित होगी;
- (7) स्वास्थ्य रक्षण (निवारक देखभाल और जीवन शैली प्रबंधन) बाह्य रोगी विभाग निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्:
- (क) यह निवारक और प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में स्वस्थ लोगों की जरूरतों को पूरा करता है।
- (ख) आयुर्वेद-आधारित स्वास्थ्य कार्ड जिसके माध्यम से प्रकृति या सार आधारित जीवन शैली में संशोधनों, अनुकूलित दिनचर्या, क्रृतु आधारित शोधन सलाह, व्यावसायिक स्वास्थ्य मुद्दों, आहार, व्यायाम, योग और इसी प्रकार की पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
- (ग) यह बाह्य रोगी विभाग औषधियों और उपचार प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए किसी भी रोगी पर विचार नहीं करेगी;
- (घ) किसी भी अन्य विभाग से संबंधित रोगियों को निवारक या प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल, जीवन शैली और आहार नियमों, व्यायाम, योग और इसी प्रकार के मामलों पर सलाह के लिए इस बाह्य रोगी विभाग में भेजा जा सकता है या उनसे परामर्श लिया जा सकता है।
- (ङ) इस बाह्य रोगी विभाग के सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग अंतरंग रोगी विभाग में आहार और जीवन शैली प्रबंधन, निवारक और प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल उपायों और इसी तरह के संबंध में सलाह प्रदान करने के लिए किया जा सकता है;
- (च) मौसमी या महामारी के प्रकोप के प्रकरण में आयुर्वेद रोगनिरोधी भी प्रदान करती है;
- (छ) इस ओपीडी में परामर्श उद्देश्य के लिए क्यूबिकल होंगे।
- (8) काय-चिकित्सा (आंतरिक चिकित्सा) बाह्य रोगी विभाग काय-चिकित्सा विभाग के तहत कार्य करेगी। सामान्य रूप से और संस्थागत स्क्रिनिंग मानदंडों के अनुसार शिकायतों वाले सभी रोगी इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श कर सकते हैं।
- (9) पंचकर्म (चिकित्सीय प्रक्रियात्मक प्रबंधन) ओपीडी पंचकर्म विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। एक रोगी इस विभाग में उपचार के लिए सीधे परामर्श भी कर सकता है। अन्य ओपीडी के सलाहकार पंचकर्म प्रक्रियाओं के लिए रोगियों को इस विभाग में भेज सकते हैं। रेफरल के प्रकरण में, पंचकर्म सलाहकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस सलाहकार के साथ समन्वय में काम करें जिसने प्रकरण को पंचकर्म विभाग को संदर्भित किया था;
- स्पष्टीकरण:-** पंचकर्म सलाहकारों के पास प्रत्येक विशिष्टता में विशेषज्ञता नहीं हो सकती है, और इसी प्रकार, अन्य विशेष सलाहकार सभी पंचकर्म प्रक्रियाओं को संचालित करने में विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। रोगियों के हित में दोनों सलाहकारों के बीच समन्वय जरूरी है। पंचकर्म के अतिरिक्त अन्य सलाहकार केवल प्रक्रियाओं और औषधियों की सिफारिश कर सकते हैं; हालांकि, पंचकर्म सलाहकार प्रक्रियाओं (योग्ययुक्त और इसी प्रकार) और प्रक्रियाओं के प्रशासन के तरीके के लिए उपयुक्ता या फिटनेस तय करने में सक्षम हैं।
- (10) शल्य चिकित्सा (सर्जिकल मैनेजमेंट) बाह्य रोगी विभाग शल्य तंत्र विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। इस बाह्य रोगी विभाग ने नैदानिक परीक्षा, क्षारसूत्र के परिवर्तन और बाह्य रोगी विभाग स्तर की माइनर सर्जिकल प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए माइनर प्रोसीजर कक्ष संलग्न होगा।

(11) शालाक्य-नेत्र (नेत्र विज्ञान) बाह्य रोगी विभाग शालाक्य तंत्र विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी। आयु और लिंग की परवाह किए बिना आंखों से संबंधित शिकायतों वाले सभी रोगी और संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श करें।

(12) शालाक्य – कर्ण, नासा और मुख (ओटो-राइनो-लैरिंगोलोजी) बाह्य रोगी विभाग शालाक्य तंत्र विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी। कान, नाक, मुख और गले से संबंधित शिकायतों वाले सभी मरीज, संस्थानिक स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार, इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श करेंगे।

नोट: उपर्युक्त दो शालाक्य बाह्य रोगी विभाग में से प्रत्येक के लिए समर्पित सलाहकार होंगे। एक ही सलाहकार को कुछ दिनों के लिए नेत्र बाह्य रोगी विभाग में और फिर कुछ दिनों के लिए कर्ण, नासा और मुख बाह्य रोगी विभाग में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(13) प्रसूति और स्त्री रोग : बाह्य रोगी विभाग प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। इस बाह्य रोगी विभाग में परीक्षा कक्ष और शौचालय की सुविधा संलग्न होगी। प्रसव पूर्व, प्रसव के बाद, स्त्री रोग संबंधी समस्याओं के सभी रोगी और संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार, इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श लें।

नोट: यदि इस विभाग के अंतर्गत दो बाह्य रोगी विभाग हैं, एक प्रसूति के लिए और एक स्त्री रोग के लिए, तो प्रत्येक बाह्य रोगी विभाग के लिए अलग - अलग दो परीक्षा कक्ष होंगे। उपर्युक्त दो बाह्य रोगी विभागों में से प्रत्येक के लिए समर्पित सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे। वही सलाहकार जो प्रशुति बाह्य रोगी विभाग में कुछ दिनों के लिए और फिर कुछ दिनों के लिए स्त्री रोग बाह्य रोगी विभाग में काम कर रहा है, उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।

(14) कौमारभृत्य (बाल चिकित्सा) बाह्य रोगी विभाग कौमारभृत्य विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा।

(क) सभी सामान्य शिकायतों के साथ बाल रोगियों (अठारह वर्ष की आयु तक) और संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श करेंगे।

(ख) प्रतिरक्षण और स्वर्णप्राशन के लिए पर्याप्त सुविधा होगी।

(15) विष चिकित्सा (जहर और बाईट मैनेजमेंट) बाह्य रोगी विभाग अगदतंत्र विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी। जहरीले काटने, ढंक और इसी प्रकार की बीमारियों जैसी जहरीली स्थितियों वाले रोगी, उनकी जटिलताओं, दूशीविष, गरविष, औषधि-प्रेरित विषाक्तता, और इसी प्रकार, संस्थानिक स्क्रीनिंग मानदंडों के आधार पर इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श करें।

(16) विशेष क्लीनिक या बाह्य रोगी विभाग के लिए मानदंड और प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, अर्थात् :-

(क) संहिता सिद्धांत, रचना शारीर, क्रिया शारीर, द्रव्यगुण, रसशास्त्र-भैषज्यकल्पना और रोगनिदान विभागों से संबंधित किसी भी संकाय सदस्य को, यदि नैदानिक सेवाएं प्रदान करने में रुचि है, तो विशेष प्रशिक्षण या विशेष अस्पतालों में कार्य अनुभव के माध्यम से प्राप्त उनकी विशेषज्ञता के आधार पर एक विशेष बाह्य रोगी विभाग आवंटित किया जा सकता है। सलाहकार (कंसल्टेंट्स) के पास स्पेशलिटी बाह्य रोगी विभाग या विभागीय बाह्य रोगी विभाग में सलाह देने का विकल्प होगा।

(ख) काय-चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, प्रसूति और स्त्री रोग, कौमारभृत्य, स्वस्थवृत्त और अगदतंत्र विभागों का कोई भी आयुर्वेद संकाय सदस्य, जो विशेष नैदानिक सेवाएं प्रदान करने में रुचि व्यक्त करता है, को अन्य योग्यताओं के बीच विशेष प्रशिक्षण या विशेष अस्पतालों में कार्य अनुभव के माध्यम से प्राप्त उनकी विशेषज्ञता के आधार पर एक विशेष बाह्य रोगी विभाग आवंटित किया जा सकता है। सलाहकार (कंसल्टेंट्स) के पास स्पेशलिटी बाह्य रोगी विभाग या विभागीय बाह्य रोगी विभाग में सलाह देने का विकल्प होगा।

(ग) विशेष बाह्य रोगी विभाग, रोग या चिकित्सीय (चिकित्सा या सर्जिकल) प्रक्रिया के नाम पर होगा।

(घ) ये विशेष क्लीनिक नैदानिक प्रासंगिकता के आधार पर किसी भी एक विभाग, अर्थात् काय-चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य चिकित्सा, शालाक्या चिकित्सा, प्रसूति और स्त्री-रोग, कौमारभृत्य, स्वस्थवृत्त और अगदतंत्र के अंतर्गत संचालित होंगे। विभाग के संबंधित प्रमुख उस विशेष बाह्य रोगी विभाग के लिए प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करेंगे।

(ङ) चिकित्सालय की न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता का निर्धारण करते समय इन अतिरिक्त विशेष क्लीनिकों को चिकित्सालय की न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकता के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।

- (17) संस्थान को टेलीकंसल्टेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श सुविधा प्रदान करनी होगी और यह बाह्य रोगी विभाग के प्रभारी के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। टेलीकंसल्टेशन के लिए समय के साथ विशेषज्ञ सलाहकारों की उपलब्धता टेलीकंसल्टेशन प्लेटफॉर्म और संस्थागत वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
41. औषध भंडारों और औषधालयों के मानदंड, प्रक्रिया और मानक: (1) बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेद, या मास्टर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेद में योग्यता वाले व्यक्ति औषध स्टोर और डिस्पेंसरी के प्रभारी होंगे। औषध भंडार और औषधालय को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।
- (2) औषध प्रबन्ध अथवा क्रय समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित चिकित्सालय फार्मूलरी होगी। औषध प्रबन्ध या क्रय समिति, जिसमें सभी नैदानिक विभागों के प्रमुख शामिल हैं, आवश्यकतानुसार फार्मूलरी की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी।
- (3) औषधियां केवल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) प्रमाणित फार्मेसियों से खरीदी जाएंगी। व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए या छात्रों द्वारा तैयार की गई औषधियों को रोगियों को वितरित /प्रशासित नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) का पालन नहीं करती हैं और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के अधीन नहीं हैं।
- (4) योग्य या प्रशिक्षित फार्मासिस्ट औषधियों को वितरित करेंगे। पाउडर के वजन और मिश्रण की पर्याप्त व्यवस्था होगी। एक्सपायरी डेट की औषधियों को हटाने का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा।
- (5) व्यावहारिक एक्सपोजर के लिए रसशास्त्र और भैषज्यकल्पना के ड्रग स्टोर प्रभारी, इंटर्न्स और छात्रों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी;
- (6) ड्रग स्टोर और औषधालय के लिए आवश्यक न्यूनतम मानदंड और मानक अनुसूची-XVII और XX में दिए गए अनुसार होंगे।
42. बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की न्यूनतम उपस्थिति - बाह्य रोगी विभाग में भाग लेने वाले छात्रों का अनुपात 1:2 होगा, और बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की न्यूनतम प्रति दिन औसत संख्या तालिका-7 के अनुसार होगी

तालिका-7

बाह्य रोगी विभाग रोगियों की उपस्थिति की न्यूनतम आवश्यकता

क्रम संख्या	प्रति वर्ष छात्र प्रवेश क्षमता	बाह्य रोगी विभाग में प्रति दिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (छात्र और रोगी अनुपात 1:2)
(1)	(2)	(3)
1.	साठ	120
2.	सौ	200
3.	एक सौ पचास	300
4.	दो सौ	400
5.	नोट: - एक वर्ष (वारह महीने) के लिए बाह्य रोगी विभाग रोगी उपस्थिति की गणना 300 दिनों के लिए की जाएगी।	

43. नैदानिक (डायग्रोस्टिक) ज्ञोन (1) इस ज्ञोन में नैदानिक प्रयोगशाला, इमेजिंग सेक्शन और अन्य डायग्रोस्टिक्स जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के साथ-साथ प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल में उपयोगी अन्य उपकरण शामिल होंगे।
- (2) नैदानिक क्षेत्र के लिए आवश्यक न्यूनतम मानदंड और मानक अनुसूची XX और XXI के अनुसार होंगे।
- (3) यह ज्ञोन रोगनिदान विभाग के अधीन कार्य करेगा। रोगनिदान विभाग के प्रमुख या चिकित्सालय द्वारा अधिकृत एक संकाय सदस्य नैदानिक क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।

- (4) रोगनिदान और विकृतिविज्ञान में स्नातकोत्तर डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्ट के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है, जो आयुर्वेदिक व्याख्या प्रदान करता है और पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और इसी प्रकार की नियुक्ति आवश्यकता के अनुसार अंशकालिक आधार पर की जा सकती है;
- (5) इस क्षेत्र में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था के साथ एक रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र, नमूना संग्रह और प्रसंस्करण के लिए एक क्षेत्र, रिपोर्ट और भुगतान जारी करने के लिए एक काउंटर, नैदानिक क्षेत्र प्रभारी के लिए एक कार्यालय, एक स्टोर और पुरुष और महिला रोगियों के लिए शौचालय अलग-अलग होंगे;
- (6) सरकारी मानकों के अनुसार एक बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन पद्धति होगी;
- (7) नैदानिक प्रयोगशाला पैथोलॉजी, हीमटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इसी प्रकार की विशेषताओं के लिए अलग - अलग वर्गों से सुसज्जित होगी।
- (8) इमेजिंग सेक्षन में एक्स-रे (अधिमानतः डिजिटल), अल्ट्रासाउंड और डॉपलर सुविधाएं शामिल होंगी। डिजिटल एक्स-रे के प्रकरण में, डार्क रूम की कोई आवश्यकता नहीं है। रेडियोलॉजी अनुभाग परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करेगा।
- (9) इमेजिंग सेक्षन में ड्रेस चेजिंग रूम, रेडियोलॉजी स्टाफ के लिए बैठने की व्यवस्था होगी।
- (10) गर्भधारण पूर्वी और प्रसवपूर्वी निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) से संबंधित अनिवार्य जानकारी का उचित प्रदर्शन किया जाएगा।
- (11) इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इसी प्रकार के परीक्षणों जैसे अन्य निदान के लिए एक अलग खंड प्रदान किया जाएगा।
44. अंतरंग रोगी विभाग (आईपीडी) जोन : (1) यह विभाग रोगियों को भर्ती करने और इलाज करने के साथ-साथ छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच वितरित इन-पेशेंट बेड को समायोजित करेगा।
- (2) विभागवार वार्ड होंगे, जिनमें से प्रत्येक में इन-पेशेंट बेड होंगे जो संबंधित विभागों के लिए निम्न तालिका 8 में निर्दिष्ट संख्या से कम नहीं होंगे।

तालिका-8

अंतरंग रोगी विभाग (इन-पेशेंट) बेड की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता (विभाग अनुसार)

क्रम संख्या	अंतरंग रोगी विभाग	आवंटित विस्तरों का %	आवश्यक अंतरंग रोगी विस्तरों की न्यूनतम संख्या (अंतर्ग्रहण क्षमता अनुसार)			
			60	100	150	200
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चिकित्सीय अंतरंग रोगी विभाग						
1	काय-चिकित्सा वार्ड आत्यरिक चिकित्सा के विस्तर	20	12	20	30	40
2	पंचकर्म वार्ड	25	15	25	37	50
3	कौमारभूत्य वार्ड	10	06	10	15	20
4	विष चिकित्सा वार्ड	05	03	05	08	10
उप-योग		60	36	60	90	120
शल्य अंतरंग रोगी अनुभाग						
1	शल्य वार्ड	20	12	20	30	40
2	शालाक्य वार्ड	10	06	10	15	20
3	प्रसूति एवं स्त्री रोग वार्ड	10	06	10	15	20
उप योग		40	24	40	60	80
कुल योग		100	60	100	150	200

- (3) पुरुष और महिला विस्तरों के बीच एक स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला रोगियों और उनके परिचारकों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी रोगी वार्डों में पीने के गर्म और ठंडे पानी की सुविधा के साथसाथ शौचालयों- में भी गर्म और ठंडा पानी सुलभ होगा। रोगियों के आगंतुकों के लिए उपयुक्त फर्नीचर के साथ निर्दिष्ट क्षेत्र होगा।
- (4) प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक तीस विस्तरों के लिए एक नर्सिंग काउंटर या स्टेशन के साथ औषधि भंडारण, इंटर्न के लिए बैठने की व्यवस्था, ट्रॉलियों के लिए निर्दिष्ट स्थान, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ और गंदे यूटिलिटी के लिए क्षेत्र, नाइट ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ, नाइट ड्यूटी इंटर्न और नाइट ड्यूटी डॉक्टर या सलाहकार के लिए आवास होगा।
- (5) सामान्य वार्डों के साथ-साथ स्पेशल, सेमी-डीलक्स, डीलक्स और इसी प्रकार के वार्डों में, आपातकालीन नर्स कॉल बेल सिस्टम को क्रमशः उपयुक्त स्थानों और प्रत्येक बेड पर रखा जाएगा।
- (6) रोगियों को कपड़े धोने और सुखाने की सुविधा या कपड़े धोने की सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
- (7) प्रत्येक वार्ड में वार्ड प्रोसीजर को करने के लिए एक संलग्न प्रोसीजर कक्ष और तैयारी कक्ष होगा।
- (8) विस्तरों की संख्या से छात्रों का अनुपात, और अंतरंग रोगी विभाग विस्तर अधिभोग क्रमशः 1: 1 और साठ (60) प्रतिशत होगा। जैसा कि निम्न तालिका -9 में वर्णित है:

तालिका-9

बेड और बेड ऑक्यूपेंसी की न्यूनतम आवश्यकता

छात्रों की प्रवेश क्षमता प्रति वर्ष	1:1 छात्र-बेड अनुपात पर इन-पेशेंट विभाग में बेड की न्यूनतम संख्या	पिछले कैलेंडर वर्ष (365 दिन) के दौरान रोगी विभाग में रोगियों की न्यूनतम प्रति दिन औसत संख्या (साठ प्रतिशत विस्तर अधिभोग के साथ)।
(1)	(2)	(3)
साठ	60 बेड	36
सौ	100 बेड	60
एक सौ पचास	150 बेड	90
दो सौ	200 बेड	120

- (9) मध्यरात्रि में बेड पर भर्ती होने वाले रोगी को एक बेड अधिभोग दिन के रूप में गिना जाएगा, जबकि यदि किसी रोगी को मध्यरात्रि से पहले छुट्टी दे दी जाती है, तो इसे 0.5 बेड अधिभोग दिनों के रूप में गिना जाएगा। बेड अधिभोग की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र लागू होंगे-

अधिभोग किए गए बेड के दिनों की संख्या

$\times 100$

विस्तरों की संख्या X दिनों की संख्या

- (10) प्रशासनिक उद्देश्य के लिए विभागीय इन-पेशेंट वार्डों को नीचे दिए गए अनुसार समूहीकृत और अनुरक्षित किया जा सकता है।
- (11) काय-चिकित्सा, पंचकर्म, कौमारभूत्य और विष चिकित्सा से संबंधित चिकित्सा रोगी वार्डों को एक साथ समूहीकृत और अनुरक्षित किया जा सकता है और इन-पेशेंट सेक्शन के भीतर प्रशासित किया जा सकता है। विभागवार बेडों की न्यूनतम संख्या और इन-पेशेंट ज़ोन में विभिन्न वार्डों के लिए आवश्यक क्षेत्र अनुसूची XXII में प्रदान किया जाएगा।
- (12) शल्य चिकित्सा, शालाक्य, प्रसूति और स्त्री रोग विभागों से संबंधित शल्य चिकित्सा रोगी अनुभाग बेड को सर्जिकल वार्ड के अंतर्गत समूहीकृत किया जा सकता है। संक्रमण को रोकने के लिए सेप्टिक बेड और एसेप्टिक बेड,

प्रसूति बेड और स्त्री रोग बेड के बीच स्पष्ट सीमांकन प्रदान किया जाना है। विभागवार बेडों की न्यूनतम संख्या और इन-पेशेंट ज़ोन के विभिन्न वार्डों के लिए आवश्यक क्षेत्र अनुसूची XXII में प्रदान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I: - प्रत्येक विभाग को वार्ड प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए, उस विभाग के सभी रोगी बेड एक ही स्थान पर होंगे;

स्पष्टीकरण II: - एक ही समय में, अस्पतालों को रोगियों या विषयों की विभिन्न श्रेणी के अनुरूप सामान्य, अर्ध-विशेष, विशेष, डीलक्स और इसी प्रकार के इन-पेशेंट आवास बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। यह अभ्यास में है कि, कई अस्पतालों में रोगियों के वार्ड में सामान्य वार्ड होते हैं, जैसे कि जनरल वार्ड, सेमी-स्पेशल वार्ड, स्पेशल वार्ड, डीलक्स वार्ड और इसी प्रकार किसी भी विभाग के सलाहकार रोगियों की वरीयता के अनुसार किसी भी वार्ड में अपने रोगियों को भर्ती कर सकते हैं। ऐसे प्रकरण में विशेष वार्ड प्रक्रियाओं को प्रशासित करना जटिल होगा। यदि, सभी श्रेणी के बेड अर्थात् सामान्य, अर्ध-विशेष, विशेष, डीलक्स और समान एक ही स्थान पर प्रत्येक विभाग के लिए उपलब्ध हैं, तो ऐसे प्रकरण में विशेष वार्ड प्रक्रियाओं को सुलभता से और कुशलता से प्रशासित किया सकता है।

स्पष्टीकरण III: - चूंकि प्रत्येक विभाग के लिए आवंटित इन-पेशेंट बेड की संख्या बहुत कम है, इसलिए प्रत्येक विभाग के लिए सामान्य, अर्ध-विशेष, विशेष और समान सभी श्रेणी के इन-पेशेंट आवास प्रदान करना कठिन है। विष चिकित्सा के लिए आवंटित इन-पेशेंट बेड प्रत्येक सौ प्रवेश क्षमता के लिए पांच हैं। इन पांच बेडों में से विभिन्न श्रेणी के बेडों की व्यवस्था संभव नहीं है।

स्पष्टीकरण IV: - इस स्थिति को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक विशेष विभाग के लिए सभी आवंटित बेड एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं, और प्रत्येक विभाग को सभी श्रेणियों के बेड प्रदान करने के लिए, इन-पेशेंट वार्डों को चिकित्सा की प्रकृति के आधार पर समूहीकृत किया गया है। चिकित्सा प्रबंधन प्रदान करने वाले विभागों (काय-चिकित्सा, पंचकर्म, कौमरभूत्य, और विष चिकित्सा) को मेडिकल इन-पेशेंट सेक्षन के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है, जबकि सर्जिकल प्रबंधन (शल्य, शालाक्य, प्रसूति और स्त्रीरोग) का प्रस्ताव रखने वाले विभागों को सर्जिकल इन-पेशेंट सेक्षन के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।

स्पष्टीकरण V: - विभागीय वार्डों के इस प्रकार के समूहीकरण से इन-पेशेंट बेड को पर्याप्त संख्या में एकत्र करने में मदद मिल सकती है ताकि उस विशेष विभाग के सभी आवंटित बेड एक ही स्थान पर हों। इसके साथ ही प्रत्येक विभाग के लिए सभी श्रेणी के बेड भी उपलब्ध हैं। संलग्न वार्ड प्रक्रियात्मक कक्ष उस विशेष विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष वार्ड प्रक्रियाएं प्रदान करने में सहायता करता है।

उदाहरण: सौ बेड क्षमता के प्रकरण में, सौ रोगी बेड में से साठ बेड मेडिकल इन-पेशेंट सेक्षन के लिए आवंटित किए जाएंगे। ये साठ बेड सामान्य, अर्ध-विशेष, विशेष और इसी प्रकार की श्रेणी के मिश्रण हो सकते हैं। इस विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागों के सलाहकारों के पास रोगी की वरीयता के आधार पर किसी भी श्रेणी में रोगियों को भर्ती करने की सुविधा है, जबकि उस विशेष विभाग के लिए आवंटित बेड की कुल संख्या का पालन सुनिश्चित करना है। चूंकि इन वार्डों में उपयुक्त उपकरणों के साथ एक संलग्न प्रक्रियात्मक कक्ष है, इसलिए उचित देखभाल आसानी से और कुशलता से प्रशासित की जा सकती है।

स्पष्टीकरण VI: - यह उपकरण और मानव संसाधनों के दोहराव को भी कम करता है, जिससे विभागों को रोगियों को सुविधाजनक, कुशलतापूर्वक, प्रभावी और आर्थिक रूप से विशेषता-विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने की सुविधा मिलती है।

45. **विभागानुसार इन-पेशेंट वार्ड-** (1) विभागानुसार इन-पेशेंट वार्डों के लिए न्यूनतम मानदंड और मानक अनुसूची XX और XXIII में प्रदान किए गए अनुसार होंगे, और उनके कार्य निम्नानुसार हैं।
 - (क) (i) काय-चिकित्सा वार्ड काय-चिकित्सा विभाग के अधीन होगा।
 - (ii) काय-चिकित्सा के सलाहकार और इस विभाग के अंतर्गत विशेष क्लीनिक के सलाहकार, यदि कोई हो, इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत सलाहकार होंगे।
 - (iii) काय-चिकित्सा विभाग के प्रमुख काय-चिकित्सा वार्ड और आईसीयू के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।
 - (ख) (i) आत्यायिक-चिकित्सा वार्ड (गहन चिकित्सा विभाग) पूरी तरह से वातानुकूलित होगा और आपातकालीन रोगियों के लिए आसानी से सुलभ होगा। प्रत्येक गहन चिकित्सा विभाग बेड पर ऑक्सीजन आउटलेट, वैक्यूम

आउटलेट और कंप्रेस्ट एयर आउटलेट उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक गहन चिकित्सा इकाई बेड पर उपयुक्त क्षमता के साथ पर्याप्त विद्युत पॉइंट्स होंगे।

- (ii) गहन चिकित्सा इकाई में आवश्यक सुविधाओं के साथ नर्सिंग काउंटर होगा।
 - (iii) गहन चिकित्सा इकाई के लिए न्यूनतम मानदंड और मानक अनुसूची-XIX और XX में वर्णित होंगे।
 - (ग) (i) पंचकर्म वार्ड पंचकर्म विभाग के अधीन होगा।
 - (ii) पंचकर्म के सलाहकार, और इस विभाग के अंतर्गत विशेष क्लीनिक के सलाहकार, यदि कोई हो, इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत सलाहकार होंगे।
 - (iii) स्वस्थवृत्त के सलाहकार और विशेष क्लीनिकों के सलाहकार, यदि कोई हो, तो स्वस्थवृत्त विभाग के अंतर्गत क्रृतुशोधन या कायाकल्प के उद्देश्य से इस वार्ड में अपने रोगियों (क्लाइंट्स) (स्वस्थ व्यक्तियों) को प्रवेश दे सकते हैं;
 - (iv) पंचकर्म विभाग के प्रमुख पंचकर्म वार्ड के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।
 - (घ) (i) शल्य वार्ड शल्य तंत्र के विभाग के अधीन होगा;
 - (ii) शल्य तंत्र के सलाहकार और इस विभाग के अंतर्गत विशेष क्लीनिक के सलाहकार, यदि कोई हो, इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत सलाहकार होंगे।
 - (iii) शल्य तंत्र विभाग का प्रमुख शल्य वार्ड का प्रशासनिक प्रमुख होगा।
 - (ङ) (i) शालाक्य वार्ड शालाक्य तंत्र विभाग के अधीन होगा।
 - (ii) शालाक्य तंत्र के सलाहकार और इस विभाग के अंतर्गत विशेष क्लीनिक के सलाहकार, यदि कोई हो, इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत सलाहकार होंगे।
 - (iii) शालाक्य तंत्र विभाग के प्रमुख शालाक्य वार्ड के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।
 - (च) (i) प्रसूति और स्त्रीरोग वार्ड प्रसूति और स्त्रीरोग विभाग के अधीन होगा;
 - (ii) प्रसूति और स्त्रीरोग के सलाहकार और इस विभाग के अंतर्गत विशेष क्लीनिक के सलाहकार, यदि कोई हो, इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत सलाहकार होंगे।
 - (iii) प्रसूति और स्त्रीरोग विभाग के प्रमुख प्रसूति और स्त्रीरोग वार्ड के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।
 - (iv) नवजात शिशुओं को कौमारभृत्य वार्ड में भर्ती कराया जाना है और कौमारभृत्य सलाहकारों द्वारा देखभाल की जानी है।
 - (i) कौमारभृत्य वार्ड कौमारभृत्य विभाग के अधीन होगा।
 - (ii) कौमारभृत्य के सलाहकार और इस विभाग के अंतर्गत विशेष क्लीनिक के सलाहकार, यदि कोई हो, इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत सलाहकार होंगे।
 - (iii) कौमारभृत्य विभाग का प्रमुख कौमारभृत्य वार्ड का प्रशासनिक प्रमुख होगा।
 - (ज) (i) विष चिकित्सा वार्ड अगदतंत्र विभाग के अधीन होगा।
 - (ii) इस विभाग के अंतर्गत अगदतंत्र के सलाहकार और विशेष क्लीनिक के सलाहकार, यदि कोई हो, इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत सलाहकार होंगे।
 - (iii) आगदतंत्र विभाग का प्रमुख इस वार्ड का प्रशासनिक प्रमुख होगा।
 - (झ) स्वस्थवृत्त के सलाहकार और विशेष क्लीनिकों के सलाहकार, यदि कोई हो, तो पंचकर्म विभाग के सहयोग से क्रृतुशोधन या अन्य कायाकल्प या स्वास्थ्य-प्रचार चिकित्सा थेरेपी की व्यवस्था करेंगे। अलग से बेड आवंटित नहीं किए जाएंगे।
46. नैदानिक क्लास रूम - (1) इन-पेशेंट वार्डों से जुड़ी नैदानिक क्लास रूम होंगे।
- (2) सभी नैदानिक क्लास रूम में इनफार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उपलब्ध होंगी।

- (3) सर्जिकल प्रक्रियाओं के लाइव प्रदर्शन (डेमोस्ट्रेशन) के लिए ऑपरेशन थिएटर से जुड़े इंटरैक्टिव क्लोज्ड-सर्किट-टेलीविजन से कम से कम एक नैदानिक क्लास रूम सुसज्जित होगा।
- (4) नैदानिक क्लास रूम में नैदानिक कक्षाएं या बेडसाइड क्लीनिक के संचालन के लिए न्यूनतम तीस छात्रों को समायोजित करने की की क्षमता होगी;
- (5) प्रत्येक नैदानिक क्लास रूम में एग्जामिनेशन टेबल, एक्स-रे व्यू बॉक्स, स्टेथोस्कोप, नॉन-मर्क्यूरियल स्फाइग्मोमैनोमेटर, गैर-संपर्क थर्मामीटर, टॉर्च लाइट, जीभ डिप्रेसर, मापने का टेप, त्वचा मार्किंग पेंसिल, नी हैमर और इसी प्रकार के सामान्य नैदानिक उपकरण होंगे।
47. **प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र :** (1) प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र में पंचकर्म थेरेपी सेक्षन, ऑपरेशन थिएटर सेक्षन, अनुशास्त्र कर्म सेक्षन, लेबर रूम, प्रसूति और स्त्री रोग प्रक्रियात्मक कक्ष, क्रियाकल्प सेक्षन और समय-समय पर आयोग द्वारा प्रदान किए गए अन्य थेरेपी सेक्षन शामिल होंगे। इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यक न्यूनतम मानदंड और मानक अनुसूची XX और XXIV के अनुसार होंगे, और अन्य मानदंड और मानक इस प्रकार हैं:
- (क) (i) पंचकर्म थेरेपी सेक्षन में रिसेप्शन, वेटिंग एरिया, कंसल्टेशन रूम, प्रिपरेशन रूम, स्टोरेज रूम, थेरेपी रूम, पुरुष और महिला थेरेपिस्ट के लिए अलग-अलग रूम और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यास प्रावधान शामिल होंगे।
 - (ii) इस विभाग में आउट पेशेंट विभाग और इन-पेशेंट विभाग दोनों के लिए सामान्य सुविधा है;
 - (iii) यह सेक्षन पंचकर्म विभाग के अंतर्गत आएगा और पंचकर्म विभाग के प्रमुख, पंचकर्म विभाग के नामित संकाय, या विशेष रूप से नियुक्त पंचकर्म विशेषज्ञ के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।
 - (iv) बैठने की उचित व्यवस्था और पीने के पानी की सुविधा (गर्म और ठंडा) के साथ पर्यास प्रतीक्षा क्षेत्र होगा।
 - (v) रिसेप्शन काउंटर को अधिमानतः चिकित्सालय सूचना प्रबंधन प्रणाली के साथ कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। रिसेप्शनिस्ट पंचकर्म शब्दावली में पारंगत होगा / होगी। काउंटर में उपचारों (थेरेपी) का दिन-वार कार्यक्रम, नियुक्तियां, उस विशेष दिन के लिए पंचकर्म चिकित्सक का विवरण, झूटी पर पंचकर्म सलाहकारों के बारे में जानकारी और इसी प्रकार के विवरण प्रदर्शित करने होंगे।
 - (vi) परामर्श कक्ष में पंचकर्म सलाहकारों और इंटर्न के लिए पर्यास बैठने की जगह होगी, जिसमें एक एग्जामिनेशन टेबल और एक्स-रे व्यू बॉक्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्डिंग सुविधा, नॉन-मरकरी स्फिग्मोमैनोमीटर, गैर-संपर्क क्लीनिकल थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, मापने वाले टेप, वजन स्केल, नी हैमर, टॉर्च की रोशनी और इसी प्रकार के उपकरण जैसे सामान्य नैदानिक उपकरण होंगे।
 - (vii) पंचकर्म प्रक्रियाओं से पहले और बाद में स्वास्थ्य (फिटनेस) सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक रोगी या क्लाइंट को चिकित्सक से परामर्श लेना होगा।
 - (viii) 'पंचकर्म भेषजागार' या पंचकर्म औषधि तैयारी कक्ष, जिसमें पर्यास भंडारण (रेफ्रिजरेटर सहित) और आवश्यक उपकरणों के साथ औषधियां तैयार करने के लिए जगह हो, उपलब्ध कराए जाने हैं। औषधियों की आपूर्ति, ताजा खाना पकाने और हीटिंग सुविधाओं, स्वच्छ पानी के लिए एक वाटर फिल्टर, और एक निकास या इलेक्ट्रिक चिमनी की व्यवस्था होगी।
 - (ix) प्रिपरेशन रूम में लोगों की लगातार आवाजाही को कम करने के लिए, विशेष रूप से प्रशासन हेतु औषधियों के वितरण के लिए एक काउंटर स्थापित किया जाएगा।
 - (x) स्वच्छ और अस्वच्छ अपशिष्ट (यूटिलिटी) के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र होगा, साथ ही उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सफाई के लिए गर्म पानी की आपूर्ति से सुसज्जित एक अलग धुलाई क्षेत्र होगा।
 - (xi) जैव चिकित्सा (बायोमेडिकल) अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नामित स्थान और तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
 - (xii) पंचकर्म चिकित्सा कक्षों में अठेच्ढ शौचालयों के साथ-साथ कपड़े बदलने के लिए पर्यास स्थान और गोपनीयता होगी। पंचकर्म चिकित्सा से गुजरने वाले रोगियों को पर्यास गोपनीयता प्रदान की जाएगी।

- (xiii) प्रत्येक चिकित्सा कक्ष पूरी तरह से सुसज्जित किया जाएगा ताकि प्रत्येक चिकित्सा कक्ष में सभी पंचकर्म प्रक्रियाओं को प्रशासित किया जा सके। कौमार पंचकर्म के लिए कम से कम एक चिकित्सा कक्ष सुसज्जित किया जाएगा, और कौमार पंचकर्म चिकित्सा कक्ष में उपचार कौमारभृत्य सलाहकारों की देखरेख में होगा।

स्पष्टीकरण: चिकित्सा कक्षों को विरेचनकक्ष, वमनकक्ष, स्नेहनकक्ष, स्वेदनकक्ष और इसी प्रकार के रूप में निर्दिष्ट और लेबल करना कई प्रक्रियाओं के संचालन को प्रतिबंधित करता है, जिससे प्रत्येक प्रक्रिया के बाद, रोगी को एक थेरेपी रूम से दूसरे में स्थानांतरित करने और पंचकर्म उपचार के बाद वॉशरूम में ले जाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की व्यवस्था समय की अधिक खपत, असुविधाजनक है और रोगियों की गोपनीयता को प्रभावित करती है। यदि किसी रोगी को अभ्यंग और स्वेद से गुजरना पड़ता है, तो उन्हें स्नान के लिए वॉशरूम जाने से पहले स्नेहन कक्ष में अभ्यंग और स्वेद कक्ष में स्वेद से गुजरना होगा। इस प्रकार की असुविधा से बचने के लिए, प्रत्येक थेरेपी रूम को सुसज्जित किया जाएगा ताकि सभी थेरेपी को एक ही थेरेपी रूम में प्रशासित किया जा सके। आदर्श रूप से थेरेपी रूम को संख्याओं के साथ लेबल किया जाना है।

- (xiv) स्नेहपान देने और रोगियों की काउंसलिंग के लिए क्यूबिकल प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक क्यूबिकल में मरीजों और पंचकर्म विशेषज्ञों या जूनियर डॉक्टरों के बैठने की व्यवस्था, पानी के कनेक्शन के साथ एक वॉशबेसिन, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर (गैर-पारा), नैदानिक थर्ममीटर (गैर-संपर्क), और इसी प्रकार के उपकरण जैसे नैदानिक उपकरण होंगे।

- (xv) एसेप्टिक स्थितियों के अंतर्गत अनुशास्त्र कर्म इकाई में रक्तमोक्षण प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

स्पष्टीकरण: रक्तमोक्षण पंचकर्म प्रक्रियाओं में से एक है और यह अनुशास्त्र कर्म का भी एक हिस्सा है। कीटाणुनाशक (एसेप्टिक) परिस्थितियों में अनुशास्त्र कर्म अनुभाग में बेहतर प्रदर्शन किया जाता है। पंचकर्म विभाग द्वारा दोहराव से बचा जा सकता है, और ऐसे मामलों में, समन्वय में दोनों विभागों द्वारा सुविधा के साझा उपयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र होगा। यदि पंचकर्म विभाग इस सुविधा को बनाए रखना चाहता है, तो इसे उचित कीटाणुनाशक (एसेप्टिक) उपायों के साथ अलग से स्थापित किया जाएगा। नियमित पंचकर्म चिकित्सा कक्षों में रक्तमोक्षण नहीं किया जाएगा।

- (xvi) पंचकर्म चिकित्सक को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और क्रॉस संक्रमण से बचने के लिए किसी भी संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा।

- (xvii) पुरुष और महिला चिकित्सक के लिए अलग-अलग कमरे होंगे, प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत लॉकर या पिजन -होल अलमीरा के डेढिकेटेड कम्पार्टमेंट, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और विशेष रूप से पुरुष और महिला चिकित्सक के लिए नामित संलग्न शौचालयों से सुसज्जित होगा।

- (xviii) पर्याप्त स्थान वाला एक पंचकर्म स्टोर, जिसमें विभिन्न उपभोग्य सामग्रियों, औषधियों और उपकरणों के भंडारण के लिए रेफ्रिजरेशन स्टोर शामिल है, प्रदान किया जाएगा।

- (xix) आपातकालीन चिकित्सा किट भी प्रमुख स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी और औषधियों की तिथि समाप्ति से बचने के लिए औषधियों को समय-समय पर बदला जाना है।

- (xx) पंचकर्म चिकित्सा अनुभाग के मानदंड और मानक अनुसूची-XX, XXIV और XXV में निर्दिष्ट होंगे।

- (ख) (i) ऑपरेशन थिएटर अनुभाग में एनो-रेक्टल और अन्य माइनर प्रक्रियाओं के लिए माइनर ऑपरेशन थिएटर और सभी प्रमुख सर्जरी के लिए मेजर जनरल ऑपरेशन थिएटर शामिल होंगे।

- (ii) यह शल्य चिकित्सा, शालाक्य और प्रसूति स्त्री रोग जैसे सभी शल्य चिकित्सा विभागों के लिए सामान्य सुविधा है;

- (iii) उपयोगकर्ता विभागों द्वारा सुविधा के उपयोग के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाना है।

- (iv) ऑपरेशन थियेटर अनुभाग की विभिन्न इकाइयों के न्यूनतम मानदंड और मानक अनुसूची-XXVI में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

- (v) दो प्रमुख ऑपरेशन थियेटरों के मामले में, एक ऑपरेशन थियेटर शल्य और प्रसूति स्त्री रोग के लिए और दूसरा शालाक्यतंत्र के लिए होगा।

- (vi) प्रमुख सामान्य ऑपरेशन थिएटर में रोगियों के लिए प्रतीक्षालय, एक प्री - एनेस्थेटिक या प्रिपरेशन रूम, ऑपरेशन थिएटर, एक पोस्ट - ऑपरेटिव रिकवरी रूम, अस्वच्छ लिनन रूम, नर्स रूम, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट (पुरुष और

- महिला) के लिए अलग - अलग रूम, सहायक रूम, स्टोर रूम, सर्जनों, सहायकों और छात्रों के लिए एक वॉशिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, स्क्रब रूम और इसी प्रकार की सुविधाएं होंगी;
- (vii) यद्यपि उत्तर बस्ती (पुरुषों और महिलाओं के लिए) पंचकर्म का हिस्सा है, और उत्तर बस्ती-अंतर्गत भार्षाशयी प्रसूति और स्त्री रोग विभाग का हिस्सा है, लेकिन प्रोसीजर को एसेप्टिक स्थितियों के अंतर्गत ऑपरेशन थिएटर में किया जाएगा। यदि पंचकर्म विभाग इस प्रक्रिया को करना चाहता है, तो उसे असेप्टिक परिस्थितियों में प्रक्रिया का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ एक अलग थिएटर विकसित करना होगा।
- (viii) आदर्श रूप से क्षारसूत्र की तैयारी रसशास्त्र और भैषज्यकल्पना विभाग के अंतर्गत आती है। यदि शल्य तंत्र विभाग क्षारसूत्र की तैयारी को प्रतिधारित करना चाहता है, तो इसकी तैयारी के लिए अलग से कक्ष होगा। बशर्ते कि ऑपरेशन थिएटर में क्षारसूत्र की तैयारी से सख्ती से बचा जाए।
- (ग) अनुशब्द कर्म अनुभाग शल्य विभाग के प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण में या चिकित्सालय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट होगा। यह सुविधा बाह्य रोगी विभाग और अंतः रोगी विभाग दोनों के बीच साझा की जाती है। इस अनुभाग में पैन मैनेजमेंट इकाई, रक्तमोक्षण इकाई, श्वारकर्म इकाई, अग्निकर्म इकाई और इसी प्रकार की इकाइयाँ शामिल हैं। इस अनुभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम उपकरण और उपकरण अनुसूची-XXVII में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।
- (घ)
- (i) लेबर रूम प्रसूति और स्त्रीरोग विभाग के अधीन होगा;
 - (ii) रोगियों के लिए एक प्रतीक्षालय होगा, तैयारी कक्ष, लेबर रूम, प्रसवोत्तर रिकवरी रूम, नवजात देखभाल कॉर्नर और इसी प्रकार की सुविधाएं होंगी; तथा
 - (iii) लेबर रूम के लिए न्यूनतम मानदंड और मानक अनुसूची-XXVIII में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।
- (ङ)
- (i) प्रसूति और स्त्रीरोग प्रोसीजर कक्ष प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के अधीन होगा। यह बाह्य रोगी विभाग और इन-पेशेंट विभाग दोनों के लिए सामान्य सुविधा है;
 - (ii) प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के प्रमुख इस इकाई के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।
 - (iii) योनि पिचु, योनि धावन, योनि पूरण, योनि धूपन, और इसी प्रकार की प्रोसीजर को करने के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधाएं उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (च)
- (i) गर्भसंस्कार सुविधा प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण में होगी।
 - (ii) योग, संगीत थेरेपी, मंत्र थेरेपी और इसी प्रकार के गर्भसंस्कार के विभिन्न घटकों के प्रशासन के लिए ऑडियो विजुअल सुविधा वाले क्यूबिकल के साथ कक्ष जुड़े होंगे।
- (छ)
- नवजात इंटेसिव केयर यूनिट के मानदंड और मानक अनुसूची XXIX में दिए गए अनुसार होंगे।
- (ज)
- (i) क्रियाकल्प अनुभाग में स्वागत, प्रतीक्षालय, तैयारी कक्ष, स्टोर रूम, चिकित्सा अनुभाग या कमरे या क्यूबिकल, चिकित्सक कक्ष और अपशिष्ट प्रबंधन प्रावधान होगा;
 - (ii) यह आउट पेशेंट विभाग और इन-पेशेंट विभाग दोनों के लिए सामान्य सुविधा है;
 - (iii) यह अनुभाग शालाक्य विभाग के प्रमुख या शालाक्य के किसी नामित संकाय सदस्य के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।
 - (iv) औषधि मिश्रण के लिए एक पेंट्री होगी, और प्रोसीजर के संचालन के लिए स्वच्छता से बनाए गए क्यूबिकल होंगे;
 - (v) चिकित्सकों को समुचिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और किसी भी संक्रामक रोगों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा।
 - (vi) यथोचित बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन पद्धति होगी।
 - (vii) क्रियाकल्प अनुभाग में आंख और कान नाक गले से संबंधित विशेष प्रोसीजर की जानी हैं, अन्य सामान्य प्रक्रियाएं पंचकर्म थेरेपी सेक्शन में की जानी हैं।
 - (viii) क्रियाकल्प अनुभाग के लिए न्यूनतम मानदंड और मानक अनुसूची-XX और XXIV में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।
 - (झ)
- (i) फिजियोथेरेपी सेक्शन की सुविधा आउट पेशेंट विभाग और इनपेशेंट विभाग दोनों के लिए कॉमन होगी।

- (ii) फिजियोथेरेपिस्ट इस इकाई का प्रशासनिक प्रमुख होगा;
- (iii) फिजियोथेरेपी सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता (जैसा कि सुझाव दिया गया है जिसमें व्यक्तिगत चिकित्सा क्यूबिकल या अनुभाग शामिल हैं), उपयुक्त उपकरणों के साथ होंगे; तथा
- (iv) फिजियोथेरेपी अनुभाग के लिए न्यूनतम मानदंड और मानक अनुसूची-XX और XXIV में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।
- (ज) (i) योग अनुभाग स्वस्थवृत्त विभाग के अधीन होगा।
(ii) योग निर्दर्शक प्रभारी होगा और स्वस्थवृत्त विभाग का प्रमुख इस इकाई का प्रशासनिक प्रमुख होगा।
(iii) उचित वेंटिलेशन के साथ, ऑडियो विजुअल सहायता और पर्याप्त योग मैट से लैस पर्याप्त स्थान योग प्रदर्शन और स्वस्थ व्यक्तियों के साथ-साथ रोगियों के लिए प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
(iv) स्वस्थवृत्त के सलाहकार चिकित्सीय यौगिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करेंगे, और योग प्रदर्शक निर्धारित योग, प्राणायाम, क्रिया और इसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे; तथा
- (v) योग अनुभाग के लिए न्यूनतम मानदंड और मानक अनुसूची-XX और XXIV में निर्दिष्ट अनुसार होंगे
- (ट) भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा प्रमाणित उपकरण और सहायक उपकरणों को उपलब्धता की सीमा तक प्राथमिकता दी जाएगी।
48. **फार्माकोविजिलेंस सेल की संरचना और कार्य :** (1) यह सेल क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या केंद्रीय फार्माकोविजिलेंस सेल के अनुसार कार्य करेगा।
(2) सेल का समन्वयक द्रव्यगुण या रसशास्त्र और भैषज्यकल्पना का संकाय सदस्य होगा।
(3) काय-चिकित्सा, शल्यतंत्र, शालाक्यतंत्र, प्रसूति और स्त्री रोग, कौमारभूत्य, पंचकर्म, स्वस्थवृत्त और अगदतंत्र प्रत्येक विभाग से एक संकाय सदस्य सदस्य होगा।
(4) सेल के सदस्य प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं और अन्य संबंधित मुद्दों की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने और क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या केंद्रीय फार्माकोविजिलेंस सेल को रिपोर्ट करने के लिए प्रत्येक दो महीने में कम से कम एक बार मिलेंगे।
49. (1) प्रशासनिक क्षेत्र में चिकित्सा निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक, उप चिकित्सा अधीक्षक, प्रशासक, मैट्रन, सहायक मैट्रन, रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार और अन्य कार्यालय कर्मचारी शामिल होंगे। आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय प्रदान किया जाएगा। संस्थान के प्रमुख के लिए कार्यालय से जुड़े शौचालय प्रदान किए जाएंगे, साथ ही पुरुष और महिला प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शौचालय और पर्याप्त पेंट्री सुविधाएं शामिल होंगी। इस क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों के लिए न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र इन विनियमों की अनुसूची XXXI में प्रदान किया जाएगा।
(2) डॉक्टरों के लाउंज में पर्याप्त बैठने और आराम करने की सुविधा (उपयुक्त फर्नीचर के साथ), अटैच्ड शौचालय, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं जैसी मनोरंजक सुविधाएं और कॉफी वेंडिंग मशीन जैसी जलपान सुविधाएं और इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महिला सलाहकारों को पर्याप्त गोपनीयता उपलब्ध कराई जाएंगी।
(3) व्यक्तिगत लॉकर, पर्याप्त फर्नीचर, अटैच्ड शौचालय, और टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, और इसी प्रकार की मनोरंजक सुविधाओं के साथ इंटर्न के लिए एक अलग कमरा प्रदान किया जाएगा।
(4) पर्याप्त बैठने की सुविधा के साथ एक अलग कमरा और अटैच्ड शौचालयों के साथ चिकित्सालय के कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत लॉकर या पिजन अलमिरा कम्पार्टमेंट वाली अलमारी के डिब्बे होंगे।
(5) बैठक हॉल: चिकित्सालय से संबंधित बैठकों के संचालन के लिए बैठक में भाग लेने और चिकित्सालय के सलाहकारों की समय-समय पर नैदानिक बैठकें आयोजित करने के लिए कम से कम 30 सदस्यों को समायोजित करने के लिए अच्छी प्रकार से सुसज्जित ऑडियो-विजुअल सुविधाओं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के साथ एक बैठक हॉल उपलब्ध कराया जाएगा।

- (6) स्टोर (पर्यास और उपयुक्त भंडारण सुविधा वाला स्टोर): स्टोर चिकित्सालय से संबंधित वस्तुओं का रखरखाव करता है। स्टोर को कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए और चिकित्सालय सूचना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।
- (7) चिकित्सालय में समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट एक स्थापित बायोमेट्रिक उपस्थिति पद्धति होगी; सभी चिकित्सालय कर्मचारियों और प्रशिक्षकों को निर्दिष्ट बायोमेट्रिक उपस्थिति पद्धति में अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। उपस्थिति पद्धति को आयोग के केंद्रीय सर्वर या केंद्रीय नियंत्रण पद्धति के साथ इंटरफेस किया जाएगा।
50. **सेवा क्षेत्र:** सेवा क्षेत्र में पथ्य-आहार केंद्र, कैटीन, शवगृह, एम्बुलेंस, बायोमेडिकल अपशिष्ट, हाउस-कीर्पिंग, कपड़े धोने, सुरक्षा और इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। इस क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों के लिए न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र अनुसूची XXIV में प्रदान किया जाएगा और इस क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों के लिए अन्य मानक और मानदंड निम्नानुसार हैं: -
- (1) (क) तीन वर्ष के अनुभव के साथ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या आयुर्वेदिक डायटेटिक्स में मास्टर ऑफ साइंस वाले व्यक्ति तत्काल चिकित्सा देखभाल अनुभाग सहित पथ्य-आहार (डाइट) सेक्शन के प्रभारी होंगे। तीन साल के अनुभव या मास्टर ऑफ साइंस आयुर्वेद डायटेटिक्स के साथ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी रखने वाला व्यक्ति तत्काल चिकित्सा तैयारी अनुभाग सहित पैथिया-आहार का प्रभारी होगा।
- (ख) प्रशिक्षित रसोइये और बहु - कार्यशील कर्मचारी होंगे;
- (ग) इस सेक्शन में भंडारण (प्रशीतन सहित), धोने, खाना पकाने, पैकिंग, डिस्पैच, भोजन क्षेत्र (वैकल्पिक), बैठने की व्यवस्था और पथ्य -आहार प्रभारी, इंटर्न और अन्य कर्मचारियों के लिए शौचालय इत्यादि के लिए पर्यास स्थान और आवश्यक व्यवस्था होगी;
- (घ) संबंधित वार्डों को संबंधित परामर्शदाताओं के सुझावों अथवा निर्धारित औषधि के आधार पर स्वरस, कषाय, क्षीरपाक जैसी तत्काल औषधियों और इसी प्रकार की मदों सहित पथ्य -आहार के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके बाद, मांगपत्र को पथ्य अनुभाग में प्रस्तुत किया जाना है।
- (ङ) इंडेंट में पथ्य -आहार या तत्काल औषधि का नाम, मात्रा, आपूर्ति का समय, और कोई विशेष निर्देश, जैसे गर्म, कम मसालेदार, त्रिकटु के साथ परोसना और इसी प्रकार के विवरण शामिल होंगे।
- (च) सामग्री की मानक संचालन प्रक्रियाओं वाली एक निर्देशिका या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले त्वरित संदर्भ के लिए उपलब्ध होगा।
- (छ) स्वरस, कल्क, कषाय के लिए ताजी जड़ी-बूटियों आदि के साथ कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था होगी; तथा
- (ज) रसोइयों और अन्य कार्य करने वाले कर्मचारियों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा;
- (2) (क) यदि कॉलेज और चिकित्सालय एक ही परिसर में हैं, तो एक सामान्य कैटीन पर्यास है। हालांकि, यदि चिकित्सालय एक अलग परिसर में है, तो चिकित्सालय परिसर में एक अलग कैटीन उपलब्ध कराई जाएगी; तथा
- (ख) कैटीन में पर्यास बैठने की क्षमता, शिक्षण स्टाफ, इंटर्न और मेडिकल छात्रों, रोगियों और उनके परिचारकों सहित सलाहकारों के लिए अलग-अलग अनुभाग होंगे;
- (3) कॉलेजों के पास कोल्ड स्टोरेज से सुसज्जित एक मुर्दाघर हो सकता है, या कॉलेज ऐसे चिकित्सा प्रतिष्ठान के साथ समझौता ज्ञापन कर सकता है जो मुर्दाघर सेवाएं प्रदान करते हैं।
- (4) कॉलेजों के पास चौबीस घंटे के लिए अपनी एम्बुलेंस सेवा हो सकती है या एम्बुलेंस सेवाओं के साथ समझौता ज्ञापन हो सकता है;
- (5) संस्थान में बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। संस्थान 2016 के जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम का पालन करने के लिए बाध्य होगा। संस्थान या तो अपनी जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान प्रणाली रख सकता है या अधिकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन कर सकता है।
- (6) (क) चिकित्सालय में उपलब्ध कपड़े धोने की सुविधा दो बुनियादी विचारों अर्थात्, स्वच्छता और कीटाणुशोधन; को पूरा करेगी।

- (ख) चिकित्सालय गंदे और साफ किए गए लिनेन दोनों को धोने, सुखाने, प्रेसिंग और भंडारण के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। चिकित्सालय द्वारा कपड़े धोने के उपकरण को रखने के लिए भौतिक सुविधाएं परिसर में प्रदान की जाएंगी; तथा
- (ग) सेवाओं को चिकित्सालय प्रशासक की समग्र देखरेख में आउटसोर्स किया जा सकता है।
- (7) (क) कॉलेज, चिकित्सालय और संस्थागत परिसर की अन्य इकाइयों के लिए हाउसकीपिंग सेवाएं पर्याप्त हाउस-कीपिंग स्टाफ के साथ प्रदान की जाएंगी; तथा
- (ख) हाउस कीपिंग स्टाफ अनुबंध के आधार पर हो सकता है या पंजीकृत आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स किया जा सकता है।
- (8) (क) एक स्वतंत्र केंद्रीय रोगाणुनाशन इकाई होगी जो ऑपरेशन थिएटर, कैन्जुअल्टी रूम, लेबर रूम, प्रयोगशालाओं, आउट पेशेंट विभाग प्रक्रिया कक्षों, इनपेशेंट विभाग वार्ड प्रक्रिया कक्षों और इसी प्रकार की सुविधाओं के कुल कार्यभार को संभालने में सक्षम होगी; तथा
- (ख) केंद्रीय रोगाणुनाशन इकाई में पर्याप्त उपकरण होंगे, जिसमें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए अलगअलग छोर-, जीवाणुरहित रैक, पैकेजिंग मशीन, उपकरण सफाई मशीन, स्टरलाइज़र, आटोक्लेव, पास बॉक्स, ट्रे और आवश्यकतानुसार इसी प्रकार की वस्तुएं शामिल होंगी।
- (9) (क) परिसर, कॉलेज, चिकित्सालय और संस्थान की अन्य इकाइयों के लिए सुरक्षा सेवाएं पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रदान की जाएंगी;
- (ख) सुरक्षा चौकियां संस्थान के मुख्य प्रवेश द्वार पर उपलब्ध कराई जाएंगी। दो परिसरों के मामले में, प्रत्येक परिसर को अलग से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कॉलेज और चिकित्सालय के सभी प्रवेश द्वार और निकास, शिक्षण फार्मेसी के प्रवेश द्वार, छात्रावासों के प्रवेश द्वार, पुस्तकालय प्रवेश द्वार और संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा चौकियां तैनात की जाएंगी; तथा
- (ग) सुरक्षा सेवाओं को पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स किया जा सकता है।
- (10) (क) कॉलेज और चिकित्सालय के लिए एक रखरखाव प्रकोष्ठ होगा। यदि कॉलेज और चिकित्सालय एक ही परिसर में स्थित हैं, तो एक सामान्य रखरखाव प्रकोष्ठ पर्याप्त होगा। हालांकि, अगर वे एक ही परिसर में नहीं हैं, तो चिकित्सालय के लिए एक अलग रखरखाव सेल की आवश्यकता होगी।
- (ख) रखरखाव सेल सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, बढ़दीगीरी, मैकेनिकल, सैनिटरी, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन उपकरण और इसी प्रकार के कार्यों से संबंधित रखरखाव कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा; तथा
- (ग) रखरखाव के लिए उपकरण, पर्याप्त स्थान और योग्य जनशक्ति (मैनपावर) या तो नियुक्त या आउटसोर्स होगी;
- (11) (क) पाइप गैस आपूर्ति के लिए निश्चित सिलेंडरों के साथ-साथ पोर्टेबल सिलेंडरों को उचित रूप से रखा जाएगा; तथा
- (ख) सभी गैस पाइपलाइनों का आवधिक रूप से उचित रिकॉर्ड के साथ रखरखाव किया जाएगा। सुरक्षा और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित रिफिलिंग या प्रतिस्थापन प्रणाली होगी।
- (12) (क) शैक्षणिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए विशिष्ट या अविशिष्ट नैदानिक प्रस्तुतियों और नैदानिक सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए फोटोग्राफी और ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग सुविधाओं से लैस एक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अनुभाग होगा।
- (क) यह अनुभाग ग्रीन बैकड्रॉप, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, कैमरा, वीडियो कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ-साथ ऑडियो-वीडियो संपादन सुविधा से लैस होगा;
51. **मानव संसाधन:** (क) डीन या प्रिंसिपल या निदेशक, जैसा भी स्थिति हो, संलग्न शिक्षण चिकित्सालय के लिए चिकित्सालय निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा। कॉलेज के सभी संलग्न शिक्षण चिकित्सालय डीन, प्रिंसिपल या निदेशक के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण में होंगे।

- (ख) (i) चिकित्सालय अधीक्षक के पास कम से कम दस वर्ष के व्यावसायिक अनुभव के साथ काय-चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, प्रसूति-स्त्री रोग, कौमारभृत्य, अगद-तंत्र, मानसरोग, या रसायन-वाजीकरण में स्नातकोत्तर डिग्री होगी। इस अनुभव में विभाग के प्रमुख, उप चिकित्सा अधीक्षक या वाइस प्रिंसिपल के रूप में कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव शामिल होना चाहिए। बैकल्पिक रूप से, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री और चिकित्सालय प्रशासन में मास्टर ऑफ विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ-साथ आयुर्वेद अस्पतालों में उप चिकित्सा अधीक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभव या मान्यता प्राप्त मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड में चिकित्सालय प्रशासक या मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में भी पात्र हैं।
- (ii) चिकित्सालय अधीक्षक एक पूर्णकालिक नियमित पदधारी होगा और समवर्ती रूप से किसी भी विभाग का शिक्षण स्टाफ नहीं होगा; तथा
- (iii) स्वास्थ्य सेवाओं से नियुक्त या प्रतिनियुक्त चिकित्सालय अधीक्षक चिकित्सालय निदेशक की देखरेख में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- स्पष्टीकरण : नैदानिक प्रशिक्षण चिकित्सा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है, और शिक्षण अस्पतालों को चिकित्सा छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। प्रभावी नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, कॉलेज और चिकित्सालय के नैदानिक विभागों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है ताकि कॉलेज और चिकित्सालय के बीच समन्वय और सहयोग लाया जा सके। चिकित्सालय निदेशक शिक्षण चिकित्सालय का समग्र नियंत्रण प्राधिकारी होगा और चिकित्सालय अधीक्षक चिकित्सालय निदेशक की देखरेख में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (ग) (i) उप चिकित्सालय अधीक्षक काय-चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, प्रसूति तंत्र और स्त्री-रोग, कौमारभृत्य, अगदतंत्र, मानसरोग, या रसायन और वाजीकरण में स्नातकोत्तर डिग्री धारक होंगे। बैकल्पिक रूप से, वे चिकित्सालय प्रशासन में मास्टर ऑफ विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी डिग्री धारक हो सकते हैं, जो उप चिकित्सालय अधीक्षक के रूप में सेवारत हैं; तथा
- (ii) उप चिकित्सालय अधीक्षक समवर्ती रूप से किसी भी विभाग में शिक्षण स्टाफ के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- (iii) स्वास्थ्य सेवाओं से नियुक्त या प्रतिनियुक्त उप चिकित्सालय अधीक्षक चिकित्सालय निदेशक को रिपोर्ट करेगा।
- (घ) (i) मानव संसाधन प्रबंधन, संचालन प्रबंधन, या स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर के साथ एक उम्मीदवार को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रशासक चिकित्सालय अधीक्षक की देखरेख में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा; तथा
- (ii) प्रशासक कैंटीन, एम्बुलेंस, बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, धुलाईघर, हाउसकीपिंग, सुरक्षा, रखरखाव सेल और इसी प्रकार के विभागों के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करेगा।
- (ङ) (i) रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी, आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी, या सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद या बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी में डिग्री (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) धारक होगा।
- (ii) चिकित्सा अधिकारी चौबीसों घंटे अत्यायिक (आपातकालीन बाह्य रोगी विभाग) में बाह्य रोगी विभाग ड्यूटी में और लेबर रूम और अंतरंग रोगी विभाग वार्डों में आपात स्थिति के दौरान उपस्थित रहेंगे।
- (iii) चिकित्सा अधिकारी संबंधित विशेषज्ञता सलाहकारों के परामर्श से आपातकालीन प्रबंधन निष्पादित करेंगे।
- (च) चिकित्सा अधिकारी रात की ड्यूटी भी करेंगे;
- (छ) बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी या मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाएगा;
- (ज) नर्सिंग में विज्ञान स्नातक और दस वर्ष का अनुभव, या नर्सिंग काउंसिल के साथ पंजीकृत बारह वर्ष के अनुभव के साथ जनरल नर्सिंग, या आयुर्वेद नर्सिंग के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के साथ और आयुर्वेद चिकित्सालय में दस वर्ष के अनुभव रखने वाले व्यक्ति को मैट्रन के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

- (झ) नर्सिंग में बैचलर ऑफ साइंस और पांच वर्ष के अनुभव के साथ या नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत जनरल नर्सिंग और आठ वर्ष के अनुभव के साथ या आयुर्वेद चिकित्सालय में पांच वर्ष के अनुभव के साथ और आयुर्वेद नर्सिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि डिग्री रखने वाले व्यक्ति को सहायक मैट्रन के रूप में नियुक्त किया जाएगा;
- (ज) नर्सिंग में बैचलर ऑफ साइंस योग्यता रखने वाला व्यक्ति या नर्सिंग काउंसिल के साथ पंजीकृत जनरल नर्सिंग या कम से कम तीन वर्ष की अवधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई आयुर्वेद नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाला व्यक्ति, नर्सिंग स्टाफ के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (ट) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या डिग्री वाले व्यक्ति को प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- (ठ) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेद फार्मेसी में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति, या आयुर्वेद फार्मेसी, डिस्पेंसरी या औषधि की दुकान में प्रशिक्षण के साथ बारहवीं कक्षा पास व्यक्ति को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- (ड) आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञ सलाहकार: - प्रासंगिक विशेषता या विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या विशेषज्ञता वाले व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र, अनुभाग या इकाई में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए पूर्णकालिक, अंशकालिक, या अनुबंध के आधार पर आवश्यकतानुसार लगाया जा सकता है।
- (इ) उपर्युक्त सूची के अतिरिक्त चिकित्सालय के कर्मचारियों की योग्यता अनुसूची XX के अनुसार होगी।

अध्याय V

इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित कॉलेजों द्वारा इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के पालन करने के लिए समय-सीमा।

52. इन विनियमों के प्रकाशन से पूर्व, पूर्ण रूप से स्थापित या स्थापना के अंतर्गत स्थापित संस्थान तालिका-10 में प्रदान किए गए अवसंरचनात्मक मानकों को छोड़कर, जो उल्लिखित तालिका में दिए गए समय-सीमा के अनुसार पूर्ण किए जाएंगे, अपने वर्तमान बुनियादी ढांचे के साथ जारी रह सकते हैं। उल्लिखित तालिका में प्रदान की गई समय-सीमा अधिकतम है, और उसके बाद कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
53. इन विनियमों के प्रकाशन से पूर्व, स्वयं को स्थापित करने की अनुमति प्राप्त चिकित्सा संस्थान इन विनियमों का पालन कर सकते हैं, -
- (क) पहले से स्थापित चरणों के लिए, वे समान अवसंरचनात्मक मानकों के साथ जारी रहेंगे और तालिका-10 में प्रदान किए गए निर्दिष्ट मानकों और समय-सीमा को पूरा करेंगे।
- (ख) विकसित किए जाने वाले चरणों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकों को इन नियमों में निर्दिष्ट के रूप में पूर्ण किया जाएगा।

तालिका-10

इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित कॉलेजों द्वारा इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों का पालन करने के लिए समय सीमाएं

क्रम संख्या	मानक या इकाई या अनुभाग या सुविधा	न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय सीमा (इन विनियमों की आधिकारिक अधिसूचना की तिथि से)
सामान्य रूप से परिसर:		
(1)	(2)	(3)
1.	केंद्रीय कार्यशाला या रखरखाव प्रकोष्ठ	18 महीने
कॉलेज:		
2.	डिजिटल लाइब्रेरी	18 महीने
3.	योग्या – नैदानिक कौशल या सिमुलेशन लैब	18 महीने
4.	मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ	18 महीने

5.	अनुसंधान और नवाचार प्रकोष्ठ	18 महीने
6.	कॉलेज परिषद बैठक कक्ष	18 महीने
7.	छात्र परिषद कक्ष	18 महीने
8.	शैक्षणिक समिति	तत्काल
9.	छात्र सहायता, कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल	18 महीने
10.	शिकायत निवारण सेल	18 महीने
11.	यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति	तत्काल
12.	इंटरनल ब्रालिटी असुरेन्स सेल	18 महीने
13.	सह-पाठ्यचर्चा और पाठ्येतर गतिविधि	18 महीने

चिकित्सालय:

(1)	(2)	(3)
14.	स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग	तत्काल (जैसा कि एमएसई-2022 में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है)
15.	मेडिकल रिकॉर्ड रूम	18 महीने
16.	विष चिकित्सा बाह्य रोगी विभाग	तत्काल (जैसा कि एमएसई-2022 में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है)
17.	विष चिकित्सा वार्ड	तत्काल (चूंकि अतिरिक्त विस्तरों की कोई आवश्यकता नहीं है, और वितरण विस्तरों की कुल संख्या के भीतर है।)
18.	क्लिनिकल क्लासरूम	24 महीने
19.	वार्ड संबद्ध प्रोसीजर कक्ष	24 महीने
20.	अनु-शब्द कर्म अनुभाग	18 महीने
21.	क्रियाकल्प (शालाक्य)	18 महीने
22.	योग हॉल	24 महीने
23.	पथ्य आहार केंद्र	18 महीने
24.	चिकित्सक लाउंज	24 महीने
25.	इंटर्न रूम	24 महीने
26.	चिकित्सालय स्टाफ रूम	24 महीने
27.	चिकित्सालय मीटिंग हॉल	24 महीने
28.	गर्भसंस्कार	18 महीने
29.	फार्माकोविजिलेंस सेल	18 महीने

अन्य नए मानक, परिवर्धन, विस्तार या संशोधन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों और संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 के अतिरिक्त होंगे।

(1)	(2)	(3)
30.	विभागवार साधन और उपकरण	06 महीने
31.	मानव संसाधन	12 महीने

नोट: विभिन्न इकाइयों या प्रकोष्ठों की गतिविधियां तत्काल आरंभ की जाएंगी।

अध्याय VI**मौजूदा आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन की विधि**

54. पूर्ण रूप से स्थापित आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी -(1) इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से, आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थानों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा: अर्थात् 'विस्तारित अनुमति' और 'वार्षिक अनुमति'।
- (2) धारा 28 के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्थापित संस्थान जिन्हें लगातार तीन वर्षों के लिए अनुमति दी गई है, उन्हें 'विस्तारित अनुमति' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। इन चिकित्सा संस्थानों को पिछले वर्ष की स्वीकृत प्रवेश क्षमता के आधार पर प्रत्येक वर्ष छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है। विस्तारित अनुमति का प्रावधान निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होगा:

- (क) अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या आयोग द्वारा की गई कार्रवाइयों के अधीन संस्थान;
- (ख) लंबित कानूनी मुद्दे या संस्थान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई;
- (ग) संस्थान जिसने प्रासंगिक नियमों में निर्दिष्ट छात्रों के प्रवेश के संबंध में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम- 2022 के विनियम 5 के प्रावधानों के साथ-साथ आयोग द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श और प्रवेश दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है;
- (घ) जिन संस्थानों ने स्नातक प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन किया है; और
- (ङ) जिन संस्थानों ने आयोग के बैंक खाते में विस्तारित अनुमति के वर्ष के लिए वार्षिक आकलन या निरीक्षण या विजिटेशन शुल्क और डिजिटलीकरण शुल्क जमा नहीं किया है।
- (3) पूर्ण रूप से स्थापित चिकित्सा संस्थान जो 'विस्तारित अनुमति' के मानदंडों को पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें 'वार्षिक अनुमति' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। वार्षिक अनुमति श्रेणी के अंतर्गत चिकित्सा संस्थान प्रत्यक्षे वर्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड से प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश देंगे।
55. आकलन या निरीक्षण या विजिटेशन की प्रक्रिया : - (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षण, दौरे (विजिटेशन) या आकलन विस्तारित अनुमति के विस्तार या वार्षिक अनुमति या जैसा कि अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) में प्रदान किया गया है, को प्रदान करने के लिए होंगे।
- (2) सभी चिकित्सा संस्थान, उनकी श्रेणी (विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति) के बावजूद, आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित प्रारूप में डेटा अपलोड (स्व-प्रकटीकरण) करते रहेंगे।
- (3) सभी चिकित्सा संस्थान, श्रेणी (विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति) के बावजूद, भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि और विधि के भीतर नीचे दिए गए अनुसार वार्षिक निरीक्षण या जाँच शुल्क (जाँच शुल्क और डिजिटलीकरण शुल्क) जमा करेंगे; जैसा कि तालिका -11 में प्रदान किया गया है।

तालिका-11

वार्षिक विजिटेशन और डिजिटलीकरण शुल्क (प्रवेश क्षमता अनुसार)

क्रम संख्या	शुल्क का प्रकार	शुल्क की राशि (रूपये लाखों में) प्रवेश क्षमता के अनुसार			
		(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
1.	विजिटेशन या निरीक्षण या आकलन शुल्क	5.0	7.5	10.0	12.5
2.	डिजिटलीकरण शुल्क	1.0	2.0	3.0	4.0

नोट:1 लागू कर अतिरिक्त होंगे।
 नोट:2 शुल्क राशि का लागू करों के साथ भुगतान एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से आयोग के आधिकारिक बैंक खाते में किया जाएगा।

- (4) 'विस्तारित अनुमति' के अंतर्गत वर्गीकृत चिकित्सा संस्थान प्रकाशित न्यूनतम आवश्यक मानकों का पूर्ण अनुपालन करते हुए, भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट प्रारूप और प्रस्तुत करने की अवधि के अनुसार एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- (5) भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन और रेटिंग बोर्ड कॉलेज या संस्थान द्वारा इन विनियमों में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति का आकलन करने के लिए शैक्षिक वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष किसी भी समय वार्षिक जाँच अथवा निरीक्षण या मूल्यांकन (भारतीय चिकित्सा पद्धति- आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर विकसित मैनुअल में विनिर्दिष्ट तरीके और मोड में) आयोजित करेगा;
- (6) आकलन की अवधि जाँच अथवा निरीक्षण या आकलन के महीने से पहले के बारह महीनों को कवर करेगी।

स्पष्टीकरण: यदि किसी संस्थान का मूल्यांकन या निरीक्षण किया जा रहा है या अगस्त 2024 के महीने में दौरा (विजिटेशन) किया जा रहा है, तो आकलन की अवधि 01 अगस्त, 2023 से 31 जुलाई, 2024 तक होगी;

- (7) आकलन के पश्चात्, भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन और रेटिंग बोर्ड प्रत्येक वर्ष प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आयुष केन्द्रीय परामर्श समिति द्वारा केन्द्रीय परामर्श प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से साठ दिन पहले सामान्यत या वार्षिक अनुमति श्रेणी के अंतर्गत संस्थान को जाँच अथवा निरीक्षण या आकलन के निर्णय की सूचना देगा;
- (8) आकलन के पश्चात्, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड प्रत्येक वर्ष प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आयुष केन्द्रीय परामर्श समिति द्वारा केन्द्रीय परामर्श प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से साठ दिन पहले सामान्यत या वार्षिक अनुमति श्रेणी के अंतर्गत संस्थान को जाँच अथवा निरीक्षण या आकलन के निर्णय की सूचना देगा; यदि विस्तारित अनुमति श्रेणी के अंतर्गत किसी कॉलेज को प्रत्येक वर्ष प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आयुष केन्द्रीय परामर्श समिति द्वारा केन्द्रीय परामर्श से सामान्य रूप से साठ दिन पहले कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाता है कि कॉलेज को विस्तारित अनुमति का दर्जा प्राप्त है और उसे संबंधित विनियमों के प्रावधान के अनुसार परामर्श और प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- (9) आकलन, विजिटेशन या निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान, यदि 'विस्तारित अनुमति' के साथ संस्थानों के अभिलेखों, डेटा या कार्यक्षमता में कोई कमी पाई जाती है, और इसके आधार पर, यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन और रेटिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अनुसार कोई कार्रवाई शुरू करता है, तो ऐसे संस्थानों की 'विस्तारित अनुमति' के दर्जे को वापस ले लिया जाएगा और 'वार्षिक अनुमति' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे संस्थान इन विनियमों के विनियम 52 के उप-विनियम (2) में यथा उपबंधित शर्तों को पूरा करने के बाद ही पुन विस्तारित अनुमति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
- (10) भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन और रेटिंग बोर्ड के पास किसी भी समय और पूरे वर्ष में किसी भी बिंदु पर आकलन, निरीक्षण या विजिटेशन के लिए संस्थानों का पुनः विजिटेशन करने की शक्ति होगी।
- (11) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड किसी भी कार्य दिवस पर कार्य के घंटों के दौरान शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति और शारीरिक उपस्थिति का ऑनलाइन सत्यापन कर सकता है।
- (12) ऐसे संस्थान जो छात्रों को प्रवेश नहीं देने की अनुमति का अनुरोध करते हैं या भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा लगातार पांच शैक्षणिक सत्रों के लिए प्रवेश की अनुमति से लगातार वंचित हैं, उन्हें बंद माना जाएगा। यदि ऐसा कॉलेज फिर से शुरू करना चाहता है, तो उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत नई स्थापना की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
- (13) अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत निर्दिष्ट "दोषों को सुधारने" का प्रावधान पूर्ण रूप से अनुमति पत्र प्राप्त करने की मांग करने वाले नए संस्थानों पर लागू होगा, न कि अनुमति के बाद के नवीकरण के लिए। यह प्रावधान अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत मौजूदा पूर्ण रूप से स्थापित संस्थानों पर लागू नहीं होगा चूंकि ये आवश्यक न्यूनतम मानक हैं, इसलिए मौजूदा चिकित्सा संस्थानों को दोषों को सुधारने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।
- (14) अनुमति से इनकार करने, प्रवेश क्षमता (सीटों) में कमी, या किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करने, या जुर्माना लगाने के लिए आदेश जारी करने से पहले, मौजूदा चिकित्सा संस्थानों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

अध्याय VII

पूर्ण रूप से स्थापित आयुर्वेद स्नातक संस्थानों की रेटिंग

56. पूर्ण रूप से स्थापित आयुर्वेद स्नातक संस्थानों की रेटिंग के लिए प्रक्रिया : (1) रेटिंग की प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन और रेटिंग बोर्ड या आयोग द्वारा अधिकृत किसी भी रेटिंग एजेंसी द्वारा की जाएगी।
- (2) संस्थानों के लिए रेटिंग उन मानकों के आधार पर की जाएगी जो न्यूनतम आवश्यक मानकों और संस्थान की कार्यक्षमता से अधिक हैं।
- (3) केवल 'विस्तारित अनुमति' श्रेणी के अंतर्गत संस्थान ही रेटिंग के लिए पात्र होंगे।

- (4) जिन संस्थानों को 'ए' ग्रेड प्रदान किया गया है, उन्हें 'ए' ग्रेड वर्षों के दौरान नामांकित छात्रों से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त पांच प्रतिशत विकास शुल्क एकत्र करने की पात्रता होगी।
- (5) ऐसी स्थिति में जब किसी डीम्ड विश्वविद्यालय या स्वायत्त संस्थान को ग्रेड 'ए', प्रदान किया जाता है, तो ऐसे चिकित्सा संस्थान पाठ्यचर्चा की स्वतंत्रता के लिए पात्र हैं, अर्थात्, "नाइस टू नो" श्रेणी का संशोधन।
- (6) केवल ग्रेड 'ए', ग्रेड 'बी', श्रेणीबद्ध संस्थान मौजूदा कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि लागू करने या या नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
- (7) यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 28 के खंड (एफ), उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी ग्रेड के संस्थान पर कार्रवाई की जाती है, तो ग्रेड को वापस ले लिया गया माना जाएगा, और ग्रेड की वापसी के लिए कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। यदि ऐसा संस्थान ग्रेड का उपयोग करना जारी रखता है, तो उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन किया जाएगा।
- (8) चिकित्सा संस्थानों की रेटिंग के लिए आकलन निम्नलिखित "प्रमुख क्षेत्रों" पर केंद्रित होगा, अर्थात्:
- (क) पाठ्यक्रम कार्यान्वयन और निगरानी;
 - (ख) मानव संसाधनों की गुणवत्ता वृद्धि और रखरखाव;
 - (ग) बुनियादी ढांचा और सुविधाएं;
 - (घ) अनुसंधान, नवाचार और विस्तार;
 - (ङ) स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थागत कार्यात्मक पारिस्थितिकी तंत्र, गुणवत्ता आश्वासन और आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति में गुणवत्ता वृद्धि;
 - (च) छात्र प्रोत्साहन और मार्गदर्शन;
 - (छ) संस्थागत संचालन, नेतृत्व और प्रबंधन;
 - (ज) सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम;
 - (झ) संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएं;
 - (ञ) तीन सौ साठ डिग्री प्रतिक्रिया (फिडबैक), विश्लेषण और कार्यान्वयन
- (9) संस्थान द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन डेटा और भौतिक सत्यापन या आकलन के लिए वेटेज का अनुपात क्रमशः सत्तर प्रतिशत और तीस प्रतिशत होगा।
- (10) सभी चिकित्सा संस्थान पूर्ववर्ती महीने के डेटा के लिए प्रत्येक महीने की 10 तारीख को या उससे पहले आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेटा (स्व-प्रकटीकरण) अपलोड करेंगे और इस सूचना को रेटिंग उद्देश्यों के लिए माना जाएगा। संस्थानों पर रेटिंग उद्देश्यों के लिए पुनः या विभिन्न प्रारूपों में डेटा को पुनः जमा करने का बोझ नहीं डाला जाएगा।
- (11) चिकित्सा संस्थानों को ग्रेडिंग मानदंडों और तालिका-12 में प्रदान किए गए रेटिंग ग्रेड के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

तालिका-12

क्रम संख्या	चिकित्सा संस्थानों की रेटिंग के लिए ग्रेडिंग मानदंड और ग्रेड	
(1)	(2)	(3)
1.	रेटिंग स्कोर	श्रेणीकरण
2.	75 और ऊपर	ए
3.	50 – 74	बी
4.	25 – 49	सी
5.	< 25	डी
6.	अन्य: रेटिंग के लिए योग्य नहीं	

- (12) आल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी परामर्श प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से पहले आयोग रेटिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप देगा और ग्रेड, रेटिंग स्कोर और किसी भी हाइलाइट का विवरण आयोग की वेबसाइट या आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- (13) वार्षिक रेटिंग शुल्क, जैसा कि तालिका -13 में निर्दिष्ट है, लागू करों के साथ ऑनलाइन माध्यमों (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से आयोग के खाते में भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान की गई अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।

तालिका-13

स्नातकीय आयुर्वेदिक संस्थानों की रेटिंग के लिए शुल्क

संस्थान	स्नातक प्रवेश क्षमता के अनुसार शुल्क की राशि (रुपये में)
(1)	(2)
स्नातक कॉलेज के अंतर्गत 60 की संख्या में प्रवेश हेतु	रु.2,50,000/-
स्नातक कॉलेज के अंतर्गत 100 की संख्या में प्रवेश हेतु	रु.3,00,000/-
स्नातक कॉलेज के अंतर्गत 150 की संख्या में प्रवेश हेतु	रु. 3,50,000/-
स्नातक कॉलेज के अंतर्गत 200 की संख्या में प्रवेश हेतु	रु.4,00,000/-

अध्याय VIII

नए आयुर्वेद स्नातक चिकित्सा संस्थान की स्थापना

57. नए आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के लिए सामान्य शर्त- (1) एक नए आयुर्वेद स्नातकीय चिकित्सा संस्थान की स्थापना अधिनियम की धारा 29 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जिसमें सामान्य शर्तें निम्नानुसार हैं:
- (क) योजना या आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- (ख) लागू करों के साथ आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) और प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान आयोग के खाते में किया जाएगा, जैसा कि तालिका-13 में दिया गया है।

तालिका-14

स्नातकीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए

शुल्क का विवरण

क्रम संख्या	शुल्क का प्रकार	शुल्क की राशि (रुपये लाख में)		
		प्रवेश क्षमता अनुसार	(3)	(4)
(1)	(2)	100	150	200
1.	आवेदन शुल्क	2.0	2.0	2.0
2.	प्रक्रिया शुल्क	10.0	15.0	20.0

नोट 1: लागू करों पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

नोट 2: शुल्क राशि, लागू करों के साथ, एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से आयोग के आधिकारिक बैंक खाते में भुगतान की जाएगी।

- (ग) अपूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ण आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
- (घ) अंतिम तिथि के बाद आवेदन वापस नहीं लिया जाएगा;
- (ङ) यदि अंतिम तिथि से पहले आवेदन वापस ले लिया जाता है, तो प्रोसेसिंग शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
- (च) क्षेत्रीय भाषा में किसी भी दस्तावेज को हिंदी या अंग्रेजी में उसके अनुवादित संस्करण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो।

58. **पूर्वपिक्षा :** (1) नए आयुर्वेद स्नातक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन प्रति वर्ष एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ सीटों की प्रवेश क्षमता के लिए होगा जैसा कि अनुबंध । में प्रदान किया गया है।
- (2) आयुर्वेद चिकित्सालय के लिए आवेदन, प्रस्ताव या योजना जमा करने के समय, जिसे एक संलग्न शिक्षण चिकित्सालय के रूप में प्रस्तावित किया गया है, इसने न्यूनतम चौबीस महीने की स्थापना और कार्यक्षमता पूरी कर ली होगी।
- (3) चिकित्सालय के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के नैदानिक स्थापना अधिनियम के अंतर्गत या स्थानीय प्राधिकरणों से उचित पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- (4) चिकित्सालय की कार्यक्षमता पर दो वर्षों के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाएगा, अर्थात् - :
- (क) बैंक लेनदेन, विशेष रूप से जो सलाहकारों और चिकित्सालय के अन्य कर्मचारियों के वेतन को दर्शते हैं, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में चिकित्सालय के नाम पर एक स्वतंत्र खाते में दर्शाया जाएंगे।
- (ख) चिकित्सालय की कार्य-क्षमता से संबंधित बैंक लेनदेन, जैसे औषधियों की आवधिक खरीद, चिकित्सालय उपभोग्य सामग्रियों, प्रासंगिक करों का भुगतान, चिकित्सालय की आय और इसी प्रकार के लेनदेन को जारी रखा जाएगा।
- (ग) अच्छी प्रकार से प्रलेखित (दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप से) चिकित्सालय के रिकॉर्ड और चिकित्सालय के रखरखाव का प्रमाण देने वाले दस्तावेज, साथ ही स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक स्वीकृति का नवीनीकरण।
- (घ) प्रस्तावित संबद्ध शिक्षण चिकित्सालय में कम से कम एक प्रवेश स्तर का नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स प्रमाणन होगा।
- (ङ) आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के इच्छुक सोसायटी, विश्वविद्यालय, ट्रस्ट या व्यक्ति नीचे दिए गए अनुसार चरणबद्ध तरीके से चिकित्सालय शुरू कर सकते हैं;
- (i) चिकित्सालय सामान्य स्वास्थ्य जांच (स्वास्थ्यरक्षण), आंतरिक चिकित्सा (काय-चिकित्सा), सर्जरी (शल्य तंत्र), आंखों की देखभाल (शालाक्य तंत्र-नेत्र), कान, नाक, गले और मुखरोग रोगों (शालक्य तंत्र-केनएम), प्रसूति और रुग्नी रोग (प्रसूति-रुग्नरोग), बाल रोग (कौमारभूत्य), पारंपरिक विषहरण उपचार (पंचकर्म), और विष विज्ञान (विष चिकित्सा) के लिए बाह्य रोगी विभाग सेवाओं के साथ शुरू होगा।
- (ii) अंतरंग रोगी विभाग में न्यूनतम पचास विस्तरों के साथ, चिकित्सालय को माइनर और प्रमुख (मेजर) ऑपरेशन थिएटरों से सुसज्जित किया जाएगा, जिसमें एक अनुशब्द कर्म इकाई, प्रसव) लेबर (थिएटर, एक पंचकर्म चिकित्सा इकाई, एक शालाक्य-क्रियाकलाप इकाई और एक फिजियोथेरेपी इकाई शामिल है।
- (iii) दूसरे वर्ष के दौरान, चिकित्सालय धीरे-धीरे अपनी अंतरंग रोगी विभाग क्षमता में वृद्धि करेगा ताकि आवेदन के समय, इसमें एक सौ प्रवेश के लिए एक सौ बेड, एक सौ पचास प्रवेश के लिए एक सौ पचास बेड और दो सौ प्रवेश के लिए दो सौ बेड की क्षमता हो।
- (iv) बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों में क्रमिक वृद्धि चार चरणों से अधिक नहीं होगी, जिनमें से प्रत्येक उचित दस्तावेज जैसे निर्माण, उपकरण खरीद, मानव संसाधन नियुक्तियां, वेतन और अन्य चिकित्सालय व्यय द्वारा समर्थित होगा।
- (v) आवेदन, प्रस्ताव या योजना जमा करने के समय, चिकित्सालय सभी बाह्य-रोगी विभागों, अंतःरोगी विभागों और अन्य इकाइयों के साथ पूर्ण रूप से कार्यात्मक होगा जो इन नियमों में निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूर्ण करते हैं। इसमें प्रत्येक प्रवेश क्षमता के लिए निर्दिष्ट औसत बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति होगी एक सौ प्रवेश क्षमता के लिए दो सौ रोगी, एक सौ पचास प्रवेश क्षमता के लिए तीन सौ रोगी, और दो सौ प्रवेश क्षमता के लिए चार सौ रोगी। इसके अतिरिक्त, इसमें न्यूनतम औसत विस्तर अधिभोग चालीस प्रतिशत होगा, जिसे अनुमति के दूसरे नवीनीकरण के समय तक साठ प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।
- (vi) आवेदन, प्रस्ताव या योजना के जमा करने के महीने से पहले चौबीस महीनों के लिए दो वर्ष की कार्यक्षमता का आकलन किया जाएगा। यदि आवेदन अक्टूबर 2023 में जमा किया गया है, तो 01 अक्टूबर, 2021 से 30 सितंबर, 2023 तक दो वर्ष की कार्यक्षमता की गणना की जाएगी।

- (च) इन विनियमों में संस्थागत स्थापना के पहले चरण के लिए निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक अवसंरचनात्मक मानकों को पूरा किया जाएगा।
- (छ) संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अनिवार्यता प्रमाण पत्र, जैसा कि अनुबंध III में प्रदान किया गया है, आवेदन दाखिल करने के समय प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ज) संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति, स्पष्ट रूप से शैक्षणिक वर्ष या संबद्धता के वर्षों का उल्लेख करते हुए (निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक-V के अनुसार), आवेदन जमा करने के समय प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में जहाँ विश्वविद्यालय स्वयं आवेदक है, संबद्धता की सहमति की आवश्यकता नहीं हो सकती है।
- (झ) आयुर्वेद कॉलेजों की स्थापना के लिए सहमति प्रदान करने वाले या आयुर्वेद कॉलेजों को संबद्ध की सहमति जारी करने वाले विश्वविद्यालयों को आयुर्वेद के संकाय की स्थापना और आयुर्वेद के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन करना होगा।
- (ज) एक ही ट्रस्ट या सोसाइटी या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किन्हीं दो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों के बीच की दूरी पञ्चीस किलोमीटर से कम नहीं होगी।
59. **आवेदन करने के लिए पात्रता:** इन नियमों के अंतर्गत आवेदन जमा करने की पात्रता के लिए, सोसाइटी, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय या किसी अन्य निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकरण निम्नानुसार हैं:
- (1) आवेदक के उद्देश्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धति में शिक्षा प्रदान करना शामिल होगा।
 - (2) आवेदक को या तो भूमि का स्वामी होना होगा या भूमि आवेदक निकाय के नाम पर कम से कम तीस साल के लिए पट्टे (लीज) पर होगी, और पट्टे (लीज) को इसकी समाप्ति से पहले नवीनीकृत किया जाएगा।
 - (3) भूमि के लिए लीज समझौते वाले संस्थानों के मामले में, लीज की अवधि के अंतिम पांच वर्षों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि संस्थान प्रत्येक वर्ष एक नोटरीकृत हलफनामा / शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करता है, जिसमें कहा गया है कि लीज को इसकी समाप्ति से पहले नवीनीकृत किया जाएगा, और बाद में लीज की अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकृत लीज समझौता प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (4) आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख करते हुए हलफनामा / शपथपत्र प्रस्तुत करना कि विदेशी नागरिकों एवं भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को छोड़कर, केवल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को योग्यता के आधार पर और केवल काउंसलिंग (केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जैसी भी स्थिति हो) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।
 - (5) एक हलफनामा / शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें लिखा गया है कि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के लिए नामित भूमि और भवन विशेष रूप से आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के लिए हैं, और आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों को छोड़कर कोई अन्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम संचालित नहीं किए जाएंगे।
 - (6) आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट और तालिका-14 में दिए गए प्रावधान के अनुसार या जमानत राशि जमा करनी होगी।

तालिका-15

प्रवेश क्षमता के अनुसार सुरक्षा जमा का विवरण

क्रम संख्या	प्रवेश क्षमता	जमानत राशि (रुपये में)	भुगतान का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	100	दो करोड़	एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण।
2.	150	तीन करोड़	
3.	200	चार करोड़	

- (7) कॉलेज की स्थापना के पांच वर्ष पूरे होने के बाद ही संस्थान को जमानत राशि वापस की जाएगी।

- (8) ज़मानत राशि पांच वर्ष के बाद बिना ब्याज के कॉलेज के खाते में वापस कर दी जाएगी, बशर्ते कि कॉलेज के खिलाफ कोई वित्तीय शिकायत लंबित न हो या भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या आयोग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण जुर्माना लंबित न हो।

इसके अतिरिक्त, यह नियम केंद्र या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित कॉलेजों पर लागू नहीं होगा, यदि वे अपने नियोजित बजट में नियमित रूप से निधियां आवंटित करने का वचन देते हैं, जब तक कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं कर देते।

- (9) स्नातक आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के चरण नीचे दिए गए हैं:



60. आवेदन की विधि – (1) आवेदक जो पूर्वपिक्षा और पात्रता मानदंडों को पूर्ण करते हैं, वे समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अनुसार अपना आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।
 (2) गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या वास्तविक समय सकल निपटान के माध्यम से आयोग के खाते में किया जाएगा।
 (3) आवेदन सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि इन नियमों में प्रदान किया गया है या समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
 (4) आवेदन, इन नियमों में प्रदान किए गए सभी आवश्यक अनुलग्नकों के साथ, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, या दोनों, जैसा कि समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, प्रस्तुत किया जाएगा।

- (5) आवेदक एक आधिकारिक ईमेल और संपर्क नंबर प्रदान करेगा, जिसका उपयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा सभी आधिकारिक संचार के लिए किया जाएगा। ये संपर्क विवरण तब तक वैध रहेंगे जब तक कि आवेदन, प्रस्ताव या योजना स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं हो जाती। एक बार योजना को स्वीकृति मिलने के बाद, कॉलेज को इन नियमों में प्रदान किए गए अनुसार एक आधिकारिक ई-मेल आईडी बनानी होगी और आयोग के, सभी बोर्ड अध्यक्षों और आयोग के सचिव को सूचित करना होगा, इसके साथ ही, उन्हें सभी आधिकारिक संचारों के लिए नामित एक आधिकारिक मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा।
61. **आवेदन की प्रक्रिया:** आवेदनों को संसाधित करने के चरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं। विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है, अर्थात्
- (1) सभी प्राप्त आवेदनों को एक अस्थायी पहचान दस्तावेज प्रदान की जाएगी, जैसे कि आवेदन का वर्ष जिसके बाद 'टीए' (अस्थायी और आयुर्वेद) होगा, इसके बाद उस विशेष वर्ष में प्राप्त आवेदनों की सीरियल संख्या होगी। उदाहरण के लिए, आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना के लिए 2023 में प्राप्त प्रारंभिक आवेदन को 2023TA001, बाद के आवेदन को 2023TA002, और इसके बाद के आवेदन को इसी प्रकार क्रमांकित किया जाएगा। एक ही अस्थायी पहचान दस्तावेज आवेदक द्वारा सभी आधिकारिक पत्राचार में संदर्भित किया जाएगा, और यह अस्थायी पहचान दस्तावेज अनुमति पत्र जारी होने या चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन की अस्वीकृति तक वैध होगा।
 - (2) भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की जांच करेगा।
 - (क) आवेदक पात्रता;
 - (ख) पूर्व-आवश्यकताएँ;
 - (ग) स्थापना के पहले चरण के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक;
 - (घ) आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क;
 - (ङ) सहायक दस्तावेज;
 - (च) चिकित्सालय के आंकड़े;
 - (छ) आधिकारिक बैंक खातों में लेनदेन (चिकित्सालय, कॉलेज और औषधि निर्माण इकाई के लिए एक अलग खाता, जैसा लागू हो।);
 - (ज) आयोग द्वारा या समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य खाता।
62. **आशय पत्र जारी करना:-** (1) आवेदक संस्थान जो इन नियमों में प्रदान किए गए सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों और अन्य अपेक्षित मानदंडों को पूर्ण करते हैं, उनका भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निरीक्षण या दौरा किया जाएगा।
- (2) भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड आवेदन और निरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ संस्थान द्वारा प्रस्तुत डेटा को सत्यापित करेगा। संतुष्ट होने पर, संस्थान को अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत प्रदान किए गए आशय पत्र (एलओआई-29.0) जारी किया जाएगा।
 - (3) यदि निरीक्षण या दौरे के दौरान कोई कमी देखी जाती है, तो उन्हें संस्थान को सूचित किया जाएगा, और इन विनियमों के विनियमन 60 के उप-विनियमन (8) के तहत प्रदान की गई कमियों को छोड़कर, सुधार के लिए एक अवसर दिया जाएगा।
 - (4) जिन संस्थानों को सुधार का अवसर दिया गया है, उनकी आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित अनुपालन रिपोर्ट की विनिदिष्ट कमियों की जांच की जाएगी। यदि संतोषजनक पाया जाता है, तो संस्थान को आशय पत्र (एलओआई-29.0) प्रदान किया जाएगा। यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है या यदि अनुपालन रिपोर्ट भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदन को अननुमोदित और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- (5) कमियों वाले आवेदनों को सुधार के लिए आवेदक को सूचित किया जाएगा।
- (6) निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर संस्थानों द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों के साथ अनुपालन रिपोर्ट की, भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा पुनःजांच की जाएगी। यदि संतोषजनक पाया जाता है, तो संस्थान का निरीक्षण या दौरा किया जाएगा।
- (7) भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड निरीक्षक (विज़िटर्स) द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। यदि संतोषजनक पाया जाता है, तो संस्थान को एक आशय पत्र (एलओआई-29.0) जारी किया जाएगा; हालांकि, यदि असंतोषजनक पाया जाता है, तो आवेदन को अनुमोदित और अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (8) दोषों को सुधारने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और इन विनियमों में प्रदान किए गए न्यूनतम आवश्यक मानकों में कमियों जैसी गंभीर प्रकृति की कमियों के मामले में ऐसे आवेदन अस्वीकृत माने जाएंगे, जो निम्नानुसार हैं- :
- (क) चिकित्सालय की कार्यशीलता की अवधि और कार्यक्षमता;
 - (ख) भूमि की अपर्याप्त उपलब्धता या भूमि विवाद
 - (ग) राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश से अनिवार्यता प्रमाण पत्र;
 - (घ) विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति; और
 - (ड) कॉलेज या चिकित्सालय के निर्मित क्षेत्र में कमी
- (9) छूट नीति, यदि कोई हो, मौजूदा कॉलेजों पर लागू होगी और नए आवेदनों पर लागू नहीं होगी जब तक कि अन्यथा भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो।
- (10) जारी किया गया आशय पत्र (एलओआई-29.0) केवल उस विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगा। यदि आवेदक अनुमति पत्र (एलओपी-29.1) प्राप्त करने में विफल रहता है, तो जारी किया गया एलओआई लगातार शैक्षणिक सत्रों के लिए लागू नहीं होगा, और ऐसे मामले में, आवेदक को एक नए कॉलेज की स्थापना के लिए एक नया आवेदन जमा करना होगा।
63. **अनुमति पत्र जारी करना:** (1) जिस संस्थान को आशय पत्र (एलओआई-29.0) जारी किया गया है, वह सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करेगा। इस रिपोर्ट में संस्थान की स्थापना के प्रारंभिक चरण के लिए विनिर्देशों के अनुसार नियुक्त शिक्षण स्टाफ, गैर-शिक्षण स्टाफ और चिकित्सालय के कर्मचारियों के बारे में व्यापक विवरण शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, वह भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आयोग को जमानत राशि जमा करेगा।
- (2) सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड निरीक्षण या विजिटेशन करेगा।
- (3) भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड अनुपालन रिपोर्ट और निरीक्षक (विज़िटर्स) द्वारा की गई टिप्पणियों की समीक्षा करेगा और समीक्षा के बाद, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक सभी अपेक्षित न्यूनतम मानकों को पूर्ण कर रहा है तो संस्थान को आयोग के पोर्टल के लिए संस्थागत लॉगिन क्रेडेंशियल सहित आयोग की विशिष्ट ईस्टीट्यूशन एएल पहचान दस्तावेज ('एवाईयू' के बाद 5 अंकों का सीरियल नंबर जारी करने का वर्ष) के साथ अनुमति पत्र (एलओपी-29.1) जारी किया जाएगा।
- (4) आवेदक को आवेदन, प्रस्ताव या योजना जमा करने की अंतिम जमा करने की तिथि से छह माह के भीतर उसके आवेदन, प्रस्ताव या योजना के अनुमोदन या अस्वीकृति के संबंध में भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड से अधिसूचना प्राप्त होगी।
- (5) जिस संस्थान को अनुमति पत्र (एलओपी -29.1) प्राप्त हुआ है, वह आधिकारिक मोबाइल नंबर सहित आधिकारिक ईमेल पते को दस कार्य दिवसों के भीतर, भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को ई-मेल president.marbism@ncismindia.org पर, विशिष्ट संस्थागत पहचान दस्तावेज का संदर्भ देते हुए सूचित करेगा, जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट है, इसके बाद, सभी आधिकारिक पत्राचार विशेष रूप से इन आधिकारिक मोबाइल नंबर और ईमेल पते के माध्यम से किए जाएंगे।

- (6) संस्थान द्वारा की जा रही धोखाधड़ी गतिविधियों की स्थिति में, जैसे कि धोखाधड़ी से प्रवेश, फर्जी शिक्षक नियुक्तियां, वित्तीय धोखाधड़ी, या चिकित्सालय के कर्मचारियों की कपटपूर्ण नियुक्ति, कॉलेज (संस्थान) की अनुमति रद्द कर दी जाएगी।
- (7) अनुमति वापस लेने से पहले संस्थान को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
- (8) एक बार जारी किया गया अनुमति पत्र (एलओपी) उस विशेष वर्ष के लिए वैध होगा और संस्थान की पूर्ण स्थापना तक वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाएगा और इसके बाद, संस्थान को इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार 'विस्तारित अनुमति' या 'वार्षिक अनुमति' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, और तदनुसार पालन किया जाएगा।
64. अनुमति का नवीनीकरण जारी करना - (1) जिन संस्थानों को अनुमति पत्र (एलओपी -29.1) दिया गया है, उन्हें संस्थान की स्थापना के दूसरे चरण के लिए इन नियमों में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति से संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। अनुमति पत्र (एलओपी-29.1) की समाप्ति से छह महीने पहले संस्था द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- (2) भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड निरीक्षण या विजिटेशन करेगा और निरीक्षक (विजिटर्स) द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ-साथ कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट की जांच करेगा। न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूर्ण करने पर, अनुमति का पहला नवीनीकरण (आरओपी -29.2) जारी किया जाएगा।
- (3) अनुमति के दूसरे और तीसरे नवीनीकरण (आरओपी -29.3 और आरओपी -29.4) के लिए भी इसी विधि को अपनाया जाएगा।
- (4) तीसरे नवीनीकरण के बाद के वर्षों के दौरान, संस्थान को अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत प्रदान किए गए 'पूर्ण रूप से स्थापित संस्थान' के रूप में माना जाएगा, और ऐसे संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा रेटिंग के हकदार / आधिकारी हैं।
- (5) एक स्नातक आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए चरण तालिका-16 में दिए गए हैं।

तालिका-16

स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुमति या अनुमति के नवीनीकरण का विवरण

क्रम संख्या	धारा 28 और 29	अनुमति या नवीनीकरण	श्रेणी	वैच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	29.0	आशय पत्र	विचाराधीन	-
2.	29.1	अनुमति पत्र	स्थापना के अंतर्गत संस्थान	पहला
3.	29.2	अनुमति का पहला नवीनीकरण		दूसरा
4.	29.3	अनुमति का दूसरा नवीनीकरण		तीसरा
5.	29.4	अनुमति का तीसरा नवीनीकरण		चौथा
6.	28	पूर्ण रूप से स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान		पांचवें से आगे

- (6) न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा न करने और संस्थान की स्थापना के किसी भी चरण में वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता के मामले में, भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड उस शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश के लिए अनुमति वापस ले लेगा।
65. अपील : (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा मान्यता से इनकार, छात्र प्रवेश की अनुमति, या प्रवेश क्षमता में कमी के मामले में, असंतुष्ट आवेदक अपील कर सकते हैं। असंतुष्ट आवेदक सूचना प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर आयोग के साथ पहली अपील दायर कर सकता है।

- (2) भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा कोई आदेश जारी किए बिना छह महीने व्यतीत हो जाने के प्रकरण में, असंतुष्ट आवेदक पंद्रह दिनों के भीतर आयोग के साथ पहली अपील दायर कर सकता है।
- (3) आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अनुसार प्रथम अपील ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रस्तुत की जा सकती है।
- (4) आयोग अपील की जांच करेगा, और असंतुष्ट आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
- (5) इस प्रकरण में, यदि आयोग ने पाया कि आवेदक सभी न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, तो आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को आवेदन पर पुनः विचार करने का निर्देश दे सकता है।
- (6) यदि आवेदक न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, तो आयोग अपील को अस्वीकृत और अस्वीकार कर देगा।
- (7) आयोग अपील प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक को निर्णय की सूचना देगा।
- (8) आयोग द्वारा अस्वीकृति के मामले में या अपील दायर करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर आयोग द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किये जाने की स्थिति में, असंतुष्ट आवेदक सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार को दूसरी अपील कर सकता है।
66. संस्थान के लिए अवसंरचनात्मक मानकों और मानव संसाधन की चरणवार स्थापना: - (1) चरण -I के लिए अवसंरचनात्मक मानक और मानव संसाधन जो पहले व्यावसायिक बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कार्यक्रम के लिए छात्रों को प्रवेश देने से पहले उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (2) इन नियमों में उल्लिखित पूर्ण रूप से स्थापित नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स मान्यता प्राप्त (कम से कम प्रवेश स्तर) चिकित्सालय, अवसंरचनात्मक मानकों, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के साथ निम्नानुसार होगा।
- (3) आयुर्वेदिक चिकित्सा के पहले व्यवसायिक स्नातक के लिए निम्नलिखित विभाग होंगे, अर्थात्:
- (क) संहिता, सिद्धांत और संस्कृत विभाग
 - (ख) रचना शारीर;
 - (ग) क्रिया शारीर
 - (घ) अन्य इकाइयाँ जैसे केंद्रीय पुस्तकालय; डिजिटल लाइब्रेरी; मानव संसाधन विकास सेल;
- (4) संस्थान के पास निम्नलिखित अनिवार्य क्षेत्रों के साथ एक पूर्ण रूप से विकसित गतिशील संस्थागत वेबसाइट होगी, अर्थात्:
- (क) उपस्थिति प्रणाली, जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट है।
 - (ख) पहले व्यावसायिक बीएमएस के शिक्षण स्टाफ; जैसा कि इन नियमों में निर्दिष्ट है।
 - (ग) दूसरे और तीसरे व्यावसायिक विभागों को छोड़कर प्रशासनिक, गैर-शिक्षण कर्मचारी;
 - (घ) चिकित्सालय के कर्मचारी; और
 - (ङ) अन्य अनुभाग या इकाइयाँ या कक्ष या सुविधाएँ।
- (5) द्वितीय चरण के अवसंरचनात्मक मानकों और मानव संसाधन जो आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी के दूसरे व्यावसायिक बैचलर के आरंभ होने से पहले उपलब्ध कराए जाएंगे, निम्नानुसार होंगे:
- (क) दूसरे व्यावसायिक विभागों के लिए अवसंरचनात्मक मानकों की स्थापना इस प्रकार है:
 - (i) जड़ी-बूटी उद्यान सहित द्रव्यगुण विज्ञान;
 - (ii) रसशास्त्र और भैषज्यकल्पना;
 - (iii) रोग निदान और विकृतिविज्ञान;
 - (iv) अगदतंत्र;

- (v) स्वस्थवृत्त और योग;
- (ख) व्याख्यान कक्ष (मौजूदा दो में न्यूनतम एक व्याख्यान कक्ष जोड़ना);
- (ग) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी;
- (घ) योग्या-नैदानिक कौशल प्रयोगशाला में दूसरे व्यावसायिक विषयों के लिए निर्दिष्ट सुविधाओं का विस्तार।
- (ङ) पुस्तकालय पुस्तकों में वृद्धि क्रमशः 100, 150 और 200 की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम 7500, 9000 और 11250 पुस्तकों तक होगी।
- (6) तीसरे व्यावसायिक बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के आरंभ होने से पहले उपलब्ध कराए जाने वाले चरण III में अवसंरचनात्मक मानक और मानव संसाधन निम्नानुसार होंगे:
- (क) तीसरे व्यावसायिक विभागों के लिए ढांचागत मानकों की स्थापना इस प्रकार है:
- (i) काय-चिकित्सा;
- (ii) पंचकर्म;
- (iii) शल्य तंत्र;
- (iv) शालाक्य तंत्र;
- (v) प्रसूति-स्त्री रोग;
- (vi) कौमारभृत्य;
- (ख) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी;
- (ग) मौजूदा तीन व्याख्यान कक्षों में चौथे व्याख्यान कक्ष को जोड़ना।
- (घ) योग्या-नैदानिक कौशल प्रयोगशाला में तीसरे व्यावसायिक विषयों के लिए निर्दिष्ट सुविधाओं का विस्तार।
- (ङ) पुस्तकालय पुस्तकों की संख्या में क्रमशः 100, 150 और 200 की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम 10000, 12000 और 15000 पुस्तकों की संख्या तक की वृद्धि।
67. **शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति:** (1) नए कॉलेजों की स्थापना के मामले में, पात्र शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से नियुक्त किया जाएगा।
- (2) पहले व्यावसायिक विभागों के शिक्षण स्टाफ को अनुमति पत्र (एलओपी-29.1) जारी करने से पहले नियुक्त किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड पहले व्यावसायिक बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए पात्र शिक्षकों की उपलब्धता की पुष्टि करने के बाद ही अनुमति पत्र (एलओपी -29.1) जारी करेगा।
- (3) दूसरे व्यावसायिक विभागों के शिक्षण स्टाफ को दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम के आरंभ होने से कम से कम छह माह पहले उपलब्ध कराया जाएगा।
- (4) तीसरे व्यावसायिक विभागों के लिए शिक्षण स्टाफ को तीसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम के आरंभ होने से कम से कम छह माह पहले उपलब्ध कराया जाएगा।
68. **कंसल्टेंट्स और टीचिंग स्टाफ का अनुभव :** अनुमति पत्र जारी करने से पहले की अवधि के लिए सलाहकारों और शिक्षण कर्मचारियों का अनुभव इस प्रकार है:
- (1) (क) यदि कोई आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) प्राप्त करने के बाद नियुक्त होता है, तो शिक्षण अनुभव को नियुक्त होने की तिथि से गिना जाएगा; तथा
- (ख) यदि कोई आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) प्राप्त करने से पहले नियुक्त होता है, तो शिक्षण अनुभव को आशय पत्र जारी करने की तिथि से गिना जाएगा।
- बशर्ते कि कॉलेज ने अनुमति पत्र प्राप्त कर लिया हो।

- (2) (क) आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) प्राप्त करने से पहले की अवधि के लिए, सलाहकार के शिक्षण अनुभव को वास्तविक कार्य की अवधि से अधिकतम दो वर्ष तक गिना जाएगा।
- (ख) आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) प्राप्त करने के बाद नियुक्त होने की स्थिति में नियुक्ति की तिथि से।
69. संस्थान द्वारा अनुमति पत्र (एलओपी-29.1) प्राप्त होने के बाद की शर्तें: यदि कॉलेज की स्थापना करने वाली मूल संस्था, न्यास या निकाय कॉलेज को किसी अन्य संस्था, न्यास या निकाय में हस्तांतरित करने की अभिलाषा रखती है, तो ऐसे प्रकरणों में आयोग से पहले निर्धारित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
- (2) यदि कॉलेज अपने संबद्ध विश्वविद्यालय को बदलना चाहता है या मानित (डीम्ड) विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह निर्धारित प्रपत्र में ऐसा आवेदन करने से पहले आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
- (3) मौजूदा विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त होने की स्थिति में, मौजूदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों के मौजूदा बैच डिग्री प्रदान किए जाने तक उसी विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध रहेंगे।
- (4) संबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष संबद्ध कॉलेजों (विस्तारित अनुमति और वार्षिक अनुमति श्रेणियों) को संबद्धता की सहमति जारी करेंगे। भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड संबद्धता की सहमति प्राप्त करने के बाद ही आयुर्वेद कॉलेजों की अनुमति का नवीनीकरण करेगा। संबद्धता विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति के अभाव में, भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड प्रवेश के लिए अनुमति जारी नहीं करेगा।

अध्याय- IX

मौजूदा स्नातकीय कार्यक्रम के लिए प्रवेश क्षमता में वृद्धि।

70. प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए शर्तें : (1) अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत स्थापित पूर्ण रूप से स्थापित संस्थान जो 60, 100 और 150 की प्रवेश क्षमता के साथ स्नातकीय कार्यक्रम (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) प्रदान या आयोजित करते हैं, वे मौजूदा स्नातकीय कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- (क) साठ, एक सौ और एक सौ पचास की प्रवेश क्षमता वाला कॉलेज।
- (ख) वह कॉलेज जो आवेदन के वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के प्रावधानों के अधीन नहीं है।
- (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन के वर्ष के दौरान सम्मानित "ए" या "बी" ग्रेड आकलन (रेट) किया गया।
- (घ) संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवेश क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र (संलग्नक IV);
- (ङ) विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति (अनुलग्नक V) (डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए लागू नहीं)।
- (च) प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति (पूर्ति चरणों में हो सकती है)।
- (छ) निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक II) में आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है, जैसा कि समय-समय पर आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है।
- (ज) आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) और प्रोसेसिंग शुल्क, जैसा कि नीचे तालिका-17 में दिया गया है, लागू करें के साथ आयोग के खाते में एनर्इएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा;

तालिका-17

प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क

क्रम संख्या	मौजूदा प्रवेश क्षमता	प्रोसेसिंग शुल्क (रूपये लाखों में)		
		प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के लिए		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		100	150	200

1.	60	10	15	20
2.	100	-	10	15
3.	150	-	-	10

आवेदन शुल्क (रुपये दो लाख) लागू कर अतिरिक्त होंगे।

- (झ) अंतिम तिथि के बाद जमा किए गए अपूर्ण आवेदनों और आवेदनों पर विचार न करना।
- (ज) अंतिम तिथि के बाद आवेदन वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (ट) अंतिम तिथि से पहले आवेदन वापस लेने की स्थिति में प्रोसेसिंग फीस वापस कर दी जाएगी;
- (१) तालिका-17 में दिए गए अनुसार लागू जमानत राशि।

तालिका-18

प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए जमानत राशि

क्रम संख्या		प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के लिए जमानत राशि (रुपये में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		100	150	200
1.	60	एक करोड़	दो करोड़	तीन करोड़
2.	100	-	एक करोड़	दो करोड़
3.	150	-	-	एक करोड़

- (२) आवेदन शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और जमानत राशि का भुगतान इनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से आयोग के खाते में किया जाएगा।
- (३) जमानत राशि पांच वर्ष बाद बिना व्याज के कॉलेज के खाते में वापस कर दी जाएगी। वशर्ते कि कॉलेज के खिलाफ कोई वित्तीय शिकायत लंबित नहीं होगी, और न ही भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या आयोग द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण कोई लंबित दंड राशि होगी।
- (४) एक बार आशय पत्र जारी हो जाने के बाद, संस्थान को अनुमति के तीसरे नवीनीकरण तक अधिनियम की धारा 28 और 29 के तहत विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय X

दंड और अनुशासनात्मक कार्रवाई

71. (१) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा जारी नियमों, दिशा-निर्देशों, निर्देशों का अनुपालन और समय-सीमा का पालन संस्थानों की जिम्मेदारी होगी।
- (२) गैर-अनुपालन कार्रवाइयों में निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात्:

 - (क) नियमों का अनुपालन न करना;
 - (ख) संस्थानों की ऐसी कोई भी गतिविधि जो स्नातकीय आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा और पद्धतियों के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है, जिनमें फीस के संबंध में छात्रों का शोषण, उपस्थिति के संबंध में अनाचार आदि शामिल हैं।
 - (ग) इन विनियमों के अनुसार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, नैदानिक सामग्री, व्यावहारिक सामग्री, अनुसंधान सुविधाओं और अन्य संस्थागत कार्यक्षमता आदि के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफलता;
 - (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या किसी अन्य गतिविधियों के लिए निरीक्षण या दौरे (विजिटेशन) की प्रक्रिया में सहयोग न करना या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करना;

- (ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या स्वायत्त बोर्डों को झूठी जानकारी या मनगढ़त डेटा या गलत जानकारी या साक्ष्य प्रदान करना: तथा
- (च) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के मूल्यांकनकर्ताओं या अधिकारियों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित अधिकारियों को प्रभावित करने, दबाव डालने, रिश्वत देने या धमकी देने का कोई भी प्रयास;
- (3) उप-विनियमन (2) में उल्लिखित किसी भी गैर-अनुपालन या चिकित्सा संस्थान द्वारा गैर-अनुपालन कृत्यों या चूक के जानबूझकर प्रयासों के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या तो चिकित्सा संस्थान को दंडित करेगा या अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) में उल्लिखित उपाय करेगा और/या ऐसी घटनाओं की आगे जांच करेगा, अर्थात्:
- (क) आर्थिक जुर्माना जो एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं हों;
- (ख) चेतावनी जारी करना;
- (ग) उस शैक्षणिक वर्ष या कुछ वर्षों के लिए किसी नए प्रस्ताव के लिए आवेदन की प्रक्रिया को रोकना;
- (घ) अगले शैक्षणिक वर्ष में चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश दी जाने वाली सीटों की संख्या में कमी करना;
- (ङ) अगले या बाद के शैक्षणिक वर्ष में एक या अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश रोकना;
- (च) मान्यता वापस लेने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को सिफारिश करना;
- (छ) पांच शैक्षणिक वर्षों तक की अवधि के लिए चिकित्सा संस्थानों की रेटिंग रोकना या वापस लेना;
- (ज) यदि संस्थान की ओर से किसी व्यक्ति या एजेंसी के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग पर दबाव डालने का कोई प्रयास किया जाता है तो चिकित्सा संस्थान द्वारा किए गए आवेदन या अनुरोध पर प्रक्रिया तत्काल रोक दी जाएगी, या प्रदान की गई अनुमति वापस ले ली जाएगी, विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता में कमी कर दी जाएगी या आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
- (4) इंटर्न और आयुर्वेद डिग्री धारकों के लिए जुर्माना भारतीय चिकित्सा पद्धति (आचार एवं पंजीयन) विनियम, 2023 के राष्ट्रीय आयोग के विनियमन 27 के उप-विनियमन में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) आयुर्वेद स्नातकों को संबंधित संस्थान में भौतिक उपस्थिति के साथ साढ़े चार साल का अध्ययन और एक साल का अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप करना आवश्यक है। यदि कोई छात्र अपेक्षित उपस्थिति को पूरा किए बिना, या तो संबंधित संस्थान के साथ मिलीभगत से झूठी जानकारी प्रदान करके या अन्यथा, या 'भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आयुर्वेद स्नातकीय शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम-2022' के अंतर्गत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किए बिना भौतिक उपस्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या ऐसे दिशानिर्देश जो आयोग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में अधिसूचित किए गए हैं, तो ऐसे छात्र को कम से कम एक वर्ष के लिए अध्ययन के अस्थायी निलंबन के साथ दंडित किया जाएगा और पहली बार दोषी पाए जाने पर न्यूनतम पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा; दूसरी बार दोषी पाए जाने की स्थिति में, कम से कम दो वर्ष की पढ़ाई को दस लाख रुपए के न्यूनतम जुर्माने के साथ अस्थायी रूप से निलंबित किया जाएगा; और तीसरे और बाद के दोषसिद्धि की स्थिति में, स्नातक कार्यक्रम से उसके प्रवेश को स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

अनुसूची ।
न्यूनतम आवश्यक भूमि (प्रवेश क्षमता अनुसार)
(नियम 4 देखें)

क्रम संख्या	क्षेत्र श्रेणी	न्यूनतम आवश्यक भूमि (एकड़ में)			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200
1.	टियर I या मेगा और मेट्रो *	\$	\$	\$	\$
2.	टियर II शहर, उत्तर-पूर्वी राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र	2.5	3.5	5.0	6.0

3.	सीरियल नंबर 1 और 2 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर कोई अन्य क्षेत्र	3.0	5.0	7.0	9.0
*मेगा और मेट्रो: ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत भारत में प्रचलित जनगणना के अनुरूप।					
\$	भूमि की आवश्यकताओं के लिए, निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है:				
(क)	मेगा और मेट्रो शहरों में आवश्यक भूमि की गणना इन विनियमों और नगर निगम उपनियमों में निर्दिष्ट आवश्यक निर्मित क्षेत्र के आधार पर की जाएगी।				
(ख)	निर्मित क्षेत्र को उन शहरों में नवीनतम भवन उपनियमों (विकास नियंत्रण) के अनुसार संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है।				
(ग)	आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित भवन उपनियमों की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।				
(घ)	स्थानीय सांविधिक निकाय से अनुमोदित योजना की प्रति और पूर्णता योजना के साथ-साथ उसी निकाय से पूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।				
(ड)	अनंतिम अधिभोग प्रमाणपत्र पर केवल तीन लगातार शैक्षणिक वर्षों के लिए विचार किया जाएगा;				
(च)	इसके बाद अनुमोदन की निरंतरता जारी रखने के लिए केवल पूर्णता प्रमाण पत्र और पूर्णता योजना पर विचार किया जाएगा।				

अनुसूची II

प्रशासनिक अनुभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र

(नियम 5,14,24 देखें)

क्रम संख्या	इकाई	न्यूनतम आवश्यक निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) प्रवेश क्षमता अनुसार			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
1.	संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) कार्यालय जिसमें गलियारा (एंटररूम) और अटैच्ड शौचालय शामिल हैं।	50	50	50	50
2.	संस्थान प्रमुख के निजी सहायक का कक्ष	10	10	10	10
3.	संस्थान प्रमुख के आगंतुकों के लिए आगंतुक कक्ष	20	20	20	20
4.	कार्यालय अधीक्षक	10	10	10	10
5.	स्थापना और लेखा अनुभाग जिसमें कैश काउंटर शामिल है।	40	60	80	80
6.	कार्यालय आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय या लाउंज	20	20	20	20
7.	रिकॉर्ड रूम	20	40	40	40
8.	सेंट्रल स्टोर	30	50	50	50
9.	भंडार घर (पैट्री)	05	05	05	05
10.	कार्यालय कर्मचारियों के लिए शौचालय	20	20	20	20
11.	कॉलेज परिषद बैठक कक्ष	75	100	125	150
12.	उप निदेशक या डिप्टी डीन या उप-प्राचार्य (सौ से अधिक प्रवेश क्षमता के मामले में दो पद)	20	20	40	40
13.	केंद्रीय कार्यशाला और रखरखाव सेल	50	50	50	50

अनुसूची-III

शिक्षण विभागों और उनकी इकाइयों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र
(नियम 8,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 और 31 देखें)

क्रम संख्या	विभाग या इकाई	क्षमता के अनुसार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता (वर्ग मीटर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
शिक्षण विभाग और उनकी इकाइयां					
1.	संहिता सिद्धान्त और संस्कृत	50	100	125	150
	भाषा-प्रयोगशाला	25	30	35	40
2.	रचना शारीर	130	250	350	450
3.	क्रिया शारीर	75	150	200	250
4.	द्रव्यगुण	125	250	350	450
5.	हर्ब गार्डन	2500	4000	4000	4000
6.	रसशास्त्र और भैषज्यकल्पना और शिक्षण फार्मेसी	175	250	300	350
7.	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला	100	200	250	300
8.	रोगनिदान और विकृतिविज्ञान	75	150	200	250
9.	अगदतंत्र	50	100	150	200
10.	स्वस्थवृत्त और योग	75	150	200	250
11.	काय-चिकित्सा	75	150	200	250
12.	पंचकर्म	50	100	125	150
13.	शल्य तंत्र	75	150	200	250
14.	शालाक्यतंत्र	75	150	200	250
15.	प्रसूति – रुग्णी रोग	50	100	150	200
16.	कौमारभृत्य	50	100	125	150
कॉलेज की अन्य इकाइयाँ					
17.	मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ				
	कार्यशाला	75	75	150 (75x2)	150 (75x2)
	कार्यालय, भंडारण, परिसंचरण क्षेत्र, शौचालय	50	50	50	50
18.	सूचना प्रौद्योगिकी सेल	50	50	50	50
19.	व्याख्यान कक्ष	100x4	150x4	220x4	300x4
20.	संगोष्ठी या सम्मेलन या परीक्षा या योग और इसी प्रकार की गतिविधियों के लिए बहुउद्देश्यीय हॉल	200	300	400	500

21.	केंद्रीय लाइब्रेरी	150	250	350	450
22.	डिजिटल लाइब्रेरी				
	वाई-फाई परिसर	20	30	40	60
	गैर वाई-फाई परिसर	40	50	60	80
23.	भाषा-प्रयोगशाला	25	30	35	40
24.	अनुसंधान और नवाचार सेल	30	30	30	30
25.	सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ	100	100	150	150
26.	छात्रों के लिए कॉमन रूम	50	50	50	50
27.	छात्राओं के लिए कॉमन रूम	50	50	50	50
28.	गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए कॉमन रूम	40	40	40	40
29.	विद्यार्थी परिषद कक्ष	30	30	30	30
30.	छात्र सहायता, कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल शिकायत निवारण सेल और यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति	20	20	20	20
31.	योग्या-नैदानिक कौशल प्रयोगशाला	125	200	275	350
32.	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	40	40	40	40

अनुसूची IV

न्यूनतम आवश्यक शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता (अंतर्ग्रहण क्षमता के अनुसार)

(नियम 34 देखें)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		60	100	150	200							
क्रम संख्या	शिक्षण विभाग	प्रोफेसर एम्प्रेस्ट प्रोफेसर	असिस्टेंट प्रोफेसर	प्रोफेसर	प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर	प्रोफेसर	प्रोफेसर एम्प्रेस्ट प्रोफेसर	प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर	प्रोफेसर	प्रोफेसर एम्प्रेस्ट प्रोफेसर	प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर	
1.	संहिता, सिद्धांत और संस्कृत	1 or 1	3	1	1	3	1	2	3	2	2	3
2.	रचना शारीर	1 or 1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
3.	क्रिया शारीर	1 or 1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
4.	द्रव्यगुण विज्ञान	1 or 1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
5.	रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना	1 or 1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
6.	रोगनिदान एवं विकृतिविज्ञान	1 or 1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2

7.	अगदतंत्र एवं विधि वैद्यक	1 or 1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
8.	स्वस्थवृत्त एवं योग	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
9.	काय-चिकित्सा	1 1	1	1	2	2	1	2	3	2	2	3
10.	पंचकर्म	1 or 1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	3
11.	शल्य तंत्र	1 or 1	2	1	1	2	1	2	3	2	2	3
12.	शालाक्य तंत्र	1 or 1	2	1	1	2	1	2	3	2	2	3
13.	प्रसूति-स्त्री रोग	1 or 1	2	1	1	2	1	2	3	2	2	3
14.	कौमारभूत्य	1 or 1	2	1	1	2	1	2	3	2	2	2
उप-योग		15	21	14	15	22	14	22	34	28	28	34
कुल योग		36		51			70			90		

नोट : 1 संहिता और सिद्धांत विभाग में, एक शिक्षक को संस्कृत शिक्षक के रूप में नामित किया जाएगा। संस्कृत शिक्षक किसी भी संवर्ग से संबंधित हो सकता है और जरूरी नहीं कि वह विभागाध्यक्ष हो।

नोट : 2 इन विनियमों की अधिसूचना के बाद, शालाक्य विभाग के शिक्षण कर्मचारी या तो शालाक्य नेत्र या शालाक्य कर्ण मुख का चयन करेंगे और तदनुसार शिक्षक संहिता भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। यह अनिवार्य होगा कि शालाक्य विभाग का शिक्षण स्टाफ नेत्र और शलाक्य कर्ण नासा मुख (लगभग पचास प्रतिशत प्रत्येक विशेषज्ञता) का संयोजन होगा। इसी प्रकार, नव नियुक्त शिक्षकों को भी विशेष रूप से शालाक्य नेत्र और शालाक्य कर्ण मुख के लिए लागू शिक्षक कोड जारी किया जाएगा। एक बार शिक्षक कोड आवंटित होने के बाद, विशेषता में परिवर्तन नहीं होगा।

अनुसूची V

कॉलेज में न्यूनतम गैर-शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता।

(विनियमन 5,8,17,18,20,21,23,28 और 34 देखें)

क्रम संख्या	कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम स्टाफ आवश्यकता (प्रवेश क्षमता अनुसार)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200

डिजिटल पुस्तकालय सहित सूचना प्रौद्योगिकी सेल

1.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी (प्रौद्योगिकी स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन)	1	1	1	1
2.	सूचना प्रौद्योगिकी सहायक (कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर ऑफ साइंस या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा)	1	2	2	2
	वाई-फाई परिसर	1	2	3	3
	गैर-वाई-फाई परिसर	1	1	2	2

प्रशासनिक अनुभाग

3.	निजी सहायक या प्रिंसिपल के निजी सचिव (सचिवीय प्रशिक्षण के साथ स्नातक)	1	1	1	1
----	---	---	---	---	---

4.	कार्यालय अधीक्षक (पांच साल के प्रशासनिक अनुभव के साथ स्नातक)	1	1	1	1
5.	लिपिक कर्मचारी (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	2	3	4	5
6.	एकाउंटेंट (बैचलर कॉमर्स या कंप्यूटर ज्ञान के साथ मास्टर ऑफ कॉमर्स)	1	1	2	2
7.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	2	2	3	3

केंद्रीय पुस्तकालय

8.	लाइब्रेरियन (मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस के साथ पांच वर्ष का अनुभव)	1	1	1	1
9.	सहायक लाइब्रेरियन (बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस)	1	2	3	4
10.	लाइब्रेरी अटेंडेंट (न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास)	1	1	2	2
11.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2

योग्या नैदानिक - कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला

12.	प्रभारी - मैनेंजिंग और सिमुलेटर के संचालन में प्रशिक्षण या अभिविन्यास के साथ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी स्नातक।	1	1	1	1
13.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	1	1
14.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2

मानव संसाधन विकास सेल

15.	प्रभारी (मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी।)	1	1	1	1
16.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	1	1
17.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2

आयुर्वेद संहिता सिद्धान्त

18.	क्लर्क (स्नातक कंप्यूटर ज्ञान के साथ)	1	1	1	1
19.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2

रचना शारीर

20.	क्लर्क (स्नातक कंप्यूटर ज्ञान के साथ)	1	1	2	2
21.	बॉडी लिफ्टर	1	1	1	1
22.	परिचर (अटेंडेंट) सह संग्रहालय रक्षक	1	1	2	3
23.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2

क्रिया शारीर

24.	प्रयोगशाला तकनीशियन (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा)	1	1	2	2
25.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	2	2
26.	लैब अटेंडेंट (न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास)	1	1	2	3
27.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2

हर्बल गार्डन सहित द्रव्यगुण					
28.	प्रयोगशाला तकनीशियन (जीव विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा पास)	1	1	1	2
29.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	2	2
30.	लैब अटेंडेंट (न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास)	1	1	2	3
31.	म्यूजियम और हर्बेरियम कीपर	1	1	1	1
32.	माली	1	1	2	2
33.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2
शिक्षण फार्मेसी सहित रसशास्त्र और भैषजकल्पना					
34.	प्रशिक्षक (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी)	1	1	2	2
35.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	2	2
36.	लैब अटेंडेंट सह म्यूजियम कीपर (न्यूनतम 10 वीं पास)	1	1	2	2
37.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2
गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला					
38.	विश्लेषणात्मक रसायनज्ञ (बैचलर ऑफ फार्मेसी या आयुर्वेद में बैचलर ऑफ फार्मेसी)	1	1	1	2
39.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	2	2
40.	फार्माकोग्नोसिस्टस	1	1	1	2
41.	लैब अटेंडेंट (न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास)	1	1	2	2
42.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2
रोगनिदान और विकृति विज्ञान					
43.	मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा (डीएमएलटी)	1	1	1	2
44.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	2	2
45.	लैब अटेंडेंट सह म्यूजियम कीपर (न्यूनतम 10 वीं पास)	1	1	2	2
46.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2
अगद तंत्र					
47.	लैब तकनीशियन (रसायन विज्ञान के साथ 12 वीं कक्षा पास)	1	1	1	2
48.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	1	1
49.	लैब अटेंडेंट सह संग्रहालय कीपर	1	1	2	2
50.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2
स्वस्थवृत्त और योग-					
51.	लैब तकनीशियन (विज्ञान के साथ 12 वीं कक्षा पास)	1	1	1	2
52.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	2	2
53.	लैब अटेंडेंट सह संग्रहालय कीपर (न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास)	1	1	2	2

54.	योग प्रशिक्षक योग में मास्टर ऑफ साइंस के साथ या बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के साथ योग में डिप्लोमा या बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज। (दो प्रशिक्षकों के मामले में, एक पुरुष और एक महिला नियुक्त की जाएगी)	1	1	1	2
55.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2
कायचिकित्सा-					
56.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	1	1
57.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	1	1
पंचकर्म					
58.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	1	1
59.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	1	1
शल्य तंत्र					
60.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	1	1
61.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	1	1
शालाक्य तंत्र					
62.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	1	1
63.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	1	1
प्रसूति और स्त्री रोग					
64.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	1	1
65.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	1	1
कौमारभृत्य					
66.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	1	1
67.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	1	1
आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल					
68.	समन्वयक: गुणवत्ता प्रबंधन में एमबीए के साथ स्नातक या गुणवत्ता प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित	1	1	1	1
69.	क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	1	1
70.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	1	1
सह और पाठ्येतर गतिविधियाँ					
71.	शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक (शारीरिक शिक्षा में न्यूनतम स्नातक)	1	1	2	2
72.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2
छात्र सहायता कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल					
73.	काउंसलिंग के लिए काउंसिलर (अंशकालिक)	1	1	1	1
केंद्रीय कार्यशाला या रखरखाव सेल					

74.	साइट इंजीनियर (बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अधिमानतः सिविल में)	1	1	1	1
75.	इलेक्ट्रीशियन	1	1	1	1
76.	प्लंबर	1	1	1	1
77.	कारपेटर	1	1	1	1
78.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2
स्टोर (कॉलेज)					
79.	ब्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	1	2	2
80.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1	2	2
नोट : इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, माली, परिचर या चपरासी, रखरखाव कर्मचारी, मल्टी-टास्किंग स्टाफ और इसी प्रकार की भूमिकाओं की सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।					

अनुसूची-VI**शिक्षण विभागों के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं**

(नियम 19 देखें)

क्रम संख्या	मानक	प्रवेश क्षमता के अनुसार आवश्यकता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200

संहिता सिद्धांत और संस्कृत

1.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
2.	प्रिंटर	1	1	1	1
3.	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	1	1

भाषा प्रयोगशाला

4.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
5.	प्रिंटर	1	1	1	1
6.	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	1	1

काय-चिकित्सा

7.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
8.	प्रिंटर	1	1	1	1
9.	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	1	1

पंचकर्म

10.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
11.	प्रिंटर	1	1	1	1
12.	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	1	1

शल्य तंत्र					
13.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
14.	प्रिंटर	1	1	1	1
15.	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	1	1
16.	स्यूजियम	आवश्यकता के अनुसार			
शालाक्य तंत्र					
17.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
18.	प्रिंटर	1	1	1	1
19.	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	1	1
प्रसूति और स्त्रीरोग					
20.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
21.	प्रिंटर	1	1	1	1
22.	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	1	1
कौमारभृत्य					
23.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
24.	प्रिंटर	1	1	1	1
25.	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	1	1

अनुसूची VII

रचना शारीर विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

(नियम 19 (4) देखें)

क्रम संख्या	मानक	प्रवेश क्षमता के अनुसार आवश्यकता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
1	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
2	प्रिंटर	1	1	1	1
3	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	2	2

डिसेक्शन हॉल

4	स्मार्ट बोर्ड या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर ई- डिसेक्शन सॉफ्टवेयर के साथ अटैच्ड	1	1	1	1
5	डिसेक्शन डेमो स्टेशन (छाया रहित केंद्रित प्रकाश व्यवस्था, उच्च-रिज़ॉल्यूशन क्लोज-सर्किट कैमरा जो एक बड़ी डिसेक्शन टेबल पर सुसज्जित हो)	1	1	1	1
6	डिसेक्शन अभ्यास स्टेशन (स्मार्ट टेलीविजन से लैस या डेमो स्टेशन के क्लोज सर्किट कैमरे से जुड़े स्मार्ट बोर्ड, डिसेक्शन टेबल (बड़ा) और छाया रहित फोकस प्रकाश सुविधा)	3	5	8	10
7	डिसेक्शन टेबल (छोटा)	4	6	8	10
8	आर्टिक्युलेटेड बोन सेट (पचास छात्रों के लिए एक-एक सेट)	2	2	3	4
9	डिस-आर्टिक्युलेटेड बोन सेट (प्रत्येक बीस छात्रों के लिए एक सेट)	3	5	8	10

10	प्रो-डिस्केटेड भाग (ऊपरी अंग या निचले अंग का वक्ष या पेट या सिर या गर्दन)	6	9	12	15
11	शब (बीस छात्रों के लिए एक-एक शरीर)	3	5	8	10
12	ममीकृत शरीर (सतह शारीर रचना विज्ञान के प्रदर्शन के लिए।)	1	1	2	2
13	शर्वों को रखने के लिए भंडारण टैंक, स्थिर या गतिशील, ढक्कन या कोल्ड स्टोरेज यूनिट के साथ इनपुट और आउटपुट सुविधाएं शामिल हो।	1	1	1	1
14	स्पेसिमेन (वेट स्पेसिमेन)	100	150	200	250
15	प्लास्टिनेटिड नमूने (स्पेसिमेन)	10	15	20	25
16	मस्तिष्क अनुभाग स्लाइस (शीट प्लास्टिनेशन)	10	10	20	20
17	एक्स-रे व्यू बॉक्स (पोर्टेबल)	5	10	10	10
18	माइक्रोस्कोप (डिजिटल कैमरे के साथ ट्रिनोकुलर, जिसमें लिंग्किड क्रिस्टल डिस्प्ले, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टेलीविजन, या इसी प्रकार के उपकरणों के माध्यम से छायाचित्रण के लिए सॉफ्टवेयर शामिल है, हिस्टोलोजी और अन्य उद्देश्यों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक है।)	1	1	2	2
19	प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड से जुड़े ई-डिसेक्शन कार्यक्रम के साथ स्थापित कंप्यूटर सिस्टम।	1	1	2	2
20	एम्बालिंग साधन	1	1	1	1
21	3 डी वर्चुअल डिसेक्शन टेबल	वैकल्पिक			
22	ई-डिसेक्शन (मानव शरीर रचना विज्ञान या किसी अन्य के एटलस की सदस्यता; डिसेक्शन वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क।)	सदस्यता या उपलब्ध कॉम्पैक्ट डिस्क			

अन्य आवश्यकताएं और उपभोग्य सामग्रियां:

1.	बोन सेक्शन मशीन, बोन कटर, मार्बल कटर (बॉडी और स्कल कटर), छेनी, बोन सॉ	आवश्यकता के अनुसार
2.	परिरक्षक रसायन एवं अन्य उपभोग्य सामग्रियां	आवश्यकता के अनुसार
3.	डिसेक्शन उपकरण किट (सर्जिकल ब्लेड, प्लेन फोरसेप्स, टूथ फोर्सेप्स, प्रोब, मैग्नीफाइंग लेन्सेस विश्लेषण लाइट, हुक & सीज़र्स)	आवश्यकता के अनुसार

अनुसूची VIII

क्रिया शारीर विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

(नियम 19 (5) देखें)

क्रम संख्या	मानक	प्रवेश क्षमता के अनुसार आवश्यकता			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)		60	100	150	200
1.	प्रिंटर	1	1	1	1
2.	इलेक्ट्रॉनिक-डिस्प्ले स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले	1	1	2	2

क्रिया शारीर प्रयोगशाला

3.	माइक्रोस्कोप (डिजिटल कैमरे के साथ ट्रिनोकुलर, जिसमें लिंग्किड क्रिस्टल डिस्प्ले, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टेलीविजन, या इसी प्रकार के उपकरणों के माध्यम से छायाचित्रण के लिए सॉफ्टवेयर शामिल है, हिस्टोलोजी और अन्य उद्देश्यों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक है।)	1	1	2	2
4.	माइक्रोस्कोप (ऐपिस के साथ दूरबीन (विस्तृत क्षेत्र), लक्ष्य (10x, 40x स्प्रिंग लोडेड, 100x आयल इमर्शन स्प्रिंग लोडेड, अंतर्निहित रोशनी)	6	10	15	20
5.	एरिश्रोसाइट अवसादन दर (ईएसआर) के लिए वेस्टरग्रेन का पिपेट	30	50	75	100

6.	हेमाटोक्रिट ट्यूब	30	50	75	100
7.	साहली हीमोग्लोबिनोमीटर	30	50	75	100
8.	हीमोसाइटोमीटर	30	50	75	100
9.	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन	2	2	4	4
10.	डिजिटल स्प्रोमेट्री मशीन	2	2	4	4
11.	डिजिटल रेगुलेटर के साथ सेंट्रीफ्यूज मशीन	1	1	2	2
12.	डिजिटल पीएच मीटर	2	3	4	5
13.	डिजिटल स्फिंगमोमैनोमीटर	5	10	15	20
14.	स्टेशेस्कोप	5	10	15	20
15.	क्लिनिकल थर्ममीटर (डिजिटल, गैर-संपर्क)	10	15	20	25
16.	नी हैमर	10	15	20	25
17.	ट्यूनिंग फॉर्क	10	15	20	25
18.	डिजिटल वेइंग स्केल	5	10	15	20
19.	मेजरिंग टेप	10	15	20	25
20.	हाइट मेजरिंग टेप	5	10	15	20
21.	नाड़ी रिकॉर्डिंग उपकरण	5	10	15	20
22.	उपभोग्य किट, री-एजेंट्स, रसायन, माइक्रोस्कोप स्लाइड, कवर स्लिप, दस्ताने, लैंसेट	आवश्यकता के अनुसार			

अनुसूची IX
द्रव्यगुण विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं
(नियम 19 (6) देखें)

क्रम संख्या	मानक	प्रवेश क्षमता के अनुसार आवश्यकता			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200
1.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
2.	प्रिंटर	1	1	1	1
3.	इलेक्ट्रॉनिक-डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	2	2
द्रव्यगुण प्रयोगशाला संग्रहालय सह हर्वेरियम					
4.	माइक्रोस्कोप (डिजिटल कैमरे के साथ ट्रिनोकुलर, जिसमें लिंक्रिड क्रिस्टल डिस्प्ले, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टेलीविजन, या इसी प्रकार के उपकरणों के माध्यम से छायाचित्रण के लिए सॉफ्टवेयर शामिल है, हिस्टोलोजी और अन्य उद्देश्यों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक है।)	1	1	2	2
5.	माइक्रोस्कोप (ऐप्स के साथ दूरबीन (विस्तृत थेव्र), लक्ष्य (10x, 40x स्प्रिंग लोडेड, 100x आयल इमर्शन स्प्रिंग लोडेड, अंतर्निहित रोशनी)	5	10	15	20
6.	डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप	5	10	15	20
7.	मैग्निफिकेशन लेस विथ लाइट	5	10	15	20
8.	डिसेक्शन बॉक्स	5	10	15	20
9.	डिजिटल वेइंग स्केल (0.001 मिलीग्राम की सटीकता के साथ 10 ग्राम तक)	2	3	4	5
10.	डिजिटल वेइंग स्केल (0.001 ग्राम की सटीकता के साथ 10 से 100 ग्राम)	2	3	4	5

11.	थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी किट, जिसमें एक थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी ऐप्लिकेटर, प्लेटफॉर्म, एटमाइजर, ग्लास प्लेट्स, क्रोमैटोग्राफी कक्ष और स्केल शामिल हैं।	1	1	2	2
12.	हॉट एयर ओवन	1	1	2	2
13.	मफल फर्नेस	1	1	2	2
14.	डिजिटल पीएच मीटर	1	1	2	2
15.	ऑस्ट्रिवॉल विस्कोमीटर	5	10	15	20
16.	पाइकोनोमीटर या विशिष्ट गुरुत्व बोतल	5	10	15	20
17.	सॉक्सलेट एक्स्ट्रैक्शन उपकरण	1	1	2	2
18.	हीटिंग मेंटल (250, 500 और 1000 मिलिलिटर)	एक-एक		दो-दो	
19.	बन्सन बर्नर इलेक्ट्रिक या गैस बर्नर	10	15	20	25
20.	इनेमल ट्रे	10	15	20	25
21.	वाटर वाथ (आयताकार)	1	1	2	2
22.	अल्ट्रावायलेट कैबिनेट	1	1	2	2
23.	डेसीकेटर	1	1	2	2

लैब समान

24.	ड्रॉपर	मिश्रित
25.	नीडल	
26.	शार्प रेजर ब्लेड	
27.	पाइप क्ले ट्रायंगल	
28.	तार की जाली	
29.	टेस्ट छूब होल्डर	
30.	री-एंजेंट्स बोतलें	
31.	टेस्ट छूब स्टैंड्स	
32.	ट्रिपॉड स्टैंड	
33.	पेयर ऑफ टोंग	

कांच के बने पदार्थ और उपभोग्य वस्तुएं

34.	टेस्ट छूब	मिश्रित
35.	थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी प्लेटें 20*20 सेंटीमीटर (पूर्व कोटेड)	
36.	इवोरेटिंग डिश	
37.	सिलिका कूसिबल	
38.	बीकर 200 मिलीलीटर	
39.	कांच की छड़ें	
40.	कोनिकल फ्लास्क 250 मिलीलीटर	
41.	ग्लास फनल	
42.	केमिकल्स	
43.	सैफ्रानिन	
44.	लाइट ग्रीन	मिश्रित
45.	सूडान रेड III	
46.	ग्लिसरिन	
47.	ड्रेंगेंडोर्फ री-एंजेंट्स	
48.	मिलन री-एंजेंट्स	
49.	वैगनर री-एंजेंट्स	
50.	बेनेडिक्ट सॉल्यूशन	
51.	फेहलिंग सॉल्यूशन	
52.	आयोडीन सॉल्यूशन	
53.	मेथनॉल	

54.	डिस्ट्रिल्ड वाटर
55.	एथनॉल
56.	हाइड्रोक्लोरिक एसिड
57.	सलफ्यूरिक एसिड
58.	क्लोरोफ्लार्म
59.	फ्लोरोग्लुसिनॉल
60.	एसीटिक अम्ल
61.	फेरिक क्लोराइड
62.	पोटेशियम आयोडाइड
63.	मैग्नीशियम टर्निंग
64.	इथाइल एसीटेट
65.	टाल्यूईन
66.	सिलिका जेल जीएफ -254
67.	ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर
68.	माइक्रोस्कोप स्लाइड और कवर स्लिप

अनुसूची X**शिक्षण फार्मेसी सहित रसशास्त्र और भैषजकल्पना विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं**

(नियम 19 (7) देखें)

क्रम संख्या	मानक या आवश्यक वस्तु	प्रवेश क्षमता के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200
1.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
2.	प्रिंटर	1	1	1	1
3.	इलेक्ट्रॉनिक-डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	2	2

शिक्षण फार्मेसी सह संग्रहालय

4.	खल्व यंत्र – छोटा	10	15	20	25
5.	खल्व यंत्र – मध्यम	10	15	20	25
6.	खल्व यंत्र - चीनी मिट्टी (विभिन्न आकार)	10	15	20	25
7.	तस खल्व यंत्र	3	5	8	10
8.	कुट्टन उपकरण (उलूखल यंत्र)	3	5	8	10
9.	पिस्टल और मोर्टार ग्लास	2	2	5	5
10.	पुट (अलग प्रकार के)	3	3	5	8
11.	कोष्ठी विश्व ब्लोअर	2	4	6	8
12.	मूषा (कुसीबल्स)	30	30	50	50
13.	दोला यंत्र	1	1	1	1

14.	बालुका यंत्र	1	1	1	1
15.	पिठर यंत्र	1	1	1	1
16.	भूधर यंत्र	1	1	1	1
17.	आसवन उपकरण और अर्क यंत्र	1	1	1	1
18.	कुपीपङ्क भट्टी	1	1	1	1
19.	डिजिटल वैलेंस	1	1	1	1
20.	बोतल सील मशीन	1	1	1	1
21.	सीलिंग मशीन	1	1	1	1
22.	फिलिंग मशीन	1	1	1	1
23.	डिस्टिलेशन उपकरण कांच या अर्क यंत्र एक लीटर	2	2	4	4
24.	वेट ग्राइंडर	1	1	1	1
25.	मिक्सर या ग्राइंडर	1	1	1	1
26.	जूस एक्स्ट्रैक्टर	1	1	1	1
27.	बॉल मिल (स्टेनलेस स्टील बॉल)	1	1	1	1
28.	टिंचर प्रेस	1	1	1	1
29.	फ्रिज	1	1	1	1
30.	भंडारण के लिए अलमारी और रैक	आवश्यकता के अनुसार			
31.	विभिन्न क्षमताओं का इलेक्ट्रॉनिक तराजू (1.0 मिलीग्राम की शुद्धता के साथ 100 ग्राम तक; 1.0 ग्राम की शुद्धता के साथ 100-1000 ग्राम तक; और 1 किलोग्राम और ऊपरा)	3	3	3	3
32.	गैस स्टोव	1	1	1	1
33.	हॉट प्लेट	1	1	1	1
34.	चूल्हा (कोयला)	1	1	1	1
35.	पल्वराईजर	1	1	1	1
36.	ग्रैनुलेटर	1	1	1	1
37.	हाथ संचालित टैबलेट पंचिंग मशीन	1	1	1	1
38.	टैबलेट कोटिंग पैन यूनिट हॉट एयर ब्लोअर -प्रयोगशाला आकार के साथ	1	1	1	1
39.	टैबलेट पॉलिशिंग पैन - प्रयोगशाला उपयोग के लिए	1	1	1	1
40.	ड्रायर	1	1	1	1
41.	होमोजेनाइज़र	1	1	1	1
42.	गोलियां बनाने की मशीन	1	1	1	1
43.	एंड रनर मशीन	1	1	1	1

44.	एज रनर मशीन	1	1	1	1
45.	कैप्सूल फिलिंग मशीन	1	1	1	1
46.	डबल कोन ब्लेंडर	1	1	1	1
47.	तरल भरने की मशीन	1	1	1	1
48.	मरहम या क्रीम के लिए प्लेनेटरी मिक्सर	1	1	1	1
49.	सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल फिलिंग	1	1	1	1
50.	मेकेनाइज्ड खरल - दो या चार आर्म्स	1	1	1	1
51.	चिमनी या एयर हैंडलिंग यूनिट	1	1	1	1
52.	मोहस हार्डनेस टेस्ट किट	5	8	10	12
53.	हॉट एयर ओवन	1	1	1	1
54.	वॉकर स्टील यार्ड (फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिनरल्स)	1	1	1	1
55.	आटोमेटिक फ्लास्क शेकर	1	1	1	1
56.	वाटर बाथ	1	1	1	1
57.	डिजिटल पीएच मीटर	1	1	1	1
58.	टेबलेट हार्डनेस टेस्टर	1	1	1	1
59.	मफल फर्नेस 12 इंच x 12 इंच x 18 इंच डिजिटल एक्स अधिकतम तापमान 1250 डिग्री सेल्सियस के साथ विंडो (क्लार्ट्ज) थर्मल इमेज विज़र।	1	1	2	2
60.	मफल फर्नेस (ऐश कंटेंट टेस्टर) x डिजिटल डिस्प्ले x अधिकतम तापमान 900 °C	1	1	2	2
61.	वर्टिकल फर्नेस - कूपी पक्का टाइप (दो बोतलें) X डिजिटल X अधिकतम तापमान 900 डिग्री सेल्सियस	1	1	2	2
62.	नॉन -काटेक्ट इन्फ्रारेड थर्मोकपल के- टाइप	1	1	2	2
63.	थर्मोकपल के-टाइप	1	1	2	2
64.	डेसिकेटर ग्लास	2	2	4	4
65.	डेसिकेटर वैक्यूम के साथ	1	1	2	2
66.	वैक्यूम पंप	1	1	2	2
67.	कॉलेमिसिवल ठूब -भरने और सील करने वाला उपकरण	1	1	1	1
68.	पीतल के बर्तन				
69.	ताम्र के बर्तन				
70.	स्टील के बर्तन				
71.	मिट्टी के बर्तन				
72.	चीनी मिट्टी के बर्तन क्रूसिबल				
73.	जार (चीनी मिट्टी) किण्वन उद्देश्य				

मिश्रित

74.	इनेमल ट्रे	
75.	ड्रायर ट्रे	
76.	चक्की हाथ से पीसने की	
77.	प्रेशर-कुकर	
78.	मेजरिंग इंक्रिप्मेंट डिफरेंट साइज (कांच)	
79.	पाइरोमीटर	
80.	थर्मामीटर	
81.	फ्राइंग पैन	
82.	स्टील का वर्तन	
83.	स्पैचुला / चम्मच	
84.	करब्बुल और चम्मच	
85.	चाकू	
86.	प्लेटें	
87.	सदंश यन्त्र (चिमटा)	
88.	चलनी (मिश्रित संख्या और आकार)	
89.	रसोई एप्रन	
90.	स्टील ट्रे	
91.	ओवन दस्ताना	
92.	कढ़ाई – लोहा	
93.	एल्यूमिनियम के वर्तन	
94.	क्ले ग्रेफाइट सिल्वर मेलिंग क्रूसिबल अधिकतम तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस	
95.	क्रूसिबल के लिए चिमटे 18 "स्टेनलेस स्टील"	
96.	मरहम स्पैचुला	
97.	लिपस्टिक मोल्ड्स	
98.	उपयुक्त प्रदर्शन कंटेनरों में रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना से संबंधित नमूनों के प्रतिरूप	आवश्यकता अनुसार

अनुसूची XI**गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं**

(नियम 19 (8) देखें)

क्रम संख्या	मानक या वस्तु की आवश्यकता	न्यूनतम आवश्यकता
(1)	(2)	(3)
1.	कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर	1
2.	स्मार्ट बोर्ड या लिड्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर	1

3.	यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	1
4.	फ्लेम फोटोमीटर	1
5.	डिजिटल पीएच मीटर	1
6.	प्रिसिशन मेलिंग पॉइंट उपकरण	1
7.	डिस्ट्रिब्युशन यूनिट फॉर डिस्ट्रिल्ड वाटर	1
8.	मॉइस्चर एनालाइजर बैलेंस	1
9.	आॅर्बिटल शेकर	1
10.	लैमिनर एयर फ्लो	1
11.	मैकेनिकल स्टीरर हॉट प्लेट के साथ	1
12.	मैग्नेटिक स्टिरर	1
13.	डिसॉल्षन टेस्ट एपरेटस	1
14.	टेबलेट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस	1
15.	मोनसेंटो का हार्डनेस टेस्टर	1
16.	फाइजर टाइप हार्डनेस टेस्टर	1
17.	टैबलेट काउंटर - छोटे आकार का	1
18.	बल्क डेसिटी एपरेटस	1
19.	फ्रेबिलिटी टेस्ट एपरेटस	1
20.	ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर	1
21.	रिफ्रेक्ट्रोमीटर	1
22.	एनालिटिकल बैलेंस डिजिटल हाई प्रिसिशन (0.0001 ग्राम – 220) ग्राम तक उच्च परिशुद्धता के साथ	1
23.	इन्क्यूबेटर	1
24.	क्लैरिटी टेस्ट एपरेटस	1
25.	ह्यूमिडिटी कंट्रोल ओवन	1
26.	कार्ल फिशर एपरेटस	1
27.	सीव शेकर	1
28.	ग्रुप्टेड सीव सेट	1
29.	थर्मामीटर 110 डिग्री सेल्सियस तक	2
30.	सेंट्रीफ्यूज	1
31.	फिल्टरिंग एपरेटस	2
32.	वाटर वाथ 12 होल्स	1
33.	सक्षन पंप	1
34.	सोनिकेटर	1
35.	हीटिंग मेंटल अलग-अलग क्षमता के	2
36.	टोटल ल्यूकोसाइट काउंट चैंबर और स्प्रेयर	2
37.	कर्निवेजर एपरेटस	1
38.	आर्सेनिक लिमिट टेस्ट एपरेटस	1
39.	एडजस्टेबल वॉल्यूम माइक्रो पिपेट	2
40.	रोटरी इवोपरेटर एपरेटस	1

41.	सॉक्स-लेट एपरेटर	2
42.	रिफ्लक्स फ्लास्क - कंडेनसर सिंगल नेक के साथ	1
कांच के बने पदार्थ और उपभोग की वस्तु		
43.	पेट्री डिश ग्लास	आवश्यकता अनुसार
44.	पेट्री डिश पॉलीप्रोपाइलीन	आवश्यकता अनुसार
45.	वॉच ग्लास कांच	आवश्यकता अनुसार
46.	विभिन्न उपयोगों के लिए कांच के बने पदार्थ	आवश्यकता अनुसार
47.	ग्लास बीकर- अलग-अलग क्षमता के	आवश्यकता अनुसार
48.	मेजरिंग फ्लास्क अलग-अलग क्षमता के	आवश्यकता अनुसार
49.	वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अलग-अलग क्षमता के	आवश्यकता अनुसार
50.	ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलिंडर	आवश्यकता अनुसार
51.	बुचनर फनेल छोटा, मध्यम, बड़ा	आवश्यकता अनुसार
52.	ब्लूरेट	आवश्यकता अनुसार
53.	नेस्लर सिलेंडर	आवश्यकता अनुसार

अनुसूची XII

रोग निदान और विकृति विज्ञान विभाग की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता

(नियम 19 (9) देखें)

क्रम संख्या	विवरण	प्रवेश क्षमता के अनुसार आवश्यकता			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200
1.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
2.	प्रिंटर	1	1	1	1
3.	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	2	2
रोग निदान प्रयोगशाला					
4.	माइक्रोस्कोप (डिजिटल कैमरे के साथ ट्रिनोकुलर, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टेलीविजन, या इसी प्रकार के उपकरणों के माध्यम से छायाचित्रण के लिए सॉफ्टवेयर शामिल है, हिस्टोलोजी और अन्य उद्देश्यों के प्रदर्शन के लिए)	1	1	1	1
5.	माइक्रोस्कोप (ऐप्पिस के साथ दूरबीन (विस्तृत क्षेत्र), लक्ष्य (10x, 40x स्प्रिंग लोडेड, 100x आयल इमर्शन स्प्रिंग लोडेड, अंतर्निहित रोशनी)	5	10	15	20
6.	बायो कैमिस्ट्री एनालाइजर	1	1	1	1
7.	सेल काउंटर (हेमेटोलॉजी)	1	1	1	1
8.	डिजिटल स्पिरोमेट्री	1	1	1	1
9.	इलेक्ट्रोग्राफियोग्राम मशीन	2	4	6	8
10.	एंजाइम-लिंकेड इम्यूनोसॉर्वेट रीडर	1	1	2	2
11.	एक्स-रे ब्यू बॉक्स	2	2	2	2
12.	बीपी एपरेटर - नॉन मरकरी	आवश्यकता के अनुसार			
13.	स्टेथस्कोप	आवश्यकता के अनुसार			
14.	क्लिनिकल थर्मामीटर	आवश्यकता के अनुसार			
15.	टंग डिप्रेसर	आवश्यकता के अनुसार			
16.	नी हैमर	आवश्यकता के अनुसार			
17.	मेजरिंग टेप	आवश्यकता के अनुसार			
18.	ईएनटी एग्जामिनेशन सेट	आवश्यकता के अनुसार			

19.	वेट मशीन	आवश्यकता के अनुसार
20.	छूर्निंग फोर्क	आवश्यकता के अनुसार
21.	नेजल स्पेक्युलम	आवश्यकता के अनुसार
22.	लैरिंजोस्कोप	आवश्यकता के अनुसार
उपभोग्य वस्तुएं		
23.	हेपेटाइटिस-बी एंटीजन किट	आवश्यकता के अनुसार
24.	ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस किट-ट्राई डॉट	आवश्यकता के अनुसार
25.	क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम किट	आवश्यकता के अनुसार
26.	रीनल प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट किट, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर किट, इलेक्ट्रोलाइट्स	आवश्यकता के अनुसार
27.	स्टेराइल डिस्पोजेवल लैंसेट या नीडल	आवश्यकता के अनुसार
28.	ग्लास रोड	आवश्यकता के अनुसार
29.	सिरिंज नीडल डिस्ट्रॉयर	आवश्यकता के अनुसार
30.	कवर स्लिप	आवश्यकता के अनुसार
31.	माइक्रोस्कोपिक स्लाइड	आवश्यकता के अनुसार

अनुसूची XIII**अगद तंत्र विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं**

(नियम 17 (10) देखें)

क्रम संख्या	निर्दिष्ट	न्यूनतम आवश्यकता
(1)	(2)	(3)
1.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1
2.	प्रिंटर	1
3.	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या (लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1

अगद प्रयोगशाला सह संग्रहालय

4.	बीकर-पचास मिलीलीटर	आवश्यकता के अनुसार
5.	टेस्ट ट्यूब-दस मिलीलीटर	आवश्यकता के अनुसार
6.	टेस्ट ट्यूब होल्डर	आवश्यकता के अनुसार
7.	गैस या इलेक्ट्रिक वर्नर	आवश्यकता के अनुसार
8.	पेट्री-डिश	आवश्यकता के अनुसार
9.	स्टिरर	आवश्यकता के अनुसार
10.	लाल लिटमस पेपर	आवश्यकता के अनुसार

रसायन

11.	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल	आवश्यकता के अनुसार
12.	सल्फ्यूरिक एसिड	आवश्यकता के अनुसार
13.	आयोडीन सलूशन	आवश्यकता के अनुसार
14.	एव्सोल्यूट अल्कोहल	आवश्यकता के अनुसार

स्पेसीमेन (नमूने)

15.	औज़ार	आवश्यकता के अनुसार
16.	ज़हर वाले साप	आवश्यकता के अनुसार
17.	विना ज़हर वाले साप	आवश्यकता के अनुसार
18.	ज़हर, जड़ी बूटी और खनिज	आवश्यकता के अनुसार

अनुसूची XIV
स्वस्थवृत्त विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं
(नियम 19 (11) देखें)

क्रम संख्या	उपकरण का नाम	प्रब्रेश क्षमता के अनुसार आवश्यकता			
		(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
1.	कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन के साथ	1	1	1	1
2.	प्रिंटर	1	1	1	1
3.	इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले)	1	1	2	2
पोषण प्रयोगशाला					
4.	डिजिटल वेइंग स्केल	1	1	2	2
5.	केजेल्डहल सिस्टम (डाइजेशन यूनिट + डिस्ट्रिलेशन यूनिट)	1	1	2	2
6.	डिजिटल मफल फर्नेस	1	1	2	2
7.	सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन सिस्टम	1	1	2	2
8.	एब्बे रेफ्रेक्टोमीटर	1	1	1	1
9.	फ्लेम फोटोमीटर	1	1	1	1
10.	हॉट एयर ओवन	1	1	2	2
11.	रेफ्रिजरेटर	1	1	1	1
12.	वाटर वाथ	2	2	4	4
13.	ग्राइंडर	2	2	4	4
14.	मैग्नेटिक स्टिरर या मैग्नेटिक मिक्सर	2	2	4	4
15.	हॉट प्लेट	2	2	4	4
16.	डिजिटल पीएच मीटर	2	2	4	4
17.	वैक्यूम फिल्टर सिस्टम	1	1	1	1
18.	सोनिकेटर	1	1	1	1
19.	फ्यूम हुड	1	1	1	1
20.	डिसिकेटर	1	1	1	1
21.	वोर्टेक्स मिक्सर	2	4	6	8
22.	विस्कोमीटर	1	2	3	4
23.	रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज	1	1	1	1
24.	डिजिटल पोलरीमीटर	1	1	1	1
25.	ब्यूरेट	मिश्रित			
26.	ग्लास पिपेट	मिश्रित			
27.	माइक्रोपिपेट (विभिन्न क्षमताओं के)	प्रत्येक क्षमता के लिए पांच			
28.	हीटिंग मेंटल (विभिन्न क्षमताओं के)	प्रत्येक क्षमता के लिए पांच			

अनुसूची XV
योग्य-नैदानिक कौशल प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता
(नियम 20 देखें)

क्रम संख्या	पुतले या सिम्पुलेटर का नाम	आवश्यक संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	कंप्यूटर सिस्टम के साथ प्रिंटर, इंटरनेट	1

सभी विभागों के लिए सामान्य बुनियादी सिमुलेटर		
2.	बीएलएस (वेसिक लाइफ सपोर्ट) और एएलएस (एडवांस लाइफ सपोर्ट)	05 प्रत्येक
पहले व्यावसायिक विषय		
क्रिया शारीर		
3.	चेस्ट ऑस्कल्टेशन ट्रेनर (सामान्य)	05
4.	ईसीजी (इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम) ट्रेनर	05
दूसरा व्यावसायिक विषय		
रोग निदान		
5.	डिकुबिट्स के लिए नर्सिंग ट्रेनर	02
6.	चेस्ट ऑस्कल्टेशन ट्रेनर (विशिष्ट)	03
7.	स्पाइरोमेट्री	05
8.	ब्लड सैंपल ट्रेनर	05
अगदतंत्र		
9.	आघात का प्रलेखन और प्रमाणन	05
10.	निदान और मृत्यु का प्रमाणन	05
11.	आपातकालीन स्थितियों से संबंधित कानूनी कागजी कार्रवाई	05
12.	चिकित्सकीय कानूनी मामलों का प्रमाणन (उदाहरण के लिए- उम्र का अनुमान, यौन उत्पीड़न)	05
13.	पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के साथ चिकित्सा-कानूनी मामलों में पत्राचार / संचार स्थापित करना।	05
14.	स्टमक वाश ट्रेनर	02
तीसरा व्यावसायिक विषय		
काय-चिकित्सा		
15.	कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ट्रेनर	05
16.	फ्लैट्स ट्यूब इंसर्शन और एनीमा ट्रेनर (वस्ती प्रशासन के लिए उपयोग किया जाने वाला)	05
17.	इंजेक्शन (इंट्रा-मस्कुलर, इंट्रा-वेनस, इंट्रा-डर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रा-आर्टेरिअल इंट्रा-आर्टिकुलर और इंट्रा-कार्डियक)	10
18.	एरोसोल थेरेपी या नेबुलाइजेशन	05
19.	इंट्रा-वेनस इन्फ्यूजन की स्थापना और ड्रिप रेट की गणना - बुनियादी जीवनरक्षक	05
20.	ऑक्सीजन थेरेपी	05
21.	एड्डोमिनल एग्जामिनेशन सिम्युलेटर	03
शल्य तंत्र		
22.	राइल्स ट्यूब इंसर्शन ट्रेनर	02
23.	फुफ्फुस (प्लूरल) और एसाइटिक एस्पिरेशन ट्रेनर	02
24.	फ्लैट्स ट्यूब इंसर्शन पर-रेक्टल मात्रा वस्ती के लिए इस्तेमाल करने के लिए	02
25.	अर्ली मैनेजमेंट ऑफ ट्रोमा एंड ट्रोमा लाइफ सपोर्ट	1
26.	ब्लड ट्रांसफ्यूजन	05
27.	यूरिनरी कैथीटेराइजेशन - पुरुष (उत्तर वस्ती के लिए भी इसका उपयोग किया जाना है।)	05
28.	यूरिनरी कैथीटेराइजेशन - स्त्री (इंट्रावेसिकल उत्तर वस्ती के लिए उपयोग करने के लिए समान)	05
29.	कॉटरी - रासायनिक और थर्मल या इलेक्ट्रिकल	05
30.	बुनियादी इनसिजन और सुन्चर ट्रेनर	05
31.	बुनियादी ब्रण देखभाल	02
32.	बैंडेज और कम्प्रेशन बैंडेज	02
33.	इनसिजन और ड्रेनेज ट्रेनर	05
34.	वेसिक फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन प्रबंधन ट्रेनर	02
35.	स्तन गांठ की जांच	05

36.	सूजन की जांच	05
37.	पर-रेक्टल और प्रोस्टेट जांच ट्रेनर	02
प्रसूति और स्त्री रोग		
38.	पर स्पेकुलम और योनि परीक्षा ट्रेनर	02
39.	इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्शन एंड रिमूवल ट्रेनर	05
40.	एपीजीओटॉमी ट्रेनर	05
41.	नार्मल लेबर एंड डिलीवरी (पार्टोग्राम सहित)	01
42.	इंट्रा यूटेराइन इनसेमिनेशन ट्रेनर (इंट्रा यूटेराइन उत्तर बस्ती के लिए उपयोग किए जाने वाले समान)	05
43.	प्रसूति जांच प्रशिक्षक (ट्रेनर)	02
44.	गर्भाशय ग्रीवा का दृश्य निरीक्षण	05
शालाक्य तंत्र		
45.	ओटोस्कोप	05
46.	दृश्य तीक्ष्णता परीक्षण	05
47.	डिजिटल टोनोमेट्री	02
48.	एपिलेशन	05
49.	आई इरिगेशन	05
50.	इंस्टालेशन ऑफ आई मेडिकेशन	05
51.	नेत्र पट्टी	02
52.	एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नेसल पैकिंग ट्रेनर	02
53.	फर्निन बॉडी रिमूवल ट्रेनिंग	आवश्यकता अनुसार
54.	मैनेक्रिन हेड (3डी मॉडल) तर्पण के प्रशिक्षण के लिए	05
कौमारभूत्य		
55.	एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन	01
56.	नवजात पुनर्जीवन (निओनेटल रिसिस्टेशन)	05
57.	गर्भनाल कैथीटेराइजेशन	01
58.	बाल चिकित्सा अंतःशिरा इन्फ्यूजन स्थापित करना और ड्रिप रेट की गणना करना।	05
59.	पीडियेट्रिक इंजेक्शन ट्रेनर	05
पंचकर्म		
60.	फुल बॉडी मेनक्रिन (अभ्यंग के प्रदर्शन के लिए, उद्वर्तन, उत्सादनम, लेप, पत्र पोटालि स्वेद, स्थानिक बस्ती)	05
61.	बस्ती कर्म के लिए एनीमा ट्रेनर	05
62.	उत्तर बस्ती के लिए कैथीटेराइजेशन (पुरुष और महिला)	प्रत्येक 05
नोट : मैनेक्रिन और सिमुलेटरों हालांकि कई विभागों के लिए आवश्यक है, दोहराव से बचने के लिए केवल एक विभाग के अंतर्गत यहां उल्लेख किया गया है। आवश्यकता के अनुसार शिक्षण और प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए सभी सुविधाएं सभी विभागों के लिए उपलब्ध होंगी।		

अनुसूची XVI

रिसेप्शन और पंजीयन क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र
(नियम 39 देखें)

क्रम संख्या	इकाई का विवरण	न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग मीटर) (प्रवेश क्षमता अनुसार)	आवश्यक निर्मित क्षेत्र		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रिसेप्शन और पंजीयन क्षेत्र (प्रवेश लॉबी और परिसंचरण क्षेत्र सहित)		60	100	150	200
1.	(क) रिसेप्शन और पूछताछ काउंटर (ख) जनसंपर्क अधिकारियों के बैठने के साथ रिसेप्शन और पूछताछ काउंटर। (वैकल्पिक)	3	3	5	3
2.	पंजीयन और बिलिंग काउंटर	6	8	10	12
3	मेडिकल रिकॉर्ड रूम (एक स्थापित चिकित्सालय प्रबंधन सूचना प्रणाली के मामले में।)	10	10	10	10
4	मेडिकल रिकॉर्ड रूम (चिकित्सालय प्रबंधन सूचना प्रणाली के बिना) मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन के लिए आवास सहित	25	25	25	25

अनुसूची XVII

आउट पेशेंट ज्ञोन की विभिन्न इकाइयों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र
(नियम 40,41 देखें)

क्रम संख्या	सुविधा या बाह्य रोगी विभाग का विवरण	न्यूनतम निर्मित आवश्यक क्षेत्र वर्ग मीटर में (प्रवेश क्षमता अनुसार)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्क्रीनिंग काउंटर सहित स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग स्क्रीनिंग काउंटरों की न्यूनतम संख्या (मरीजों की संख्या के आधार पर काउंटरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।)	15 2	20 2	30 3	40 4
2.	आत्याधिक चिकित्सा (आपातकालीन या आकस्मिक) बाह्य रोगी विभाग, जिसमें अवलोकन बेड शामिल हैं।	30	30	40	40
3.	स्वास्थ्य रक्षण बाह्य रोगी विभाग जिसमें काउंसलिंग क्यूबिकल्स शामिल हैं काउंसलिंग क्यूबिकल्स की न्यूनतम संख्या	20 1	25 2	35 3	25 x 2 2 x 2
4.	काय-चिकित्सा बाह्य रोगी विभाग	20	25	35	25 x 2
5.	पंचकर्म बाह्य रोगी विभाग	20	25	35	25 x 2
6.	शल्य चिकित्सा बाह्य रोगी विभाग आउट पेशेंट विभाग के लिए प्रक्रियात्मक कक्ष या माइनर ऑपरेशन थियेटर	20	25	35	25 x 2
7.	शालाक्य चिकित्सा (नेत्र) बाह्य रोगी विभाग	20	25	35	25 x 2
8.	शालाक्य चिकित्सा (कर्ण, नासा और मुख) बाह्य रोगी विभाग	20	25	35	25 x 2
9.	प्रसूति-स्त्री रोग (दो बाह्य रोगी विभागों के मामले में, प्रसूति और स्त्री रोग के लिए एक-एक)	20	25	35	25 x 2

	प्रक्रियात्मक कक्ष (दो प्रक्रियात्मक कक्षों के मामले में, प्रसूति-एक-स्त्री रोग के लिए एक)	20	20	30	20 x 2
10.	कौमारभूत्य बाह्य रोगी विभाग	20	25	35	25 x 2
11.	विष चिकित्सा बाह्य रोगी विभाग	20	25	35	25 x 2
12.	विशिष्ट क्लीनिक	कम से कम 25 प्रति बाह्य रोगी विभाग			
13.	ऑनलाइन परामर्श सुविधा	20	20	20	20
14.	बाह्य रोगी विभाग प्रभारी कार्यालय	15	15	15	15
15.	प्रतीक्षा क्षेत्र, पेयजल सुविधाएं, स्तनपान क्षेत्र, शौचालय, व्हीलचेयर और स्ट्रेचर क्षेत्र, और हाउसकीपिंग सामग्री भंडारण के लिए जगह।	150	200	250	300
16.	ड्रग स्टोर और औषधालय	40	45	60	80

नोट: विशिष्ट क्लीनिक न्यूनतम आवश्यकता से ऊपर और परे हैं और इसलिए न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र में शामिल नहीं किए जाएंगे।

अनुसूची XVIII

आउट पेशेंट विभाग (ओपीडी) के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यक यंत्र और उपकरण

(नियम 40 देखें)

क्रम संख्या	बाह्य रोगी विभाग का नाम	यंत्र या उपकरण	न्यूनतम आवश्यक संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग	ऊंचाई और वजन मापने का उपकरण	प्रत्येक स्क्रीनिंग क्यूबिकल या यूनिट के लिए एक-एक
		नॉन -मक्यूरियल स्फिग्मोमेनोमेटर	
		क्लिनिकल थर्मामीटर (नॉन -कॉटेक्ट)	
		स्टेथस्कोप	
		नाई रिकॉर्डिंग उपकरण	
2.	काय-चिकित्सा	एक्स-रे व्यू बॉक्स	1
		नॉन -मक्यूरियल स्फिग्मोमेनोमेटर	2
		स्टेथस्कोप	2
		टोर्च	1
		जांच टेबल	1
		क्लिनिकल थर्मामीटर (नॉन -कॉटेक्ट)	2
		टंग डिप्रेसर	2
		वजन और ऊंचाई मापने वाला स्टैंड	1
		मापने का टेप	1
3.	शल्य	नी-हैमर	2
		आवश्यक एक्स-रे व्यू बॉक्स	1
		एनोरेक्टल परीक्षा के लिए उपकरण	आवश्यकता अनुसार
		जांच टेबल	1

		नॉन -मक्यूरियल स्फिग्मोमेनोमेटर	2
		क्लिनिकल थर्मामीटर (नॉन -कॉटेक्ट)	2
		टोर्च	1
		चीटल फोर्सेप्स	आवश्यकता अनुसार
		जांच टेबल	1
		स्पॉट लाइट	1
		स्टरलाइज़र	1
		ट्राली	1
	बाह्य रोगी विभाग अटैच्ड माइनर ऑपरेशन थियेटर	ऐसे टूथड फोरसेप्स, फोरसेप्स, आर्टरी फोरसेप्स, कैंची, बाल्ड पार्कर हैंडल, ब्लेड, सुचरिंग किट, प्रोक्टोस्कोप, कैथेटर, सीरिंज, किडनी ट्रे, और इसी प्रकार की सामाग्री के रूप में बुनियादी उपकरण।	1
		ओपीडी सर्जिकल प्रक्रिया करने के लिए उपभोग्य वस्तुएं और औषधियां	आवश्यकता अनुसार
4.	शालाक्य-नेत्र	ऑटो रेफ्रेक्टोमीटर	1
		ऑप्थाल्मोस्कोप	2
		एप्लायनेशन टोनोमीटर	1
		फंडोस्कोप	2
		हम्फ्री फील्ड एनालाइजर	1
		स्लिट लैंप	1
		जांच टेबल	1
		एक्स-रे व्यू बॉक्स	1
		नॉन -मक्यूरियल स्फिग्मोमेनोमेटर	
		स्टेथस्कोप	2
		क्लिनिकल थर्मामीटर (नॉन-कॉटेक्ट)	2
		टार्च	2
5.	शालाक्य – कर्ण, नासा और मुख	ठ्यूनिंग फोर्क	5
		ओरोस्कोप	5
		प्योर-टोन ऑडियोमेट्री	1
		टंग डिप्रेसर, नेजल स्पेक्युलम, नेजल पैकिंग फोरसेप्स	प्रत्येक 5
		इएनटी सेट	1
		हेडसेट फॉर फोकस लाइट	1
		एक्स-रे व्यू बॉक्स	1

		नॉन -मक्यूरियल स्फिग्मोमेनोमेटर	2
		स्टेथस्कोप	2
		क्लिनिकल थर्मामीटर (नॉन-कॉटेक्ट)	2
6.	प्रसूति और स्त्री रोग	वजन मशीन	2
		सिम्स स्पेकुलम	5
		क्लिनिकल थर्मामीटर (नॉन-कॉटेक्ट)	2
		कस्कोस स्पेकुलम	5
		जांच टेबल	1
		टोर्च	2
		एक्स-रे व्यू बॉक्स	1
		नॉन -मक्यूरियल स्फिग्मोमेनोमेटर	2
		स्टेथस्कोप	2
		मेजरिंग टेप	2
7.	कौमारभृत्य	टोर्च	1
		एक्स-रे व्यू बॉक्स	1
		नॉन -मक्यूरियल स्फिग्मोमेनोमेटर पीडियाट्रिक कफ के साथ	2
		क्लिनिकल थर्मामीटर (नॉन -कॉटेक्ट)	2
		पीडियाट्रिक स्टेथस्कोप	2
		जांच टेबल	1
		निओनेटल वेइग स्केल	1
		पीडियाट्रिक वेइग स्केल	1
		इन्फैंटोमीटर	आवश्यकता अनुसार
		मेजरिंग टेप	2
		हाइट मेज़रमेट स्केल	1
		पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप	2
		ओरोस्कोप	5
		नी हैमर	2
		टोर्च	2
		टंग डिप्रेसर्स	5
		बिलीरबिनोमीटर	2
8.	पंचकर्म	काय-चिकित्सा के अनुसार	
9.	विष चिकित्सा	काय-चिकित्सा के अनुसार	

10.	स्वस्थ-वृत्त	काय-चिकित्सा के अनुसार
-----	--------------	------------------------

अनुसूची XIX

आत्यधिक चिकित्सा (आपातकालीन) ओपीडी और आईसीयू के लिए न्यूनतम मानदंड और मानक

(नियम 40 और 45 देखें)

क्रम संख्या	मानक या आवश्यकता	ग्रहण क्षमता अनुसार न्यूनतम आवश्यकताएं			
		(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
आत्यधिक (आपातकालीन) अवलोकन बेड के साथ आउट पेशेट विभाग					
1.	मोटराइज्ड बेड फॉर सेक्शन विथ मैट्रेस	2	2	4	4
2.	ब्हील चेयर	1	1	2	2
3.	बेडसाइड लॉकर	2	2	4	4
4.	ओवर बेड टेबल	2	2	4	4
5.	स्टेनलेस स्टील रॉड और कास्टर बेस के साथ इंट्रा-वेनस स्टैंड	2	2	4	4
6.	फुट स्टेप डबल	2	2	4	4
7.	मल्टी-पैरा मॉनिटर	2	2	4	4
8.	गहन चिकित्सा (इंटेंसिव केयर यूनिट) वेंटिलेटर	2	2	4	4
9.	पोर्टबल मॉनिटर	1	1	3	3
10.	पोर्टबल वेंटिलेटर	1	1	2	2
11.	पोर्टबल एक्स-रे	1	1	1	1
12.	रोगी स्ट्रेचर	1	1	2	2
13.	ड्रेसिंग ट्रॉली	1	1	1	1
14.	ड्रग ट्राली और मेडिसिन कार्ट	1	1	1	1
15.	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन ट्रॉली	1	1	1	1
16.	एक्स-रे ब्यू बॉक्स	1	1	1	1
17.	सक्षण मशीन	1	1	2	2
18.	सुचरिंग किट	1	1	1	1
19.	अग्रिकर्म किट	1	1	1	1
20.	धूम यंत्र	1	1	1	1
21.	नाड़ी रिकॉर्डिंग उपकरण	1	1	2	2
22.	स्थानिक स्वेदन यंत्र	1	1	1	1
23.	सामान्य नैदानिक उपकरण जैसे - नॉन-मर्क्युरियल स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथस्कोप,	आवश्यकता के अनुसार			

	टार्च, किलनिकल थर्मामीटर (गैर-संपर्क), टंग डिप्रेसर, वेट एंड हाइट मेजरिंग स्टैंड, मेजरिंग टेप				
24.	आपातकालीन औषधि	आवश्यकता के अनुसार			
आत्यधिक वार्ड गहन चिकित्सा इकाई					
25.	मोटर चालित बेड फोर सेक्शन विथ मैट्रेस	4	4	6	6
26.	ब्हील चेयर	2	2	6	6
27.	बेडसाइड लॉकर	4	4	6	6
28.	ओवर बेड टेबल	4	4	6	6
29.	स्टेनलेस स्टील रॉड और कास्टर बेस के साथ इंट्रा-वेनस स्टैंड	4	4	6	6
30.	फुट स्टेप डबल	4	4	6	6
31.	मल्टी पैरा मॉनिटर	4	4	6	6
32.	गहन चिकित्सा (इंटेंसिव केयर यूनिट) वेंटिलेटर	3	3	5	5
33.	पोर्टबल मॉनिटर	2	2	3	3
34.	पोर्टबल वेंटिलेटर	1	1	2	2
35.	पोर्टबल एक्स-रे	1	1	1	1
36.	रोगी स्टेचर	1	1	2	2
37.	ड्रेसिंग ट्रॉली	1	1	1	1
38.	ड्रग ट्राली और मेडिसिन कार्ट	1	1	1	1
39.	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन ट्रॉली	1	1	1	1
40.	एक्स-रे व्यू बॉक्स	1	1	1	1
41.	सक्षन मशीन	1	1	1	1
42.	गहन चिकित्सा देखभाल इकाई - बेड वेंटिलेटर रिसिक्टिशन इक्विपमेंट	1	1	1	1
43.	ऑरोफरीन्जियल और नासोफेरींजिल एयरवेज	आवश्यकता के अनुसार			
44.	एंडोट्रैकियल ट्यूब	आवश्यकता के अनुसार			
45.	डिफाइब्रिलेटर	1			
46.	फ्लो मीटर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर या ट्यूबिंग या कैथेटर या फेस मास्क या नेजल प्रोनास	आवश्यकता के अनुसार			
47.	सक्षन उपकरण	2			
48.	मल्टीपेरा मॉनिटर	1	1	1	1
49.	नेब्युलाइज़र	1	1	1	1
50.	उपभोग्य सामग्रियों में, गहन चिकित्सा	आवश्यकता के अनुसार			

	देखभाल ग्लब्स, इंट्रा-वेनस सेट, इन्फूजन सेट, सीरिंज और सुई, यूरिनरी कैथेटर और यूरो बैग।				
51.	सुचरिंग सेट	1	1	1	1
52.	अग्रिकर्म किट	1	1	1	1
53.	धूम यंत्र	1	1	1	1
54.	नाड़ी रिकॉर्डिंग उपकरण	1	1	2	2
55.	स्थानिक स्वेदन यंत्र	1	1	1	1
56.	सामान्य नैदानिक उपकरण जैसे - नाँच-मक्क्यूरियल स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथस्कोप, टार्च, क्लिनिकल थर्मामीटर (गैर-संपर्क), टंग डिप्रेसर, वेट एंड हाइट मेजरिंग स्टैंड, मेजरिंग टेप	आवश्यकता के अनुसार			
57.	आपातकालीन औषधि	आवश्यकता के अनुसार			

अनुसूची XX

चिकित्सालय के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

(नियम 39,40,41,43,45,47 और 51 देखें)

क्रम संख्या	कर्मचारी का पदनाम या श्रेणी	विस्तर की संख्या अनुसार आवश्यक पदों की संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक क्षेत्र					
1.	चिकित्सा निदेशक (प्रिंसिपल या डीन या निदेशक)				
2.	चिकित्सा अधीक्षक	01	01	01	01
3.	उप चिकित्सा अधीक्षक	01	01	02	02
4.	प्रशासक	01	01	02	02
5.	सलाहकार	नैदानिक विभागों के शिक्षक			
6.	आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी सहित रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी	02	03	04	05
7.	मैट्रन या नर्सिंग अधीक्षक	01	01	01	01
8.	सहायक मैट्रन (दिन और रात की शिफ्ट के लिए)	2 (1+1)	3 (2+1)	4(2+2)	5 (3+2)
9.	कार्यालय अधीक्षक	1	1	1	1
10.	क्लर्क और लेखाकार	1	2	3	4
11.	स्टोर कीपर	01	01	01	01

12.	मल्टी टास्किंग स्टाफ	3	3	4	4
नोट: मॉडर्न मेडिकल स्टाफ (निरीक्षण या विजिटेशन के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं है)					
13.	एनेस्थिसियोलॉजिस्ट	अंशकालिक			
14.	पैथोलोजिस्ट	अंशकालिक			
15.	रेडियोलॉजिस्ट	अंशकालिक			
रिसेप्शन और पंजीयन					
16.	रिसेप्शनिस्ट सह टेलीफोन आँपरेटर (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक और संचार कौशल) (सभी शिफ्ट्स के लिए, प्रति शिफ्ट में कम से कम एक उपस्थित होगा)	3	4	4	4
17.	पंजीयन और बिलिंग क्लर्क (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	1	2	3	4
18.	मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन (योग्य या प्रशिक्षित)	1	1	1	1
19.	जनसंपर्क अधिकारी	आवश्यकतानुसार वैकल्पिक			
बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र:					
20.	नर्सिंग स्टाफ (आत्याधिक, शल्य और प्रसूति और च्चीरोग के लिए एक-एक)	3	3	3	5 (1+2+2)
21.	आया	3	3	3	5
औषधालय					
22.	फार्मासिस्ट (योग्य आयुर्वेद फार्मासिस्ट या 12 वीं कक्षा प्रशिक्षण के साथ)	2	2	3	4
23.	प्रभारी (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ फार्मसी आयुर्वेद या मास्टर ऑफ फार्मसी आयुर्वेद)	1	1	1	1
डायग्नोस्टिक ज्ञोन					
24.	लैब तकनीशियन (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा)	2	2	3	4
25.	लैब अटेंडेंट (न्यूनतम 10 वीं कक्षा पास)	1	1	2	3
26.	एक्स-रे तकनीशियन (अर्हताप्राप्त)	1	1	1	1
27.	डार्क रूम असिस्टेंट (गैर-डिजिटल एक्स-रे के मामले में)	1	1	1	1
28.	ईसीजी (इलेक्ट्रो-कार्डियो-ग्राम) तकनीशियन	1	1	1	1
29.	अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए नर्सिंग स्टाफ	1	1	1	1
30.	माइक्रोबायोलॉजिस्ट (एमएससी माइक्रोबायोलॉजी)	1	1	1	1
31.	माइक्रोबायोलॉजी के लिए लैब सहायक	1	1	2	2
इन-पेशेंट ज्ञोन					
	मेडिकल इन-पेशेंट सेक्षन				

32.	नर्सिंग स्टाफ (दस बेड के लिए एक)	4	6	9	12
33.	आया (बीस बेड के लिए एक)	2	3	5	6
34.	रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी (प्रत्येक दो शिफ्टों के लिए एक) – बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)
सर्जिकल इन-पेशेंट सेक्शन					
35.	नर्सिंग स्टाफ (दस बेड के लिए एक)	3	4	6	8
36.	आया (बीस बेड के लिए एक)	2	2	3	4
37.	रेजिडेंट शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) अधिकारी (प्रत्येक दो शिफ्ट के लिए) – बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)

प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र

	पंचकर्म				
38.	नर्सिंग स्टाफ	1	1	2	2
39.	प्रिपरेशन रूम के लिए कुक	1	1	2	2
40.	थेरेपिस्ट्स (पुरुष और महिला)	4 (2+2)	8 (4+4)	12 (6+6)	16 (8+8)
41.	हाउस ऑफिसर या क्लीनिकल रजिस्ट्रार या सीनियर रेजिडेंट - बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी अधिमानतः चिकित्सालय प्रशासन में मास्टर ऑफ विज्ञेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ।	1	1	1	1
42.	क्लर्क सह रिसेप्शनिस्ट	1	1	1	1

ऑपरेशन थियेटर

43.	नर्सिंग स्टाफ	1	2	3	4
44.	ऑपरेशन थियेटर अटेंडेंट	2	3	4	5
45.	प्रशिक्षित अनुशन्ति कर्म तकनीशियन (12वीं पास जीव विज्ञान के साथ)	1	1	2	2

प्रसव कक्ष जिसमें प्रसूति और स्त्री रोग प्रक्रियात्मक कक्ष शामिल हैं।

46.	नर्सिंग स्टाफ	3	3	6	6
47.	आया (एक प्रति शिफ्ट)	3	3	3	3

क्रियाकल्प

48.	क्रियाकल्प थिरेपिस्ट्स	2	2	4	4
-----	------------------------	---	---	---	---

फिजियोथेरेपी

49.	फिजियोथेरेपिस्ट	1	1	1	1
50.	अटेंडेंट या आया	1	1	1	1
51.	योग प्रदर्शक	1	1	1	1

सेवा क्षेत्र					
	पथ्य (पौष्टिक) – आहार अनुभाग				
52.	प्रभारी (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या आयुर्वेद डायटेटिक्स में मास्टर ऑफ साइंस)	1	1	1	1
53.	पथ्य (पौष्टिक) कुक	2	2	3	4
54.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	2	2	3	4
	सेंट्रल स्टरलाइजेशन यूनिट				
52.	नर्सिंग स्टाफ	1	1	1	1
53.	आया	1	1	1	1

नोट: जनसंपर्क अधिकारी, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, रखरखाव कर्मचारी, सिक्योरिटी, आवश्यकतानुसार ड्राइवरों को नियुक्त या आउटसोर्स किया जा सकता है।

अनुसूची XXI

डायग्नोस्टिक जोन के अंतर्गत विभिन्न यूनिटों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र+

(नियम 43 देखें)

क्रम संख्या	इकाई	प्रवेश क्षमता के अनुसार आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
1.	तैदानिक प्रयोगशाला				
2.	इमेजिंग अनुभाग				
3.	अन्य निदान				
4.	प्रतीक्षा क्षेत्र, परिसंचरण क्षेत्र और शैचालय	150	175	200	225
5.	डायग्नोस्टिक जोन प्रभारी का कार्यालय				
6.	परीक्षण रिपोर्ट जारी करने के लिए काउंटर				

साधन और उपकरण

हेमेटोलॉजी या पैथोलॉजी सेक्शन

7.	पूर्ण रूप से स्वचालित हेमेटोलॉजी एनलाइजर – एक	1	1	1	1
8.	ट्रिनोकुलर माइक्रोस्कोप विथ डिस्प्ले यूनिट – एक	1	1	1	1
9.	कलोरीमीटर - एक	1	1	1	1

जैव रसायन (बायोकेमिस्ट्री) अनुभाग

10.	फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनलाइजर	1	1	1	1
11.	इलेक्ट्रोलाइट एनलाइजर	1	1	1	1
12.	सेंट्रीफ्यूज	1	1	2	2

13.	हॉट एयर ओवन	1	1	2	2
14.	केमिलुमिनेसेंस या एंजाइम लिंकड इम्यून-सोरबेन्ट ऐसे	1	1	1	1
15.	HbA1C एनालाइजर या कार्ड आधारित	1	1	1	1
माइक्रोबायोलॉजी अनुभाग					
16.	ट्रिनोकुलर माइक्रोस्कोप विथ डिस्प्ले यूनिट	1	1	2	2
17.	इनक्यूबेटर	1	1	2	2
18.	आटोक्लेव (वर्टिकल)	1	1	1	1
19.	हॉट एयर ओवन	1	1	2	2
20.	ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम	1	1	1	1
21.	बायो सेफ्टी कैबिनेट	1	1	1	1
इमेजिंग अनुभाग					
22.	एक्स-रे यूनिट (अधिमानतः डिजिटल एक्स-रे) मशीन और सहायक उपकरण के साथ				अनिवार्य
23.	अल्ट्रासाउंड स्कैन				अनिवार्य
अन्य					
24.	इलेक्ट्रोगर्डियोग्राम				अनिवार्य
25.	स्पिरोमेट्री				अनिवार्य
नोट: कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, डॉपलर, आदि जैसे उच्च इमेजिंग अध्ययनों के लिए, कॉलेज का निकटतम नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर ट्रेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज-मान्यता प्राप्त डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ टाई-अप हो सकता है।					

अनुसूची XXII

इन-पेशेंट ज़ोन के विभिन्न वार्डों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र

(नियम 44 और 45 देखें)

क्रम संख्या	अनुभाग	आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र (अंतर्ग्रहण क्षमता अनुसार)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200

मेडिकल इन-पेशेंट सेक्षन

1.	रोगी के विस्तरों के लिए आवश्यक क्षेत्र (छह वर्ग मीटर प्रति विस्तर)	220	360	540	720
2.	आपातकालीन वार्ड और गहन चिकित्सा देखभाल इकाई (दो से छह बेड)	50 – 200			
3.	नर्सिंग काउंटर और स्टोर (प्रत्येक तीस बेड के लिए एक काउंटर)	20	40 (20 x 2)	60 (20 x 3)	80 (20 x 4)
4.	इंटर्न के लिए बैठने की जगह	10	15	20	30
5.	नाइट ड्यूटी नर्स के लिए कक्ष (तीस बेड के लिए एक)	20	40 (20 x 2)	60 (20 x 3)	80 (20 x 4)

6.	नाइट ड्यूटी इंटर्न के लिए कक्ष (पुरुष और महिला के लिए अलग से)	50	50 (25 x 2)	60 (30 x 2)	70 (35 x 2)
7.	डॉक्टर के लिए रात की ड्यूटी कक्ष	20	40 (20 x 2)	60 (20 x 3)	80 (20 x 4)
8.	वार्ड प्रोसीज़र रूम	20	20	30 (1 or 2 कक्ष)	45 (2 or 3 कक्ष)
9.	नैदानिक कक्षाएं	45	90 (45 x 2)	120 (60 x 2)	150 (50 x 3)
10.	परिसंचरण क्षेत्र और गलियारे	20	30	40	50
11.	शौचालय (पुरुष और महिला अलग-अलग), पीने के पानी की सुविधा (गर्म और ठंडा), ट्रॉलियों के लिए जगह, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ और अस्वच्छ उपयोगिता, हाउसकीपिंग सामग्री, और इसी प्रकार	300	400	500	650

सर्जिकल इन-पेशेंट सेक्शन

12.	रोगी के बिस्तरों के लिए आवश्यक क्षेत्र (छह वर्ग मीटर प्रति बिस्तर)	145	240	360	480
13.	नर्सिंग काउंटर और स्टोर (बीस बेड के लिए एक काउंटर)	20	40 (20 x 2)	60 (20 x 3)	80 (20 x 4)
14.	इंटर्न के लिए बैठने की जगह	10	15	20	30
15.	नाइट ड्यूटी नर्स के लिए कक्ष (बीस बेड के लिए एक)	20	40 (20 x 2)	60 (20 x 3)	80 (20 x 4)
16.	नाइट ड्यूटी इंटर्न के लिए कक्ष (पुरुष और महिला के लिए अलग से)	25	50 (25 x 2)	60 (30 x 2)	70 (35 x 2)
17.	नाइट ड्यूटी डॉक्टर के लिए कक्ष	25	25	25	25
18.	वार्ड प्रोसीज़र रूम	20	20	30 (1 or 2 कक्ष)	45 (2 or 3 कक्ष)
19.	नैदानिक कक्षाएं	45	90 (45 x 2)	120 (60 x 2)	150 (50 x 3)
20.	परिसंचरण क्षेत्र और गलियारे	20	30	40	50
21.	शौचालय (पुरुष और महिला अलग-अलग), पीने के पानी की सुविधा (गर्म और ठंडा), ट्रॉलियों के लिए जगह, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ और अस्वच्छ उपयोगिता, हाउसकीपिंग सामग्री, और इसी प्रकार	300	400	500	650

अनुसूची XXIII
इन-पेशेंट विभाग के लिए न्यूनतम आवश्यकता
(नियम 45 देखें)

क्रम संख्या	आवश्यकताएं	प्रति नर्सिंग स्टेशन या काउंटर न्यूनतम संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	स्फिमोमैनोमीटर (नॉन -मर्क्युरियल)	2
2.	क्लिनिकल थर्मोमीटर (नॉन-कॉटेक्ट)	2
3.	वाइटल मॉनिटर	1
4.	स्टेथस्कोप	2

5.	बुनियादी परीक्षा उपकरण जैसे मापने टेप, टंग डिप्रेसर, नी हैमर, टॉर्च, किडनी ट्रे या अन्य उपभोग्य वस्तुएँ।	आवश्यकता के अनुसार
6.	नाड़ी रीडिंग उपकरण	2
7.	वेइंग स्केल	1
8.	ट्राली	1

चिकित्सा इन-पेशेंट सेक्षन से जुड़ा प्रोसीजर रूम

9.	द्रोणी	1
10.	फुट स्टेप स्टैंड	2
11.	हीटिंग सोर्स	2
12.	स्फिग्मोमैनोमीटर (नॉन -मर्क्युरिअल)	2
13.	क्लिनिकल थर्मामीटर (नॉन-कॉटेक्ट)	2
14.	उपभोग्य सामग्रियों जैसे बरतन, ट्रे और इसी प्रकार वार्ड प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए।	आवश्यकता के अनुसार

सर्जिकल इन-पेशेंट सेक्षन से जुड़ा प्रोसीजर रूम

15.	जांच टेबल	1
16.	स्टर्लाइज़ेर	1
17.	बुनियादी उपकरण जैसे टूथ फोरसेप्स, फोरसेप्स, आर्टरी फोरसेप्स, क्रैंची, बीपी हैंडल, ब्लेड, प्रोक्टोस्कोप, कैथेटर, सीरिंज	1
18.	स्फिग्मोमैनोमीटर (नॉन-मर्क्युरिअल)	2
19.	क्लिनिकल थर्मामीटर (नॉन-कॉटेक्ट)	2
20.	सर्जिकल वार्ड प्रक्रिया के संचालन के लिए उपभोग्य वस्तुएँ और औषधियां	आवश्यकता के अनुसार

अनुसूची XXIV

प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र

(नियम 47 देखें)

क्रम संख्या	इकाई	प्रवेश क्षमता के अनुसार आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200

पंचकर्म चिकित्सा अनुभाग

1.	रिसेप्शन और प्रतीक्षा	15	20	25	30
2.	परामर्श कक्ष	25	25	50 (25x2)	50 (25x2)
3.	प्रिपरेशन कक्ष, स्टोर, अपशिष्ट प्रबंधन	50	50	75	75
4.	थेरेपी रूम – पुरुष (तीस वर्ग मीटर की दर से)	90 (30x3)	120 (30x4)	180 (30x6)	240 (30x8)
5.	थेरेपी रूम – महिला (तीस वर्ग मीटर की दर से)	90 (30x3)	120 (30x4)	180 (30x6)	240 (30x8)
6.	क्यूबिकल (पांच वर्ग मीटर की दर से)	20 (5x4)	30 (5x6)	40 (5x8)	50 (5x10)
7.	थेरेपिस्ट्स रूम पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग	40	40	40	40

		(20x2)	(20x2)	(20x2)	(20x2)
सर्जिकल थेरेपी अनुभाग					
8.	माइनर ऑपरेशन थियेटर	50	100	150	150
9.	मेजर ऑपरेशन थियेटर (सामान्य)	150	200	400 (200x2)	400 (200x2)
10.	अनुशङ्ख कर्म	30	50	80	100
11.	लेवर रूम	50	50	60	75
12.	प्रसूति-स्त्री रोग प्रोसीजर रूम	30	30	30x2	30x2
13.	गर्भ संस्कार	30	30	50	50
14.	क्रियाकल्प अनुभाग	30	30	50	50
15.	फिजियोथेरेपी अनुभाग	100	100	125	150
16.	योग अनुभाग	50	50	75	100

अनुसूची XXV

पंचकर्म चिकित्सा अनुभाग के लिए यंत्रों या उपकरणों की न्यूनतम आवश्यकता

(नियम 47 देखें)

क्रम संख्या	यंत्र या उपकरण	न्यूनतम संख्या आवश्यक (प्रवेश क्षमता अनुसार)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200

स्वागत और प्रतीक्षा कक्ष (रिसेप्शन और वेटिंग)

1.	इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर	1	1	1	1
2.	प्रिंटर	1	1	1	1
3.	बैठने के लिए फर्नीचर	आवश्यकता के अनुसार			

परामर्श कक्ष

4.	जांच टेबल	1	1	1	1
5.	गैर-मर्क्यूरियल स्फिग्मोमैनोमीटर	2	2	4	4
6.	स्टेथस्कोप	2	2	4	4
7.	एक्स-रे ब्यू बॉक्स	1	1	1	1
8.	क्लिनिकल थर्ममीटर (नॉन-कांटेक्ट)	2	2	4	4
9.	हाइट एंड वेट मेजरिंग स्केल	1	1	1	1
10.	मेजरिंग टेप	1	1	2	2
11.	टार्च	1	1	2	2
12.	नी हैमर	2	2	4	4
13.	टंग डिप्रेसर	2	2	4	4
14.	इलेक्ट्रोगर्डियोग्राम	1	1	1	1

स्टोर और अपशिष्ट प्रबंधन सहित तैयारी कक्ष

15.	खाना पकाने की सुविधा	आवश्यकता के अनुसार			
16.	खाना पकाने के बर्तन (कुकिंग वेयर)	आवश्यकता के अनुसार			
17.	भंडार (स्टोरेज)	आवश्यकता के अनुसार			
18.	रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन	प्रत्येक 1	प्रत्येक 1	प्रत्येक 1	प्रत्येक 1
19.	वाटर फिल्टर	1	1	1	1
20.	तैयार औषधियों को चिकित्सा कक्षों में ले जाने के लिए ट्रे और बर्तन।	आवश्यकता के अनुसार			
21.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन	विनिर्देशों के अनुसार			

लेहपान या परामर्श (काउंसलिंग) के लिए क्यूबिकल					
22.	फर्नीचर	आवश्यकता के अनुसार			
23.	स्फिग्मोमैनोमीटर (नॉन-मर्क्यूरियल)	4	6	8	10
24.	क्लिनिकल थर्ममीटर (नॉन-कॉटेक्ट)	4	6	8	10
25.	पानी के नल के साथ वाँश बेसिन	4	6	8	10
26.	स्टेथस्कोप	4	6	8	10
थेरेपी कक्ष					
27.	द्रोणी	6	8	12	16
28.	धारा स्टैंड	6	8	12	16
29.	हीटिंग सोस	आवश्यकता के अनुसार			
30.	स्टैंड के साथ स्फिग्मोमैनोमीटर	6	8	12	16
31.	स्टेथस्कोप	6	8	12	16
32.	फुट स्टेप स्टैंड	6	8	12	16
33.	स्वेदन सुविधा (सर्वांग एवं स्थानिक)	प्रत्येक 6	प्रत्येक 8	प्रत्येक 12	प्रत्येक 16
34.	कटि बस्ती, जानू बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती हृदय बस्ती के छल्ले	आवश्यकता के अनुसार			
35.	धारापात्र	6	8	12	16
36.	उपभोग्य सामग्रियों जैसे—द्रे, बरतन, पैकिंग सामग्री, कैथेटर, उद्वर्तन चूर्ण और इसी प्रकार, दस्ताने, कॉटन और इसी प्रकार	आवश्यकता के अनुसार			

अनुसूची XXVI

शल्य, शालाक्य, प्रसूति और रुक्षीरोग विभागों के लिए ऑपरेशन थियेटर के लिए आवश्यक न्यूनतम उपकरण और यंत्र
(नियम 47 देखें)

क्रम संख्या	आवश्यक उपकरण और यंत्र	आवश्यकता
(1)	(2)	(3)
1.	इंटरनेट और प्रिंटर के साथ कंप्यूटर	1
2.	स्पॉट लाइट (शैडोलेस सीलिंग फिटेड)	1
3.	नीडल होल्डिंग फोरसेप्स (बड़ा-मध्यम-छोटा)	आवश्यकता के अनुसार
4.	ड्रम स्टैंड	आवश्यकता के अनुसार
5.	आईवी स्टैंड	आवश्यकता के अनुसार
6.	एक्स-रे व्यू बॉक्स (डबल)	1
7.	चीटल फोर्सेप्स	आवश्यकता के अनुसार
8.	मॉस्टिको फोर्सेप्स	आवश्यकता के अनुसार
9.	टेलर सीजर	आवश्यकता के अनुसार
10.	कर्व सीजर्स डिफेरेंट साइज़	आवश्यकता के अनुसार
11.	स्टिच रिमूवल सीजर्स	आवश्यकता के अनुसार
12.	डीसेक्सन फोर्सेप्स	आवश्यकता के अनुसार
13.	साइनस फोर्सेप्स	आवश्यकता के अनुसार
14.	प्रोब्स -असार्टेड साइज	आवश्यकता के अनुसार
15.	पॉइंटेड सीजर	आवश्यकता के अनुसार
16.	गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल क्लैंप (ओक्लूसिव और क्रशिंग)	आवश्यकता के अनुसार
17.	एब्डोमिनल रिट्रैक्टर्स	आवश्यकता के अनुसार
18.	टिश्यू फोरसेप्स	आवश्यकता के अनुसार

19.	बेबकॉक फोरसेप्स	आवश्यकता के अनुसार
20.	कोचर फोरसेप्स	आवश्यकता के अनुसार
21.	यूरेश्वल डायलेटर	आवश्यकता के अनुसार
22.	मिश्रित आकार के रबरकैथेटर	आवश्यकता के अनुसार
23.	मेटल कैथेटर	आवश्यकता के अनुसार
24.	सूचरिंग नीडल (स्ट्रेट और कर्व) असॉर्टेड साइज	आवश्यकता के अनुसार
25.	सर्जिकल थ्रेड	आवश्यकता के अनुसार
26.	संपंज होलिंडिंग फोर्सेप्स	आवश्यकता के अनुसार
27.	राइट एंगल कोलेसिस्टेक्टोमी फोर्सेप्स	आवश्यकता के अनुसार
28.	स्टोन होलिंडिंग फोरसेप्स	आवश्यकता के अनुसार
29.	प्रॉक्टोस्कोप इल्यूमिनेटर के साथ या उसके बिना	आवश्यकता के अनुसार
30.	बोजीज (मेगार्स)	आवश्यकता के अनुसार
31.	एलिस फोर्सेप्स छोटा	आवश्यकता के अनुसार
32.	एलिस फोर्सेप्स बड़ा	आवश्यकता के अनुसार
33.	पाइल होलिंडिंग फोरसेप्स	आवश्यकता के अनुसार
34.	आर्टरी फोर्सेप्स छोटी	आवश्यकता के अनुसार
35.	आर्टरी फोर्सेप्स बड़ी	आवश्यकता के अनुसार
36.	आर्टरी फोर्सेप्स मध्यम	आवश्यकता के अनुसार
37.	सिग्मोइडोस्कोप रिजिड फ्लेक्सिबल	वैकल्पिक
38.	बेरन पाइल्स गन	1
39.	लैरिंगोस्कोप: बाल या वयस्क	1
40.	अम्बु बैग	1
41.	सक्षण मशीन इलेक्ट्रिकल या मैनुअल	1
42.	इमरजेंसी लाइट	1
43.	स्किन ग्राफिंग नाइफ विथ हैंडल	1
44.	विभिन्न आकार के सर्जिकल ब्लेड	1
45.	विभिन्न आकार के बीपी हैंडल	1
46.	सेल्फ-रिटेनिंग रिट्रैक्टर	1
47.	बोन ड्रिल मशीन	1
48.	बोन कटर	1
49.	गिगली सॉ	1
50.	स्कूप	1
51.	पेरीओस्टेम एलीवेटर	1
52.	मैगलर फोर्सेप	1
53.	विभिन्न आकारों के एंडोट्रैकियल स्ट्रूब	1
54.	हाइ प्रेशर दबाव आटोक्लेव	1
55.	फ्यूमिगेटर	1
56.	फ्रिज	1
57.	नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर	1
58.	हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल	1
59.	स्पॉट लाइट (शेडोलेस सीलिंग फिटेड)	1
60.	एनेस्थीसिया ट्रॉली या बॉयल्स एपरेटस	1
61.	गेल्रियल सिर्ज	1
62.	मॉस्टिको फोर्सेप्स	1
63.	ब्लड प्रेशर एपरेटस	1
64.	डोयेन रिट्रैक्टर	आवश्यकता के अनुसार

65.	ग्रीन आर्मटिज फोर्सेप्स	आवश्यकता के अनुसार
66.	स्टरलाइज़र	2
67.	सिम्स स्पेकुलम	3
68.	एंटीरियर वैजिनल वॉल रिएक्टर	3
69.	कुस्को स्पेकुलम	3
70.	यूटेरिन साउंड	3
71.	एंटीरियर वैजिनल वॉल रिएक्टर	आवश्यकता के अनुसार
72.	रिट्रैक्टर एब्डोमिनल (डॉयने और इसी प्रकार)	आवश्यकता के अनुसार
73.	ग्रीन आर्मटिज फोर्सेप्स	आवश्यकता के अनुसार
74.	यूट्रस होल्डिंग फोरसेप्स	आवश्यकता के अनुसार
75.	उपभोग्य जैसे गाउन, दस्ताने, मास्क, टोपी, केमिकल, औषधि और इसी प्रकार	आवश्यकता के अनुसार

अनुसूची XXVII

अनुशङ्ख कर्म और प्रसूति और स्त्री रोग प्रोसीजर रूम के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यक उपकरण और सहायक उपकरण
(नियम 47 देखें)

क्रम संख्या	विवरण	आवश्यकता
(1)	(2)	(3)
1.	कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रिंटर	1
2.	सभी आवश्यक सामान के साथ अग्निकर्म किट क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम एस्टिमेशन किट	आवश्यकता के अनुसार
3.	सभी आवश्यक सामान और जलौका के साथ जलौकावचरण किट क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम एस्टिमेशन किट	आवश्यकता के अनुसार
4.	सभी आवश्यक सामान के साथ सिरव्याधि किट क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम एस्टिमेशन किट	आवश्यकता के अनुसार
5.	सभी आवश्यक सामान के साथ कपिंग थेरेपी किट क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम एस्टिमेशन किट	आवश्यकता के अनुसार
6.	अन्य उपचार (थेरेपी)	आवश्यकता के अनुसार

प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग प्रक्रियात्मक कक्ष

7.	कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रिंटर	1
8.	जांच टेबल	1
9.	स्पॉट लाइट	1
10.	स्टरलाइज़र	1
11.	ट्राली	1
12.	सिम्स स्पेकुलम, कुस्को स्पेकुलम, सुचरिंग किट, प्रोक्टोस्कोप, कैथेटर, सिरिंज, किडनी ट्रे और इसी प्रकार के बुनियादी उपकरण।	1
13.	उपभोग्य सामग्रियों और औषधियां जो बुनियादी प्रक्रियाओं में जैसे : योनि पिचू, योनि धूपन, योनि प्रक्षालन, और इसी प्रकार की प्रक्रियाओं को करने के लिए आवश्यक।	आवश्यकता के अनुसार

अनुसूची XXVIII

लेबर रूम के लिए न्यूनतम आवश्यक उपकरण और सहायक उपकरण

(नियम 47 देखें)

क्रम संख्या	उपकरण और सहायक उपकरण	आवश्यक मात्रा
(1)	(2)	(3)
1.	इंटरनेट और प्रिंटर के साथ कंप्यूटर	1
2.	शैडोलेस लैंप	1
3.	सक्षान मशीन (नवजात शिशु संबंधी)	1
4.	ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क	1
5.	फीटल टोको कार्डियोग्राफ या डोपलर	1
6.	वेइंग मशीन (पीडियाट्रिक)	1
7.	रोगी ट्रॉली	1
8.	इनफैटोमीटर	1
9.	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर	1
10.	आव्सटेट्रिक फोरसेप्स	आवश्यकता के अनुसार
11.	स्टरलाइज़र	1
12.	लेबर और एपीसीओटॉमी के लिए उपकरण (कैंची, फोरसेप्स, नीडल होल्डर्स और इसी प्रकार)	आवश्यकता के अनुसार
13.	बेबी ट्रे	आवश्यकता के अनुसार
14.	नेबुलाइज़र	आवश्यकता के अनुसार
15.	फिटोस्कोप	आवश्यकता के अनुसार
16.	इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली	1
17.	लेबर टेबल विथ लिथोटॉमी बार्स	
18.	पल्स ऑक्सीमीटर	1
19.	रिसिस्टेशन किट	आवश्यकता के अनुसार
20.	इलेक्ट्रो कॉटरी	1
21.	मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी सक्षान मशीन क्युरेट के साथ	1
22.	ब्लंट एंड शार्प क्युरेट्स	आवश्यकता के अनुसार
23.	डाइलेटर्स सेट (हेगर, हॉकिन्स)	आवश्यकता के अनुसार
24.	सिम्स स्पेकुलम	आवश्यकता के अनुसार
25.	कुस्को स्पेकुलम	आवश्यकता के अनुसार
26.	यूटेरिन साउंड	आवश्यकता के अनुसार
27.	वालसेलम	आवश्यकता के अनुसार
28.	स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स	आवश्यकता के अनुसार
29.	कोकर फोर्सेप्स	आवश्यकता के अनुसार
30.	आर्टी फोरसेप्स (लॉन्ना, शार्ट, मॉस्किटो) प्रत्येक	आवश्यकता के अनुसार
31.	कैंची-विभिन्न आकार और एपीसीओटॉमी कैंची	आवश्यकता के अनुसार
32.	एंडोट्रैकियल ठ्यूब	आवश्यकता के अनुसार
33.	कार्ड किटिंग अप्लायांसेज	आवश्यकता के अनुसार
34.	इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस - रिमूविंग हुक	आवश्यकता के अनुसार
35.	ब्लैडर साउंड	आवश्यकता के अनुसार
36.	बीपी एपरेटस	आवश्यकता के अनुसार
विविध		
37.	आपातकालीन रोगियों के लिए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस,	आवश्यकता के अनुसार

	वीडीआरएल और हेपेटाइटिस-बी किट	
38.	सादे और छेद वाले तौलिये (टॉवल)	आवश्यकता के अनुसार
39.	टॉवल क्लिप्स	आवश्यकता के अनुसार
40.	कैटग्रास और श्रेड	आवश्यकता के अनुसार
41.	सूचरिंग नीडलस	आवश्यकता के अनुसार
42.	नीडल होल्डर्स	आवश्यकता के अनुसार
43.	फ्यूमिगेटर (धूपन यंत्र)	एक
44.	मैकिनटोश रबर शीट	आवश्यकता के अनुसार
45.	ड्रम	आवश्यकता के अनुसार
46.	ड्रेसिंग सामग्री और इसी प्रकार	आवश्यकता के अनुसार

अनुसूची XXIX

नवजात गहन देखभाल इकाई की न्यूनतम आवश्यकताएं

(नियम 47 देखें)

क्रम संख्या	विवरण	न्यूनतम आवश्यकता	
		(1)	(2)
1.	कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रिंटर	1	
2.	रेडिएंट वार्मर	1	
3.	फोटोथेरेपी यूनिट	1	
4.	रिससिटेशन किट	5	
5.	निओनेटल सक्षान मशीन	1	
6.	ऑक्सीजन यूनिट	1	
7.	ऑक्सीजन हुड नेजल प्रोग सेट	2	
8.	लैरिंगोस्कोपी	3	
9.	एंडोट्रैकियल ट्यूब		आवश्यकता के अनुसार
10.	सक्षान कैथेटर		आवश्यकता के अनुसार
11.	निओनेटल ब्लड प्रेशर काफ	2	
12.	निओनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट क्लीनिकल थर्मामीटर	2	
13.	मल्टी-पैरामीटर मॉनिटर	1	

अनुसूची XXX

फिजियोथेरेपी सेक्षन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यक उपकरण और सहायक उपकरण

(विनियम 47 देखें।)

क्रम संख्या	विवरण	न्यूनतम आवश्यकताएं				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				60	100	150
1.	कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रिंटर	1	1	1	1	1
2.	इंटरफेरेंटिअल थेरेपी - तारों और इलेक्ट्रोड के साथ	1	1	2		2
3.	ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन - तारों और इलेक्ट्रोड के साथ।	1	1	2		2

4.	अल्ट्रासाउंड थेरेपी विथ प्रोब्स	1	1	2	2
5.	इन्का-रेड चिकित्सा	4	6	8	10
6.	सिलिका पैक के साथ गर्म नम पैक इकाई	1	1	2	2
7.	क्रायो पैक के साथ क्रायोथेरेपी यूनिट	1	1	2	2
8.	लेजर थेरेपी	1	1	2	2
9.	ट्रैक्शन यूनिट - लम्बर और सर्वाइकल बेल्ट्स के साथ	2	4	6	8
10.	स्लिंग्स के साथ स्पेंशन थेरेपी	आवश्यकता के अनुसार			
11.	पैरेलल बार	1	1	1	1
12.	ट्रेडमिल	1	1	2	2
13.	टिल्ट टेबल	1	1	2	2
14.	इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन - तारों और इलेक्ट्रोड के साथ	1	1	2	2
15.	मस्कुलोस्केलेटल व्यायाम उपकरण जैसे शोल्डर व्हील, फिंगर-ग्रिप स्ट्रेचर, रिबेलेंस फिंगर-ग्रिप और इसी प्रकार	2	2	2	2

प्रसूति संबंधित

16.	पेल्विक फ्लोर 360	मिश्रित
17.	पेरिनियोमीटर	मिश्रित
18.	कीगल कॉन्स	मिश्रित

बाल चिकित्सा से संबंधित

19.	स्विस बॉल विभिन्न आकारों के	मिश्रित
20.	ट्रैम्पोलिन	मिश्रित
21.	विभिन्न आकृतियों का बोलस्टर	1 1 1 1
22.	सेंसरी इंटीग्रेशन किट	मिश्रित
23.	छोटे बॉकर	मिश्रित

अनुसूची XXXI

प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र

(विनियमन 49 देखें)

क्रम संख्या	इकाई	प्रवेश क्षमता के अनुसार आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र वर्ग मीटर में			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200
1.	चिकित्सा निदेशक	35	35	35	35
2.	चिकित्सा अधीक्षक	35	35	35	35
3.	चिकित्सा अधीक्षक के निजी सहायक	10	10	10	10
4.	उप चिकित्सा अधीक्षक	20	20	40 (20x2)	60 (20x3)
5.	ऐडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक)	20	20	40 (20x2)	60 (20x3)
6.	मेट्रन	20	20	20	20
7.	सहायक मैट्रन	15	15	30 (15x2)	45 (15x3)
8.	कार्यालय अधीक्षक	15	15	15	15
9.	एकाउंटेंट और कार्यालय के अन्य कर्मचारी	30	30	30	30

10.	आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा कक्ष (लाउंज)	15	15	15	15
11.	रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर रूम	30	30	45	45
12.	शौचालय	20	20	20	20
13.	पैंट्री	05	05	05	05
14.	डॉक्टर्स लाउन्ज	30	30	40	40
15.	इंटर्न रूम	50	50	75	100
16.	स्टाफ रूम	50	50	75	100
17.	बैठक हॉल	50	50	75	75
18.	स्टोर	50	75	100	150

परिशिष्ट I

फॉर्म-29 ए

नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज (स्नातक) की स्थापना की अनुमति के लिए आवेदन

(विनियमन 58 देखें)

क्रम संख्या	विवरण	निर्दिष्ट
(1)	(2)	(3)
भाग-I - आवेदकों का विवरण		
1.	आवेदक का नाम (ब्लॉक अक्षरों में)	
2.	पिन कोड के साथ पूरा पता	
3.	आधिकारिक टेलीफोन नंबर	
4.	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
5.	आवेदक की स्थिति: राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, या संस्थान का प्रकार (सरकारी या सहायता प्राप्त या निजी)।	
6.	ट्रस्ट की संरचना सोसायटी या ट्रस्ट के सदस्यों का विवरण, प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के प्रमुख या परियोजना निदेशक या मौजूदा चिकित्सालय के प्रमुख, सदस्यों की चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में योग्यता और अनुभव, परियोजना के प्रमुख या चिकित्सालय के निदेशक और प्रमुख।	
7.	आवेदक निकाय के निगमन का पंजीकरण (संख्या और तिथि, यदि कोई हो)	
8.	क्या कोई अन्य आयुर्वेद कॉलेज उसी ट्रस्ट या सोसाइटी या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है? (क) यदि हाँ, तो दो कॉलेजों के बीच की दूरी का उल्लेख करें। (ख) उसी की एक मुद्रित प्रति के साथ कॉलेज का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लिंक प्रदान करें।	हाँ / नहीं
9.	यदि आवेदक एक ट्रस्ट है तो पिछले तीन वर्षों के लिए बैलेंस शीट प्रदान की जाएगी।	
10.	वार्षिक लेखा परीक्षा (ऑडिट) रिपोर्ट (पिछले दो वर्षों की लेखा परीक्षा (ऑडिट) रिपोर्ट की संलग्न प्रति)	
11.	(क) परियोजना के वित्तपोषण के साधन (ख) आवेदक का योगदान (प्रमाण संलग्न करें) (ग) अनुदान (प्रमाण संलग्न करें) (घ) दान (प्रमाण संलग्न करें) (ङ) इक्विटी (प्रमाण संलग्न करें)	

	(च) सावधि ऋण (लोन) (प्रमाण संलग्न करें।)	
	(छ) अन्य स्रोत, यदि कोई हो (प्रमाण संलग्न करें।)	
12.	भुगतान किए गए शुल्क का विवरण क. आवेदन शुल्क ट्रांजेक्शन आईडी ख. प्रोसेसिंग फीस ट्रांजेक्शन आईडी	
	भाग-II - आवश्यक आवश्यकताएं	
13.	राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' की तिथि।	
14.	अनिवार्यता प्रमाणपत्र की वैधता	से ----- तक ----
15.	संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता	
16.	संबद्धता की सहमति की तिथि योजना के लिए फॉर्म -डी	
17.	योजना के लिए संबद्धता की सहमति के वर्ष	से ----- तक ----
	भाग-III- प्रस्तावित कॉलेज का विवरण	
18.	प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नाम	
19.	कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम	
20.	छात्रों की प्रस्तावित वार्षिक प्रवेश क्षमता	
21.	आधिकारिक टेलीफोन नंबर	
22.	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
23.	उसी की प्रिंट कॉपी के साथ कॉलेज और चिकित्सालय का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लिंक	
24.	कुल भूमि क्षेत्र	
25.	भूमि पट्टे (लीज) पर है या स्वयं की है	
26.	यदि यह पट्टे (लीज) पर है, तो पट्टे (लीज) के वर्ष	
27.	भूमि की श्रेणी (टियर I और टियर II)	
28.	संबंधित अधिकारियों से संबंधित भवन निर्माण अनुमतियां	
29.	भवन योजना का खाका (ब्लूप्रिंट) (प्रति संलग्न करें।)	
30.	प्रशासनिक ब्लॉक अवसंरचना विकास चरण-। (क) रचना शारीर विभाग (ख) क्रिया शारीर विभाग (ग) संहिता सिद्धांत विभाग (घ) केंद्रीय पुस्तकालय (ङ) डिजिटल लाइब्रेरी (च) व्याख्यान कक्ष - दो • पहले व्यावसायिक विभागों के लिए शिक्षण स्टाफ • प्रशासनिक और पहले व्यावसायिक विभागों के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारी	
31.	चरण II के लिए अवसंरचनात्मक मानक और मानव संसाधन विकास योजना (क) द्रव्यगुण विज्ञान विभाग (ख) रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना विभाग (ग) रोग निदान और विकृति विज्ञान विभाग (घ) अगदतंत्र विभाग (ङ) स्वस्थवृत्त और योग विभाग	
32.	हर्बल गार्डन	
33.	अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष	
34.	शिक्षण कर्मचारी	
35.	गैर-शिक्षण कर्मचारी	

36.	योग-नैदानिक कौशल प्रयोगशालाओं में दूसरे व्यावसायिक विषयों के लिए निर्दिष्ट सुविधाओं का विस्तार।	
37.	पुस्तकालय की पुस्तकों का योग	
38.	विभागवार उपकरण और सहायक उपकरण	
39.	चरण III के लिए अवसंरचनात्मक मानक और मानव संसाधन विकास योजना (क) काय-चिकित्सा विभाग (ख) पंचकर्म विभाग (ग) शल्य तंत्र विभाग (घ) शालाक्य तंत्र विभाग (ङ) ऋग और प्रसूति विभाग (च) कौमरभृत्य विभाग	
40.	व्याख्यान कक्ष	
41.	शिक्षण कर्मचारी	
42.	गैर-शिक्षण कर्मचारी	
43.	योग-नैदानिक कौशल प्रयोगशालाओं में दूसरे व्यावसायिक विषयों के लिए निर्दिष्ट सुविधाओं का विस्तार।	
44.	पुस्तकालय पुस्तकों का योग	
45.	विभागवार उपकरण और सहायक उपकरण	
46.	भाग -IV- मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावित स्थल की विशेषताएं (क) स्थलाकृति (टोपोग्राफी) (ख) प्लॉट का आकार (ग) अनुमेय फर्श स्थान सूचकांक (घ) ग्राउंड कवरेज (ङ) भवन की ऊंचाई (च) सड़क तक पहुंच (छ) सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता (ज) विजली की आपूर्ति (झ) जल आपूर्ति (ज) सीवेज कनेक्शन (ट) संचार सुविधाएं (ठ) प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का मास्टर प्लान (ड) लेआउट योजनाएं, भाग (ढ) ऊंचाई और फर्श के अनुसार क्षेत्र की गणना	
47.	भाग-V- बैंकिंग विवरण (क) खाते का नाम (ख) कॉलेज के नाम पर खाता संख्या (ग) बैंक का नाम (घ) बैंक की शाखा का नाम	
	भाग -VI - चिकित्सालय का विवरण	
48.	मौजूदा चिकित्सालय का नाम, पता और विवरण	
49.	चिकित्सालय की स्थापना की तिथि	
50.	चिकित्सालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र	
51.	अग्रि सुरक्षा प्रमाण पत्र (कॉपी संलग्न करें)	
52.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति (कॉपी संलग्न करें)	
53.	स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक	

	अनुमतियों का नवीनीकरण (तक मान्य - प्रमाण संलग्न करें)																										
54.	नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) प्रमाणन की तिथि और स्तर																										
	नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) प्रमाणन की वैधता	से ----- तक -----																									
55.	एक्स-रे की अनुमति																										
56.	बेड संख्या																										
57.	अंतरंग रोगी विभाग बेड की उपलब्धता																										
	(क) काय-चिकित्सा वार्ड																										
	(ख) पंचकर्म वार्ड																										
	(ग) कौमारभूत्य वार्ड																										
	(घ) विष चिकित्सा वार्ड																										
	(ङ) शल्य वार्ड																										
	(च) शालाक्य वार्ड																										
	(छ) प्रसूति-स्त्री रोग वार्ड																										
58.	चिकित्सालय के कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की उपलब्धता	हाँ / नहीं																									
59.	चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण:-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>कर्मचारियों का नाम</th> <th>पदनाम</th> <th>योग्यता</th> <th>अनुभव</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	कर्मचारियों का नाम	पदनाम	योग्यता	अनुभव																				
क्र.सं.	कर्मचारियों का नाम	पदनाम	योग्यता	अनुभव																							
(क) प्रशासनिक कर्मचारी																											
(ख) कार्यालय कर्मचारी																											
(ग) चिकित्सालय के कर्मचारी																											
(घ) नर्सिंग स्टाफ																											
60.	कार्यशील बाह्य रोगी विभाग इकाइयों की संख्या																										
61.	इकाइयों की कार्यात्मक संख्या																										
	(क) पंचकर्म इकाई																										
62.	(ख) प्रसूति तंत्र इकाई																										
	पिछले दो शैक्षणिक वर्षों में बाह्य रोगी विभाग की कुल संख्या																										
63.	पिछले दो वर्षों के लिए प्रति दिन बाह्य रोगी विभाग की औसत संख्या																										
64.	पिछले दो शैक्षणिक वर्षों में अंतरंग रोगी विभाग की कुल संख्या																										
65.	पिछले दो वर्षों से औसत विस्तर अधिभोग																										
66.	कार्यशील बाह्य रोगी विभाग इकाइयों की संख्या																										
67.	भाग-VII - बैंकिंग विवरण																										
	(क) खाते का नाम																										
	(ख) कॉलेज के नाम पर खाता संख्या																										
	(ग) बैंक का नाम																										
	(घ) बैंक की शाखा का नाम																										
68.	चिकित्सालय के कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन का विवरण (महीने के अनुसार)																										
69.	औषधियों की खरीद का विवरण (इंडेट और भुगतान प्रमाण संलग्न करें)																										
70.	चिकित्सालय उपभोग्य की खरीद का विवरण (इंडेट और																										

	भुगतान प्रमाण संलग्न करें)					
71.	प्रासंगिक करों के भुगतान का विवरण (कॉपी संलग्न करें)					
72.	चिकित्सालय की आय का विवरण (कॉपी संलग्न करें)					
73.	चिकित्सालय रिकॉर्ड (जो भी लागू हो टिक करें)	(क) कंप्यूटरीकृत (ख) नियम पुस्तिका				
74.	क्या चिकित्सालय चरणबद्ध रूप से विकसित हुआ है?	हाँ / नहीं				
75.	यदि हाँ, तो चरणवार विवरण प्रदान करें	चरण	अवधि	विकास का विवरण	कार्य-संपादन (उस अवधि के लिए चिकित्सालय की संरचना)	
		से	तक			
		I				
		II				

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

स्थानः

दिनांकः

संलग्नक की सूची :

- न्यासियों (ट्रस्टी) के नाम के साथ उपनियमों या ज्ञापन और संस्था (एसोसिएशन) के लेखों या न्यास विलेख की प्रमाणित प्रति।
- न्यास (ट्रस्ट) के पंजीकरण या निगमन के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित (ऑफिटेड) बैलेंस शीट।
- स्वामित्व के प्रमाण के रूप में संपूर्ण उपलब्ध भूमि के लिए शीर्षक विलेखों (टाइटल डीड्स) की प्रमाणित प्रतियां या पट्टा (लीज) समझौता विलेख।
- उपलब्ध साइटों के लिए ज़ोनिंग योजनाओं की प्रमाणित प्रतियां जो उनके भूमि उपयोग का संकेत देती हैं।
- प्रारंभिक चिकित्सालय के पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ मौजूदा चिकित्सालय के स्वामित्व का प्रमाण।
- प्रस्तावित स्थल पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' या 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' की प्रमाणित प्रति।
- नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए किसी केन्द्र या राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के कानून के अंतर्गत स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी 'संबद्धता की सहमति' की प्रमाणित प्रति।
- शपथ पत्र जिसमें पुष्टि की गई है कि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और संलग्न शिक्षण चिकित्सालय के लिए नामित भूमि और भवन विशेष रूप से आयुर्वेद बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए हैं।
- एक शपथ पत्र जिसमें पुष्टि की गई है कि छात्रों का प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा मेरिट पर आधारित होगा और केवल एवं पूर्ण रूप से (केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों) के द्वारा आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से होगा, जैसी भी स्थिति हो। प्रवेश भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं होगा।

11. शपथ पत्र जिसमें पुष्टि की गई है कि पाठ्यचर्चाया, पाठ्य-विवरण, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम का नामकरण, छात्र-शिक्षक अनुपात सहित बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और मानव संसाधन को, संबंधित विनियमों में निर्दिष्ट आयोग के विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।
12. आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क प्रेषण का प्रमाण।
13. आवेदक के बैंकरों को संबोधित प्राधिकार पत्र जिसमें मेडिकल कॉलेज या संस्थान के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में स्वतंत्र जांच करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति – आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत किया गया है।
14. आवेदन पत्र के विभिन्न भागों के अनुसार अन्य संलग्नक (कृपया विवरण इंगित करें) :-
15. आधिकारिक बैंक खाते के पिछले दो वर्षों के बैंक लेनदेन की प्रति कॉलेज और चिकित्सालय
16. पिछले दो वर्षों के लिए चिकित्सालय के कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रति।

परिशिष्ट II

फॉर्म-29 बी

मौजूदा स्नातक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन।

(विनियमन 70 देखें)

1.	आवेदक का नाम (ब्लॉक अक्षरों में)	
2.	पिन कोड के साथ पूरा पता, (ब्लॉक अक्षरों में)	
	आधिकारिक टेलीफोन/मोबाइल नंबर.,	
	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
3.	आवेदक की स्थिति चाहे वह राज्य सरकार हो या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या न्यास	
4.	पंजीकरण/निगमन (संख्या और तिथि, यदि कोई हो)	
5.	आयुर्वेद कॉलेज का नाम और पता	
6.	राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की तिथि	
7.	संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता पहली संबद्धता की तिथि योजना के लिए पहली संबद्धता की तिथि	
8.	स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रथम बैच में प्रवेश का वर्ष	
9.	प्रथम प्रवेशित स्नातक या स्नातकोत्तर बैच के पूरा होने का माह और वर्ष।	
10.	अनुमोदित सीटों की संख्या और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मौजूदा स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के लिए मान्यता की तारीख।	
11.	प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन किए गए अध्ययन के पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) का नाम	
12.	प्रत्येक विषय या पाठ्यक्रम में आवेदन की गई सीटों की संख्या	

13.	विवरण: अतिरिक्त वित्तीय आवंटन - अतिरिक्त स्थान के लिए प्रावधान, साधन, और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं - अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती का प्रावधान-	
14.	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

स्थानः

दिनांक :

संलग्नकों की सूची:

1. संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र' की एक सत्यापित प्रति।
2. जिस संस्थान से कॉलेज या संस्थान संबद्ध है, उस संस्थान से 'संबद्धता की सहमति' की एक सत्यापित प्रति।
3. आवेदक के बैंकरों को संबोधित प्राधिकार पत्र जिसमें मेडिकल कॉलेज या संस्थान के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में स्वतंत्र जांच करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत किया गया है।
4. भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड –, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के पत्र की एक सत्यापित प्रति, जो कॉलेज या संस्थान की मान्यता को मंजूरी देती है, यदि उसे पहले से ही स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है।
5. एक शपथ पत्र जिसमें पुष्टि की गई है कि छात्रों का प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा मेरिट पर आधारित होगा और पूर्ण रूप से (केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों) के द्वारा आयोजित काउंसिलिंग के माध्यम से होगा, जैसी भी स्थिति हो। प्रवेश भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं होगा।
6. शपथ पत्र में पुष्टि की गई है कि छात्र-शिक्षक अनुपात सहित न्यूनतम बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को संबंधित नियमों में उल्लिखित आयोग के विनिर्देशों के अनुसार छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार बनाए रखा जाएगा।
7. आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क प्रेषण का प्रमाण।
8. अन्य संलग्नक: -
 - (क) न्यासियों (ट्रस्टी) के नाम के साथ उप-नियमों या ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख या ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रति।
 - (ख) पंजीयन या निगमन प्रमाण पत्र की नवीनीकृत प्रमाणित प्रति।
 - (ग) लीज एग्रीमेंट डीड या मौजूदा चिकित्सालय के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में भूमि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।
 - (घ) चिकित्सालय के लिए पहला चिकित्सालय पंजीयन प्रमाण पत्र या पंचायत लाइसेंस।
 - (ङ) अग्रि सुरक्षा प्रमाण पत्र।
 - (च) आपदा प्रबंधन प्रमाण पत्र। (यदि कोई हो)
 - (छ) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र।

- (ज) चिकित्सालय में रेडियोलॉजी यूनिट के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से अनुमति।
- (झ) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन समझौता।
- (ञ) कॉलेज और चिकित्सालय भवन अधिभोग प्रमाण पत्र।
- (ट) भवन योजना (बिल्डिंग प्लान)।
- (ठ) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार (आर्किटेक्ट) द्वारा समर्थित सर्वेक्षण संख्या के साथ भवन योजना।
- (ड) इन नियमों के अनुसार एक वास्तुकार (आर्किटेक्ट) द्वारा अधिकृत क्षेत्र विवरण प्रमाण पत्र।
- (ढ) उपकरण, सहायक उपकरण, आदि के लिए खरीद बिल।
- (ण) चिकित्सालय की इमारत सहित भूमि और भवन के लिए कर-भुगतान रसीद।
9. समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों के अन्य संलग्नक।

नोट: सभी प्रतियां स्व-सत्यापित होंगी।

परिशिष्ट -III

फॉर्म-29 सी

(राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया जाना है)

नए स्नातक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र

(विनियमन 58 देखें)

संदर्भ संख्या:.....

दिनांक:.....

आवेदक का मूल विवरण		
1.	आवेदक का नाम	
2.	पता	
3.	संस्थान का प्रकार (सरकारी या सहायता प्राप्त या निजी)	
4.	प्रस्तावित संस्थान का नाम	
	प्रस्तावित संस्थान का पता	
	प्रस्तावित प्रवेश क्षमता (100 या 150 या 200 स्नातक में)	
5.	क्या आवेदक पहले से ही आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज चला रहा है।	हाँ / नहीं
6.	यदि हाँ, तो निकटतम कॉलेज और प्रस्तावित कॉलेज के बीच की दूरी क्या है? (यदि दूरी 25 किलोमीटर या उससे कम है, तो अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा)।	
अन्य विवरण		
7.	राज्य में पहले से मौजूद आयुर्वेद संस्थानों की संख्या	
8.	राज्य में जनसंख्या के लिए सभी पद्धतियों के पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों का अनुपात।	
9.	आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (मरीजों) की उपलब्ध की गुंजाइश।	पर्याप्त / अपर्याप्त
10.	चिकित्सालय की पंजीयन संख्या	
11.	राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, यदि कोई हो, उन छात्रों पर जो राज्य में निवास नहीं कर रहे हैं, राज्य में प्रवेश प्राप्त करने से, निर्दिष्ट किया जाए।	

नया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अनिवार्यता सर्टिफिकेट

.....(आवेदक का नाम) को.....(100/150/200 यूजी) स्नातक सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ.....(प्रस्तावित कॉलेज का नाम).....प्रस्तावित कॉलेज का पता की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र उपर्युक्त विवरणों या तथ्यों या शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है। यह जारी होने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र निम्नलिखित नियम और शर्तों पर जारी किया जाता है:

1. कॉलेज स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार, भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन एवं रेटिंग बोर्ड से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश देगा।
2. कॉलेज उसी परिसर में किसी भी अन्य कॉलेज या पाठ्यक्रम या कार्यक्रमों का संचालन नहीं करेंगे जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है।
3. कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम मानकों को बनाए रखेंगे।
4. कॉलेज, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार किए गए विनियमों या दिशानिर्देशों या नीतियों के अनुसार समय-समय पर छात्रों को प्रवेश देंगे।
5. संस्थान उन शर्तों का पालन करेगा जो स्वायत्त बोर्डों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारत सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए हैं।
6. कॉलेज को किसी अन्य सोसाइटी या ट्रस्ट को सौंपने के मामले में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
7. यदि आवेदक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के अनुसार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं को बनाने या बनाए रखने में विफल रहता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाएंगे। उस समय विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुमति से कॉलेज में पहले से दाखिल छात्रों की जिम्मेदारी लेगा।
8. कॉलेज द्वारा आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों का पालन न करने के कारण कॉलेज को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति से इनकार करने या जारी की गई स्थायी अस्वीकृति के मामले में, राज्य सरकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड की अनुमति से कॉलेज में भर्ती छात्रों की जिम्मेदारी संभालेगी।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय सील

दिनांक :

स्थान:

परिशिष्ट IV

फॉर्म 29 D

(राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया जाना है)

प्रवेश क्षमता या छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र [स्नातक]।

(नियम 70 देखें)

संदर्भ संख्या:

दिनांक :

आवेदक का मूल विवरण		
1.	आवेदक का नाम	
2.	पता	
3.	आवेदन का विषय	प्रवेश क्षमता को ----- से----- तक (स्नातक) या (स्नातकोत्तर

		विशेषता के अनुसार) बढ़ाएं।
4.	संस्थान का नाम और पता जिसमें आवेदक मौजूदा स्नातक कार्यक्रम बैचलर ऑफ़ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या स्नातकोन्तर कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने की इच्छा रखता है।	
5.	संस्थान की स्थापना का वर्ष	
6.	राज्य में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात	
7.	आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (रोगियों) की उपलब्धता का दायरा।	पर्याप्त / अपर्याप्त

अनिवार्यता प्रमाणपत्र

.....(आवेदक का नाम)..... को अनिवार्यता प्रमाण पत्र / अनापत्ति प्रमाण पत्र(कॉलेज का नाम),..... पर (कॉलेज का पता)..... में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता को से बढ़ाकर सीटों तक करने के लिए जारी किया गया है। यह प्रमाण पत्र उपर्युक्त विवरणों या तथ्यों या शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। यह जारी होने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित नियम और शर्तों पर जारी किया जाता है:

- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या भारत सरकार से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।
- कॉलेज उसी परिसर में किसी भी अन्य कॉलेज, पाठ्यक्रम या कार्यक्रमों का संचालन नहीं करेगा, जब तक कि भारत सरकार या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति न दी जाए।
- कॉलेज छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगा।
- कॉलेज समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित नियमों या दिशानिर्देशों या नीतियों के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।
- संस्थान प्रत्येक अवसर पर स्वायत्त बोर्डों या भारत सरकार या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।
- यदि आवेदक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के अनुसार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं को बनाने या बनाए रखने में विफल रहता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाएंगे। उस समय विश्वविद्यालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुमति से कॉलेज में पहले से दाखिल छात्रों की जिम्मेदारी लेगा।
- कॉलेज द्वारा आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों का पालन न करने के कारण कॉलेज को भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति से इनकार करने या जारी की गई स्थायी अस्वीकृति के मामले में, राज्य सरकार, भारतीय चिकित्सा पद्धति - आकलन एवं रेटिंग बोर्ड की अनुमति से कॉलेज में भर्ती छात्रों की जिम्मेदारी संभालेगी।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय सील

दिनांक:

स्थान:

परिशिष्ट V

फॉर्म 29 ई

संबद्धता की सहमति

(संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाएगा)

नया आयुर्वेद कॉलेज शुरू करने या मौजूदा स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने या नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन जमा करने के लिए आवश्यक शर्ती।

(विनियमन 58 देखें)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का विवरण	
1.	विश्वविद्यालय का नाम	
2.	पता	
3.	विश्वविद्यालय का प्रकार	केंद्रीय/राज्य/ डीम्ड - गवर्नमेंट / डीम्ड - प्राइवेट / प्राइवेट राज्य।
4.	कांटेक्ट डिटेल्स	
5.	कांटेक्ट पर्सन (नाम और पदनाम)	
	मोबाइल नंबर	
	मेल आईडी	
6.	स्थापना का वर्ष	
7.	मौजूदा संकाय	
8.	प्रमाणन यदि कोई हो	

संबद्धता की सहमति

स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए.....(कॉलेज का नाम)..... को संबद्धता के लिए सहमति जारी करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है, जिसमें (100/150/200 यूजी) स्नातक सीटों की प्रवेश क्षमता है। यह सहमति शैक्षणिक वर्ष के लिए से तक प्रभावी रहेगी।

संबद्धता की सहमति निम्नलिखित शर्तों पर जारी की जाती है:

- कॉलेज बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- कॉलेज केवल परामर्श (काउंसलिंग) प्रक्रिया (केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देगा, जैसा कि संबंधित विनियमों में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट शिक्षण और प्रशिक्षण के निर्धारित घंटों का संचालन सुनिश्चित करेगा।
- कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम तीन महीने पहले प्रत्येक वर्ष संबद्धता जारी रखनी होगी।
- किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्धता में परिवर्तन या डीम्ड स्थिति के लिए आवेदन करने से पहले, वर्तमान संबद्धता विश्वविद्यालय से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

6. वर्तमान विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता समाप्त होने की स्थिति में, मौजूदा बैच अंतिम छात्र को डिग्री प्रदान किए जाने तक वर्तमान विश्वविद्यालय के साथ जारी रहेंगे।

रजिस्ट्रार

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

बी. एल. मेहरा, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./080/2024-25]

व्याख्या: इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई भी प्रश्न आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और आयोग का निर्णय मामले में अंतिम और वाध्यकारी होगा।

THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2024

F. No. BOA/2-C/2024.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clauses (d), (e), (s), (t), (u), (w), (x), (y), (z), (za), (zb) and (zc) of sub-section (2) of section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020) and by repealing the following regulations namely the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 and the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2019, in respect of under-graduate the National Commission for Indian System of Medicine hereby makes the following regulations namely:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and Commencement.— (1) These regulations may be called the **National Commission for Indian System of Medicine (Minimum essential standards, assessment and rating for undergraduate Ayurveda colleges and attached teaching hospitals) Regulations, 2024**.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the National Commission for Indian System of Medicine, Act, 2020 (14 of 2020);
- (b) “AACCC” means Ayush Admission Central Counselling Committee.
- (c) “annexure” means an annexure annexed to these regulations;
- (d) “appendix” means an appendix appended to these regulations;
- (e) “assessment of an Institution” means the act of verification of availability of minimum essential standards as specified in these regulations in terms of infrastructure, human resources and functionality of an Institution and its attached teaching hospital;
- (f) “attached teaching hospital” means an Ayurveda hospital that offers standard healthcare services, attached to an Ayurveda Medical Institution for the purpose of teaching and training to the students of Ayurveda;
- (g) “educational ecosystem” means an ecosystem where in all the stake holders of the Institution, all the departments and other units of the Institution function in coordination and collaboration with each other to provide comprehensive education to students in an academic environment;
- (h) “extended permission” means permission for admitting students extended to an Institution fulfilling the criteria for extended permission status as laid down in these regulations, so that the Institute can participate in the counselling process for admitting students without waiting for permission for admission every year unless otherwise denied or specified;

- (i) “functionality of the hospital” means an attached teaching hospital fulfilling all the minimum essential standards as specified by the Commission; that offers clinical training to medical students and provides medical services including consultation, diagnosis (clinical and investigational), treatment (surgical, procedural and medical), preventive health care, medical advice, counselling, nursing care, medicine dispensing, public outreach activities with proper documentation and hospital management system and whose related expenses are reflected in official bank account of the hospital and shall be ready to treat or attend any type of patient at any point of time with its manpower and infrastructure;
- (j) “functionality of the institute” means an Ayurveda Institution fulfilling all the minimum essential standards as specified by the Commission that offers teaching and training to students of Ayurveda as per the course curriculum and syllabus specified by the Commission by establishing educational ecosystem and shall be ready to impart education over and above the minimum essential standards specified by the Commission;
- (k) “fully established Institute” means the Institute or college completed all four phases of establishment namely, letter of permission, first, second, and third renewal of permission;
- (l) “IPD” means In-Patient Department;
- (m) “Institute under establishment” means the new Institute or college undergoing phase wise establishment (that is first, second, third and fourth phase of establishment);
- (n) “letter of intent” (LOI) means preliminary approval, along with conditions and timelines, issued to the applicant, to establish a new Ayurveda college or to increase student intake capacity in existing programs;
- (o) “letter of permission” (LOP) means permission granted to the applicant to establish a new Ayurveda college, or to increase student intake capacity in existing undergraduate programs and to admit the students as per the sanctioned student intake capacity;
- (p) “MARISM” means Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;
- (q) “minimum essential standards” means the mandatory minimum requirements in terms of infrastructure, human resources, and functionality as well as a level of quality or standards thought to be acceptable as a minimum and below which is unacceptable; and are essential to impart the graduate attributes such as *‘thorough knowledge of Ayurveda classical principles and modern advances; ability of diagnosing common clinical conditions, conducting or prescribing diagnostic tests, interpretation of clinical investigational data and administering clinical services in terms of curative, promotive, preventive, palliative and rehabilitative aspects and also offer both medical, procedural and surgical management besides conducting normal deliveries; adequate communication skills; issuing all types of medical certificates as per requirement and attending medico legal cases;*
- (r) “OPD” means Out Patient Department;
- (s) “rating of Institution” means a score or measurement of how good an Institution is. through a rating process carried out by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or any designated rating agency based on the parameters laid down by the Board of Ayurveda;
- (t) “renewal of permission (ROP)” means the renewal of permission (that is first, second and third renewal) granted to a college under establishment (that is undergoing second, third and fourth phase-wise establishment) during successive academic years after the issuance of letter of permission, for admitting students as per the sanctioned student intake capacity as specified in the renewal of permission;
- (u) “sanctioned intake capacity” means number of seats sanctioned to a recognised Institution for admission of students in a specified academic program for that particular academic year;
- (v) “The Schedule” means schedule annexed to these regulations;
- (w) “teacher days” means the number of days attended or performed duty by a teacher in a twelve-months period, in the college and its attached teaching hospital as a full-time regular teacher wherein he or she has been appointed;
- (x) “yearly permission” means those Institutes that are not fulfilling the criteria for extended permission but fulfilling the essential minimum standards; such Institute shall participate in the counselling process for admitting students only after obtaining permission for admission every year;
- (2) The words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

CHAPTER II

GENERAL CONSIDERATIONS

3. Minimum essential standards for annual intake.-The minimum essential standards like land, infrastructure and human resources and the like detailed in these regulations shall be for the annual intake capacity of sixty, hundred, one hundred fifty and two hundred.

4. Land Requirement.-(1) The minimum required land shall be as provided under Schedule-I.

- (2) The land shall not be more than in two plots and the distance between the two plots shall not exceed five kilometres.
- (3) If the plots are separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge shall be treated as one piece of land:

Provided that in case of metro, mega, Tier-I and Tier-II cities (X and Y categories) North-Eastern States, Hilly areas and notified Tribal area, the distance between two plots shall not be more than ten kilometres.

- (4) The designated land for an Ayurveda medical institution or colleges, its attached teaching hospital and hostels shall be clearly demarcated and shall not be used for any other purpose other than activities of Ayurveda medical institution or college;
- (5) The land shall be owned by the college or possessed on lease in the name of the college for a period not less than thirty years or the maximum permissible period as per rules and regulations of the respective State Government or Union territory administration.
- (6) In case of Institutions having lease agreement for land, the Institute shall not be granted permission for admission for the last five years of lease period unless the institute submit a notarised affidavit every year mentioning the lease shall be renewed before the expiry of the lease and subsequently submit the renewed lease agreement before expiry of lease period.

5. College campus and general considerations.- (1) The campus designated for an Ayurveda medical college shall consist of followings, namely: -

- (a) Ayurveda medical college along with departments, ancillary sections or units or facilities;
- (b) attached teaching hospital along with ancillary sections or units or facilities;
- (c) hostels and staff quarters;
- (d) in case of two plots, the attached teaching hospital and interns hostels (separately for male and female) shall be in the same campus;
- (e) the campus designated for Ayurveda medical college and attached teaching hospital shall have proper approach road, well-constructed compound wall and with proper arrangements for security;
- (f) all buildings shall have all relevant permissions from the concerned authorities;
- (g) there shall be fire safety certificate, sewage treatment plant, permission from pollution control board for biomedical waste management, disaster management measures, and the like;
- (h) institute shall provide a barrier free environment for the independence, convenience and safety of physically challenged persons apart from ramp and lift;
- (i) the campus shall have appropriate layout for free vehicular movement;
- (j) there shall be demarcated ample parking area. The parking area shall be labelled for category of employees and students;
- (k) the campus shall have adequate water supply, proper drainage system and electricity supply including power backup system;
- (l) there shall be central workshop or maintenance cell for the campus.
- (2) The maintenance cell shall be equipped suitably along with appropriate technical staff appointed or outsourced for the maintenance of electrical, carpentry, plumbing, sanitary, civil works, water supply, waste management, drainage, house-keeping and the like activities related to maintenance. The minimum required constructed area shall be as specified in Schedule-II and the minimum required non-teaching staff shall be as specified in Schedule-V.

6. Official contact details.— (1) All official communication shall be through the official contact number and official e-mail identity document of the Ayurveda medical college only.

- (2) Each Ayurveda medical college shall have an official mobile number for the head of the college (Principal or Director or Dean).
- (3) All official communication shall be through the official contact number and official e-mail identity document only.
- (4) Each college shall have an official e-mail identity document created for official communication and communicate the official e-mail identity document to the Commission, President of all four autonomous Boards and Secretary of the Commission in the following manner, namely:
[Year of establishment of the college unique college identity document provided by MARBISM@service provider (Eg.2023ayu00001@gmail.com)]
- (5) The communication through other mobile numbers and e-mail identity documents other than official number and identity document shall not be entertained.
- (6) The Commission or Boards shall communicate to the college only through official mobile number of the head of the college and official e-mail identity document of the college.
- (7) The college shall ensure proper functionality of the official mobile number and e-mail identity document, in specific cases, the Commission may instruct the college for separate or exclusive mobile number and or e-mail identity document for a particular activity, such exclusive contacts shall be used for that specific purpose only.

7. Bank Accounts.— (1) There shall be official bank accounts separately in the name of the Institution and attached hospital, in case drug manufacturing unit (commercial production) is attached with college, the drug manufacturing unit shall maintain separate bank account.

- (2) All official bank accounts of the Institute shall be in any nationalised banks or any commercial banks approved by the Reserve Bank of India.
- (3) All official transactions (income and expenses) of respective units (college, hospital and drug manufacturing unit, if any) shall be in specified official accounts only.
- (4) All types of fees of students including penalty, if any, shall be collected through the official bank account only.
- (5) The college shall have to issue receipt for all fee payments including penalty, if any, received from the students.
- (6) All types of Institutional expenditure such as salary of teaching staff, non-teaching staff, hospital staff, payments to outsourcing agency, purchases, payment of taxes, maintenance expenditure and the like shall be through the official bank accounts only.
- (7) The annual audit of accounts shall be audited by a registered Chartered Accountant Firm or Audit Firm.
- (8) Details of transactions and annual audit report shall be made available to the MARBISM or Commission in the manner as specified by the MARBISM or the Commission from time to time.
- (9) The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine(MARBISM) shall consider only those transactions that are reflected in the Institutional official bank accounts for assessment and rating purposes.

8. Information Technology Cell and Information Technology Infrastructure.— (1) The college shall have an Information Technology Cell equipped to manage all Information Technology related activities of the college and its units including the attached teaching hospital.

- (2) Every institute shall be equipped or established with Learning Management System and Hospital Information Management System as specified by the Commission.
- (3) The institute shall have the internet connection with broad band connectivity of bandwidth not less than 500mbps.
- (4) The Information Technology Cell shall maintain website of the institution or college, Hospital Information Management Software, Digital Library, Learning Management System, College Website, Smart Boards or Multimedia Projectors, Virtual Laboratories, Intranet, Local Area Network Connectivity, Aadhaar Enabled Biometric or iris recognition or face recognition attendance, Closed-Circuit Television and other items as specified by the Commission from time to time.

- (5) The Information Technology Cell shall interface or connect the systems such as Learning Management System, Hospital Information Management Software, Biometric Attendance system (iris or face detection) and the like with Information Technology Systems or command and control centre run by the Commission for real time transfer of data.
- (6) The Information Technology Cell shall coordinate virtual meetings, webinars, video recording of lectures, virtual or hybrid mode visitation or assessment process and the like, Information Technology related activities.
- (7) The Information and Technology Cell shall support all sections of the college in which Information and Technology support is essentially needed.
- (8) The minimum constructed area shall be as specified in Schedule III and the minimum required staff shall be as specified in Schedule V.

9. Biometric attendance system.- (1) The biometric or Aadhaar Enabled Biometric Attendance System or iris recognition or face recognition attendance system as specified by the Commission shall be installed for marking attendance by teaching staff, non-teaching staff, hospital staff, postgraduate students, interns and undergraduate students.

- (2) The biometric attendance marking devices shall be installed at entrance of the college and hospital and shall be under closed-circuit television surveillance. These devices serve the purpose of recording attendance of teaching staff, non-teaching staff, hospital staff, post-graduate students and interns. For recording attendance of under-graduate students, devices as specified by the Commission shall be adopted.
- (3) The closed-circuit television shall be installed in such a manner that the marking of attendance is clearly visible both the face of the staff as well as the attendance recording device.
- (4) The biometric data shall be made available to the concern regulatory body or the Commission or the Autonomous Boards of the Commission on real time basis throughout the year through any agency as assigned by the Commission.
- (5) The attendance device as well as closed-circuit television feed shall be connected or aligned to command-and-control centre of the Commission. The Commission or its Autonomous Boards shall have the power to review the data stored at command-and-control centre and in the devices installed at colleges and to take necessary actions.

10. Closed-Circuit-Television.-(1) Cameras for closed circuit television surveillance shall be installed mandatorily at places such as biometric attendance area, classrooms, library, digital library, laboratories, yoga clinical skill laboratory and examination hall, entrance and exits of college and hospital, Out-Patient Department(OPD)and In-patient Department(IPD)registration counter, Out-Patient Department block, diagnostic zone, Panchakarma, operation theatre, kriyakalpa section, anusastrakarma unit, labour theatre and at other places as per the Institutional requirement.

- (2) The minimum configuration of cameras shall be such that face and other details are clearly visible and the cameras shall be capable of day and night recording.
- (3) The digital video recorder shall have the capacity to store the data of minimum six months:

Provided that the institute shall maintain data-backup for at least three years and shall produce to the Commission or its Autonomous Boards as and when required.

- (4) The closed-circuit-television shall be aligned with the central server of the Commission or as specified by the Commission.

11. College website.- (1) The Institute shall have to maintain exclusive website in the name of the Institute.

- (2) The website is to be updated periodically and upload the details as specified by the Commission and its Autonomous Boards.
- (3) The Commission shall be capturing the data continuously at different intervals.
- (4) It shall be the responsibility of the college to check the authenticity of the data, information and details made available on its website.
- (5) The data pertaining to previous month shall be uploaded every month on or before tenth of the preceding month.
- (6) The college shall maintain the following details on college website namely: -

- (a) details of Director or Dean or Principal and Medical Superintendent including their name, date of birth, photograph, unique teacher's code, registration number, educational qualification, designation, date of joining, experience, contact mobile number, e-mail and the like;
- (b) details of registrations, approvals and affiliations, permission status;
- (c) details of all teaching staff along with their qualifications, registration number, teacher code and their academic and other professional notification, designation, date of joining, experience, teaching department, contact mobile number, e-mail and the like;
- (d) specialities of the hospital and the consultants their Out door Patient Department days and timings;
- (e) details of non-teaching staff of college and hospital staff including educational qualifications name of post, department or section or unit and the like;
- (f) list of students admitted, merit-wise and category-wise for the current and previous years;
- (g) university examination results and a comparative graph with the previous three years;
- (h) year wise details of the research publications by the students or faculties;
- (i) details of continuous medical education programmes, seminars, conferences, workshops, faculty development programs, capacity building programs, hands-on training, research projects, collaborative programs and any other academic or clinical programs conducted by the Institution ;
- (j) details of educational programs being conducted including intake capacity;
- (k) accreditations, awards, appreciations, if any, received by the Institute;
- (l) hospital statistics and comparative data or graphs with previous years data; and
- (m) announcements of forth coming events like seminars, workshops and the like.

12. In order to maintain the quality standards, instruments, equipment, chemicals, reagents, furniture, electronic appliances and the like with Bureau of Indian Standards certification may be used.

CHAPTER III

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR THE AYURVEDA MEDICAL INSTITUTE

13. The Institutes offering the Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, undergraduate education in Ayurveda shall be equipped with minimum prescribed infrastructure, qualified and skilfull human resource and with proper and effective functionality.

14. (1) **The administrative section of the college shall have the following units, namely:**

- (a) office of Head of the Institute (Director or Dean or Principal) including anteroom and attached toilets;
- (b) personal assistant to head of the Institute;
- (c) visitors lounge for visitors to the head of the Institute;
- (d) office superintendent;
- (e) clerical staff, establishment and accounts section with cash counter;
- (f) visitors lounge for office visitors;
- (g) record room;
- (h) central store;
- (i) pantry;
- (j) toilets for office staff;
- (k) college council meeting room; and
- (l) deputy Director or Deputy Dean or Vice-Principal (two posts in case of intake capacity more than hundred).

(2) The minimum built up area required for each unit of administrative section shall be as specified in Schedule II of these regulations.

15. The standards, norms and minimum number of lecture halls or classrooms required shall be the following, namely:-

- (2) Classrooms shall be with seating capacity more than twenty per cent. of intake capacity as provided in the Table-1 of these regulations.
- (3) All the classrooms shall be of information communication technology enabled, equipped with smart boards, audio-visual gadgets, Internet connection or Wi-fi facility and the like.
- (4) All the classrooms shall be under the Closed-Circuit-Television surveillance.
- (5) Closed-Circuit-Television shall cover the entire classroom, the configuration of the camera is such that the students can be identifiable on magnification.
- (6) The minimum norms and standards for lecture halls or class rooms shall be as provided in Table-1.

Table-1

Minimum Norms and Standards for Lecture Halls or Class Rooms

Serial number	Intake capacity	Lecture halls or class rooms		
		Number	Seating capacity	Area per class room (square meter)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	60	4	75	100
2.	100	4	120	150
3.	150	4	180	220
4.	200	4	240	300

Note: In place of lecture hall with two hundred forty seating capacity, two lecture halls with one hundred twenty seating capacity may also be allowed. In such case two teachers simultaneously shall have to conduct the teaching program.

- (7) The classrooms shall not be too long or too wide and the seating arrangement shall be theatre type (hall for lectures with seats in tiers) and may be preferably semi-circular so that every student have clear visibility of teacher and also the black board or smart board as the case may be. The size of the central display of classroom shall be in proportion to the classroom capacity and additional display may be arranged for the students sitting at rear-end;
- (8) In case, the college and hospital are located in separate campuses there shall be one classroom (with seating capacity and other facilities as specified for respective intake capacity) in the campus of hospital building or in the hospital building itself.

16. Multi-purpose hall.- (1) The multipurpose hall for conduction of seminar or conference or examination or yoga and the like activities shall have constructed area as specified in Schedule III.

- (2) This hall shall be provided with suitable and adequate furniture, yoga mats, audio-visual facility, Closed-Circuit-Television surveillance and the like.

17. Central library.- (1) The Central library shall have good ventilation, proper lighting, appropriate seating arrangement, well arranged book stacking and the like.

- (2) The minimum qualifications and experience and the minimum number of staff required for library shall be as provided in Schedule V.
- (3) The library shall have minimum requirements such as constructed area, seating capacity, number of books and the like, as provided in Table-2.

Table-2
Minimum Essential Standards for Central Library

Serial Number	Intake capacity	Seating capacity	Minimum Number of Books	Minimum required area (square meter)	Number of minimum indexed scientific journals
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	60	75	8000	150	10
2.	100	120	10000	250	

3.	150	180	12000	350	
4.	200	240	15000	450	

Note1: College shall ensure sufficient number of reference books (one book for every twenty students) as well as prescribed text books (one book for every ten students) as per the prescribed syllabus and curriculum.

Note2: Index journals means scientific journals of related subjects indexed in Pub-Med, Web of Science, University Grants Commission-Consortium for Academic Research and Ethics(UGC-CARE),Science Citation Index and Scopus.

- (4) The biometric attendance for all students and teaching staff shall be made available in the central library.
- (5) The catalogue coding system (physical or automated) shall be made available at the library entrance.
- (6) There shall be display facility at appropriate place in library for newly arrived books. All the newly arrived books are to be displayed for specific duration as per the Institutional library policy or minimum of fifteen days.
- (7) The seating arrangement in reading room shall be unidirectional pattern and face to face seating shall be avoided or partition shall be provided in case of face-to-face seating arrangement.
- (8) The size of the reading room table for single user shall be 900 x 600 millimeter, 1600 x 600 millimeter for two readers and 2400 x 600 millimeter for three readers with lap top charging facility. Height of the table top shall be 750 millimeter and that of foot rest rod shall be 150 millimeter.
- (9) All books and journals shall be staked in open shelves without locking to provide students free access to books. All rare and out of print books, old manuscripts and listed books may be kept in closed shelves.
- (10) Entire library shall be under Closed-Circuit-Television surveillance.
- (11) Every library user including teaching and senior officials of the Institute shall maintain silence and library etiquettes as specified in library policy. The library etiquettes shall be displayed at the entrance of the library.
- (12) The minimum working hours for library Monday to Saturday shall be from 9:00 A.M. to 8:00P.M.without any break and on Sunday shall be from 10:00 A.M. to 2:00 P.M. The working hours prescribed in these regulations are minimum prescribed working hours, the colleges may extend working hours of the library.
- (13) The central library shall also include library office, seating arrangement for library staff, dedicated space for new arrivals and books under maintenance or binding, book issue and return and the like;
- (14) The library shall have toilets facility for male and female students and drinking water (hot and cold) facility.
- (15) The library shall make available all journals and books published by the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, all National Institutes and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda-Institute of National Importance.
- (16) The central library shall provide the following services, namely: -
 - (a) book issue and return;
 - (b) indexing;
 - (c) copying facility;
 - (d) book reservation system;
 - (e) assistance in using library;
 - (f) library shall provide magazines and newspapers, suitable study or reading material for non-teaching staff, competitive examination books and the like for the students those who are attending various competitive examinations.
 - (g) entire library shall be barrier free movement to facilitate, easy access to all people including differently abled (Divyangjan);
 - (h) if the college is located in University campus and if the University library is in a separate building, then an exclusive wing for Ayurveda shall be provided in the University library building or if the college is independent and not located in University campus, then the college shall have a central library;
 - (i) entire library shall be provided adequate lighting and cross ventilation. As far as possible lighting shall be natural light with additional electrical fittings as required. The artificial light shall depict as far as possible natural light and without glare and reflection, so that readers will not get eye strain and the colours are appreciated well;

- (j) the architecture or interior of the entire library shall be such that, there shall not be any resound or echo in the library;
- (k) stocking facility for student belongings and laptop charging points shall be made available in library premises itself; and
- (l) well defined Institutional Library Discipline Maintenance Policy duly approved by the College Council shall be in place.

18. Digital Library. –The standards and norms for the digital service shall be the following, namely:-(1) a Digital library shall be provided for students to browse internet; access to e-journals, e-content, e-books; educational Compact Discs and the like, e-resources;

- (2) The minimum essential standards for digital library shall be as provided in the Table-3.

Table-3
Minimum Essential Standards for Digital Library

Serial Number	Intake capacity	Number of stations with computer systems		Minimum constructed area required in square meter	
		Wi-fi Campus	Non Wi-fi Campus	Wi-fi Campus	Non Wi-fi Campus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	60	06	15	20	40
2.	100	10	25	30	50
3.	150	15	35	40	60
4.	200	20	45	60	80

- (3) The digital library shall include office space and seating for digital library in-charge, stations with computer systems having broad band connectivity, storage facility for Compact Discs, headphone sets and the like.
- (4) The minimum working hours of digital library on all working days (Monday to Saturday) shall be from 9:00 A.M. to 8:00P.M. without any break.
- (5) On Sundays the working hours for digital library shall be 10:00 A.M to 2:00 P.M.
- (6) The working hours prescribed in these regulations are minimum prescribed working hours.
- (7) The colleges may extend working hours of the digital library.
- (8) The minimum qualifications, experience and the minimum number of staff required for digital library including information technology cell shall be as detailed in Schedule V.

19. Teaching Departments.– (1) There shall be fourteen teaching departments.

- (2) The minimum norms and standards of teaching departments shall be the following namely:-
 - (a) teachers shall be accommodated in respective departments with adequate space and privacy in separate room or cubicle for each teacher;
 - (b) minimum constructed area shall be fifteen, thirteen and ten square metre for Professor, Associate Professor or Reader and Assistant Professor or Lecturer respectively;
 - (c) open seating arrangement for multiple teachers in common hall or department shall not be permitted;
 - (d) each department shall be provided with computers, printers, and internet facilities;
 - (e) each department shall be provided with an e-display facility to display e-contents such as videos, images, posters, charts, subject related information, models, treatment methods, surgical procedures, pathological slides, instruments, preparation of medicines, medicinal plant images, herbarium, X-rays, diagnostic tools and the like as applicable to each department for effective teaching;
 - (f) the minimum equipment, instruments, chemicals, reagents, glassware and the like, required for practical laboratories, museums and other units is provided in Schedule VI to XIV. Quality council of India certified Equipment and instruments shall be preferred to available extent.
 - (g) the departments conducting practical training shall maintain adequate facilities as per the student capacity to conduct all practical listed in the syllabus;
 - (h) the departments and their associated units shall have proper ventilation and lighting, properly constructed with good interiors. Internal partitions shall be good enough to prevent cross disturbance and with good ambience.

- (i) The minimum constructed area required for each teaching department and their units shall be as provided in Schedule III of these regulations.
- (3) Samhita Siddhanta and Sanskrit: The department shall provide the following facilities, namely:-
- departmental library, tutorial room and seating arrangement for non-teaching staff, computers, printers and internet facility E-display facility to display e-content (videos, images, information and the like);
 - the language laboratory for Samhita Siddhanta and Sanskrit shall provide to promote language skill, communication skill, skill in phonetics and the like in Sanskrit or English or any other language as the case may be. The software may be installed in the computer systems and provide additional requirements such as internet, microphones, headsets and the like.
 - The minimum constructed area and the number of computer systems required shall be provided in the table-4:

Table-4
Minimum Essential Standards for Language Laboratory

Serial Number	Standard	Minimum Requirement as per Intake Capacity			
		(3)	60	100	150
1	Constructed area (square meters)	25	30	35	40
2	Minimum number of computer systems along with microphones and head sets	05	10	15	20
3	Digital language lab solution software for Sanskrit, Hindi and English (other languages optional)	Installed in all computer systems of language laboratory			
4	Smart board connected to language software	one			

- (4) Rachana Sharir department shall provide the following facilities, namely:-
- departmental library, dissection hall, museum, embalming room, cadaver storage tank or freezer and storage facility for student belongings;
 - seating arrangement for non-teaching staff, computers, printers and internet;
 - E-display facility to display e-content (videos, images, information and the like);
 - the size of the dissection hall shall be made available to accommodate fifty per cent. of annual intake capacity (minimum 4.2 square meters per student) including adequate ventilation and exhaust facility, hand wash, virtual dissection or e-dissection facility in dissection hall;
 - demo and dissection stations to facilitate clear visibility of dissection demonstration to all students especially small parts;
 - one Demo station with shadow less Operation Theatre light with inbuilt high resolution closed-circuit-television camera, dissection table and other accessories required for demonstration of dissection;
 - dissection Practice Stations shall contain display unit (smart television or light-emitting diode screen or smart board and the like) that connected to Closed Circuit Television camera of demo station.
 - each Dissection Practice Stations shall have adequate space to accommodate at least ten students and big dissection table;
 - the department of Rachana Sharira and its associated units are preferably be located on top floor or at the end part of the college building; and
 - the minimum constructed area and other minimum requirements for Rachana Sharira department is provided in the Schedule III and VII.
- (5) Kriya Sharir department shall provide the following facilities, namely:-
- departmental library, computers, printers and internet facility, seating arrangement for non-teaching staff, E-display facility to display e-content (videos, images, information and the like);
 - physiology or Kriya Laboratory (with optional facility for bio-chemistry testing): laboratory tables with chemical racks, wash basin with water tap, gas burners and gas connection; facility for electrocardiogram recording and other human related practical; and
 - the minimum requirements for Kriya Sharir department shall be as specified in Schedule III and VIII.

- (6) Dravyaguna Vijnana department shall provide the following facilities, namely:-
- departmental library, computers, printers and internet facility, seating arrangement for non-teaching staff;
 - herbarium-cum Dravyaguna museum having dry specimens, wet specimens, e-resources of medicinal plants, e-display facility to display e-content (videos, images, charts, information and the like);
 - well-developed herbal garden having a minimum of two hundred species of medicinal plants that are commonly being used;
 - plants shall be labelled with quick response codes to provide the details of medicinal plants including local name, vernacular names, botanical name, family name, identification points, medicinal properties and the like.
 - laboratory with adequate facilities to conduct dravyaguna, practical (pharmacognosy, pharmacology and others) as listed in syllabus ; and
 - the minimum requirements for department of Dravyaguna department and its units shall be as specified in Schedules III and IX.
- (7) Rasashastra and Bhaishajyakalpana department shall provide the following facilities, namely:-
- departmental library, computers, printers with internet facility and seating arrangement for non-teaching staff ;
 - the teaching pharmacy for teaching, demonstration and training of students but not for commercial production. The medicines prepared as part of practical training shall not be administered to patients;
 - the teaching pharmacy may preferably be located at corner or end of the college building, or in a separate building in the same campus. In case, if the Institute is attached with pharmacy of commercial production, it shall not be treated as teaching pharmacy;
 - the pharmacy shall be equipped with adequate facilities including exhaust or chimney or chemical hood that are required to conduct listed practical;
 - display of raw drugs, minerals, metals, musha, yantra and the like in the museum;
 - e-display facility to display e-content (videos, images, charts, information and the like); and
 - the minimum requirements of for department of Rasashastra and Bhaishajyakalpana as provided in Schedule III and X.
- (8) Quality Testing laboratory shall provide the following facilities, namely:-
- an independent unit and a common facility;
 - designated faculty member of Rasashastra Bhaishajyakalpana or Darvyaguna in-charge of this laboratory;
 - available adequate facilities to conduct quality control tests as listed in Rasashastra-Bhaishajyakalpana and Dravyaguna syllabus;
 - this laboratory facilitate students and staff to conduct research activities; and
 - the minimum requirements for Quality Control laboratory shall be made available as specified in Schedules III and XI.
- (9) Roganidana and Vikritivijnana department shall provide the following facilities, namely:-
- departmental library, computers, printers, internet facility and seating arrangement for non-teaching staff ;
 - independent pathology laboratory for the department (apart from clinical or pathology laboratory of hospital) with adequate facilities to conduct Roganidana related practical ;
 - museum with pathological specimens, typical X-rays and the like, e-display facility to display e-content (videos, images, charts, pathological histo-pathology slides, information and the like) ; and
 - the minimum requirements for Roganidana and Vikritivijnana shall be made available as specified in Schedules III and XII.
- (10) Agada Tantra department shall provide the following facilities, namely:-
- departmental library, computers, printers and internet facility and seating arrangement for non-teaching staff ;
 - adequate facility for testing various poisons including food adulterants and the like ;

(c) museum with weapons, snakes, poisonous animals and the like, e-display facility to display e-content (videos, images, skin lesions, charts, information and the like) ; and

(d) the minimum requirements for Agada Tantra shall be made available as specified in Schedules III and XIII.

(11) Swasthavritta and Yogadepartment shall provide the following facilities, namely:-

(a) departmental library, computers, printers and internet facility and seating arrangement for non-teaching staff ;

(b) nutrition laboratory and e-display facility, to display e-content (videos, images, charts, information and the like) ; and

(c) the minimum requirements for Swasthavritta and Yoga shall be made available as specified in Schedules III and XIV.

(12) Kayachikitsa department shall provide the following facilities, namely:-:

(a) departmental library, computers, printers and internet facility, e-display facility to display e-content (videos, images, charts, clinical presentations, information and the like) and seating arrangement for non-teaching staff; and

(b) the minimum requirements for department of Kayachikitsa shall be made available as specified in Schedules III and VI.

(13) Panchakarma department shall provide the following facilities, namely:-

(a) departmental library, computers, printers and internet facility; e-display Facility to display e-content (videos – procedures, preparations, images, charts, information and the like) and seating arrangement for non-teaching staff ; and

(b) the minimum requirements for the department of Panchakarma shall be made available as specified in Schedules III and VI.

(14) Shalya Tantra department shall provide the following facilities, namely:-

(a) departmental library, computers, printers and internet facility; e-display Facility to display e-content (videos-surgical procedures and the like images, charts, information and the like) and seating arrangement for non-teaching staff ;

(b) museum with gall stones, renal stones, tumours and the like typical X-rays, Ultrasonography reports and the like ; and

(c) the minimum requirements for department of Shalya Tantra shall be made available as specified in Schedules III and VI.

(15) Shalakya Tantra department shall provide the following facilities, namely:-

(a) departmental library, computers, printers and internet facility; e-display facility to display e-content (videos-surgical procedures, kriyakalpa procedures and the like images, charts, information and the like) and seating arrangement for non-teaching staff ; and

(b) the minimum requirements for the department of Shalakya Tantra shall be made availableas specified in Schedules III and VI.

(16) Prasuti and Streeroga department shall provide the following facilities, namely:-

(a) departmental library, computers, printers, internet facility, e-display facility to display e-content (videos- surgical procedures, kriyakalpa procedures and the like images, charts, information and the like) and seating arrangement for non-teaching staff ; and

(b) the minimum requirement for department of Shalakya Tantra shall be made availableas specified in Schedules III and VI.

(17) Kaumarabhritya department shall provide the following facilities, namely:-

(a) departmental library, computers, printers and internet facility, e-display Facility to display e-content (videos, images, charts, information and the like); and

(b) the minimum requirements for department of Kaumarabhritya shall be made available as specified in Schedules III and VI

Note 1: All units of one department such as seating arrangement for teachers, laboratories or dissection hall, museum, teaching pharmacy and the like as applicable shall be located together with the department with adequate space.

Note 2 : The Commission may revise syllabus from time to time and accordingly requirement of equipment and other facilities may vary. The Institutes shall have to fulfil the requirement as per the curriculum and syllabus prescribed by the Commission.

Note 3 : Working tables of all the laboratories should be of hard stone or stainless steel and there should be arrangement of proper shelves and running water taps in wash basin.

Note 4 : The words ‘vijnana, vigyan (a) and vidnyan (a)’ are synonymous and give same meaning.

20. YOGYA-Clinical skill laboratory or simulation laboratory.- (1) The Institute shall have YOGYA-Clinical skill laboratory or simulation laboratory with the following facilities, namely:-

- (a) models, mannequins, virtual or augmented reality teaching and training technology, simulators to cater the needs of training of clinical and other skills as per the prescribed curriculum and syllabus;
 - (b) proper storage facility for storage of mannequins, simulators and other training materials;
 - (c) office space for the coordinator, office assistant and attendant;
 - (d) demonstration and practice rooms equipped with information communication technology like smart board, audio-visual equipment and the like; and
 - (e) reception, record keeping facility, storage facility for student belongings, shoe racks at entrance with sufficient number of slots.
- (2) if the college is located in University campus and if the simulation laboratory is located in a separate building as a common facility, in such case the same facility may be utilised for Ayurveda college provided that there shall be dedicated demo and practice rooms for Ayurveda college and at least one faculty member of Ayurveda college shall be in the managing or co-ordinating team of simulation laboratory.
- (3) the minimum requirements and standards for YOGYA-clinical skill laboratory shall be as provided in the Table-5 below and in Schedules III, V and XV.

Table-5

Minimum Essential Standards and constructed area required for YOGYA-clinical skill or simulation laboratory (Intake capacity wise)

Serial Number	Intake capacity	Demonstration and practice rooms		Minimum area required in square meter (common area + demo and practice rooms)
		Number	Capacity	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	60	1	Each demo room to accommodate minimum thirty students	125 (75+50x1)
2.	100	2		200 (100+50x2)
3.	150	3		275 (125+50x3)
4.	200	4		350 (150+50x4)

21. Human Resources Development Cell.-(1) The Institutes shall establish human resource development cell.

- (2) This cell shall serve as medical education technology training unit or quality improvement program conduction unit for teachers as well as orientation or training to medical, paramedical, technical, administrative and supportive staff of the Institution.
- (3) The human resources development cell shall contain an office for coordinator and office assistant and hall with adequate furniture that is suitable for conducting workshops with accommodation capacity of minimum thirty participants.
- (4) The hall shall be enabled with information communication technology, equipped with audio-visual system, multimedia projector or smart interactive board, computer, laptop, Wi-Fi connectivity, sufficient laptop charging points for participants, printer and copier.

- (5) There shall be photography facility and audio and video recording facility for the development of e-teaching content.
- (6) There shall be a Human Resource Development Committee for the Institute. The composition of the said committee shall be as provided in Table-6. The committee shall plan, execute and monitor the activities of Human Resource Development cell:

Table-6
Composition of human resource development committee

Serial Number	Designation	Individuals
(1)	(2)	(3)
1.	Chairman	Director or Dean or Principal
2.	Coordinator	Professor or Associate Professor (amongst teaching staff)
3.	Members	Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent One Faculty Member from First Professional Subjects One Faculty Member from Second Professional Subjects One Faculty Member from third professional subjects (Medical Subjects) Faculty Member from third professional subjects (Surgical Subjects) One Member from Administration or Human Resources
Note: The term of the committee shall be two years or as per Institutional policies. The committee may co-opt any expert or any other member as required. The members are those undergone Medical Educational Technology training or known for teaching innovation, active and interested in acquiring newer developments.		

- (7) The committee shall identify the skills, techniques or knowledge that are to be trained or oriented for each category of employees and prepare the calendar of schedule and announce and implemented accordingly. This ensures three hundred sixty-degree approach and overall development of functionality of the Institution.
- (8) The employees of college and hospital may be grouped under the following headings for the purpose of training, orientation, upskilling, reskilling activities, namely:-
- (a) teaching staff, library staff, physical education instructor, yoga demonstrator;
 - (b) administrative staff;
 - (c) nursing staff and lab technicians;
 - (d) Panchakarma therapists including therapists of kriyakalpa, anusastrakarma;
 - (e) technical staff (information technology, electrical, plumbing and the like);
 - (f) cooks, pathya cooks, cooks of Panchakarma preparation room;
 - (g) supportive staff (garden workers, drivers, security and the like); and
 - (h) menial staff or housekeeping or multi-tasking staff.
- (9) Minimum requirements and standards required for Human Resource Development Cell shall be as provided under the Schedules III and V.

22. Research Innovation and Entrepreneurship Development Cell.- (1) The norms, standard and infrastructure of Research and Innovation cell shall be as provided in Schedule III.

- (2) A room with minimum of thirty square meter with adequate furniture and document storage shall be provided for Research and Innovation cell. This cell shall facilitate activities related to innovation, incubation, research, publication and intellectual property rights;
- (3) The college shall constitute a Institutional Innovation committee. The institutional Innovative Committee shall consists of the following persons, namely:-

- (a) head of the Institute- Chairperson;
 - (b) senior faculty member known for visionary and creative activity- co-ordinator;
 - (c) three faculty members (one from each profession) – Member; and
 - (d) two students (one boy and one girl) from each batch – Member.
- (4) The Institutional Innovation Committee shall identify or invite the innovative ideas from the students, teachers and other staff of the Institute and facilitate to incubate or nurture the ideas and to translate to useful products or outcome. Innovations may be in teaching, diagnostics, therapeutic equipment, surgical equipment, dosage forms, drug delivery systems, software, applications, assessment scales and the like.
- (5) A faculty member of the college familiar with research, publication and Intellectual Property Rights or who has undergone training conducted by the Commission or as specified by the Commission from time to time or after appointment of coordinator he or she shall undergo the training within six months.
- (6) Every Institute shall develop institutional policy to support activities related to innovation, incubation, research, publication, Intellectual Property Rights, disbursement of research grants, research incentives, publication incentives and the like.
- (7) The policy shall be oriented to all stake holders and developed implementation and monitoring mechanism.

23. Internal Quality Assurance Cell.- (1) Each college shall have internal quality assurance cell for planning, guiding, and monitoring quality assurance and quality enhancement activities of the Institute.

(2) The Internal Quality Assurance Committee shall consists of the following persons, namely:-

- (a) the head of the Institution (Principal or Director or Dean) – Chairperson;
- (b) medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent- Member;
- (c) three senior faculties (one from each professional course)-Member;
- (d) two senior administrative staff (one from college and one from hospital)- Members;
- (e) Matron-Member;
- (f) one external expert on quality management- Member; and
- (g) a senior faculty member- Member secretary.

(3) The Internal Quality Assurance Committee shall meet at least once in every quarter;

(4) The functions of the Internal Quality Assurance Cell shall be the following, namely:-

- (a) development and application of quality parameters for various academic, clinical and administrative activities of the institute;
- (b) monitor implementation of vision document of the institution ;
- (c) facilitating the creation of a learner-centric environment and educational ecosystem;
- (d) arrangement for three hundred and sixty degree feedback on quality related Institutional process;
- (e) documentation of all activities of the college leading to quality improvement; and
- (f) coordinating quality related activities and dissemination of best practices.

(5) The minimum norms and standards required for Internal quality assurance cell shall be as provided in Schedules III and V.

24.Composition of the college council and its function.- (1) The Head of the Departments shall be the members and Principal or Director or Dean shall be the Chairman.

- (2) The college council shall meet at least four times in a year to draw up the implementation strategy of curriculum and training program, enforcement of discipline and other academic matters and shall keep the records of the same.
- (3) The college council shall also organise regular inter-departmental meetings like grand rounds, statistical review meetings, clinical meetings and research review in the Institution regularly.
- (4) The college council shall plan, review and upgrade academic, healthcare, research and co-curricular or extra-curricular activities of the institution, strategic planning and implementations, students' performance and improvisation.

- (5) The college council shall develop vision document of the Institution and periodically monitor its implementations.
- (6) The college council shall review academic audit report of the Institution as per the guidelines of the Commission and the Institute shall submit the academic audit report in the prescribed format in such manner to the Commission within the timeframe, specified by the Commission from time to time.
- (7) The minimum constructed area required for college council meeting room shall be as provided in Schedule II.

25. Academic Committee.- (1)The College shall constitute Academic Committee for planning, execution and monitor teaching schedules.

- (2) The teaching schedules shall be of integrative in nature and shall be announced one month before.
- (3) The teaching schedules shall be hosted on institutional website as well as Learning Management System portal.
- (4) The academic Committee shall consist of the following persons, namely: -

 - (a) Vice-principal or deputy dean or deputy director – Chairperson; and
 - (b) one faculty member from each department – Members.

26. Students council and its composition.- (1) There shall be student council. The college shall constitute students council by selection process unless specified by the affiliating University.

- (2) The student council shall consist of the following persons, namely: -

 - (a) chairman;
 - (b) general secretary;
 - (c) members: (class representatives of all batches);
 - (d) literary secretary;
 - (e) cultural or fine arts secretary;
 - (f) sports secretary;
 - (g) lady student representative;
 - (h) national service scheme representative; and
 - (i) additional members as per the institutional requirement.

- (3) the minimum constructed area required for student council room shall be as provided in Schedule III.

27. Constitution and function of the Student support, career guidance and placement cell.- (1)The function of the cell shall be the following, namely:-

- (a) the cell is intended to support and encourage students in academic, social, emotional, personal, career developments and placements;
- (b) the cell may identify various opportunities for higher education and placements and advice the students accordingly;
- (2) The composition of the Student support, career guidance and placement cellshall be the following persons, namely: -

 - (a) A senior faculty –Convener; and
 - (b) Members:-

 - (i) three faculty members (at least one female);
 - (ii) two student representatives (one male and one female) from each batch including interns; and
 - (iii) two parent teacher association representative.

 - (3) The Institute shall appoint a counsellor part-time basis for counselling of students with social and emotional problems.
 - (4) The minimum constructed area required for this cell shall be as provided in Schedule III.

28. Conduction of co-curricular and extra-curricular activity.- (1) The Institute shall provide adequate facilities and facilitate for conduction of following co-curricular and extra-curricular activities, namely: -

- (a) physical educational facility;

- (b) recreational facility;
 - (c) activities related to National Service Scheme and the like;
 - (d) the Institute shall provide opportunity for the formation of various student clubs such as adventures club, science club, environment club, Sanskrit club, photography club, animal lovers club and the like;
 - (e) community outreach programme, cultural events and the like;
 - (f) medical camps or village adoption or health awareness programme and the like;
 - (g) field visits or survey and the like; and
 - (h) conducting seminar, workshop, brain storming sessions, symposium and the like.
- (2) The Minimum requirements of co-curricular and extra-curricular facilities shall be as provided in schedules III and V.

29. Grievance Redressal Cell.-(1) The complaint or suggestion boxes appropriately labelled including the date of next opening shall be installed at appropriate places of the Institution .

- (2) The complaint or suggestion boxes are to be periodically opened by the Grievance Redressal Committee, a record of the complaint or suggestions, action taken report and the outcome shall be maintained.
- (3) The Institute shall have the policy of constitution of Grievance Redressal Cell Committee and its functionality;
- (4) The minimum constructed area required for this cell shall be as provided in Schedule III.

30. Committee Against Sexual Harassment.- (1) Each college shall have a Committee against Sexual Harassment for the creation of safe, equitable and inclusive campus environment.

- (2) The committee shall deal the complaints or grievances pertaining to sexual harassment, sexual misconduct, and sexual assault committed by students, faculty staff and other staff and visitors on campus and shall create awareness on sexual harassment.
- (3) The committee shall ensure that there is a confidential procedure followed in receiving and handling of complaints.
- (4) Each Institute shall have their institutional policy in the constitution of the Committee and its function.
- (5) The minimum constructed area required for this cell shall be as provided in Schedule III.

31. Common facilities.-(1) There shall be the following common facility available in the Institution, namely:-

- (a) one common room with attached toilets for boys;
 - (b) one common room with attached toilets for girls;
 - (c) one common room with attached toilets (separately for male and female) for non-teaching staff;
 - (d) adequate furniture and recreational facilities;
 - (e) adequate number of toilets at appropriate and easily accessible places separately for male and female students; and
 - (f) sanitary napkin dispenser and incinerator be provided in all female toilets.
- (2) The Institute shall also provide the transportation, Bank with automated teller machine, canteen and the like.
- (3) The minimum constructed area required for common rooms shall be as provided in Schedule III.

32. Hostels.- (1) There shall be separate hostels for boys, girls' students and intern-boys and intern-girls with adequate accommodation, mess, reading room, recreational facility with proper security.

- (2) The hostel shall be located in the institutional campus. In case, if the hospital is located in separate campus there shall be transport facility and the interns hostels shall be in the hospital campus.

Explanation.- The hostels designated for boys' and girls' students shall be having entry or exit timings that restrict movement. As the interns have to attend hospital duties and to attend emergencies, interns are to be provided separate hostels, so that interns can attend clinical duties comfortably and at the same time other students' safety shall also be ensured.

33. Canteen.- There shall be a canteen obtained appropriate licences as applicable, with adequate seating capacity, separate sections for consultants including teaching staff, interns and medical students, patients and their attendants in the campus. In case, if the college and hospital are in the separate campus, then separate canteen in both the premises shall be made available.

34. Human Resources.—(1) The Minimum norms, standards and number of teaching and non-teaching staff of the college shall be the following, namely:—

- (a) the qualifications and experience of teaching staff shall be as provided under the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda Education) Regulations, 2022;
- (b) the minimum number of teaching staff shall be as provided in Schedule IV;
- (c) excess higher faculty in the department can compensate lower faculty:

Provided that lower faculty cannot compensate higher faculty.

- (2) In case of multiple professors are available in the department, the headship of department shall be among professors on seniority and rotation basis for every three years.
- (3) The minimum number of non-teaching staff and the minimum qualifications shall be as provided in Schedule V Skilled professionals trained by any of the skilling agency under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall be given preference in appointment.
- (4) The head of the Institute shall undergo the capacity building or orientation programme on Educational Administration conducted by the Commission or as provided by the Commission. It is a mandatory requirement for holding the post of the head of the Institution, failing which he or she shall not be considered for the post of head of the Institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
- (5) Head of the institute may be incumbent teacher from any teaching department and can be teaching staff of that department concurrently but not head of the department.

35. Calculation of Teacher days and period.—(1) Teacher days shall be calculated individually for every teacher and cumulatively for all teachers of the Institution.

- (2) The period of calculation shall be preceding twelve months to the month of assessment.
- (3) If the assessment is being carried out in the month of May, then the period of calculation shall be from the month of May to April (twelve months).
- (4) Working days of a teacher shall be considered from the attendance (biometric or iris recognition or face recognition or any other as specified by the Commission from time to time) available at central server or central command centre.
- (5) Working days of the Institution shall be considered, total number of days in that particular assessment period excluding official holidays for that period.
- (6) The holidays notified by the Central Government and the State Governments and the holidays declared by the District Collector shall only be considered as holidays.
- (7) The college shall have to upload information with respect to holidays declared by the Central Government or State Government (in the manner as specified by the Commission from time to time). In the case of any local official holidays information shall be uploaded with proper document within ten days of declaration of holiday.
- (8) No request shall be considered beyond ten days.
- (9) Data available in the central server shall only be considered for calculation of individual teacher days as well as cumulative teacher days of the Institution.
- (10) Individual Teacher days shall be calculated on the following basis, namely:—
 - (a) number of days a teacher attended the duties in the college as a full-time teacher during the period of calculation;
 - (b) number of working days, the teacher was attached to the Institution during the period of calculation.

Illustration.— If a teacher was attached to the Institution for a period of six months in the ‘period of calculation’ during this six months how many days are the working days and how many days the teacher attended the college as fulltime teacher are considered for teacher days calculation.

- (11) Individual teacher days are calculated as provided under the formula below:

$$\frac{\text{Number of days attended the college as full-time teacher}}{\text{Number of working days in the period the teacher attached to the Institution}} \times 100$$

- (12) Each teacher shall have to attend a minimum of seventy-five per cent. of working days as provided under the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda Education) Regulations2022.
- (13) All types of leaves including official duties or deputations except medical leave, shall be not more than twenty-five per cent. of all working days of the assessment period.
- (14) Twenty-five per cent. of absence from the teaching shall not be permitted in continuation except maternity leave and medical leave for prolonged illness. It shall be the responsibility of the Institute to make alternate arrangements for the completion of syllabus in case of prolonged leave of a teacher. In such case the Commission may constitute a Medical Board to examine and verify the prolonged medical leave.
- (15) The cumulative Teacher Days of the Institution shall be not less than seventy-five per cent. and is calculated as provided under formula below:-

$$\frac{\text{Total working days attended by all the teachers during the assessment period}}{\text{Total number of working days of all teachers of the Institution during the assessment period}} \times 100$$

Note 1: Total working days attended by all the teachers during the assessment period may be arrived by adding individual attendance of all teachers.

Note 2: Total number of working days of all teachers of the Institution during the assessment period may be arrived by multiplying number of working days in that assessment period with minimum number of teachers specified for that particular intake capacity.

Illustration. - Forty teachers are the minimum requirement of teachers and the working days are three-hundred days for that assessment period. Then the total working days of all teachers of the Institution shall be: $40 \times 300 = 12000$.

36. Relieving and replacement of teaching staff. -(1) The teaching staff shall be relieved on resignation within the notice period of maximum thirty days, except in case of teachers with pending legal issues.

(2) The colleges withholding the staff beyond the specified period, not issuing relieving order and experience certificate shall be penalised by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System Medicine.

Provided that, if a teacher got government appointment, the teacher shall be relieved as per the request made by him.

(3) In case of teaching staff relieved from the Institution, the Institute shall replace the vacant post with eligible teacher within three months from the date of relieving. In case of delay in appointment, the college shall be penalised three times of the minimum salary or as specified by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System Medicine or by the Commission from time to time for each month of the delayed period.

(4) The period of delay in appointment of Teaching staff shall not be more than three months and such delay shall be treated as non-appointment of Teaching staff.

37. Official Duty. - (1) The Institutes shall depute the staff on official duty in the following conditions, namely:-

- (a) in case of official assignments by the Commission or its Autonomous Boards; and
 - (b) in case, the Commission conducting any training programs or capacity building programs or any other such programs, and if indicated to depute the staff for such programs.
- (2) Official duty leave shall be sanctioned for the days specified along with the days of travelling and to bear the travelling, boarding and lodging expenses by the Institutes.

CHAPTER IV

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR AN ATTACHED TEACHING HOSPITAL

38. General conditions for attached teaching hospital. -(1) The attached teaching hospital shall fulfil all the statutory requirements of the concerned State, Union territory or local authority to establish and run the hospital and submit updated copies of such permission or clearance to the Medical Assessment and Rating Board of Indian System Medicine from time to time.

- (2) The attached teaching hospital shall be easily accessible to patients and there shall be provision for free vehicular movement including ambulance.
- (3) All entries and exits of the hospital shall be clearly demarcated and displayed appropriately.
- (4) There shall be proper and adequate parking facilities.
- (5) The entire hospital, including all entrances and exits shall be wide and barrier-free for easy movement to non-ambulant (wheel-chair, stretcher), semi-ambulant, visually impaired and elderly persons.

- (6) All the corridors of the hospital should have minimum width of ten feet and to ensure easy movement of stretcher.
- (7) The availability of stair case or escalators or lifts, ramp connecting to all floors shall be mandatory. The ramp also must be at least eight feet width with properly curved turning points to facilitate free movement of stretcher.
- (8) There shall be disabled-friendly toilets for males and females separately. All the doors of toilets and bath rooms are to be open able to outside, to rescue the patients in case of any emergencies.
- (9) There shall be a centralised announcement system connected to entire hospital for emergency announcements and alerts.
- (10) The entire hospital shall have been connected telephonically and each and every unit shall have intercom facility.
- (11) The entire hospital shall have proper fire safety and fire extinguishing system and required essentiality certificate or no objection certificate from the concerned authority.
- (12) The disaster prevention as well as disaster management measures should be in place.
- (13) Drinking water (hot and cold) facility, adequate number of toilets separately for male and female (separately for patients, hospital staff, medical students and interns, doctors and consultants) shall be made available at appropriate places of hospital.
- (14) The entire hospital should have clear signage in at least two languages including one in local language and with appropriate pictorial display.
- (15) Trained security shall be deployed at appropriate places for the hours as required.
- (16) The patient's rights and responsibilities as well as legal aspects of attacking on medical professionals on duty shall be displayed at prominent places.

39. Reception and registration zone. -(1) This zone includes Reception and Enquiry Counter, Registration and Billing Counter, Medical Record Room and Entrance Lobby. The minimum area required for each unit of the zone shall be as provided in Schedules XVI and XX.

- (2) The standards and norms for Reception and Enquiry shall be following, namely: -
 - (a) at prominent place at the entrance of the hospital;
 - (b) the receptionist must be preferably multi-lingual and well versed with all the services of the hospital, departments or specialty-wise consultants and their days of out-patient departments, timings of availability of consultants and the like;
 - (c) to attend enquiries of both physical and telephonic;
 - (d) the counter is connected with computer with updated information of hospital services and telephone connection with call transfer facility to any intercom of the hospital;
 - (e) to provide accommodation to Public Relation Officers, if any; and
 - (f) a suggestion box, complaint box or feedback box shall be provided in this area.
- (3) There shall be an adequate number of registration counters for central registration of new patients or clients, renewal of registration of old patients or clients, In-Patient admission, billing and payments.
- (4) There shall be computerised central registration system that shall be linked or aligned to facilitate real time data transfer to central server of the Commission.
- (5) The patient registration platform or hospital information management system, shall be compatible with Ayushman Bharat Health Account, health professional registry, Health facility registry and Unique Health Identification Number.
- (6) The authentication of the patients shall be made through the Ayushman Bharat Health Account.
- (7) If the Commission recommends any Hospital Information Management System, it is mandatory to migrate to the recommended software.
- (8) The Hospital Information Management Software is to be aligned with the National Ayush Morbidity and Standardised Terminologies Electronic portal developed by Central Council for Research in Ayurvedic Sciences.
- (9) All medical records belonging to Out Patient Department and In Patient Department shall be maintained by the hospital. In case of fully computerised hospitals, maintenance of physical records is not required and a small medical record room is sufficient to store important documents.

- (10) If the hospitals not fully computerised shall maintain all medical records in physical form and there shall be a medical record technician to maintain medical records.
- (11) The Department of Swasthavritta shall analyse the hospital data from epidemiological point of view.
- (12) The Entrance Lobby and Circulation Area shall provide the following facilities, namely:-
 - (a) to provide adequate circulation area for free movement of medical, paramedical, supportive staff, patients, attendants and the like coming in and going out from the hospital;
 - (b) to provide adequate seating arrangement at the entrance lobby; and
 - (c) to provide wheelchairs and stretchers.

40. Out Patient Department Zone.-(1) This zone shall be comprising of screening Out Patient Department, departmental Out Patient Departments and their associated units if any, speciality Out Patient Departments, online consultation facility, office of Out Patient Department Zone in-charge, drug store or pharmacy or dispensary, patient waiting area, an area for breast feeding, store, drinking water facility, separate male and female toilets for patient and staff and the like.

- (2) The minimum norms and standards required for various units of OPD zone shall be as provided under the Schedules XVII and XX.
- (3) An ideal Out Patient Department consultation room unless specified, shall have adequate space and furniture, preferably two chambers of interconnected, one for preliminary consultation by Interns and other for consultation by consultants.

Explanation.-This system provides enough opportunity for interns to take detailed history, experiencing clinical examination and the like. This system also minimises the waiting time of patient and also increases patient satisfaction as there is scope for detailed history and examination.

- (4) Every Out Patient Department shall be equipped with examination table with step, X-ray view box, wash basin, mirror, common diagnostic kit (stethoscope, torch light, measuring tape, skin marking pencil, knee hammer, tongue depressor, Non-contact Thermometer preferably non-contact digital Non-contact Thermometer, non-mercurial sphygmomanometer) and others as specified by respective departmental or speciality Out Patient Departments.
- (5) The screening of Out Patient Department shall provide the following facilities, namely:-
 - (a) all the newly registered patients (except patients of emergency) screened as per the Institutional screening criteria and directed to respective Out Patient Department for consultation;
 - (b) the screening system facilitates patient consultation by right specialist and avoids unnecessary confusion, delay or wrong consultations;
 - (c) screening carried out by the trained person in case of colleges under establishment and by interns in case of fully established colleges;
 - (d) screening criteria developed by each Ayurveda Institution or college in accordance with departmental Out Patient Departments and specialty Out Patient Departments if any and implemented after proper orientation and training for the concerned;
 - (e) record, chief complaints, height weight, body mass index, blood pressure, temperature, Naadi recording by Naadi recording equipment and any other basic parameters if required at the screening Out Patient Department;
 - (f) made available adequate number of screening counters in accordance with the patient flow;
 - (g) provide each screening counter, computer linked with hospital information management software and other equipment as provided in Schedule XVIII;
 - (h) token system for Out Patient Department consultation;
 - (i) to provide opportunity for first and second professional students for early clinical exposure accordingly adequate seating arrangement;
 - (j) function independently under the administrative control of Resident Medical Officer or Deputy Medical Superintendent or the designated authority;
- (6) The Atyaika Chikitsa (Emergency OPD) shall provide the following facilities, namely:-
 - (a) function under the department of Kayachikitsa and utilised services of other departments, if required;

- (b) to be appoint Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery qualified doctor if required to fulfil the state rules related to clinical practice;
- (c) the emergency Out Patient Department function twenty-four hours and no holiday for emergency Unit;
- (d) resident medical officer or Emergency medical officer or General duty medical officer posted round the clock to attend the emergency and the specialty consultants on call, if required;
- (e) easily accessible for non-ambulant, semi ambulant, visually disabled and elderly people for emergency care;
- (f) observation beds: -

Provided that these observational beds shall not be counted as Patient beds;

- (g) equipped with instruments and equipment as provided in Schedule XIX and XX;

(7) Swasthya Rakshana (Preventive Care and Lifestyle Management) OPD shall perform the following functions, namely:-

- (a) it caters the needs of healthy people in terms of preventive and promotive health care;
- (b) ayurveda based Swasthya Card through which Prakriti or Saara based lifestyle modification, customised dinacharya, advice of seasonal shodhana, occupational health issues, diet, exercise, yoga and the like are to be promoted;
- (c) not to entertain any patients for prescribing medicines and treatment procedures;
- (d) patients belonging to any other department may get referred or consult this OPD for consultations on preventive or promotive healthcare, lifestyle and diet regulations, exercise, yoga and the like;
- (e) the services of the consultants of this OPD may be utilised in IPD to provide advice in respect of diet and lifestyle management, preventive and promotive healthcare measures, and the like;
- (f) administer Ayurveda prophylaxis in case of seasonal or epidemic outbreaks;
- (g) cubicles for counselling purpose; and
- (h) undertake health check-up of Institutional employees periodically and advice accordingly preventive or lifestyle modifications.

(8) The Kayachikitsa (Internal Medicine) Out Patient Department shall function under the department of Kayachikitsa. All patients with complaints in general and as per the Institutional screening criteria may consult this Out Patient Department.

(9) Panchakarma (Therapeutic Procedural Management) Out Patient Department shall function under the department of Panchakarma. A patient may also consult directly for treatment to this department. The consultants of other Out Patient Department may refer patients for Panchakarma procedures to this department. In case of referral, it is expected from Panchakarma consultants to work in coordination with the consultant who referred the case to Panchakarma department.

Explanation.-Panchakarma consultants may not have expertise in each and every speciality and at the same time other speciality consultants may not be experts in administering all Panchakarma procedures and in the interest of patients, coordination between both consultants is must. Consultants other than Panchakarma may only recommend the procedure and medicaments, however, Panchakarma consultants are the authority in deciding suitability or fitness for procedure (yogya ayogya and the like) and mode of administration of procedures.

(10) Shalya Chikitsa (Surgical Management) Out Patient Department shall function under the department of Shalya Tantra. This Out Patient Department shall have attached minor procedural room for clinical examination, changing of ksharasutra and to carry out Out Patient Department level minor surgical procedures.

(11) Shalakya-Netra (Ophthalmology) Out Patient Department shall function under the department of Shalakya Tantra. All patients having complaints related to eye, irrespective of age and sex and as per Institutional screening criteria consult this Out Patient Department.

(12) Shalakya- Karna, Naasa and Mukha (Oto-rhino-laryngology) Out Patient Department shall function under the department of Shalakya Tantra. All patients with complaints related to ear, nose, oral cavity and throat and as per the Institutional screening criteria consult this Out Patient Department.

Note: There shall be dedicated consultants for each of above two Shalakya Out Patient Department. Same consultant few days in Netra Out Patient Department and few days in Karna, Naasa and Mukha Out Patient Department shall not be allowed.

- (13) Prasuti and Streeroga (Obstetrics and Gynaecology) Out Patient Department shall function under the department of Prasuti and Streeroga. This OPD shall have attached examination room and toilet facility. All patients of antenatal, post-natal, gynaecological problems and as per Institutional screening criteria consult this Out Patient Department.

Note: In case if there are two Out Patient Departments under this department, one OPD for Prasuti and one Out Patient Department for Streeroga and there shall be two examination rooms separately for each Out Patient Department. There shall be dedicated consultants for each of above two Out Patient Departments. Same consultant few days in Prasuti Out Patient Department and few days in Streeroga Out Patient Department shall not be allowed.

- (14) Kaumarabhritya (Pediatrics) Out Patient Department shall function under the department of Kaumarabhritya.

(a) paediatric patients (up to the age of eighteen years) with all general complaints and as per Institutional screening criteria may consult this Out Patient Department.

(b) there shall be adequate facility for immunisation and swarnaprashan.

- (15) Visha Chikitsa (Poison and Bite Management) Out Patient Department shall function under the department of Agadatantra. Patients with poisonous conditions such as poisonous bite, sting and the like and their complications, dushivisha, garavisha, drug induced toxicity and the like and as per the institutional screening criteria consult this Out Patient Department.

- (16) Speciality Clinics or OPDs, the norms and procedure for specialty clinics shall be the following, namely:-

(a) any faculty member belonging to the departments of Samhita Siddhanta, Rachana Sharira, Kriya Sharira, Dravyaguna, Rasashastra and Bhaishajyakalpana, Roganidana, if interested in offering clinical services, such faculty members may be given speciality Out Patient Department as per their expertise gained through special training or attending speciality hospitals and the like;

(b) any Ayurveda faculty member from the departments of Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya Chikitsa, Shalakya Chikitsa, Prasuti and Streeroga, Kaumarabhritya, Swasthavritta and Agadatantra, if interested in offering speciality clinical services, may be provided speciality Out Patient Department as per their expertise gained through special training or attending speciality hospitals and the like. The consultants may consult either in speciality Out Patient Department or in departmental Out Patient Department

(c) speciality Out Patient Department shall be in the name of the disease or a therapeutic (medical or surgical) procedure;

(d) these speciality clinics shall be operational under any one of the departments, that is Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya Chikitsa, Shalakya Chikitsa, Prasuti and Streeroga, Kaumarabhritya, Swasthavritta And Agadatantra in accordance to clinical relevance and the respective head of the department shall be the administrative head for that speciality Out Patient Department.

(e) specialty clinics are over and above the minimum requirement. It shall not be accounted under minimum area requirement of the hospital.

- (17) The Institute shall have to provide online consultation facility through teleconsultation platforms and this Out Patient Department shall be under the administrative control In-charge of Out Patient Department, availability of specialist consultants along with timings for teleconsultation shall be displayed on teleconsultation platforms and Institutional website.

- 41. Norms, procedure and standard of the drug stores and dispensary.**-(1) A person having qualification of Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery or Bachelor of Pharmacy Ayurveda or Master of Pharmacy Ayurveda shall be the in-charge of drug stores and dispensary. The drug store and dispensary shall be computerised.

- (2) There shall be hospital formulary duly approved by the Drug Procurement or Purchase Committee. The Drug Procurement or Purchase Committee comprising of Heads of all clinical departments shall meet at least once in three months and refresh the formulary as required.
- (3) The medicines are to be procured from Good Manufacturing Practices certified pharmacies only. Medicines prepared for demonstration purpose or by students as part of practical shall not be dispensed to patients (as such medicines are not prepared under Good Manufacturing Practices and not subjected to quality control standards).
- (4) A qualified or trained pharmacists shall dispense the medicines. There shall be adequate arrangement for weighing and mixing of powders and proper record of removal of expiry medicines shall be maintained.
- (5) Adequate seating arrangement for drug store in-charge, interns and students of Rasashastra and Bhaishajyakalpana for practical exposure shall be provided.

- (6) The minimum norms and standards required for drug stores and dispensary shall be as provided in Schedules XVII and XX.

42. The minimum attendance of patients in Out Patient Department.—The ratio of students with out-patient department attendance shall be 1:2, and the minimum per-day average number of patients in OPD shall be provided in the Table-7 below:

Table-7

Minimum Essential Requirement of OPD Patients Attendance

Serial Number	Student Intake Capacity per year	Minimum average number of patients per day in OPD (student and patient ratio 1:2)
(1)	(2)	(3)
1.	Sixty	120
2.	Hundred	200
3.	One hundred and fifty	300
4.	Two hundred	400
5.	Note: The Out Patient Department patient attendance for one year (twelve months) shall be calculated for three hundred days.	

43. Diagnostic Zone. -(1) The diagnostic zone shall be comprising of clinical laboratory, imaging section, other diagnostics like Electrocardiogram, any other instrument useful in primary and secondary health care.

- (2) The minimum norms and standards required for diagnostic zone shall be as provided in Schedules XX and XXI.
- (3) This zone shall function under the department of Roganidana. The head of the department of Roganidana or faculty member of Roganidana authorised by the hospital shall be the administrative head of the diagnostic zone.
- (4) A post graduate in Roganidana and Vikritivigyan is the authorised signatory of diagnostic test reports with Ayurvedic interpretation and Pathologist Radiologist, Sonologist, Microbiologist and the like may be appointed on part time basis as required.
- (5) This zone shall have a patient waiting area with adequate seating arrangements, an area for sample collection and processing, a counter for the issue of reports and payments, an office for the diagnostic zone in-charge, a store and toilets for male and female patients separately.
- (6) There shall be a biomedical waste management system as per Government's standards.
- (7) The clinical laboratory shall be well equipped with separate sections for pathology, haematology, biochemistry, immunology, microbiology and the like.
- (8) The imaging section shall contain X-ray (preferably digital), ultra-sonography and Doppler. In case of digital X-ray no need of dark room. Radiology section shall be as per the standards laid down by the Atomic Energy Regulatory Board.
- (9) Imaging section shall contain dress changing room, seating arrangement for radiology staff.
- (10) There shall be proper display of mandatory information related to the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994).
- (11) A separate section for other diagnostics like Electrocardiogram and the like shall be provided.

44. In-patients Department Zone. -(1) This shall accommodate in-patients beds distributed under various departments for admitting and treating the patients and to provide clinical training to the students.

- (2) There shall be department wise wards having in-patient beds not less than the number of beds as provided in the Table-8 below for respective departments.

Table-8

Minimum Essential requirement of in-patients beds (department wise)

Serial Number	In-patients Department	% of beds allotted	Minimum number of in-patient beds required (intake capacity wise)			
			60	100	150	200
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Medical in-patients section						
1.	Kayachikitsa Ward beds of atyayikachikitsa	20	12	20	30	40
2.	Panchakarma Ward	25	15	25	37	50
3.	Kaumarabhritya Ward	10	06	10	15	20
4.	Visha Chikitsa Ward	05	03	05	08	10
Sub total		60	36	60	90	120
Surgical in-patients section						
1.	Shalya Ward	20	12	20	30	40
2.	Shalakya Ward	10	06	10	15	20
3.	Prasuti and Streeroga Ward	10	06	10	15	20
Sub total		40	24	40	60	80
Grand total		100	60	100	150	200

- (3) A clear demarcation between male and female beds, separate toilets shall be provided for male and female patients and their attendants. Hot and cold water for drinking as well as in toilets are to be provided in all in-patients wards. There shall be designated area with suitable furniture for visitors of in-patients.
- (4) Each ward shall have nursing counter or station are nursing counter or station for each thirty beds along with medicine storage, seating arrangement for interns, designated places for trolleys, biomedical waste management, area for clean and dirty utility, accommodation for night duty nursing staff, interns on night duty and night duty doctor or consultant.
- (5) An emergency nurse call bell arrangement shall be provided at appropriate places of general ward and at every bed of special, semi-deluxe, deluxe and the like wards.
- (6) There shall be cloth washing and drying facility or laundry facility for in-patients.
- (7) Each ward shall have attached procedural room and preparation room to perform ward procedures.
- (8) The ratio of students to the number of beds, and in-patient department bed occupancy shall be 1:1 and sixty per cent. respectively, as provided in the Table-9 below.

Table-9
Minimum Requirement of Beds and Bed Occupancy

Students intake Capacity per year	Minimum number of beds in in-patient department on 1:1 student-bed ratio	Minimum per day average number of patients in in-patient department during last one calendar year (365 days) (sixty per cent. bed occupancy)
(1)	(2)	(3)
Sixty	60 beds	36
Hundred	100 beds	60
One hundred and fifty	150 beds	90
Two hundred	200 beds	120

- (9) The bed occupied by a patient at midnight shall be counted as one bed day occupied and if a patient is discharged before mid-night or admitted on day care, that shall be counted as 0.5 bed day occupied. To calculate bed occupancy following formula shall be applicable:

$$\frac{\text{Number of bed days occupied}}{\text{Number of beds} \times \text{Number of days}} \times 100$$

(10) For administrative purpose the departmental in-patients wards may be grouped and maintained as provided hereunder.

(11) The medical in-patients section wards of Kayachikitsa, Panchakarma, Kaumarabhritya and Vishachikitsa may be grouped and maintained under the medical in-patients section. The Minimum number of beds department wise and the area required for various wards of in-patient zone shall be as provided in Schedule XXII.

(12) The surgical in-patients section beds belonging to departments of Shalya, Shalakya and Prasuti and Streeroga may be grouped under surgical wards. Clear demarcation between septic beds and aseptic beds, obstetric beds and gynae beds is to be provided to avoid cross infection. The minimum number of beds department wise and the area required for various wards of in-patient zone shall be as provided in Schedule XXII.

Explanation I.-Each department may require specialised arrangement for administering ward procedures. To facilitate such arrangement, all in-patients beds of that department shall be at one place.

Explanation II.-The hospitals may have to maintain general, semi-special, special, deluxe and the like type of in-patients accommodation to suit to different category of patients or subjects. It is in practice that many hospitals have common in-patients wards like general ward, semi-special ward, special ward, deluxe ward and the like, wherein consultants of any department may admit their patients in any ward as per the preference of the patients. In such case administering the specialised ward procedures will be difficult. If, all category of beds that is general, semi-special, special, deluxe and the like are available for each department at one place, in such case the specialised ward procedures are administered conveniently and efficiently.

Explanation III.-As the allocated in-patients beds for each department is very small in number, it is difficult to provide all category of in-patients accommodation like general, semi-special, special and the like for each department. The allocated in-patients beds for Vishachikitsa is five for hundred intake capacity, providing different category beds out of five beds is not possible.

Explanation IV.-To overcome the issue and in order to provide all allocated beds of that particular department at one place and to make available all category of beds to each department, in-patients wards are grouped depending on the nature of therapies that is the departments offering medical management (Kayachikitsa, Panchakarma, Kaumarabhritya and Visha Chikitsa) are grouped under medical in-patients section and the departments offering surgical management (Shalya, Shalakya, Prasuti and Streeroga) are grouped under surgical in-patients section.

Explanation V.-This type of grouping of departmental wards may help in aggregation of in-patients beds to sufficient number so that all the allocated beds of that particular department will be at one place and at the same time all category of beds are also available for each department. The attached ward procedural room helps in providing specialised ward procedures as per the need of that particular department.

Illustration.- In case of hundred intake capacity, out of hundred in-patients beds sixty beds will be under medical in-patients section. These sixty beds may be mixed of general, semi-special, special and the like category. The consultants belonging to departments falling under this section may admit in any category as per the choice of patients but within the total number of allotted beds to that particular department. As these wards have attached procedural room with suitable equipment appropriate care is conveniently and efficiently be administered.

Explanation VI.-This also minimises the duplication of equipment and human resource and facilitates the departments to offer speciality wise services to patients conveniently, efficiently, effectively and economically.

45. Department wise in-patients wards.- (1) The Minimum norms and standards of department wise in-patients wards shall be as provided in Schedules XX and XXIII and their functions are as under, namely:-

(a)(i) the Kayachikitsa ward shall be under the department of Kayachikitsa;

(ii)the consultants of Kayachikitsa and the consultants of speciality clinics, if any under this department, shall be the authorised consultants to admit the patients in this ward;

(iii) the head of the department of Kayachikitsa shall be the administrative head of the Kayachikitsa ward and Intensive Care Unit;

(b) (i)Atyayikachikitsa ward (Intensive Care Unit) shall have fully air-conditioned, easy to access for emergency patients, there shall be oxygen outlets, vacuum outlet, compressed air outlets at each ICU bed sufficient electrical points with suitable capacity shall be available at every Intensive Care Unit bed;

- (ii) there shall be nursing counter with necessary facilities inside Intensive Care Unit; ;
- (iii) the minimum norms and standards for Intensive Care Unit shall be as provided in Schedules XIX and XXII;
- (c) (i) The Panchakarma ward shall be under the department of Panchakarma;
 - (ii) the consultants of Panchakarma and the consultants of speciality clinics, if any under this department shall be the authorised consultants to admit the patients in this ward;
 - (iii) the consultants of Swasthavritta and the consultants of speciality clinics, if any under the department of Swasthavritta may also admit their clients (healthy individuals) in this ward, for the purpose of ritu sodhana or rejuvenation;
 - (iv) the head of the department of Panchakarma shall be the administrative head of the Panchkarma ward;
- (d) (i) the Shalya ward shall be under the department of Shalya Tantra;
 - (ii) the consultants of Shalya Tantra and the consultants of speciality clinics, if any under this department shall be the authorised consultants to admit the patients in this ward;
 - (iii) the head of the department of Shalya Tantra shall be the administrative head of the Shalya ward.
- (e) (i) the Shalakya ward shall be under the department of Shalakya Tantra;
 - (ii) the consultants of Shalakya Tantra and the consultants of speciality clinics, if any under this department shall be the authorised consultants to admit the patients in this ward;
 - (iii) the head of the department of Shalakya Tantra shall be the administrative head of the Shalakya ward;
- (f) (i) the Prasuti and Streeroga wards shall be under the department of Prasuti and Streeroga;
 - (ii) the consultants of Prasuti and Streeroga and the consultants of speciality clinics, if any under this department shall be the authorised consultants to admit the patients in this ward;
 - (iii) the head of the department of Prasuti and Streeroga shall be the administrative head of the Prasuti and Streeroga ward;
 - (iv) the new born babies are to be admitted in Kaumarabhritya ward and taken care by Kaumarabhritya consultants;
- (g) (i) the Kaumarabhritya ward shall be under the department of Kaumarabhritya;
 - (ii) the consultants of Kaumarabhritya and the consultants of speciality clinics, if any under this department shall be the authorised consultants to admit the patients in this ward;
 - (iii) the head of the department of Kaumarabhritya shall be the administrative head of the Kaumarabhritya ward;
- (h) (i) the Visha Chikitsa Ward shall be under the department of Agadatantra;
 - (ii) the consultants of Agadatantra and the consultants of speciality clinics, if any under this department shall be the authorised consultants to admit the patients in this ward;
 - (iii) the head of the department of Agadatantra shall be the administrative head of this ward; and

(i) the consultants of swasthavritta and the consultants of speciality clinics if any under Swasthavritta shall administer ritu sodhana or other rejuvenation or health promotional therapies in collaboration with Panchakarma department. No separate beds are allocated.

46. Clinical Classrooms. -(1) There shall be clinical classrooms attached to in-patients wards.

- (2) All the clinical classrooms shall be equipped with Information Communications Technology.
- (3) At least one clinical classroom shall be equipped with interactive Closed-Circuit-Television connected to operation theatre for live demonstration of surgical procedures.
- (4) The clinical classrooms shall have the capacity to accommodate a clinical batch size or minimum thirty students for conducting of clinical classes or bedside clinics;
- (5) Each clinical classroom shall have examination table, X-ray view box, common diagnostic tools such as stethoscope, non-mercurial Sphygmomanometer, non-contact thermometer, torch light, tongue depressor, measuring tape, skin marking pencil, knee hammer and the like.

47. Procedural Management Zone.—(1) The Procedural Management Zone shall be comprising of Panchakarma Therapy Section, Operation Theatre Section, Anushastra Karma Section, Labour Room, Prasuti and Streeroga Procedural Room, Kriyakalpa Section and any other therapy sections shall as provided by the Commission from time to time. The minimum norms and standards required for various sections under this zone shall be as provided in Schedule XX and XXIV and other norms and standards are as under, namely:—

- (a) (i) Panchakarma Therapy Section shall be comprising of reception, waiting, consultation room, preparation room, store, therapy rooms, therapists room separate for males and females, adequate provision for waste management;
- (ii) this section has common facility for both out patient department and in-patient department;
- (iii) this section shall be under Panchakarma department and under the administrative control of head of the department of Panchakarma or designated faculty of Panchakarma department or exclusively appointed Panchakarma specialist;
- (iv) there shall be adequate waiting area with proper seating arrangement and drinking water facility (hot and cold);
- (v) the reception counter shall preferably be computerised with hospital information management system, the receptionist shall be well versed with Panchakarma terminologies and the counter is to be provided with the day wise schedule of therapies, appointments if any, details of the Panchakarma therapists of that particular day, details of Panchakarma consultants on duty and the like information;
- (vi) the consultation room with adequate seating for Panchakarma consultant and interns equipped with examination table and common diagnostic tools such as X-ray view box, Electrocardiogram recording facility, sphygmomanometer (non-mercury), clinical thermometer (non-contact), stethoscope, measuring tape, weighing scale, knee hammer, torch light and the like;
- (vii) every patient or client must undergo consultation to ensure fitness before and after undergoing Panchakarma procedures;
- (viii) Panchakarma bheshajagara or medicine preparation room with adequate storage (including refrigerator) and area for medicine preparation and required equipment for medicine preparation is to be made available. There shall be arrangement for supply of fresh drugs, cooking and heating facility, water filter for clean water, exhaust or electric chimney.
- (ix) there shall be issue counter to issue medications for administration to avoid frequent movement of people into preparation room.
- (x) there shall be specified area for clean and dirty utility and separate washing area with hot water supply for cleaning of used items;
- (xi) there shall be designated place and mechanism for biomedical waste management;
- (xii) the Panchakarma therapy rooms shall be adequate space and privacy for dress changing and attached toilets. Adequate privacy shall be provided to patients undergoing Panchakarma therapy.
- (xiii) Every therapy room shall be fully equipped, so that all Panchakarma procedures may be administered in every therapy room. At least one therapy room shall be equipped for Kaumara Panchakarma and the therapies in the Kaumara Panchakarma therapy room shall be under the supervision of Kaumarabhritya consultants;
- Explanation.—Specifying and labelling therapy room as virechanakaksha, vamanakaksha, snehanakaksha, swedanakaksha and the like, restrict the administration of multiple procedures and the patient has to be shifted from one therapy room to other for each procedure and after Panchakarma procedures to wash rooms. This type of arrangement is time consuming, inconvenient and affects privacy of the patients. If a patient has to undergo abhyanga and sweda then the patient need to undergo abhyanga in snehana kaksha and sweda in swedana kaksha and then to wash room for bath. To avoid such inconvenience, each therapy room shall be equipped so that all the therapies can be administered in same therapy room. Ideally the therapy rooms are to be labelled with numbers.
- (xiv) cubicles for administering snehana and for counselling of patients shall be provided. Each cubicle shall be equipped with seating arrangement for patient and Panchakarma specialist or junior doctor, wash basin with water connection, diagnostic tools such as stethoscope, sphygmomanometer (non-mercury), clinical thermometer (non-contact) and the like;
- (xv) the Rakthamokshana procedure shall be conducted in anushastra karma unit under aseptic conditions;

Explanation.—Rakthamokshana is one of the Panchakarma procedure and is also part of anushastra karma. It is better performed in anushastra karma section under aseptic conditions. Duplication may be avoided by Panchakarma department and in such case, there shall be Institutional mechanism for using the facility by both

the departments in coordination. In case, if Panchakarma department want to retain the facility, it shall be established separately with appropriate aseptic measures. Raktmokshana shall not be carried out in regular Pachakarma therapy rooms.

(xvi) the Panchakarma therapists shall be trained thoroughly and undergo periodical health check-up to rule out any contagious diseases to avoid cross infection. There shall be room for therapists separately for male and female with personal lockers or dedicated compartment of pigeon whole almirah, adequate seating arrangement and attached toilets separately for male and female therapists;

(xvii) Panchakarma store with adequate space including refrigeration storage for storing of various consumables, medicines and equipment shall be provided;

(xviii) emergency medicine kit shall also be made available at prominent place and the drugs are to be periodically replaced to avoid expiry of medicines; and

(xix) the norms and standards of Panchakarma therapy section shall be as provided in Schedule XX, XXIV and XXV.

(b) (i) the Operation Theatre Section shall be comprising of minor Operation Theatre for ano-rectal and other minor procedures and Major General Operation Theatre for all major surgeries;

(ii) this is common facility for all surgical departments namely Shalya, Shalakya and Prasuti-Streeroga;

(iii) a suitable mechanism shall be established for the usage of facility by user departments;

(iv) the minimum norms and standards of various units of operation theatre section shall be as specified in Schedule XXVI;

(v) in case of two major operation theatres one operation theatre shall be for shalya and prastuti-streeroga and the other for shalakya tantra ;

(vi) major general operation theatre shall contain waiting room for patients, pre-anaesthetic or preparation room, operation theatre, post-operative recovery room, soiled linen room, nurses rooms, surgeon's and anaesthetist's room (separate for male and female), Assistant's room, store room, washing room for surgeons and Assistants and students washing up and dressing up room, scrub room and the like;

(vii) though uttarabasti-intravesicle (male and female) is part of Panchakarma and uttarabsti-intrauterine is part of Prasuti and streeroga department, the procedures shall be performed in Operation Theatre under aseptic conditions. In case, if Panchakarma department want to retain, then the Panchakarma department shall have to develop separate theatre with required facilities to conduct the procedure under aseptic conditions;

(viii) ideally ksharasutra preparation comes under the department of Rasashastra and Bhaishajyakalpana. If, department of Shalya Tantra want to retain the preparation of ksharasutra, then there shall be separate room for its preparation: provided that, preparation of ksharasutra in Operation Theatre shall be strictly avoided.

(c) the Anushastra Karma Section shall be under the administrative control of head of the department of shalya or as designated by the hospital authority. This facility is common for both outpatient department and in-patient department. This section includes pain management unit, raktamokshna unit, ksharakarma unit, agnikarma unit and the like. The minimum equipment and instruments required for this section shall be as provided in Schedule XXVII.

(d) (i) Labour Room shall be under the department of Prasuti and Streeroga;

(ii) there shall be waiting room for patients, preparation room, labour room, post-partum recovery room and new born care corner and the like; and

(iii) the minimum norms and standards for labour room shall be as provided in Schedule XXVIII;

(e) (i) Prasuti and Streeroga Procedural Room shall be under the department of Prasuti and Streeroga. This is the common facility for both outpatient department and in-patient department;

(ii) the head of the department of Prasuti and Streeroga shall be the administrative head of this unit;

(iii) adequate space and facility to perform the procedures like yoni pichu, yoni dhavana, yoni purana, yoni dhupana and the like shall be made available at appropriate place.

(f) (i) garbasanskara facility shall be under the administrative control of head of the department of Prasuti and Streeroga; and

(ii) there shall be room attached with cubicles with audio visual facility for administering various components of Garbasanskara such as Yoga, Music therapy, Mantra therapy and the like.

- (g) the norms and standards of neonatal intensive care unit shall be as provided in Schedule XXIX.
- (h) (i) the kriyakalpa section shall have the reception, waiting room, preparation room, store room, therapy sections or rooms or cubicles, therapists' room, waste management provision;
- (ii) this is common facility for both outpatient department and in-patient department;
- (iii) this section shall function under the administrative control of head of the department of Shalakya or any designated faculty member of Shalakya;
- (iv) there shall be a pantry for preparation of medicines, and hygienically maintained cubicles or compartments for conducting procedures;
- (v) the therapists shall be trained properly and undergo periodical health check-up for any contagious diseases;
- (vi) there shall be proper biomedical waste management system;
- (vii) specialised procedures related to eye, ear, nose and throat are to be performed in kriyakalpa section. Other common procedures are to be performed in Panchakarma therapy section;
- (viii) the minimum norms and standards for Kriyakalpa section shall be as provided in Schedule XX and XXIV.
- (i) (i) physiotherapy section facility shall be common for both out patient department and in-patient department;
- (ii) physiotherapist shall be the administrative head of this unit;
- (iii) there shall be adequate space (individual therapy cubicles or sections are recommended) and equipment for administering physiotherapies; and
- (iv) the minimum norms and standards for physiotherapy section shall be as provided in Schedule XX, XXIV, and XXX.
- (j) (i)yoga Section shall be under the department of swasthavritta;
- (ii) yoga demonstrator shall be the in-charge and the head of the department of Swasthavritta;
- (iii)adequate space, with proper ventilation, equipped with audio visual aids and enough yoga mats shall be made available for yoga demonstration and training to healthy individuals as well as to patients;
- (iv)the consultants of Swasthavritta shall prescribe therapeutic yogic procedures and the yoga demonstrator will demonstrate the prescribed yoga, pranayama, kriya and the like;
- (iv) the minimum norms and standards for yoga section shall be as specified in Schedules XX and XXIV.
- (k) Quality Council of India Certified equipment and instruments shall be preferred to the extent of availability.

48.Composition and function of the Pharmacovigilance Cell.-(1)This cell shall function in accordance with the Regional or National or Central Pharmacovigilance Cell.

- (2) The Co-ordinator of the Cell shall be faculty member from Rasashastra and Bhaishajyakalpana and Dravyaguna.
- (3) One faculty member from each department of Kayachikitsa, Shalya tantra, Shalakya tantra, Prasuti and Streeroga, Kaumarabhritya, Panchakarma, Swasthavritta and Agada tantra shall be the members.
- (4) The cell members shall meet at least once in two months to identify adverse drug reactions and other related issues to analyse and report to the Regional or National or Central Pharmacovigilance cell.

49.(1) The administrative zone shall be comprising of office of the Medical Director, Medical Superintendent, Deputy Medical Superintendent, Administrator, Matron, Assistant Matron, Resident Medical officers, Office Superintendent, Accountant and other office staff. There shall be waiting longue for visitors, attached toilets for head of the Institute and toilets separately for male and female for other administrative staff and adequate pantry facilities. The minimum required area for various units of this zone shall be as provided in Schedule XXXI of these regulations.

- (2) Doctors lounge with adequate seating and resting furniture, attached toilets along with recreational facility like television, newspapers, magazines and refreshment facility like coffee vending machine and the like shall be made available. Adequate privacy to female consultants shall be made available.
- (3) There shall be a separate room for interns with individual lockers, adequate furniture and attached toilets, recreational facility such as television, newspaper, magazines and the like.
- (4) There shall be a separate room with adequate seating facilities and individual lockers or pigeon almirah compartment for hospital staff with attached toilets.

- (5) There shall be a meeting hall with well-equipped audio-visual facilities, online and offline conferencing systems, to accommodate at least thirty members to participate in the meeting for conduction of hospital related meetings and to conduct periodical clinical meetings of consultants of the hospital.
- (6) There shall be a store with adequate and appropriate storage facility and the store maintains hospital related items. The store shall be computerised and aligned with hospital information management software.
- (7) The hospital shall have an established biometric attendance system as specified by the Commission from time to time. All hospital staff and interns should mark their daily attendance in the specified biometric attendance system. The attendance system shall be interfaced with the central server or central control system of the Commission.

50. Services Zone.- The Services zone shall includes pathya-diet centre, canteen, mortuary, ambulance, biomedical waste, house-keeping, laundry, security and the like. The minimum required area for various units of this zone shall be as provided in Schedule XX and other standards and norms for various units of this zone are as under namely:-

- (1) (a) A person having Bachelor of Ayurvedic Medicine and surgery with three years experience or Master of Science Ayurveda Dietetics shall be the in-charge of pathya-diet including instant medicine preparation section.
- (b) there shall be trained cooks and multi-tasking workers;
- (c) this section shall contain adequate space and necessary arrangement for storage (including refrigeration) washing, cooking, packing, despatch, dining area (optional), seating arrangement and toilets for pathya-diet in-charge, interns and other staff;
- (d) indent for Pathya-diet including instant medicines like swarasa, Kashaya, ksheerapaka and the like is to be raised by respective wards on suggestion or prescription by respective consultants and to be submitted to pathya section;
- (e) the indent shall contain name of Pathya-diet or instant medicine, quantity, time of supply, special instructions if any such as serve warm, less spicy, with trikatu and the like details;
- (f) there shall be a directory or electronic display of Standard Operating Procedures of preparations available for ready reference;
- (g) there shall be arrangements for supply of raw materials for swarasa, kalka, Kashaya with fresh herbs and the like; and
- (h) the cooks and other working staff must undergo periodical health check-up;
- (2) (a) if the college and hospital are in the same campus a common canteen is sufficient or in case, if the hospital is in separate campus, a separate canteen in hospital premises shall be made available; and
- (b) The canteen shall have adequate seating capacity, separate sections for consultants including teaching staff, interns and medical students, patients and their attendants.
- (3) the colleges may have mortuary with cold storage or may have Memorandum of Understanding with the medical establishments having mortuary facility;
- (4) the colleges may have their own ambulance service for twenty-four hours a day or may have Memorandum of Understanding with ambulance services;
- (5) There shall be a Biomedical Waste Management system in the institute. The institute shall be bound to follow the Biomedical Waste Management Rule, 2016, the Institute shall have its own biomedical waste disposal system or may have a Memorandum of Understanding with the authorised biomedical waste management agencies;
- (6) (a) the Laundry of the hospital linen shall satisfy two basic considerations, that is, cleanliness and disinfection;
- (b) the hospital shall provide necessary facilities for washing, drying, pressing, storage of soiled and cleaned linens. The physical facilities for housing the laundry equipment shall be provided in the campus; and
- (c) the services may be outsourced with overall supervision of the Hospital administrator.
- (7) (a) the Housekeeping services for college, hospital and other units of the Institutional campus shall be provided with adequate house-keeping staff; and
- (b) the house keeping staff may be on contract basis or outsourced through the registered outsourcing agencies.
- (8) (a) there shall be an independent central sterilisation unit capable of taking the total working load of operation theatres, casualty room, labour room, laboratories, out-patient department procedure rooms, in-patient department ward procedure rooms and the like; and

- (b) the central sterilisation unit shall have adequate equipment with separate ends for loading and unloading, sterile racks, packaging machine, instruments cleaning machine, steriliser, autoclave, pass box and tray and the like as required.
- (9) (a) the Security services for campus, college, hospital and other units of the Institution shall be provided with trained security personnel in adequate number;
 - (b) the security posts shall be provided at main entrance of the Institute (in case of two campuses each campus shall be provided separately), all entrances and exits of the college and hospital, entrance of teaching pharmacy, entrances of the hostels, library entrance and other areas as per the Institutional requirement; and
 - (c) the security services may be outsourced through registered security agencies.
- (10) (a) there shall be a maintenance cell or college and the hospital, if the college and hospital are in one campus, a common maintenance cell shall be sufficient and if not in the same campus separate maintenance cell is required for hospital;
 - (b) maintenance cell shall take care of maintenance works related to civil, electrical, plumbing, carpentry, mechanical, sanitary, water supply, waste management, drainage, air-conditioning, refrigeration equipment and the like; and
 - (c) there shall be adequate space, equipment for maintenance and qualified manpower either appointed or outsourced.
- (11) (a) the fixed cylinders for pipe gas supply as well as portable cylinders shall be appropriately placed; and
 - (b) all the gas pipelines shall be periodically maintained with proper record. There shall be proper refilling or replacement system to ensure safety and uninterrupted supply.
- (12) (a) there shall be a photography and videography section with photography and audio-visual recording facility to document typical or atypical clinical presentations and clinical success stories for academic and research purpose; and
 - (b) this section shall be equipped with green backdrop, suitable lighting system, camera, video camera, audio recording system along with audio-video editing facility.

51. Human Resources.- (1) Dean or Principal or Director as the case may be shall be designated as Medical Director for the attached teaching hospital. All the attached teaching hospitals of the college shall be under the academic, administrative and disciplinary control of the Dean or Principal or Director.

- (2) (a) the Medical Superintendent shall be post-graduate in Kayachikitsa or Panchakarma or Shalya Tantra or Shalakya Tantra or Prasuti-Streeroga or Kaumarabhritya or Agada tantra or Manasaroga and Rasayana-Vajikarana with minimum ten years of professional experience in which at least three years of administrative experience as Head of the Department or Deputy Medical Superintendent or vice Principal; or Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery graduate with Master of Business Administration in Hospital Administration with ten years of experience as Deputy Medical Superintendent in Ayurveda hospitals or as Hospital Administrator or Human Resource Manager in National Accreditation Board for Hospitals accredited Multi-speciality Hospital;
- (b) the Medical Superintendent shall be a full-time regular staff either exclusively appointed or incumbent and shall not be concurrently a teaching staff of any department; and
- (c) the Medical Superintendent appointed or deputed from health services shall report and discharge his duties under supervision of the Medical Director;

Explanation.-Clinical training is a crucial component of medical education and the teaching hospitals have to play pivotal role in imparting clinical training to medical students. To provide effective clinical training coordination and cooperation between clinical departments of college and hospital is essential in order to bring coordination and cooperation between college and hospital. The Medical Director shall be the overall controlling authority of the teaching hospital and Medical Superintendent shall discharge his duties under the supervision of the Medical Director.

- (3) (a) the Deputy Medical Superintendent shall be Post-graduate in Kayachikitsa or Panchakarma or Shalya Tantra or Shalakya Tantra or Prasuti Tantra and Streeroga or Kaumarabhritya or Agada tantra, Manasaroga or Rasayana and Vajikarana; or Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery with Master of Business Administration in Hospital administration as Deputy Medical Superintendent;
- (b) the Deputy Medical Superintendent shall not be concurrently the teaching staff of any department; and
- (c) the Deputy Medical Superintendent appointed or deputed from health services shall report to the Medical Director;

- (4) (a) a candidate with Master of Business Administration in Human Resource Management or Operations management or Health Care Management shall be appointed as Administrator. The administrator shall discharge his duties under the supervision of the Medical Superintendent; and
- (b) administrator shall be the administrative head of the canteen, ambulance, bio medical waste management, laundry, housekeeping, security, maintenance cell and the like;
- (5) (a) resident medical officer or emergency medical officer or General duty medical officer shall be graduate in Ayurveda (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) or Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery;
- (b) the medical officer shall attend Out Patient Department duty in Atiyayika (emergency Out Patient Department) round the clock and also attend emergencies in labour theatre, In Patient Department wards;
- (c) the medical officers shall execute the emergency management in consultation with respective speciality consultation;
- (d) the medical officers shall also perform night duties;
- (6) a person having qualification of Bachelor of Physiotherapy or Master of Physiotherapy shall be appointed as physiotherapist;
- (7) a person having qualification in Bachelor of Science Nursing with ten years of experience or General Nursing with twelve years of experience registered with Nursing Council or Ayurveda Nursing of duration not less than three years awarded by a recognised University with ten years of experience in Ayurveda hospital shall be appointed as Matron;
- (8) a person having qualification in Bachelor of Science Nursing with five years of experience or General Nursing with eight years of experience registered with Nursing Council or Ayurveda Nursing of duration not less than three years awarded by a recognised University with five years of experience in Ayurveda hospital shall be appointed as Assistant Matron;
- (9) a person having qualification in Bachelor of Science Nursing or General Nursing registered with Nursing Council or a person having degree or diploma in Ayurveda Nursing of duration not less than three years awarded by a recognised University shall be appointed as nursing staff;
- (10) a person having Diploma or Degree in Medical Laboratory Technology shall be appointed as Laboratory Technician;
- (11) a person having Diploma or Certificate in Ayurveda Pharmacy from a recognised Institution or twelfth standard pass with training in Ayurveda Pharmacy or dispensary or drug store shall be appointed as Pharmacist;
- (12) Modern Medical Specialist Consultant:- a person having post-graduate or specialist in the concerned speciality or subject may be engaged as required on a full-time or part-time or contract basis to extend their services in the concerned area or section or unit of the hospital; and
- (13) The qualifications of hospital staff other than those on the above list shall be as per Schedule XX. Skilled professionals trained by any of the skilling agency under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall be given preference in appointment.

CHAPTER V

TIMELINES TO COMPLY THE MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS AS SPECIFIED IN THESE REGULATIONS BY THE COLLEGES ESTABLISHED BEFORE NOTIFICATION OF THESE REGULATIONS

52. The Medical Institutions fully established or under establishment before the publication of these regulations may continue with same infrastructure, except for the infrastructural standards provided in said Table-10 which shall be fulfilled as per the time line provided in Table. The time lines provided in the said Table are maximum and no relaxation shall be provided thereafter.

53. The Medical Institutions permitted to establish before publication of these regulations may comply these regulations ,-

- (a) for the phases already established shall continue with same infrastructural standards and shall fulfil the specified standards and the time lines provided in the Table-10; and
- (b) the minimum essential standards for the phases to be developed shall be fulfilled as specified in these regulations.

Table-10

Time Lines to Comply the Minimum Essential Standards as Specified in these Regulations by the Colleges Established Before Notification of these Regulations

Serial Number	Standard or Unit or Section or Facility	Time Line for Fulfilling Minimum Standard Requirements (From the date of official Notification of these Regulations)
Campus in General:		
(1)	(2)	(3)
1	Official email and official mobile number	01 month
2	Central Workshop or Maintenance cell	18 months
College:		
1.	Digital Library	18 months
2.	Yogya – Clinical Skill or Simulation Lab	18 months
3.	Human Resource Development Cell	18 months
4.	Research and Innovation Cell	18 months
5.	College Council Meeting Room	18 months
6.	Students Council Room	18 months
7.	Academic Committee	Immediate
8.	Student Support, Career guidance and placement cell	18 months
9.	Grievance redressal cell	18 months
10.	Committee Against Sexual Harassment	Immediate
11.	Internal Quality assurance Cell	18 months
12.	Co-Curriculum and extra-curricular activity	18 months
Hospital:		
(1)	(2)	(3)
13.	Screening Out Patient Department	Immediate (as already notified in MSE-2022)
14.	Medical Record Room	18 months
15.	Visha Chikitsa Out Patient Department	Immediate (as already notified in MSE-2022)
16.	Visha Chikitsa Ward	Immediate (as there is no requirement of additional beds and the distribution is within the total number of beds)
17.	Clinical Classrooms	24 months
18.	Ward attached procedural rooms	24 months
19.	Anushastra karma section	18 months
20.	Kriyakalpa (Shalakya)	18 months
21.	Yoga Hall	24 months
22.	Pathya Diet Centre	18 months
23.	Doctors Lounge	24 months
24.	Interns Room	24 months
25.	Hospital Staff Room	24 months

26.	Hospital Meeting Hall	24 months
27.	Garbhsanskara	18 months
28.	pharmacovigilance cell	18 months
Other new standards or additions or expansions or over and above the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.		
(1)	(2)	(3)
29.	Department wise equipment and instruments	06 months
30.	Human resources	12 months

Note: Activities of various unites or cells shall be started within a month.

CHAPTER VI

METHOD OF ASSESSMENT OF EXISTING AYURVEDA MEDICAL INSTITUTIONS

54. Category of fully established Ayurveda medical institutions. -(1) With effect from publication of these regulations, the Ayurveda medical institutions shall be categorised into two categories i.e., ‘Extended Permission’ and ‘Yearly Permission’.

- (2) Fully established institutions under section 28 that have been permitted consecutively for three years shall be categorised under ‘Extended Permission’ category. Such medical institutions are entitled to admit the students every year as per the sanctioned intake capacity of the preceding year. The provision of extended permission shall not be applicable in the following conditions, namely:-
- (a) institution acted upon by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or Commission as provided under clause (f) of Sub-section (1) of Section 28of the Act;
 - (b) pending legal issues or disciplinary actions against the institution;
 - (c) institute violated the provisions of regulation 5 of the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda Education) Regulations, 2022 on admission of students as specified in concerned regulations as well as counselling and admission guidelines issued by the Commission from time to time;
 - (d) the institutions who have applied for increase in Under Graduate intake capacity; and
 - (e) the institutions who have not deposited the annual assessment or inspection or visitation fee and digitisation fee for the year of extended permission in the bank account of the Commission.

(3) Fully established medical Institutions that are not fulfilling the criteria for ‘extended permission’ shall be categorised under ‘Yearly Permission’ category. The medical institutions under yearly permission category shall admit the students every year only after obtaining permission for admissions from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

55. The process of assessment or inspection or visitation.- (1) Inspection or visitation or assessment carried out by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall be for continuation of extended permission or for granting of yearly permission or as provided in clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act.

- (2) All medical institutes irrespective of category (extended permission or yearly permission) shall keep uploading (self-disclosure) the data in the prescribed format on the Commissions online platform on or before 10th of every month for the preceding month data or as specified by the Commission from time to time.
- (3) All medical institutes irrespective of category (extended permission or yearly permission) shall deposit the annual assessment or inspection or visitation fee and digitisation fee along with the applicable taxes as provided in the Table-11, every year or as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

Table-11

Annual Visitation and Digitisation Fee (Intake Capacity Wise)

Serial Number	Type of Fee	Amount of fee (rupees in lakhs) as per intake capacity			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)		60	100	150	200

1.	Visitation or Inspection or Assessment Fee	5.0	7.5	10.0	12.5
2.	Digitisation Fee	1.0	2.0	3.0	4.0
Note: 1 The applicable taxes shall be additional.					
Note: 2 The fee amount along with the applicable taxes shall be paid to the Commission official bank account through NEFT or RTGS.					

- (4) The medical Institutes categorised under ‘Extended Permission’ shall submit an affidavit (as per the format and the time of submission as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine stating full compliance of the minimum essential standards as, published).
- (5) The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall conduct annual inspection or visitation or assessment (in the manner and mode as specified in the manual developed by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine and updated from time to time as required) at any time during the entire academic year to assess the minimum essential standards as published in these regulations.
- (6) The period of assessment shall be for twelve months preceding to the month of visitation or inspection or assessment.
- Illustration: If an institution is being assessed or inspected or visited in the month of August 2024, then the period of assessment shall be from 1st August 2023 to 31st July 2024.
- (7) The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall communicate the result or decision of the assessment or inspection or visitation to the Institutes with ‘Yearly Permission category’ within sixty days before the date of commencement of All India Counselling process by the All India Ayush Central Counselling Committee.
- (8) In case of Institutes with ‘Extended Permission’ there may not be any communication to those colleges that are fulfilling minimum essential standards and functionality. If a college did not receive any communication on or before of sixty days to the date of commencement of All India Counselling by the All India Ayush Central Counselling Committee, in such case, it shall be presumed that the college hold its status of extended permission and shall be allowed to go for admission process as per the provision of the relevant regulations.
- (9) During the process of assessment or visitation or inspection any deficiency found either in the documents or in data or in functionality of the Institutes with ‘Extended Permission’ and based on this, if Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine initiates any action as per clause(f) of sub-section (1) of section 28 of the Act, the ‘Extended Permission’ status of such Institutes shall be withdrawn and shall be categorised under ‘Yearly Permission’ category. Such Institutes may again attain ‘Extended Permission’ status only after fulfilling the conditions as provided sub-regulation (2) of regulation 54 of these regulations.
- (10) The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall have the power to re-visit the institutions for assessment or inspection or visitation at any time and any number of times in the year.
- (11) Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine may conduct online verification of biometric attendance and physical presence of teachers and other employees, during working hours on any working day, any number of times.
- (12) The colleges seeking permission for not admitting students or denied permission for admitting students consecutively for five academic sessions by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall be treated as deemed to be closed and if the college would like to restart, it shall undergo the process of new establishment under section 29 of the Act.
- (13) The provision to ‘rectify the defects’ specified under section 29 of the Act shall be applicable for the new Institutions for obtaining letter of permission only and not for further renewal of permission. This provision shall not be applicable for the existing established Institutions under section 28 of the Act, as these are the minimum essential standards, no chance to rectify the defects shall be given to the existing medical institutions.
- (14) Before issuing the order for denial of permission or reduction of intake capacity or before initiating any disciplinary actions or imposing penalty, an opportunity of hearing shall be given to the existing medical institutions.

CHAPTER VII

RATING OF FULLY ESTABLISHED AYURVEDA UNDERGRADUATE INSTITUTIONS

- 56. Procedure for rating of fully established Ayurveda Undergraduate institutions.**- (1) The process of rating shall be carried out by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or any rating agency authorised by the Commission.
- (2) The institutes shall be rated on the basis of the standards over and above the minimum essential standards and functionality of the Institution.
 - (3) The institutes under 'Extended Permission' category shall only be eligible for rating.
 - (4) The institutes awarded grade 'A' are entitled to charge five per cent. development fee over and above the prescribed fee from the students admitted during the years of 'A' grade.
 - (5) In case, if a deemed University or an Autonomous institution awarded 'A' grade, such medical Institutes are eligible for curricular freedom i.e., modification of nice to know category.
 - (6) The institutes graded 'A' or 'B' shall only be eligible for applying increase in intake capacity in existing programs or for starting of new programs.
 - (7) An institute of any grade, if acted upon by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine under clause (f) of sub-section (1) of section of 28 of the Act, the grade shall have deemed to be withdrawn and no communication shall be sent for withdrawal of the grade. If the Institutes continue to use the grade, such Institutes shall be subjected to disciplinary action.
 - (8) Assessment for rating of medical Institutions shall be on the following 'Key Areas' namely:-
 - (a) curriculum implementation and monitoring;
 - (b) quality enhancement and maintenance of human resources;
 - (c) infrastructure and facilities;
 - (d) research, innovation and extension;
 - (e) quality enhancement in health care services institutional functional eco-system, quality assurance and internal audit system;
 - (f) student support and guidance;
 - (g) institutional governance, leadership and management;
 - (h) community outreach programs;
 - (i) institutional values and best practices; and
 - (j) three hundred and sixty degree feedback, analysis and implementation.
 - (9) The proportion of weightage of online data submitted by the institution and physical verification or assessment shall be seventy per cent. and thirty per cent.
 - (10) All medical Institutes shall upload the data (self-disclosure) on the Commissions online platform on or before 10th of every month for the data of preceding month. The same data shall be considered for rating and other purposes. The institutes shall not be burdened to re-submit data again or in different formats for rating purpose.
 - (11) The medical institutes shall be graded on the basis of grading criteria and grade for rating as provided in the Table-12:

Table-12

Serial Number	Grading criteria and grades for rating of medical institutions	
(1)	(2)	(3)
1.	Rating score	grade
2.	75 and above	A
3.	50 – 74	B
4.	25 – 49	C
5.	< 25	D
6.	Others: Not eligible for Rating	

- (12) The rating process shall be completed and the details of the grades, rating score and any highlights shall be made available on the Commission's website or any other public domain as specified by the Commission before the date of commencement of All India Central Counselling Committee counselling process for admissions.
- (13) Annual rating fee as detailed in table-13 shall be paid along with applicable taxes through online (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to the Commissions for account within the period provided by the MARBISM.

Table-13

Fee for Rating of undergraduate Ayurvedic Institutions

Institution (1)	Amount of fee (in rupees) as per undergraduate intake capacity (2)
Under Graduate college with 60 intake capacity	Rs.2,50,000/-
Under Graduate college with 100 intake capacity	Rs.3,00,000/-
Under Graduate college with 150 intake capacity	Rs. 3,50,000/-
Under Graduate college with 200 intake capacity	Rs.4,00,000/-

CHAPTER VIII

ESTABLISHMENT OF NEW AYURVEDA UNDERGRADUATE MEDICAL INSTITUTION

57. General condition for establishment of new Ayurvedic medical institutions. —(1) Establishment of New Ayurveda Under Graduate medical institution shall be as per the procedure laid down under section 29 of the Act and the general conditions are as under, namely:-

- (a) the last date for submission of scheme or application shall be as displayed on the Commission's website;
- (b) application fee (non-refundable) and processing fee shall be paid along with the applicable taxes shall be paid into the Commission's account as provided in the Table-14.

Table-14

Details of fee for the Establishment of
Undergraduate Ayurveda Medical Institution

Serial Number (1)	Type of Fee (2)	Amount of fee (Rupees in lakhs) intake capacity wise		
		(3) 100	(4) 150	(5) 200
1.	Application Fee	2.0	2.0	2.0
2.	Processing Fee	10.0	15.0	20.0

Note1: Applicable taxes shall be additional.

Note 2: Fee amount along with applicable taxes shall be paid into the commission's official bank account through NEFT or RTGS.

- (c) incomplete or applications shall not be entertained in any case;
 - (d) application shall not be withdrawn after the last date;
 - (e) in case of withdrawal of application before the last date, the processing fee shall be refunded;
 - (f) any document of regional language shall be submitted with the translated version of Hindi or English duly attested by the competent authority.
- 58. Pre-requisite.**—(1) The application for establishment of new Ayurveda undergraduate medical college shall be for the intake capacity of one hundred, one hundred fifty and two hundred seats per year as provided in Annexure I.

- (2) At the time of submission of application or proposal or scheme for the Ayurveda hospital that has been proposed as attached teaching hospital shall have been completed minimum twenty four months of establishment and functionality.
- (3) It is mandatory for the hospital to have the appropriate registration under clinical establishment Act of respective state or Union territory administration or from the local authorities as applicable.
- (4) The following aspects shall be considered for two years of functionality of the hospital, namely:-
- (a) bank transactions depicting salary of consultants and other hospital staff in any Nationalised Bank in an independent account in the name of the hospital;
 - (b) the bank transactions indicating functionality of the hospital for example periodic purchase of medicines, hospital consumables, payment of relevant taxes, hospital income and the like;
 - (c) well documented (physical or electronic) hospital records, documents showing maintenance of the hospital, renewal of the necessary permission from local or concerned authorities;
 - (d) the proposed attached teaching hospital must have at least entry level certification by National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers;
 - (e) the Society or University or trust or person intended to establish an Ayurveda medical college may start the hospital in a phase wise manner as provided under-
 - (i) the hospital shall start with Out Patient Department of Swasthyarakshana, Kayachikitsa, Shalya Tantra, Shalakya Tantra-Netra, Shalakya Tantra-KNM (Karna, Nasa Kantha and Mukha Roga), Prasuti-Streeroga, Kaumarabhritya, Panchakarma and Visha Chikitsa;
 - (ii) with the minimum In-Patients Department of fifty beds attached with minor and major operation theatre including anushastra karma unit, labour theatre, panchakarma therapy unit, shalakya-Kriyakalpa unit and physiotherapy unit;
 - (iii) during second phase, the hospital shall enhance the In-Patients Department capacity gradually so that at the time of application the hospital shall be with one hundred bedded for one hundred intake capacity, one hundred fifty bedded for one hundred fifty intake capacity and two hundred bedded for two hundred intake capacity;
 - (iv) the gradual increase in the infrastructure and human resource shall be not more than four stages or phases, which shall be supported by appropriate documents such as construction, purchase of equipment, appointment of human resource, salary and other hospital expenditure;
 - (v) at the time of submission of application or proposal or scheme, the hospital shall be fully functional with all Out Patient Departments, In-Patients Department and other units with all the minimum essential standards as specified in these regulations, with average Out Patient Department attendance as specified for each intake capacity (two hundred patients for one hundred intake capacity, three hundred patients for one hundred and fifty intake capacity and four hundred patients for two hundred intake capacity) and with minimum average bed occupancy of forty per cent., which shall be increased to sixty per cent. by the time of second renewal of permission;
 - (vi) two years of functionality is considered for the preceding twenty-four months from the month of submission of application or proposal or scheme. If, submission of application is in the month of October, 2023, then two years of functionality is calculated from 1st October, 2021 to 30th September, 2023;
 - (f) all minimum essential infrastructural standards as specified for first phase of Institutional establishment in these regulations shall be fulfilled.
 - (g) essentiality certificate from respective State Government or Union territory administration as provided shall be submitted at the time of filing of application in Annexure III. shall be submitted at the time of filing of application;
 - (h) consent of affiliation from respective University clearly mentioning the academic year or years of affiliation (as per prescribed format Annexure -V) shall be produced at the time of submission of the application as provided in Annexure - V. In case if university itself is an applicant, consent of affiliation may not be required;
 - (i) Universities that are affiliating Ayurveda colleges or issuing consent of affiliation to establish Ayurveda college shall establish faculty of Ayurveda and constitute board of studies for Ayurveda; and

- (j) the distance between any two Ayurveda medical colleges run by the same trust or society or University shall be not less than twenty five kilometres.

59. Eligibility for making an application.- The eligibility for making an application under these regulations, an authority representing a Society or Trust or University or any other body are as under, namely:-

- (1) the applicant's one of the objectives shall be to impart education in Indian System of Medicine;
- (2) applicant shall either own or possesses the land on lease for not less than thirty years in the name of applicant's body and the same shall be renewed before expiry of lease;
- (3) in case of institutions having lease agreement for land, the Institute shall not be granted permission for admission for the last five years of lease period unless the Institute submit a notarised affidavit every year mentioning the lease shall be renewed before the expiry of the lease and subsequently submit the renewed lease agreement before expiry of lease period;
- (4) furnishes an affidavit that the National Eligibility cum Entrance Test qualified students on merit basis shall be admitted through Central or State or Union territory online counselling process. Foreign nationals students are exempted from National Eligibility cum Entrance Test.
- (5) furnishes an affidavit that the land and buildings designated for Ayurveda medical college is exclusively for Ayurveda medical college and no other courses or programs except the Commission approved programs shall be conducted;
- (6) shall deposit security amount as provided in the Table-15 or as specified by the Commission from time to time.

Table-15
Details of security deposit as per intake capacity

Serial number	Intake capacity	Security deposit amount (in Rupees)	Mode of Payment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	100	Two crores	Online transfer through NEFT or RTGS.
2.	150	Three crores	
3.	200	Four Crores	


- (7) security amount shall be refunded to the Institute only after completion of five years of establishment of college.
- (8) security amount shall be returned to the college account, without interest after five years:

Provided that there shall not be any financial grievance pending against the college or pending of penalty amount due to disciplinary action by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the Commission;

Provided further that it shall not be applicable to the colleges governed by the Central or State Governments or Union territories, if they give an Undertaking to provide funds in their plan budget regularly till requisite facilities are fully provided as per time bound programme indicated by them;

- (9) steps of establishment of undergraduate Ayurveda institute are as provided in figure below:

Figure-1
Steps of Establishment of Ayurveda Institution



60. Method of Application.- (1) Applicant fulfilling the pre-requisite and eligibility criteria may submit online or offline application as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

- (2) Non-refundable application fee and processing fee shall be paid through the National Electronic Funds Transfer or Real Time Gross Settlement in the Commission's account.
- (3) Application shall be submitted along with all necessary supportive documents as provided in these regulations or as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.
- (4) Application with all necessary attachments as provided in these regulations shall be submitted within the time limit and through offline or online or both as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.
- (5) The applicant shall provide official mail identity document (E-mail id) and contact number (Mobile number), which shall be used for all official communication by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine. These contact details shall be valid till the application or proposal or scheme is approved or disapproved. Once the scheme is approved, the college has to create official e-mail as provided in these regulations and intimate the same to the Commission along with official mobile number, the same shall be used by all Board Presidents and Secretary of the Commission for all official communications.

61. Processing of Application: -The steps of processing of applications as provided in the Table below. The detail procedure are as under, namely:-

- (1) All received applications shall be provided with temporary Identity Document such as year of application followed by 'TA' (Temporary and Ayurveda) followed by the serial number of the applications received in that particular year. For example, the first application received in 2023 for establishment of Ayurveda college shall be numbered as 2023TA001, second application as 2023TA002 and so on. The same temporary Identity Document shall be quoted by the applicant in all official correspondence and this temporary Identity Document shall be valid up to issue of Letter of Permission or disapproval of the application by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

- (2) All received applications shall be subjected to scrutiny by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as per the following criteria namely:-
- (a) applicant eligibility;
 - (b) pre-requisites;
 - (c) minimum essential standards specified for first phase of establishment;
 - (d) application fee and processing fee;
 - (e) supportive documents;
 - (f) hospital data;
 - (g) transactions in official bank accounts (separate account for hospital, college, drug manufacturing unit as applicable); and
 - (h) any other as specified by the Commission or by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

62. Issue of letter of intent.- (1) The applicant institutions fulfilling all the minimum essential standards and other requisite criteria as provided in these regulations shall be inspected or visited by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

- (2) The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall verify the data submitted by the institute along with the application and observations made by the visitors and if satisfied, the institutes shall be issued letter of intent (LOI-29.0) as provided under section 29 of the Act.
- (3) In case any shortcomings noticed during inspection or visitation, the same shall be communicated to the institute and an opportunity shall be given for rectification except for the shortcomings provided under sub regulation (8) of these regulations.
- (4) The compliance report along with necessary supporting documents submitted by the Institutes that have been given an opportunity for rectification, shall be subjected for scrutiny for the shortcomings specified and if found satisfactory the Institute shall be provided letter of intent (LOI-29.0), if not found satisfactory or the compliance report if not received within the due date as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine the application shall be disapproved and rejected.
- (5) The applications found with shortcomings shall be communicated to the applicant for rectification.
- (6) The compliance report along with supporting documents submitted by the Institutions within the specified duration, shall be scrutinised again by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine and if found satisfactory the Institution shall be inspected or visited.
- (7) The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall examine the compliance report submitted by the Institute and the observations made by the visitors and if found satisfactory, the Institute shall be issued letter of intent (LOI-29.0), and if not found satisfactory the application shall be disapproved and rejected.
- (8) An opportunity to rectify the defects shall not be given and such applications shall stand disapproved, in case of shortcomings of serious nature like deficiencies in minimum essential standards as provided in these regulations are as under, namely:-
- (a) duration and functionality of the hospital;
 - (b) land availability and land dispute;
 - (c) essentiality certificate from the State Government or Union territory;
 - (d) consent of affiliation from the University; and
 - (e) deficiency in constructed area of college or hospital.
- (9) The relaxation policy if any, shall be applicable to the existing colleges and shall not be applicable for new applications unless otherwise specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
- (10) letter of intent (LOI-29.0) issued shall be valid for that particular academic session only. In case, if the applicant failed to obtain letter of permission (LOP-29.1), the issued letter of intent shall not be applicable for consecutive academic sessions and in such case the applicant has to submit a fresh application for establishment of new college.

- 63. Issue of letter of permission.** - (1) Institute that received letter of intent (LOI-29.0) shall submit the compliance report by fulfilling all the minimum essential standards with details of teaching staff, non-teaching staff and hospital staff appointed as specified for first phase of establishment of Institution and security deposit to the Commission within the duration as provided by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
- (2) Upon receipt of compliance report along with all necessary supportive documents the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall conduct inspection or visitation.
- (3) The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall examine the compliance report and the observations made by the visitors and if found that the applicant is fulfilling all the requisite minimum standards, the Institute shall be issued letter of permission (LOP-29.1) along with the Commission's unique Institutional Identity Document (year of issue followed by 'AYU' followed by 5-digit serial number) including Institutional login credentials for the Commission's portal.
- (4) The applicant shall be communicated either approval or disapproval of the application or proposal or scheme by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine within six months from the last date for submission of application or proposal or scheme.
- (5) The Institute received letter of permission(LOP-29.1) shall intimate the official mobile number as well as official e-mail identity document created as specified in these regulations within ten working days to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine at president.marbism@ncismindia.org by quoting the unique institutional Identity Document and there after all official correspondence shall be through these official mobile number and official email identity document only.
- (6) In case of fraudulent activities carried out by the institutions like fraudulent admissions, on paper teachers, financial frauds, fraudulent appointment of hospital staff, the permission of the college shall be withdrawn.
- (7) An opportunity of being heard shall be given to the institution before withdrawal of the permission.
- (8) Letter of permission-(LOP-29.1) issued once shall be valid for that particular year and shall be renewed on yearly basis until full establishment of the institution and thereafter, the institute shall be categorised under 'Extended Permission' or 'Yearly Permission' category as per the criteria specified in these regulations and shall be followed accordingly.

64. Issue of renewal of permission. -(1) The Institutes issued with letter of permission (LOP-29.1) shall submit the compliance in respect to the fulfilment of minimum essential standards as provided in these regulations for second phase of establishment of the institution. The compliance report shall be submitted by the institution prior to six months to the expiry of letter of permission (LOP-29.1).

- (2) The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall conduct inspection or visitation and examine the compliance report submitted by the college and the observations made by the visitors and on fulfilment of the minimum essential standards the first renewal of permission (ROP-29.2) shall be issued.
- (3) The same method shall be followed for second and third time renewal of permission (ROP-29.3 and ROP-29.4).
- (4) During the subsequent years of third renewal, the Institute shall be treated as 'Fully Established Institution as provided under section 28 of the Act, and such Institutes are entitled for rating by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
- (5) The steps of establishment of undergraduate Ayurveda Institute is as provided in the table-16.

Table-16

Details of permission or renewal of permission for establishment of undergraduate Ayurveda colleges

Serial Number	Section 28 and 29	Permission or Renewal	Category	Batch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	29.0	Letter of Intent	Under Consideration	-
2.	29.1	Letter of Permission	Institution under Establishment	First
3.	29.2	First renewal of permission		Second
4.	29.3	Second renewal of permission		Third
5.	29.4	Third renewal of permission		Fourth

6.	28	Fully established recognised institution	Fifth onwards
----	----	--	---------------

- (6) In case of non-fulfilment of minimum essential standards and not attaining annual targets at any phase of establishment of the institution in such case, the MARBISIM shall withdraw permission for admission for that academic session.

65. Appeal. -(1)The aggrieved applicants may prefer an appeal, in the case of denial of recognition or permission for admission of students or reduction of intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine. The aggrieved applicant may prefer first appeal to the Commission within fifteen days of communication.

- (2) In case of lapse of six months duration without passing any order by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, the aggrieved applicant may prefer first appeal to the Commission within fifteen days.
- (3) The first appeal may be submitted by online or offline or as specified by the Commission from time to time.
- (4) The commission shall examine the appeal and the aggrieved applicant shall be given opportunity for being heard.
- (5) In case, if the Commission found that, the applicant is fulfilling all the minimum essentials standards, the commission may direct the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to consider its application.
- (6) In case, if the applicant is not fulfilling the minimum essential standards, the Commission shall disapprove and reject the appeal.
- (7) The Commission shall communicate the decision to the applicant within fifteen days of receipt of the appeal.
- (8) In case of disapproval by the Commission or no order has been passed by the Commission within fifteen days from the date of filing of appeal, the aggrieved applicant may prefer a second appeal to the Central Government within seven days.

66. Phase wise establishment of infrastructural standards and human resource for the institution.-(1) The phase-I infrastructural standards and the human resource that shall be made available before admitting the students for first professional Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery program.

- (2) Fully established National Accreditation Board for Hospitals accredited (at least entry-level) hospital with infrastructural standards, human resources and functionality of the hospital as mentioned in these regulations shall be as under:-
- (3) There shall be following department of first professional Bachelor of Ayurvedic Medicine, namely :-
 - (a) Samhita Siddhanta and Sanskrit;
 - (b) Rachana Sharira;
 - (c) Kriya Sharira;.
 - (d) Yогya Skill Laboratory with mannequins and simulators specified for first professional departments;
 - (e) other units such as central library; digital library; human resource development cell;
- (4) The institute shall have fully developed dynamic Institutional website with the following mandatory fields, namely: -
 - (a) attendance system; as specified in these regulations
 - (b) teaching staff of first professional BAMS; as specified in these regulations
 - (c) administrative, non-teaching staff except for second and third professional departments;
 - (d) hospital staff; and
 - (e) other sections or units or cells or facilities.
- (5) The phase II infrastructural standards and the human resource that shall be made available before the commencement of second professional Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery shall be as under, namely:-
 - (a) establishment of infrastructural standards of second professional departments are as under :-
 - (i) Dravyaguna Vijnana including Herb Garden;
 - (ii) Rasashastra and Bhaishajyakalpana;

- (iii) Roganidana and Vikritivijnana;
 - (iv) Agadatantra;
 - (v) Swasthavritta and Yoga;
 - (b) lecture Hall (addition of minimum one lecture hall to the existing two);
 - (c) teaching and non-teaching staff;
 - (d) expansion of facilities specified for second professional subjects in Yогya-Clinical Skill Laboratory;
 - (e) increase in library books up to minimum of 7500, 9000 and 11250 books for intake capacity of 100, 150 and 200, respectively;
- (6) The phase-III infrastructural standards and the human resource that shall be made available before the commencement of third professional Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery shall be as under namely:-
- (a) establishment of infrastructural standards of third professional departments are as under:-
 - (i) Kayachikitsa;
 - (ii) Panchakarma;
 - (iii) Shalya Tantra;
 - (iv) Shalakya Tantra;
 - (v) Prasuti –Streeroga;
 - (vi) Kaumarabhritya;
 - (b) teaching and non-teaching staff;
 - (c) addition of fourth lecture hall to the existing three lecture halls;
 - (d) expansion of facilities specified for third professional subjects in Yогya-Clinical Skill Laboratory;
 - (e) increase in library books up to minimum of 10000, 12000 and 15000 books for intake capacity of 100, 150 and 200, respectively.

67. Appointment of Teaching Staff.- (1) In case of new establishment of colleges, the eligible teachers shall be appointed in phase wise manner:

- (2) The teaching staff of first professional departments shall be made available before letter of permission (LOP-29.1). The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall issue letter of permission (LOP-29.1) only after confirmation of availability of eligible teachers for first professional subjects of Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery.
- (3) The teaching staff of second professional departments shall be made available at least six months before the commencement of second professional course.
- (4) The teaching staff of third professional departments shall be made available at least six months before the commencement of the third professional course.

68. Experience of consultants and teaching staff.- experience of consultants and teaching staff for the period before issue of letter of permission are as under namely:-

- (1) (a) if joined after receiving letter of intent, the teaching experience shall be counted from the date of joining;
 - (b) if joined before receiving letter of intent, the teaching experience shall be counted from the date of issue of letter of intent:
Provided that the college obtained letter of permission.
- (2) (a) for the period before receiving letter of intent, the teaching experience of consultant shall be counted from the period of actual work maximum of two years; and
 - (b) from the date of appointment in case if joined after receiving letter of intent.

69. Conditions after receipt of letter of permission (LOP-29.1) by the institute.-(1) In case, if the parent society or trust or body who established the college want to transfer the college to another society or trust or body, in such case prior no objection certificate shall be obtained from the Commission in the prescribed form.

- (2) In case, if the college want to change the affiliating University or would like to apply for deemed University status, the college shall obtain no objection certificate from the Commission before applying for the same.

- (3) In case, of disaffiliation from the existing University, the existing batches of students admitted under the existing University shall continue with the same University till the award of degrees.
- (4) The affiliating Universities shall issue consent of affiliation every year to the affiliated Colleges (Extended permission and Yearly permission category). The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall renew the permission of Ayurveda colleges only after receiving the consent of affiliation, in the absence of consent of affiliation from the affiliating University, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall not issue permission for admission.

CHAPTER-IX

INCREASE IN INTAKE CAPACITY IN EXISTING UNDERGRADUATE PROGRAM

70. (1) Increase in intake capacity.- condition for fully established Institutions established under section 28 of the Act conducting undergraduate program (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) with intake capacity 60, 100 and 150 shall be eligible to apply for increase intake capacity in existing under graduate program, namely:-

- (a) the college with intake capacity of sixty, hundred and one hundred fifty;
- (b) the college that has not been subjected to the provisions of clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act, for the preceding five years including the year of application;
- (c) rated “A” or “B” grade awarded by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine during the year of application;
- (d) essentiality certificate (Annexure IV) for the proposed increase in intake capacity from respective State Government or Union territory administration;
- (e) consent of affiliation (Annexure V) from the University (not applicable for deemed Universities);
- (f) fulfilment of minimum essential standards specified for the proposed intake capacity(fulfilment may be in phases);
- (g) application in the prescribed form (Annexure II) along with required documents may be submitted online or offline, within the specified period as specified by the Commission or by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time;
- (h) application fee (non-refundable) and processing fee as provided below in Table-17 shall be paid along with the applicable taxes into the Commissions account through NEFT or RTGS;

Table-17

Application fee and processing fee for increase in intake capacity

Serial Number	Existing intake capacity	Processing fee (rupees in lakhs) for proposed intake capacity		
		(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	100	150	200
1.	60	10	15	20
2.	100	-	10	15
3.	150	-	-	10
Application fee (rupees two lacks)				
Applicable taxes shall be additional				

- (i) incomplete application and application after the last date shall not be entertained;
- (j) there is no provision for withdrawal of application after last date;
- (k) processing fee refunded, in case of withdrawal of application before last date; and
- (l) applicable security deposit as provided in Table-18.

Table-18

Security deposit for increase in intake capacity

Serial number	Existing intake capacity	Security deposit for the proposed intake capacity (in rupees)		
		(3)	(4)	(5)
		100	150	200
1.	60	One crore	Two crores	Three crores
2.	100	-	One crore	Two Crores
3.	150	-	-	One Crore

(2) The application fee, processing fee and security deposit shall be paid into the Commission's account through NEFT or RTGS.

(3) The security amount shall be returned to the college account, without interest after five years.

Provided that there shall not be any financial grievance pending against the college or pending of penalty amount due to disciplinary action taken by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or by the Commission.

(4) Once letter of intent issued, the institute shall be no longer considered under section 28 and section 29 of the Act until third renewal of permission.

CHAPTER-X

PENALTY AND DISCIPLINARY ACTIONS

71. (1) compliance with the regulations, directions, instructions and adherence to the timeline issued by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine shall be the responsibility of the institutions.

(2) Non-compliance action includes following, namely:-

- (a) non-compliance with regulations;
- (b) any activities of the institutions, that are not in accordance with the objectives of undergraduate Ayurveda medical education and practices, exploitation of students on fees, mal practices of attendance etc.;
- (c) failure to maintain minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources, clinical material, practical material, research facilities and other institutional functionality etc. in accordance with these regulations;
- (d) non-cooperation or any sort of disturbance to inspection or visitation process for assessment and rating or any other activities of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine;
- (e) providing falsified information or fabricated data or information or evidence to Autonomous boards or to the National Commission for Indian System of Medicine; and
- (f) any attempt to influence, pressurise, bribe or threaten assessors or officials of the National Commission for Indian System of Medicine or officials designated by the National Commission for Indian System of Medicine;

(3) For any of the non-compliance as mentioned in sub-regulation (2) or intentional attempt of non-compliance act or omission by the medical institution, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall either penalise the medical institution or take such measures as mentioned in the clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act and or conduct further enquiry in to such incidence namely, -

- (a) impose monetary penalty not exceeding rupees one crore;
- (b) issue warning;
- (c) withhold process of application for any new scheme for that academic year or for a such number of years;
- (d) reduce the number of seats to be admitted by the medical institution in the next academic year;
- (e) stop the admission to one or more of the courses in the next or subsequent academic year(s);
- (f) recommending the National Commission for Indian System of Medicine for the withdrawal of recognition;
- (g) withhold or withdrawal of rating of the medical institutions for a period up to five academic years; and

- (h) if any attempt from the institution side to pressurise the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine through individuals or agency shall lead to immediate halt of the processing the application or request by the medical institution or withdrawal of permission, reduction in student intake capacity or monetary penalty.
- (4) The penalty for intern and Ayurveda degree holder shall be as specified in the sub-regulation (s) of regulation 27 of National Commission for Indian System of Medicine (Ethics and Registration) Regulations, 2023.
- (5) Ayurveda graduate is required to undertake four and half years of study and one year of compulsory rotatory internship with physical presence in concerned institution. In case, if the student mis-represented by physical absence without fulfilling the requisite attendance and in this behalf by providing false information either in collusion with respective institution or otherwise or without fulfilling the requirements as specified under 'National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Ayurveda Undergraduate Education) Regulations-2022', or such guidelines as notified in this regard by the Commission from time to time, shall be penalised with temporary suspension of the study not less than one year and imposed minimum penalty of five lakh rupees; in the event of second conviction temporary suspension of study not less than two years with minimum penalty of rupees ten lakhs and in the event of third and subsequent conviction, there shall be permanent cancellation of his/her admission from under graduation programme.

SCHEDULE I

Minimum Required Land (Intake Capacity Wise)

(See Regulation 4)

Serial number	Area category	Minimum Required Land (in acres)			
		(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
1.	Tier I or Mega and Metro*	\$	\$	\$	\$
2.	Tier II cities, North-eastern States, Hilly areas and notified tribal areas	2.5	3.5	5.0	6.0
3.	Any other area except the areas specified in Serial Number 1 and 2	3.0	5.0	7.0	9.0

* Mega and Metro cities: Greater Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surat as per census of India in force.

\$ for the land requirements the following conditions need to be adhered;

- (a) The land required in Mega and Metro cities shall be calculated on the basis of required constructed area as provided in these regulations and municipal corporation by-laws.
- (b) The built-up area has to be approved by the concerned development authority as per the latest building bye-laws (development controls) in those cities.
- (c) A copy of certified building by-laws shall be made available by the applicant institution.
- (d) Copy of the approved plan from local statutory body and the completion plan along with completion certificate from the same body, shall be provided.
- (e) The provisional occupancy certificate shall be considered only for three consecutive academic years;
- (f) Thereafter only completion certificate and completion plan shall be considered for continuance of approval.

SCHEDULE II

Minimum constructed area Required for administrative section

(See Regulation 5, 14, 24)

Serial Number	Unit	Minimum required constructed area (square meter) intake capacity wise			
		(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
1.	Head of the Institution (Director or Dean or Principal) Office including anteroom and attached toilet	50	50	50	50
2.	Personal Assistant to head of the Institution	10	10	10	10

3.	Visitors lounge for visitors to head of the Institute	20	20	20	20
4.	Office superintendent	10	10	10	10
5.	Clerical staff, establishment and accounts section with cash counter	40	60	80	80
6.	Visitors lounge for office visitors	20	20	20	20
7.	Record room	20	40	40	40
8.	Central store	30	50	50	50
9.	Pantry	05	05	05	05
10.	Toilets for office staff	20	20	20	20
11.	College council meeting room	75	100	125	150
12.	Deputy Director or Deputy Dean or vice-principal (Two posts in case of intake capacity more than hundred)	20	20	40	40
13.	Central workshop and maintenance cell	50	50	50	50

SCHEDULE III**Minimum constructed area required for teaching departments and their units**

(See Regulation 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 and 31)

Serial number	Department or unit	Intake capacity wise minimum constructed area required (in square meters)			
		(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
Teaching departments and their units					
1.	Samhita Siddhanta and Sanskrit	50	100	125	150
	Language laboratory	25	30	35	40
2.	Rachana sharir including dissection hall and other associated units	150	250	350	450
3.	Kriya sharir including kriya laboratory and other associated units	125	225	325	425
4.	Dravyaguna including laboratory and other associated units	125	250	350	450
5.	Herb garden	2500	4000	4000	4000
6.	Rasa Shastra and Bhaishajyakalpana including teaching pharmacy	175	250	300	350
7.	Quality Testing Laboratory	100	200	250	300
8.	Roganidana and vikriti vijnana including Rognidana and other associated units	150	250	350	450
9.	Agada tantra including poison detection laboratory and other associated units	125	225	325	425
10.	Swasthavritta and yoga including Nutrition laboratory and other associated units	125	225	325	425

11.	Kayachikitsa	75	150	200	250
12.	Panchakarma	50	100	125	150
13.	Shalya tantra	75	150	200	250
14.	Shalakya tantra	75	150	200	250
15.	Prasuti-Streeroga	50	100	150	200
16.	Kaumarabhritya	50	100	125	150
Other units of the college					
17.	Human Resource Development Cell				
	Workshop	75	75	150 (75x2)	150 (75x2)
	Office, storage, circulation area, toilets	50	50	50	50
18.	Information technology cell	50	50	50	50
19.	Lecture halls	100x4	150x4	220x4	300x4
20.	Multi-purpose hall for seminar or conference or examination or yoga and the like activities	200	300	400	500
21.	Central library	150	250	350	450
22.	Digital library				
	Wi-fi campus	20	30	40	60
	Non Wi-fi campus	40	50	60	80
23.	Language laboratory	25	30	35	40
24.	Research Innovation and Entrepreneurship Development Cell	30	30	30	30
25.	Co-curricular and extra curricular activities	100	100	150	150
26.	Common room for boys students	50	50	50	50
27.	Common room for girls students	50	50	50	50
28.	Common room for non-teaching staff	40	40	40	40
29.	Student council room	30	30	30	30
30.	Student support, career guidance and placement cell, grievance redressal cell and Committee Against Sexual Harassment	20	20	20	20
31.	Yogya clinical skill laboratory	150	250	350	450
32.	Internal quality assurance cell	40	40	40	40

SCHEDULE IV**Minimum essential teaching staff required (as per intake capacity)**

(See Regulation 34)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		60		100			150			200		
Serial number	Teaching department	Professor	Associate Professor	Assistant Professor	Professor	Associate Professor	Assistant Professor	Professor	Associate Professor	Assistant Professor	Professor	Associate Professor
1.	Samhita Siddhanta and Sanskrit	1 or 1	3 (2+1)	1	1	3	1	2	3	2	2	3
2.	Rachna Sharira	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3.	Kriya Sharira	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
4.	Dravyaguna Vijnana	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
5.	Rasashastra evam Bhaishajyakalpana	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
6.	Roga Nidana evam Vikriti Vigyan	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
7.	Agad Tantra evamVidhi	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
8.	Swasthavritta evam Yoga	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
9.	Kayachikitsa	1	1	1	1	2	2	1	2	3	2	2
10.	Panchakarma	1 or 1	2	1	1	2	1	2	2	2	2	3
11.	Shalya Tantra	1 or 1	2	1	1	2	1	2	3	2	2	3
12.	Shalakya Tantra	1 or 1	2	1	1	2	1	2	3	2	2	3
13.	Prasuti-StreeRoga	1 or 1	2	1	1	2	1	2	3	2	2	3
14.	Kaumarabhritya	1 or 1	2	1	1	2	1	2	3	2	2	2
Sub-total		15	21	14	15	22	14	22	34	28	28	34
Grand total		36		51			70			90		

Note 1: One teacher in the department of Samhita and Siddhanta shall be of Sanskrit teacher. The Sanskrit teacher may be of any cadre and not Head of the department.

Note 2: After notification of these regulations, the teaching staff of Shalakya department shall opt either Shalakya Netra or Shalakya Karna Nasa Mukha and accordingly teacher code shall be issued by MARBISM. It is mandatory that teaching staff of Shalakya department shall be combination of Netra and Shalakya Karna Nasa Mukha (around fifty per cent. each specialty). Similarly, the newly appointed teachers shall also be issued teacher code specifically for Shalakya Netra and Shalakya Karna Nasa Mukha as applicable. Once teacher code allotted, there shall not be change of speciality.

SCHEDELE V**Minimum essential non-teaching staff required for the college**

(See Regulation 5, 8, 17, 18, 20, 21, 23, 28 and 34)

Serial number	Category of staff	Minimum of staff required (intake capacity wise)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	60	100	150	200	
Information technology cell including digital library					
1.	Information Technology Officer (Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering in Computer Science or Master of Computer Application)	1	1	1	1
2.	Information Technology Assistant (Bachelor of Science in Computer Application or diploma in Computer Science)	1	2	2	2
	Wi-Fi campus	1	2	3	3
	Non-Wi-Fi campus	1	1	2	2
	Multi-tasking staff	2	2	3	3
Administrative section					
3.	Personal Assistant or Personal Secretary to Principal (graduation with secretarial training)	1	1	1	1
4.	Office Superintendent (graduation with five years of administrative experience)	1	1	1	1
5.	Clerical Staff (graduation with computer knowledge)	2	3	4	5
6.	Accountants (Bachelor of Commerce or Master of Commerce with computer knowledge)	1	1	2	2
7.	Multi-tasking staff	2	2	3	3
Central library					
8.	Librarian (Master of Library and Information Science or Bachelor of Library and Information Science with five years of Library experience)	1	1	1	1
9.	Assistant Librarian(Bachelor of Library and Information Science)	1	2	3	4
10.	Library Attendant (minimum 10 th standard pass)	1	1	2	2
11.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Yogya – Clinical Skill or Simulation laboratory					
12.	In-charge(Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery graduate with training or orientation on handling of mannequins and simulators)	1	1	1	1
13.	Clerk (graduation with computer knowledge)	1	1	1	1
14.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Human resource development cell					
15.	In-charge (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery with Master of Business Administration in Human Resource Management)	1	1	1	1
16.	Clerk (graduation with computer knowledge)	1	1	1	1
17.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Ayurveda Samhita Siddhant					
18.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	1	1
19.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Rachana Sharira					
20.	Clerk (Graduate with computer knowledge)	1	1	2	2
21.	Cadaver lifter	1	1	1	1
22.	Attendant cum museum keeper	1	1	2	3
23.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Kriya Sharira					
24.	Lab Technician (diploma in Medical Laboratory Technology)	1	1	2	2

25.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	2	2
26.	Lab Attendant (minimum 10 th Standard pass)	1	1	2	3
27.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Dravyaguna including Herbal Garden					
28.	Lab Technician (12 th Standard pass with biology)	1	1	1	2
29.	Clerk (Graduate with computer knowledge)	1	1	2	2
30.	Lab Attendant (minimum 10 th standard)	1	1	2	3
31.	Museum and Herbarium Keeper	1	1	1	1
32.	Gardener	1	1	2	2
33.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Rasashastra and Bhaishajyakalpana including teaching pharmacy					
34.	Instructor (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	1	1	2	2
35.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	2	2
36.	Lab Attendant cum Museum Keeper (Minimum 10 th standard pass)	1	1	2	2
37.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Quality Control Laboratory					
38.	Analytical Chemist (Bachelor of Pharmacy or Bachelor of Pharmacy in Ayurveda)	1	1	1	2
39.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	2	2
40.	Pharmacognosist	1	1	1	2
41.	Lab Attendant (Minimum 10 th standard pass)	1	1	2	2
42.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Roga Nidana and Vikriti Vijnana					
43.	Lab Technician Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT)	1	1	1	2
44.	Clerk (Graduate with computer knowledge)	1	1	2	2
45.	Lab Attendant cum Museum Keeper (Minimum 10 th standard)	1	1	2	2
46.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Agada Tantra					
47.	Lab Technician (12 th standard passed with Chemistry)	1	1	1	2
48.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	1	1
49.	Lab Attendant cum Museum keeper	1	1	2	2
50.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Swasthavritta and Yoga					
51.	Lab Technician (12 th standard passed with science)	1	1	1	2
52.	Clerk (Graduate with computer knowledge)	1	1	2	2
53.	Lab Attendant cum Museum Keeper (minimum 10 th standard passed)	1	1	2	2
54.	Yoga Instructor with Master of Science Yoga or Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery with Diploma in Yoga or Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences (in case of two instructors, one male and one female shall be appointed)	1	1	1	2
55.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Kayachikitsa					
56.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	1	1
57.	Multi-tasking staff	1	1	1	1
Panchakarma					
58.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	1	1
59.	Multi-tasking staff	1	1	1	1
Shalya Tantra					
60.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	1	1
61.	Multi-tasking staff	1	1	1	1

Shalakya Tantra					
62.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	1	1
63.	Multi-tasking staff	1	1	1	1
Prasuti and Streeroga					
64.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	1	1
65.	Multi-tasking staff	1	1	1	1
Kaumarakarshya					
66.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	1	1
67.	Multi-tasking staff	1	1	1	1
Internal Quality Assurance Cell					
68.	Coordinator: Graduation with MBA in Quality Management or trained for quality management	1	1	1	1
69.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	1	1
70.	Multi-tasking staff	1	1	1	1
Co and extra-Curricular activities					
71.	Physical Education Instructor (minimum Bachelor in Physical Education)	1	1	2	2
72.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Student support career guidance and placement cell					
73.	Councillor for counselling (part time)	1	1	1	1
Central Workshop or Maintenance cell					
74.	Site Engineer (Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology preferably in civil)	1	1	1	1
75.	Electrician	1	1	1	1
76.	Plumber	1	1	1	1
77.	Carpenter	1	1	1	1
78.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Store (College)					
79.	Clerk (graduate with computer knowledge)	1	1	2	2
80.	Multi-tasking staff	1	1	2	2
Note: Services of electrician, plumber, gardener, attendant or peon, maintenance staff, Multi-tasking staff and the like may be obtained by out sourcing.					

SCHEDULE-VI**Minimum essential requirements for teaching departments**

(See regulation 19)

Serial number	Standard	Requirement as per intake capacity			
		(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
Samhita, Siddhanta and Sanskrit					
1.	Computer with Internet	1	1	1	1
2.	Printer	1	1	1	1
3.	Electronic-display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	1	1
Language lab					
4.	Computer with internet	1	1	1	1
5.	Printer	1	1	1	1
6.	Electronic-display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	1	1
Kayachikitsa					
7.	Computer with internet	1	1	1	1
8.	Printer	1	1	1	1
9.	Electronic-display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	1	1

Panchakarma					
10.	Computer with internet	1	1	1	1
11.	Printer	1	1	1	1
12.	Electronic-Display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	1	1
Shalya Tantra					
13.	Computer with internet	1	1	1	1
14.	Printer	1	1	1	1
15.	Electronic-Display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	1	1
16.	Museum	As required			
Shalakya Tantra					
17.	Computer with internet	1	1	1	1
18.	Printer	1	1	1	1
19.	Electronic-Display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	1	1
Prasuti and Streeroga					
20.	Computer with internet	1	1	1	1
21.	Printer	1	1	1	1
22.	Electronic-Display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	1	1
Kaumarakarshana					
23.	Computer with internet	1	1	1	1
24.	Printer	1	1	1	1
25.	Electronic-Display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	1	1

SCHEDULE VII**Minimum essential requirements for department of Rachana Sharir**

(See regulation 19 (4))

Serial number	Standard	Requirement as per intake capacity			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200
1.	Computer with internet	1	1	1	1
2.	Printer	1	1	1	1
3.	Electronic-Display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	2	2
Dissection Hall					
4.	Smart board or multimedia projector attached with e-dissection software	1	1	1	1
5.	Dissection demo station [(equipped with shadowless focus light, high resolution close circuit camera, dissection table (big)]	1	1	1	1
6.	Dissection practice stations (equipped with smart television or smart boards connected to closed circuit camera of demo station, dissection table (big) and shadowless focus light facility)	3	5	8	10
7.	Dissection table (small)	4	6	8	10
8.	Articulated skeleton set (one set each for fifty students)	2	2	3	4
9.	Bone set (Dis- Articulated) (one set for each twenty students)	3	5	8	10
10.	Pro dissected parts (upper limb or lower limb thorax or abdomen or head or neck)	6	9	12	15
11.	Cadavers (one body each for twenty students)	3	5	8	10
12.	Mummified body (for demonstration of surface anatomy)	1	1	2	2
13.	Storage tank to hold cadavers, static or movable, durable tank with input and output facility with lid or cold storage unit	1	1	1	1
14.	Specimens (wet specimens)	100	150	200	250

15.	Plastinated specimens	10	15	20	25
16.	Brain section slices (sheet plastination)	10	10	20	20
17.	X-ray view box (portable)	5	10	10	10
18.	Microscope (trinocular with digital camera, including software for projection through liquid crystal display or smart board or smart television for demonstration of histology and others)	1	1	2	2
19.	Computer installed with e-dissection program connected to projector or smart board	1	1	2	2
20.	Embalming equipment	1	1	1	1
21.	3D virtual cadaver dissection table	Optional			
22.	E-dissection (subscription of Atlas of human Anatomy or any other; dissection video compact discs)	Subscription or make available software			

Other Requirements and Consumables:

1.	Section machine, bone cutter, marble cutter (Body and skull cutting), Chisel, bone saw	As required
2.	Preservative Chemicals and other consumables	As required
3.	Dissection instrument kit (scalpel, blades, toothed forceps, untoothed forceps, probe, magnifying lenses with light, hook or scissors)	As required

SCHEDULE VIII
Minimum Essential Requirements for Department of Kriya Sharir

(See regulation 19 (5))

Serial number	Standard	Requirement as per intake capacity			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200
1.	Computer with Internet	1	1	1	1
2.	Printer	1	1	1	1
3.	Electronic-Display smart board or smart television or light emitting diodes (LED) display	1	1	2	2
Sharira Kriya Laboratory					
4.	Microscope (trinocular with digital camera, including software for projection through liquid crystal display or smart board or smart television for demonstration of histology and others)	1	1	2	2
5.	Microscope (binocular with eyepiece (wide field), objectives (10x, 40x spring loaded, 100x oil immersion spring loaded built-in illumination)	6	10	15	20
6.	Westergren's pipette for erythrocyte sedimentation rate	30	50	75	100
7.	Haematocrit tube	30	50	75	100
8.	Sahil's haemoglobinometer	30	50	75	100
9.	Haemocytometer	30	50	75	100
10.	Electrocardiograph	2	2	4	4
11.	Digital spirometry	2	2	4	4
12.	Centrifuge machine with digital regulator	1	1	2	2
13.	Digital pH (per Hydrogen ion Concentration) meter	2	3	4	5
14.	Digital sphygmomanometer	5	10	15	20
15.	Stethoscopes	5	10	15	20
16.	Clinical thermometer (digital, non-contact)	10	15	20	25
17.	Knee hammer	10	15	20	25
18.	Tuning forks	10	15	20	25
19.	Digital weighing scale	5	10	15	20
20.	Measuring tape	10	15	20	25
21.	Height measurement scale	5	10	15	20
22.	Naadi recording equipment	5	10	15	20
23.	Consumables kits, reagents, chemicals, microscope slides, cover slips, gloves, lancets etc.	As required			

SCHEDULE IX**Minimum Essential Requirements for Department of Dravyaguna**

(See regulation 19 (6))

Serial number	Standard	Requirement as per intake capacity			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200
1.	Computer with internet	1	1	1	1
2.	Printer	1	1	1	1
3.	Electronic-Display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	2	2
Dravyaguna Laboratory Museum cum Herbarium					
4.	Microscope (trinocular with digital camera, including software for projection through liquid crystal display or smart board or smart television for demonstration of histology and others)	1	1	2	2
5.	Microscope [binocular with eyepiece (wide field), objectives (10x, 40x spring loaded, 100x oil immersion spring loaded) built-in illumination]	5	10	15	20
6.	Dissecting microscope	5	10	15	20
7.	Magnification lens with light	5	10	15	20
8.	Dissection box	5	10	15	20
9.	Digital weighing scale (upto 10 grams with accuracy 0.001 milligram)	2	3	4	5
10.	Digital weighing scale (10-100 grams with accuracy 0.001 gram)	2	3	4	5
11.	Thin layer chromatography kit with thin layer chromatography applicator, thin layer chromatography platform , atomizer, glass plates thin layer chromatography chamber and thin layer chromatography scale	1	1	2	2
12.	Hot air oven	1	1	2	2
13.	Muffle furnace	1	1	2	2
14.	Digital pH (per Hydrogen Ion Concentration) Meter	1	1	2	2
15.	Ostwald viscometer	5	10	15	20
16.	Pycnometer or specific gravity bottle	5	10	15	20
17.	Soxhlet's extraction apparatus	1	1	2	2
18.	Heating mantle (250, 500 and 1000 millilitre)	One each		Two each	
19.	Bunsen burner electric or gas burner	10	15	20	25
20.	Enamel trays	10	15	20	25
21.	Water bath (rectangular)	1	1	2	2
22.	Ultraviolet-cabinet	1	1	2	2
23.	Desiccator	1	1	2	2
Lab wares					
24.	Dropper	Assorted			
25.	Needle				
26.	Sharp razor blades				
27.	Pipe clay triangles				
28.	Wire mesh				
29.	Test tube holders				
30.	Reagent bottles				
31.	Test tube stands				
32.	Tripod stand				
33.	Pair of tong				
Glassware and consumables					
34.	Test tubes	Assorted			
35.	Thin layer chromatography plates 20x20cm (pre coated)				
36.	Evaporating dish				
37.	Silica crucible				
38.	Beakers two hundred millilitre				
39.	Glass rods				

40.	Conical flasks two hundred fifty millilitre
41.	Glass funnels
42.	Chemicals
43.	Safranin
44.	Light green
45.	Sudan red- III
46.	Glycerine
47.	Dragendorff's reagent
48.	Millon's reagent
49.	Wagner's reagent
50.	Benedict's solution
51.	Fehling's solution
52.	Iodine solution
53.	Methanol
54.	Distilled water
55.	Ethanol
56.	Hydrochloric acid
57.	Sulphuric acid
58.	Chloroform
59.	Phloroglucinol
60.	Acetic acid
61.	Ferric chloride
62.	Potassium iodide
63.	Magnesium turnings
64.	Ethyl acetate
65.	Toluene
66.	Silica gel GF-254
67.	Blotting or filter papers
68.	Microscope slides and cover slips

SCHEDULE X

Minimum essential requirements for department of Rasashastra and Bhaishajya kalpana including teaching pharmacy

(See regulation 19 (7))

Serial number	Standard or item required	Minimum requirement as per intake capacity			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)		60	100	150	200
1.	Computer with internet	1	1	1	1
2.	Printer	1	1	1	1
3.	Electronic-Display (Smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	2	2
Teaching pharmacy cum museum					
4.	Khalva yantra – small	10	15	20	25
5.	Khalva yantra – medium	10	15	20	25
6.	Khalva yantra - porcelain (different sizes)	10	15	20	25
7.	Taptakhalva yantra	3	5	8	10
8.	Pounding apparatus (ulukhala yantra)	3	5	8	10
9.	Pestle and mortar glass	2	2	5	5
10.	Putas (different kind)	3	3	5	8

11.	Koshti with blower	2	4	6	8
12.	Moosha (crucibles)	30	30	50	50
13.	Dola yantra	1	1	1	1
14.	Valuka yantra	1	1	1	1
15.	Pithara yantra	1	1	1	1
16.	Bhudhara yantra	1	1	1	1
17.	Distillation apparatus and arka yantra	1	1	1	1
18.	Kupipakva bhatti	1	1	1	1
19.	Digital balance	1	1	1	1
20.	Bottle sealing machine	1	1	1	1
21.	Sealing machine	1	1	1	1
22.	Filling machine	1	1	1	1
23.	Distillation apparatus glass or Ark yantra one litre	2	2	4	4
24.	Wet grinder	1	1	1	1
25.	Mixer or grinder	1	1	1	1
26.	Juice extractor	1	1	1	1
27.	Ball mill (Stainless steel balls)	1	1	1	1
28.	Tincture press	1	1	1	1
29.	Refrigerator	1	1	1	1
30.	Amirah and racks for storage	As required			
31.	Electronic balance of different capacities (up to 100 grms with accuracy 1.0 milligram, 100 -1000 grams with accuracy 1.0 gram, 1 kilogram and above)	3	3	3	3
32.	Gas stoves	1	1	1	1
33.	Hot plate	1	1	1	1
34.	Chulla (charcoal)	1	1	1	1
35.	Pulveriser	1	1	1	1
36.	Granulator	1	1	1	1
37.	Hand operated tablet punching machine	1	1	1	1
38.	Tablet coating Pan unit with hot air blower laboratory size	1	1	1	1
39.	Tablet polishing pan laboratory size	1	1	1	1
40.	Dryer	1	1	1	1
41.	Homogenizer	1	1	1	1
42.	Pills making machine	1	1	1	1
43.	End runner machine	1	1	1	1
44.	Edge runner machine	1	1	1	1
45.	Capsule filling machine	1	1	1	1
46.	Double cone blender	1	1	1	1
47.	Liquid filling machine	1	1	1	1
48.	Planetary mixer for ointment or cream	1	1	1	1

49.	Soft gelatine capsule filling	1	1	1	1
50.	Mechanised kharal- two or four arms	1	1	1	1
51.	Chimney or air handling unit	1	1	1	1
52.	Mohs hardness test kit	5	8	10	12
53.	Hot air oven	1	1	1	1
54.	Walkers steel yard (for specific gravity of minerals)	1	1	1	1
55.	Automatic flask shaker	1	1	1	1
56.	Water bath	1	1	1	1
57.	Digital pH (per Hydrogen ion Concentration) meter	1	1	1	1
58.	Tablet hardness tester	1	1	1	1
59.	Muffle furnace 12 inches x 12 inches x 18 inches digital X maximum temp 1250°C with window (quartz) thermal image visor	1	1	2	2
60.	Muffle furnace (ash content tester) x digital display x maximum temp 900°C	1	1	2	2
61.	Vertical furnace - Kupi pack type (two bottles) X Digital X maximum temp 900°C	1	1	2	2
62.	Non-contact infrared thermocouple K- type	1	1	2	2
63.	Thermocouple K-type	1	1	2	2
64.	Desiccator glass	2	2	4	4
65.	Desiccator with vacuum	1	1	2	2
66.	Vacuum pump	1	1	2	2
67.	Collapsible tube – filling and sealing equipment	1	1	1	1
68.	Brass vessel	Assorted			
69.	Copper vessel				
70.	Steel vessel				
71.	Earthen vessels-pots				
72.	Porcelain crucible				
73.	Jars (porcelain) fermentation purpose				
74.	Enamel trays				
75.	Tray drier				
76.	Hand grinding mill				
77.	Pressure cooker				
78.	Measuring equipment's different size (glass)				
79.	Pyrometer				
80.	Thermometer				
81.	Frying pan				
82.	Steel vessel				
83.	Spatula				
84.	Ladles and spoons				

85.	Knife	
86.	Plates	
87.	Samdamsa yantra (tongs)	
88.	Sieves (assorted numbers and size)	
89.	Kitchen aprons	
90.	Steel trays	
91.	Oven gloves	
92.	Kadahi – iron	
93.	Aluminium vessels	
94.	Clay graphite silver melting crucible maximum temp 1500°C	
95.	Crucible tongs 18 inches Stainless steel	
96.	Ointment spatula	
97.	Lipstick moulds	
98.	Specimens of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana related samples in suitable display containers	As required

SCHEDULE XI
Minimum Essential Requirements for Quality Testing Laboratory
(See regulation 19 (8))

Serial number	Standard or item required	Minimum requirement
(1)	(2)	(3)
1.	Computer, internet, printer	1
2.	Smart board or Liquid Crystal Display projector	1
3.	Ultra-violet visible spectrophotometer	1
4.	Flame photometer	1
5.	Digital pH (per Hydrogen ion Concentration) meter	1
6.	Precision melting point apparatus	1
7.	Distillation unit for distilled water	1
8.	Moisture analyser balance	1
9.	Orbital shaker	1
10.	Laminar airflow	1
11.	Mechanical stirrer with hot plate	1
12.	Magnetic stirrer	1
13.	Dissolution test apparatus	1
14.	Tablet disintegration test apparatus	1
15.	Monsanto's hardness tester	1
16.	Pfizer type hardness tester	1
17.	Tablet counter – small size	1
18.	Bulk density apparatus	1
19.	Friability test apparatus	1
20.	Ostwald's viscometer	1
21.	Refractometer	1
22.	Analytical balance digital high precision (0.0001g – 220g)	1
23.	Incubator	1
24.	Clarity test apparatus	1
25.	Humidity control oven	1
26.	Karl Fischer apparatus	1
27.	Sieve shaker	1
28.	Graduating sieve set	1

29.	Thermometer up to 110°C	2
30.	Centrifuge	1
31.	Filtration equipment	2
32.	Water bath twelve holes	1
33.	Suction pump	1
34.	Sonicator	1
35.	Heating mantle different capacity	2
36.	Total Leucocyte Count chamber and sprayer	2
37.	Clevenger's apparatus	1
38.	Arsenic limit test apparatus	1
39.	Adjustable volume micro pipette	2
40.	Rotary evaporator apparatus	1
41.	Soxhlet apparatus	2
42.	Reflux flask with condenser single neck	1
Glassware and consumable		
43.	Petri dish glass	As required
44.	Petri dish polypropylene	As required
45.	Watch glass	As required
46.	Glass ware	As required
47.	Glass beaker- different capacity	As required
48.	Measuring flask different capacity	As required
49.	Volumetric flask different capacity	As required
50.	Graduated measuring cylinder	As required
51.	Buchner funnels small, medium, large	As required
52.	Burette	As required
53.	Nessler's cylinders	As required

SCHEDE XII**Minimum Essential Requirements of Department of Roganidana and Vikriti Vijnana**

(See regulation 19 (9))

Serial number	Specification	Requirement as per intake capacity			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200
1.	Computer with internet	1	1	1	1
2.	Printer	1	1	1	1
3.	Electronic-display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	2	2
Roganidana Laboratory					
4.	Microscope (trinocular with digital camera, including software for projection through liquid crystal display or smart board or smart television for demonstration of histology and others)	1	1	1	1
5.	Microscope (binocular with eyepiece (wide field), objectives (10x, 40x spring loaded, 100x oil immersion spring loaded), built-in illumination)	5	10	15	20
6.	Bio chemistry analyser	1	1	1	1
7.	Cell counter (haematology)	1	1	1	1
8.	Digital spirometry	1	1	1	1
9.	Electrocardiogram	2	4	6	8
10.	Enzyme linked immune-sorbant assay reader	1	1	2	2
11.	X-ray view box	2	2	2	2
12.	Blood pressure apparatus- non mercury	As required			
13.	Stethoscope	As required			
14.	Clinical thermometer	As required			
15.	Tongue depressor	As required			
16.	Knee hammer	As required			
17.	Measuring tape	As required			
18.	Ear nose throat examination set	As required			

19.	Weighing scale	As required
20.	Tuning forks	As required
21.	Nasal speculum	As required
22.	Laryngoscope	As required
Consumables		
23.	Hepatitis-B antigen kit	As required
24.	Human immunodeficiency virus kit-Tridot	As required
25.	Clotting time and Bleeding time kit	As required
26.	Renal profile, Liver function test kit, lipid profile, blood sugar kit, electrolytes	As required
27.	Sterile disposable lancet or needle	As required
28.	Glass rods	As required
29.	Syringe needle destroyer	As required
30.	Cover slip	As required
31.	Microscopic slides	As required

SCHEDULE XIII
Minimum essential requirements for department of Agada Tantra

(See regulation 17 (10))

Serial number	Specified	Minimum requirement
(1)	(2)	(3)
1.	Computer with internet	1
2.	Printer	1
3.	Electronic-display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1
Agada Laboratory cum Museum		
4.	Beakers-fifty millilitre	As required
5.	Test Tubes-ten millilitre	As required
6.	Test tube holders	As required
7.	Gas or electric burner	As required
8.	Petri-dish	As required
9.	Stirrer	As required
10.	Red litmus paper	As required
Chemicals		
11.	Hydrochloric acid	As required
12.	Sulphuric acid	As required
13.	Iodine solution (aqueous)	As required
14.	Absolute alcohol	As required
Specimens		
15.	Weapons	As required
16.	Poisons snakes	As required
17.	Non-poisons snakes	As required
18.	Poisons herbs and minerals	As required

SCHEDULE XIV
Minimum essential requirements for Swasthavritta department

(See regulation 19 (11))

Serial number	Equipment name	Requirement as per intake capacity			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
1.	Computer with internet	1	1	1	1
2.	Printer	1	1	1	1

3.	Electronic-display (smart board or smart television or light emitting diodes display)	1	1	2	2
Nutrition laboratory					
4.	Digital weighing scale	1	1	2	2
5.	Kjeldahl system (digestion unit plus distillation unit)	1	1	2	2
6.	Digital muffle furnaces	1	1	2	2
7.	Soxhlet fat extraction system	1	1	2	2
8.	Abbe's digital refractometer	1	1	1	1
9.	Flame photometer	1	1	1	1
10.	Hot air oven	1	1	2	2
11.	Refrigerator	1	1	1	1
12.	Water bath	2	2	4	4
13.	Grinder	2	2	4	4
14.	Magnetic stirrer	2	2	4	4
15.	Hot plate	2	2	4	4
16.	Digital pH (per Hydrogen ion Concentration) meter	2	2	4	4
17.	Vacuum filter system	1	1	1	1
18.	Sonicator	1	1	1	1
19.	Fume hood	1	1	1	1
20.	Desiccator	1	1	1	1
21.	Vortex mixer	2	4	6	8
22.	Viscometer	1	2	3	4
23.	Refrigerated centrifuge	1	1	1	1
24.	Digital polarimeter	1	1	1	1
25.	Burette	Assorted			
26.	Glass pipette	Assorted			
27.	Micropipette (different capacities)	five for each capacity			
28.	Heating mantle (different capacities)	five for each capacity			

SCHEDEUE XV

Minimum essential requirement for YOGYA clinical skill laboratory

(See regulation 20)

Serial number	Name of the mannequin or simulator	Required number
(1)	(2)	(3)
1.	Computer, internet with printer	1
Basic Simulators common to all departments		
2.	BLS (Basic Life Support) and ALS (Advance Life Support)	05 each
First Professional Subjects		
Kriya Shaira		
3.	Chest auscultation trainer (Basic)	05
4.	ECG (electro cardio gram) trainer	05
Second professional subjects		
Roganidana		
5.	Nursing trainer for decubitus	02
6.	Chest auscultation trainer (advance)	03

7.	Spirometry	05
8.	Blood sampling trainer	05
Agadatantra		
9.	Documentation and certification of trauma	05
10.	Diagnosis and certification of death	05
11.	Legal documentation related to emergency cases	05
12.	Certification of medico legal cases (for example- age estimation, sexual assault)	05
13.	Establishing communication in medico legal cases with police, public health authorities, other concerned departments	05
14.	Stomach wash trainer	02
Third professional subjects		
Kayachikitsa		
15.	Cardiopulmonary resuscitation trainer	05
16.	Flatus tube insertion and Enema trainer (same to be used for basti administration)	05
17.	Injections (intra-muscular, intra-venous, intra-dermal, subcutaneous, intra-arterial, intra-articular and intra-cardiac)	10
18.	Aerosol therapy or nebulization	05
19.	Setting up intra-venous infusion and calculation of drip rate – basic life support	05
20.	Oxygen therapy	05
21.	Abdominal examination simulator	03
Shalya Tantra		
22.	Ryle's tube insertion trainer	02
23.	Pleural and ascitic aspiration trainer	02
24.	Flatus tube insertion to be used for per rectal matra basti	02
25.	Early management of trauma and trauma life support	1
26.	Blood transfusion	05
27.	Urinary catheterization – male (same to be used for uttara basti)	05
28.	Urinary catheterization – female (same to be used for intra vesicle uttara basti)	05
29.	Cautery – chemical and thermal or electrical	05
30.	Basic incision and suture trainer	05
31.	Basic wound care	02
32.	Basic bandaging including compression bandage	02
33.	Incision and drainage trainer	05
34.	Basic fracture and dislocation management trainer	02
35.	Examination of breast lump	05
36.	Examination of swelling	05
37.	Per-rectal and Prostate examination trainer	02

Prasuti and Streeroga		
38.	Per speculum and per vaginal examination trainer	02
39.	Intra uterine contraceptive device insertion and removal trainer	05
40.	Episiotomy trainer	05
41.	Normal labour and delivery (including partogram)	01
42.	Intra uterine insemination trainer (same to be used for intra uterine uttara basti)	05
43.	Obstetric examination trainer	02
44.	Visual inspection of cervix	05
Shalakya Tantra		
45.	Otoscopy	05
46.	Visual acuity testing	05
47.	Digital tonometry	02
48.	Epilation	05
49.	Eye irrigation	05
50.	Instillation of eye medication	05
51.	Ocular bandaging	02
52.	Anterior and posterior nasal packing trainer	02
53.	Foreign body removal training	As required
54.	Mannequin head (3D model) for training Tarpana	05
Kaumarabhritya		
55.	Exchange transfusion	01
56.	Neonatal resuscitation	05
57.	Umbilical cord catheterization	01
58.	Setting up paediatric intra-venous infusion and calculating drip rate	05
59.	Paediatric injection trainer	05
Panchakarma		
60.	Full body mannequin (for demonstration of abhyanga, udvartana, utsadana, lepa, patrapottali sweda ans sthanikabasti)	05
61.	Enema trainer for basti administration	05
62.	Catheterization (male and female) for uttara basti	Each 05

Note: mannequins and simulators though required for multiple departments, mentioned here under only one department to avoid duplication. As per the requirement all facilities shall be open to all departments for teaching and training purpose.

SCHEDULE XVI
Minimum constructed area required for various units of reception and registration zone
(See regulation 39)

Serial number	Description of unit	Minimum constructed area (square meters) required (intake capacity wise)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200

Reception and registration zone (Including entrance lobby and circulation area)		130	180	230	280
1.	(a) Reception and enquiry counter or	3	3	5	3
	(b) Reception and enquiry counter with seating for public relation officers (optional)	6	8	10	12
2.	Registration and billing counter	10	15	15	20
3.	Medical record room (in case of established hospital management information system)	10	10	10	10
4.	Medical Record Room (without hospital management information system) including accommodation for medical record technician	25	25	25	25

SCHEDULE XVII
Minimum constructed area required for various units of out patient zone
(See regulation 40, 41)

Serial number	Description of Outpatient department or facility	Minimum constructed Area required in square meters (Intake capacity wise)			
		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Screening out patient department including screening counters	15	20	30	40
	Minimum number of screening counters (number of counters may be increased depending on patient footfall)	2	2	3	4
2.	Atyayika chikitsa (emergency or causality) out patient department including observation beds	30	30	40	40
3.	Swasthya Rakshana out patient department including counselling cubicles	20	25	35	25 x 2
	Minimum number of counselling cubicles	1	2	3	2 x 2
4.	Kayachikitsa out patient department	20	25	35	25 x 2
5.	Panchakarma out patient department	20	25	35	25 x 2
6.	Shalya Chikitsa out patient department	20	25	35	25 x 2
	Procedural room or minor operation theatre for outpatient department	20	20	30	30
7.	Shalakya chikitsa (Netra) out patient department	25	30	45	30 x 2
8.	Shalakya chikitsa (Karna, Naasa and Mukha) out patient department	25	30	45	30 x 2
9.	Prasuti-Streeroga (in case of two out patient departments, one each for Prasuti and Streeroga)	20	25	35	25 x 2
	Procedural rooms (in case of two procedural rooms, one each for prasuti-Streeroga)	20	20	30	20 x 2
10.	Kaumarabhritya out patient department	20	25	35	25 x 2
11.	Visha chikitsa out patient department	20	25	35	25 x 2
12.	Speciality clinics	Not less than 25 per Out Patient Department			
13.	Online consultation facility	20	20	20	20
14.	Out patient department in-charge office	15	15	15	15
15.	Waiting area, drinking water facility, breast feeding area, toilets, area for wheel chair and stretcher, area for keeping housekeeping materials	150	200	250	300
16.	Drug stores and dispensary	40	45	60	80

Note: The speciality clinics are over and above the minimum requirement and hence will not be accounted under minimum area required.

SCHEDULE XVIII
Minimum essential equipment and instruments required for Out patient department
(See regulation 40)

Serial number	Name of out patient department	Instrument or equipment	Minimum number required
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Screening out patient department	Height and weight measuring tool	One each for each screening cubicle or unit
		Non-mercurial sphygmomanometer	
		Clinical thermometer (non-contact)	
		Stethoscope	
		Naadi recording equipment	
2.	Kayachiktsa	X-Ray view box	1
		Non-mercurial sphygmomanometer	2
		Stethoscope	2
		Torch	1
		Examination table	1
		Clinical thermometer (non-contact)	2
		Tongue depressor	2
		Weight and height measuring stand	1
		Measuring tape	1
		Knee hammer	2
3.	Shalya	X-Ray viewing box	1
		Instruments for ano-rectal examination	As required
		Examination table	1
		Non-mercurial sphygmomanometer	2
		Clinical thermometer (non-contact)	2
		Torch	1
		Cheatle forceps	As required
4.	Out patient department attached minor operation theatre	Examination table	1
		Spot light	1
		Sterilizer	1
		Trolley	1
		Basic instruments like toothed forceps, forceps, artery forceps, scissors, Bald Parker handle, blade, suturing kit, proctoscope, catheter, syringes kidney tray and the like.	1
		Consumables and medicines to perform Out patient department surgical procedure and the like	As required
		Auto refractometer	1
		Ophthalmoscope	2
		Applanation tonometer	1
		Fundoscope	2
5.	Shalakya-netra	Humphrey visual field analyser	1
		Slit lamp	1
		Examination table	1
		X-Ray viewing box	1
		Non-mercurial sphygmomanometer	2
		Stethoscope	2
		Clinical thermometer (non-contact)	2
		Torch	2
		Tuning forks	5
		Auroscope	5
5.	Shalakya – Karna, Nasa and Mukha	Puretone Audiometer	1
		Tongue depressor, Nasal speculum, nasal packing forceps	5 each
		Ear, nose, throat kit	1

		Head set for light focus	1
		X-Ray viewing box	1
		Non-mercurial sphygmomanometer	2
		Stethoscope	2
		Clinical thermometer (non-contact)	2
		Weighing machine	2
		Sims's speculum	5
		Clinical thermometer (non-contact)	2
		Cusco's speculum	5
		Examination table	1
		Torch	2
		X-Ray view box	1
		Non-mercurial sphygmomanometer	2
		Stethoscope	2
		Measuring tape	2
		Torch	1
		X-Ray view box	1
		Non-mercurial sphygmomanometer with pediatric cuff	2
		Clinical thermometer (non-contact)	2
		Stethoscope	2
		Examination table	1
		Neonatal weighing scale	1
		Pediatric weighing scale	1
		Infantometer	As required
		Measuring tapes	2
		Height measurement scale	1
		Pediatric stethoscope	2
		Oroscope	5
		Knee hammer	2
		Torch	2
		Tongue depressors	5
		Bilirubinometer	2
8.	Panchkarma	As per Kayachikitsa	
9.	Visha chikitsa	As per Kayachikitsa	
10.	Swasthavritta	As per Kayachikitsa	

SCHEME XIX

Minimum norms and standard for atyayika (Emergency) Out patient department and Intensive Care Unit

(See regulation 40 and 45)

Serial number	Standards or requirement	Intake capacity wise minimum requirements			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200
Atyayika (Emergency) outpatient department with Observation Beds					
1.	Motorized bed four section with mattress	2	2	4	4
2.	Wheel chair	1	1	2	2
3.	Bedside locker	2	2	4	4
4.	Over bed table	2	2	4	4
5.	Intra-venous stand with stainless steel rod and castor base	2	2	4	4
6.	Foot step double	2	2	4	4

7.	Multi para monitor	2	2	4	4
8.	Intensive care unit ventilator	2	2	4	4
9.	Portable monitor	1	1	3	3
10.	Portable ventilator	1	1	2	2
11.	Portable X-ray	1	1	1	1
12.	Patient stretcher	1	1	2	2
13.	Dressing trolley	1	1	2	2
14.	Drug trolley or medicine cart	1	1	2	2
15.	Electrocardiogram machine trolley	1	1	2	2
16.	X-Ray view box	1	1	1	1
17.	Suction machine	1	1	2	2
18.	Suturing set	2	2	3	5
19.	Agnikarma kit	1	1	1	1
20.	Dhuma yantra	1	1	2	2
21.	Naadi recording equipment	1	1	2	2
22.	Sthanik swedana yantra	1	1	2	2
23.	Common diagnostic tools such as- Non-mercurial sphygmomanometer, stethoscope, torch, clinical thermometer (non-contact), tongue depressor weight and height measuring stand, measuring tape	As required			
24.	Emergency medicine	As required			

Atayika ward Intensive care unit

25.	Motorised bed four section with mattress	4	4	6	6
26.	Wheel chair	2	2	6	6
27.	Bedside locker	4	4	6	6
28.	Over bed table	4	4	6	6
29.	Intra-venous stand with stainless steel rod and castor base	4	4	6	6
30.	Foot step double	4	4	6	6
31.	Multi para monitor	4	4	6	6
32.	Intensive care unit ventilator	3	3	5	5
33.	Portable monitor	2	2	3	3
34.	Portable ventilator	1	1	2	2
35.	Portable X-ray	1	1	1	1
36.	Patient stretcher	1	1	2	2
37.	Dressing trolley	1	1	1	1
38.	Drug trolley or medicine cart	1	1	1	1
39.	Electrocardiogram machine trolley	1	1	1	1
40.	X-Ray view box	1	1	1	1
41.	Suction machine	1	1	1	1

42.	Intensive care unit bed ventilator resuscitation equipment	1	1	1	1
43.	Oropharyngeal and nasopharyngeal airways	As required			
44.	Endotracheal tube	As required			
45.	Defibrillator	1			
46.	Oxygen cylinder with flow meter or tubing or catheter or face mask or nasal prongs	As required			
47.	Suction apparatus	2			
48.	Multipara monitor	1	1	1	1
49.	Nebulizer	1	1	1	1
50.	Consumables in intensive care gloves, Intra-venous set, infusion set, syringes and needles, urinary catheter, collection bags and the like	As required			
51.	Suturing set	1	1	1	1
52.	Agnikarma kit	1	1	1	1
53.	Dhuma yantra	1	1	1	1
54.	Naadi recording equipment	1	1	2	2
55.	Sthanik sweda yantra	1	1	1	1
56.	Common diagnostic tools such as- Non-mercurial sphygmomanometer, stethoscope, torch, clinical thermometer (non-contact), tongue depressor, weight and height measuring scale, measuring tape	As required			
57.	Emergency medicine	As required			

SCHEDULE XX
Minimum essential requirements for hospital staff
(See regulation 39, 40, 41, 43, 45, 47 and 51)

Serial number	Designation or category of employee	Number of posts required as per bed strength			
		(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative zone					
1.	Medical director (principal or dean or director)				
2.	Medical superintendent	01	01	01	01
3.	Deputy medical superintendent	01	01	02	02
4.	Administrator	01	01	02	02
5.	Consultants	Teachers of clinical departments			
6.	Resident medical officer including emergency medical officer	02	03	04	05
7.	Matron or nursing superintendent	01	01	01	01
8.	Assistant matron (for day and night shifts)	2(1+1)	3 (2+1)	4(2+2)	5 (3+2)
9.	Office superintendent	1	1	1	1
10.	Clerks and accountants	1	2	3	4
11.	Store keeper	01	01	01	01
12.	Multi tasking Staff	3	3	4	4
Note: Modern medical staff (presence not mandatory for inspection or visitation)					
13.	Anaesthesiologist	Part time			
14.	Pathologist	Part time			
15.	Radiologist	Part time			

Reception and Registration					
16.	Receptionist cum telephone operator (graduation with computer knowledge and communication skills) (for all shifts. At least one shall be present per shift)	3	4	4	4
17.	Registration and billing clerks (graduation with computer knowledge)	1	2	3	4
18.	Medical record technician (qualified or trained)	1	1	1	1
19.	Public relation officers	Optional As Required			
Out Patient Department Zone:					
20.	Nursing staff (one each for atyayika, Shalya and Prasuti and Streeroga)	3	3	3	5 (1+2+2)
21.	Aya	3	3	3	5
Dispensary					
22.	Pharmacist (qualified Ayurveda pharmacist or 12 th standard passed with training)	2	2	3	4
23.	In-charge (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery or Bachelor of Pharmacy Ayurveda or Master of Pharmacy Ayurveda)	1	1	1	1
Diagnostic Zone					
24.	Lab technician (diploma in medical laboratory technology)	2	2	3	4
25.	Lab attendant (minimum 10 th Standard passed)	1	1	2	3
26.	X-ray technician (qualified)	1	1	1	1
27.	Dark room assistant (in case of non-digital x-ray)	1	1	1	1
28.	ECG (electro-cardio-gram) technician	1	1	2	2
29.	Nursing staff for ultrasound sonography and electrocardiogram	1	1	1	1
30.	Microbiologist (MSc microbiology)	1	1	1	1
31.	Lab assistant for microbiology	1	1	2	2
In-Patients Zone					
<i>Medical In-Patients Section</i>					
32.	Nursing staff (one for ten beds)	4	6	9	12
33.	Ayah (one for twenty beds)	2	3	5	6
34.	Resident medical officer (one for thirty beds) – Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)
<i>Surgical In-Patients Section</i>					
35.	Nursing staff (one for ten beds)	3	4	6	8
36.	Ayah (one for twenty beds)	2	2	3	4
37.	Resident surgical officer (one for thirty beds) – Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)
Procedural Management Zone					
<i>Panchakarma</i>					
38.	Nursing staff	1	1	2	2
39.	Cook for preparation room	1	1	2	2
40.	Therapists (male and female)	4 (2+2)	8 (4+4)	12 (6+6)	16 (8+8)
41.	House officer or clinical registrar or senior resident-Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery preferably with Master of Business Administration in hospital administration.	1	1	1	1
42.	Clerk cum receptionist	1	1	1	1
<i>Operation Theatre</i>					
43.	Nursing staff	1	2	3	4
44.	Operation theatre attendants	2	3	4	5
45.	Anushastra karma technician (12 th standard passed with biology) trained	1	1	2	2
Labour Room including Prasuti and Stri rog procedural room					
46.	Nursing staff	3	3	6	6
47.	Ayah (one per shift)	3	3	3	3
Kriyakalpa					

48.	Kriyakalpa therapists	2	2	4	4
Physiotherapy					
49.	Physiotherapist	1	1	1	1
50.	Attendant or ayah	1	1	1	1
Yoga					
51.	Yoga demonstrator	1	1	1	1
Services Zone					
Pathya – Diet Section					
52.	In-charge (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery or Master of Science in Ayurveda Dietetics)	1	1	1	1
53.	Pathya cooks	2	2	3	4
54.	Multi-tasking staff	2	2	3	4
Central sterilization					
52.	Nursing staff	1	1	1	1
53.	Aya	1	1	1	1

Note: Public relations officers, multi-tasking staff, housekeeping, maintenance staff, security, drivers may be appointed or outsourced as required.

SCHEDULE XXI
Minimum constructed area required for various units under diagnostic zone
(See regulation 43)

Serial number (1)	Unit (2)	Minimum constructed area required as per intake capacity (in square meters)			
		(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
1.	Clinical laboratory				
2.	Imaging section				
3.	Other diagnostics				
4.	Waiting area, circulation area and toilets				
5.	Diagnostic zone in-charge office				
6.	Test reports issue counter				
Equipment and instruments					
Haematology or pathology section					
7.	Fully automated haematology analyser	1	1	1	1
8.	Trinocular microscope with display unit	1	1	1	1
9.	Colorimeter	1	1	1	1
Biochemistry section					
10.	Fully automated biochemistry analyser	1	1	1	1
11.	Electrolyte analyser	1	1	1	1
12.	Centrifuge	1	1	2	2
13.	Hot air oven	1	1	2	2
14.	Chemiluminescence or Enzyme linked immune-sorbent assay	1	1	1	1
15.	HbA1C analyser or Card based	1	1	1	1
Microbiology section					
16.	Trinocular microscope with display unit	1	1	2	2
17.	Incubator	1	1	2	2
18.	Autoclave (vertical)	1	1	1	1
19.	Hot air oven	1	1	2	2
20.	Automated blood culture system	1	1	1	1
21.	Bio-safety cabinet	1	1	1	1
Imaging section					
22.	X-Ray unit (preferably digital X-ray) with machine and accessories			Essential	
23.	Ultrasound scan			Essential	
others					
24.	Electrocardiogram			Essential	
25.	Spirometry			Essential	

Note: For higher imaging studies such as computed tomography, magnetic resonance imaging, positron emission tomography, doppler etc., college may have tie-up with nearest National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited diagnostic centre.

SCHEDULE XXII
Minimum constructed area required for various wards of in-patient zone
(See regulation 44 and 45)

Serial number	Section	Minimum constructed area required in square meter(intake capacity wise)			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	60	100	150	200
Medical in-patients section					
1.	Area required for in-patients beds (six square meter per bed)	220	360	540	720
2.	Emergency ward and intensive care unit (two to six beds)	50 – 200			
3.	Nursing counter and store (one counter for every thirty beds)	20	40 (20 x 2)	60 (20 x 3)	80 (20 x 4)
4.	Seating for interns	10	15	20	30
5.	Room for night duty nurse (one for every thirty beds)	20	40 (20 x 2)	60 (20 x 3)	80 (20 x 4)
6.	Room for night duty interns (male and female separately)	50	50 (25 x 2)	60 (30 x 2)	70 (35 x 2)
7.	Room for night duty doctor	25	25	25	25
8.	Ward procedural room	20	20	30 (1 or 2 rooms)	45 (2 or 3 rooms)
9.	Clinical classrooms	45	90 (45 x 2)	120 (60 x 2)	150 (50 x 3)
10.	Circulation area and corridors	20	30	40	50
11.	Toilets (male and female separately), drinking water facility (hot and cold), place for trolleys, biomedical waste management, clean and dirty utility, housekeeping materials, and the like	300	400	500	650
Surgical in-patients section					
12.	Area required for in-patients beds (six square meter per bed)	145	240	360	480
13.	Nursing counter and store (one counter for every twenty beds)	20	40 (20 x 2)	60 (20 x 3)	80 (20 x 4)
14.	Seating for interns	10	15	20	30
15.	Room for night duty nurse (one for every twenty beds)	20	40 (20 x 2)	60 (20 x 3)	80 (20 x 4)
16.	Room for night duty interns (male and female separately)	25	50 (25 x 2)	60 (30 x 2)	70 (35 x 2)
17.	Room for night duty doctor	25	25	25	25
18.	Ward procedural room	20	20	30 (1 or 2 rooms)	45 (2 or 3 rooms)
19.	Clinical classrooms	45	90 (45 x 2)	120 (60 x 2)	150 (50 x 3)
20.	Circulation area and corridors	20	30	40	50
21.	Toilets (male and female separately), drinking water facility (hot and cold), place for trolleys, biomedical waste management, clean and dirty utility, housekeeping materials, and the like	300	400	500	650

SCHEDULE XXIII
Minimum requirement for In-Patient Department
(See regulation 45)

Serial number	Requirements	Minimum number per nursing station or counter
(1)	(2)	(3)
1.	Sphygmomanometer (non-mercurial)	2
2.	Clinical thermometer (non-contact)	2
3.	Vital monitor	1
4.	Stethoscope	2
5.	Basic examination tool like measuring tape, tongue depressor, knee hammer, torch, kidney try or other consumable.	As required
6.	Nadi reading equipment	2
7.	Weighing scale	1
8.	Trolley	1
Procedural room attached to medical in-patient section		
9.	Droni	1
10.	Foot step stand	2
11.	Heating source	2
12.	Sphygmomanometer (non-mercurial)	2
13.	Clinical thermometer (non-contact)	2
14.	Consumables like vessel, trays and the like to perform in ward procedures	As required
Procedural room attached to surgical in-patient section		
15.	Examination table	1
16.	Sterilizer	1
17.	Basic instruments like toothed forceps, forceps, artery forceps, scissors, B P handle, blade, proctoscope, catheter, syringes	1
18.	Sphygmomanometer (non-mercurial)	2
19.	Clinical thermometer (non-contact)	2
20.	Consumables and medicines to perform in ward surgical procedure	As required

SCHEDULE XXIV
Minimum constructed area required for various sections of procedural management zone
(See regulation 47)

Serial Number	Unit	Minimum constructed area required in square meter as per intake capacity			
		(3)	(4)	(5)	(6)
Panchakarma therapy section					
1.	Reception and waiting	15	20	25	30
2.	Consultation room	25	25	50 (25x2)	50 (25x2)
3.	Preparation room, store, waste management	50	50	75	75
4.	Therapy rooms – male (at the rate of thirty square meter)	90 (30x3)	120 (30x4)	180 (30x6)	240 (30x8)
5.	Therapy rooms – female (at the rate of thirty square meter)	90 (30x3)	120 (30x4)	180 (30x6)	240 (30x8)
6.	Cubicle (at the rate of five square meter)	20 (5x4)	30 (5x6)	40 (5x8)	50 (5x10)
7.	Therapists room separate for males and female	40 (20x2)	40 (20x2)	40 (20x2)	40 (20x2)

Surgical Therapy Section					
8.	Minor operation theatre	50	100	150	150
9.	Major general operation theatre	150	200	400 (200x2)	400 (200x2)
10.	Anushastra karma	30	50	80	100
11.	Labour room	50	50	60	75
12.	Prasuti-streeroga procedural room	30	30	30x2	30x2
13.	Garbasanskra	30	30	50	50
14.	Kriyakalpa section	30	30	50	50
15.	Physiotherapy section	100	100	125	150
16.	Yoga section	50	50	75	100

SCHEDULE XXV
Minimum requirement of instruments or equipment for Panchakarma therapy section
(See regulation 47)

Serial number	Instrument or equipment	Minimum number required (intake capacity wise)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Reception and waiting				
1.	Computer with internet	1	1	1	1
2.	Printer	1	1	1	1
3.	Furniture for seating	As required			
	Consultation room				
4.	Examination table	1	1	1	1
5.	Non-mercurial sphygmomanometer	2	2	4	4
6.	Stethoscope	2	2	4	4
7.	X-ray view box	1	1	1	1
8.	Clinical thermometer (non-contact)	2	2	4	4
9.	Height and weight measuring scale	1	1	1	1
10.	Measuring tape	1	1	2	2
11.	Torch	1	1	2	2
12.	Knee hammer	2	2	4	4
13.	Tongue depressor	2	2	4	4
14.	Electrocardiogram	1	1	1	1
	Preparation room including store and waste management				
15.	Cooking facility	As required			
16.	Cooking ware	As required			
17.	Storage	As required			
18.	Refrigerator, Mixer grinder, Microwave oven	1 each	1 each	1 each	1 each
19.	Water filter	1	1	1	1
20.	Trays and utensils for transportation of prepared medicines to therapy rooms	As required			
21.	Biomedical waste management	As per specifications			
	Cubicle for snehapana or counselling				
22.	Furniture	As required			
23.	Sphygmomanometer (non-mercurial)	4	6	8	10
24.	Clinical thermometer (non-contact)	4	6	8	10
25.	Wash basin with water tap	4	6	8	10
26.	Stethoscope	4	6	8	10
	Therapy room				
27.	Droni	6	8	12	16
28.	Dhara stand	6	8	12	16
29.	Heating source	As required			
30.	Sphygmomanometer with stand	6	8	12	16
31.	Stethoscope	6	8	12	16
32.	Foot step stand	6	8	12	16
33.	Swedana facility (sarvanga and sthanika)	Each 6	Each 8	Each 12	Each 16

34.	Kati, janu, griva, prista, hridbasti rings	As required			
35.	Dhara paatra	6	8	12	16
36.	37. Consumables like – trays, vessels, packing materials, catheters, udvarthan churna, gloves and cotton and the like	As required			

SCHEDULE XXVI**Minimum essential equipment and instruments required for operation theatre
for the departments of Shalya, Shalakya, Prasuti and Streeroga**

(See Regulation 47)

Serial number	Essential equipment and instruments	Requirement
(1)	(2)	(3)
1.	Computer with internet and printer	1
2.	Spot light(Shadowless ceiling fitted)	1
3.	Needle holding Forceps(big-medium-small)	As required
4.	Dressing drums of Assorted size	As required
5.	Intravenous Stand	As required
6.	X-ray View Box(double)	1
7.	Cheatle's Forceps	As required
8.	Mosquito forceps	As required
9.	Scissors straight (Tailor)	As required
10.	Scissors curved of different sizes	As required
11.	Stitch removal Scissors	As required
12.	Dissection forceps	As required
13.	Sinus Forceps	As required
14.	Probes-Assorted size	As required
15.	Pointed scissors	As required
16.	Gastric and Intestinal clamps (occlusive and crushing)	As required
17.	Abdominal Retractors	As required
18.	Tissue Forceps	As required
19.	Babcock's Forceps	As required
20.	Kocher's Forceps	As required
21.	Urethral Dilators	As required
22.	Rubber catheters of Assorted size	As required
23.	Metal Catheters	As required
24.	Suturing Needle(straight or curved) of Assorted size	As required
25.	Surgical Thread	As required
26.	Sponge holding forceps	As required
27.	Right Angle cholecystectomy Forceps	As required
28.	Stone holding forceps	As required
29.	Proctoscope with or without illuminator	As required
30.	Bougies (Megars)	As required
31.	Allies Forceps small	As required
32.	Allies Forceps big	As required
33.	Pile holding forceps	As required
34.	Artery Forceps small	As required
35.	Artery Forceps big	As required
36.	Artery Forceps Medium	As required
37.	Sigmoidoscope Rigid or flexible -	Optional
38.	Barron Pile's Gun	1
39.	Laryngoscope Pediatric or Adult	1
40.	Ambu Bag	As required

41.	Suction machine Electrical or Manual	1
42.	Emergency light	1
43.	Skin grafting knife with handle	1
44.	Surgical blades of different size	As required
45.	BP Handle of different size	As required
46.	Self-Retaining Retractor	1
47.	Bone Drill Machine	1
48.	Bone cutter	1
49.	Giggly Saw	1
50.	Scoop	1
51.	Periosteum elevator	1
52.	Maggler Forceps	1
53.	Endotracheal Tubes of different sizes	As required
54.	High Pressure Autoclave	1
55.	Fumigator	1
56.	Refrigerator	1
57.	Nitrous Oxide Cylinder	1
58.	Hydrolc Operation Table	1
59.	Shadowless lamp ceiling	1
60.	Anaesthesia Trolley or Boyle's Apparatus	1
61.	Gabriel Syringe	1
62.	Mosquito forceps	1
63.	Blood Pressure Apparatus	1
64.	Doyen's retractor	As required
65.	Green armytage forceps	As required
66.	Sterilizer	2
67.	Sim's speculum	3
68.	Anterior vaginal wall retractor	3
69.	Cusco's speculum	3
70.	Uterine sound	3
71.	Anterior Vaginal Wall retractor	As required
72.	Retractors abdominal (Doyne's and the like)	As required
73.	Green armatage forceps	As required
74.	Uterus holding forceps	As required
75.	Consumable like gowns, gloves, mask, cap, chemicals, medicine and the like	As required

SCHEDULE XXVII

Minimum essential equipment and instruments required for anushastrakarma and prasuti and streeroga procedural room
(See Regulation 47)

Serial number	Specification	Requirements
(1)	(2)	(3)
1.	Computer, internet and printer	1
2.	Agnikarma Kits with all required accessories clotting time and bleeding time estimation kit	As Required
3.	Jaloukacharana kits with all required accessories and jalouka Clotting time and bleeding time estimation kit	As Required
4.	Siravyadha kits with all required accessories clotting time and bleeding time estimation kit	As Required
5.	Cupping therapy kits with all required accessories clotting time and bleeding time estimation kit	As Required
6.	Other therapies	As Required
Prasuti Tantra and Stree Roga procedural room		
7.	Computer, internet and printer	1

8.	Examination table	1
9.	Spot light	1
10.	Sterilizer	1
11.	Trolley	1
12.	Basic instruments like Sims's speculum, cusco's speculum, suturing kit, proctoscope, catheter, syringes, kidney trays and the like.	1
13.	Consumables and medicines to perform basic procedures like yogi pichu, yoni dhoopana, yoni prakshalana and the like.	As required

SCHEDULE XXVIII
Minimum essential equipment and instruments required for labour room
(See Regulation 47)

Serial number	Equipment and Instruments	Required Quantity
(1)	(2)	(3)
1.	Computer with internet and printer	1
2.	Shadowless Lamp	1
3.	Suction Machine (Neonatal)	1
4.	Oxygen Cylinder and Mask	1
5.	Foetal Toco Cardiograph or Foetal Doppler	1
6.	Weighing Machine (Paediatric)	1
7.	Patient trolley	1
8.	Infantometer	1
9.	Vacuum extractor	1
10.	Forceps obstetrics	As required
11.	Steriliser	1
12.	Instruments for labour and Episiotomy. (Scissors, forceps, needle holders and the like)	As required
13.	Baby tray	As required
14.	Nebuliser	As required
15.	Foetoscope	As required
16.	Instrumental Trolley	2
17.	Labour table with Lithotomy bars	1
18.	Pulse Oximeter	As required
19.	Resuscitation kit	As required
20.	Electrocautery	1
21.	Medical Termination of Pregnancy Suction Machine with curette	1
22.	Blunt and Sharp Curettes	As required
23.	Dilators set (Hegar's, Hawkins)	As required
24.	Sims's Speculum	As required
25.	Cusco's Speculum	As required
26.	Uterine sound	As required
27.	Valsellum	As required
28.	Sponge holding forceps	As required
29.	Kocher's forceps	As required
30.	Artery forceps (Long, short, Mosquito)Each	As required
31.	Scissors-different sizes and Episiotomy Scissors	As required
32.	Endotracheal tubes	As required
33.	Cord Cutting appliances	As required
34.	Intrauterine Contraceptive Device. removing hook	As required
35.	Bladder Sound	As required
36.	Blood Pressure. Apparatus	As required
Miscellaneous		
37.	Human Immunodeficiency Virus, VDRL and Hepatitis-B kits for emergency patients	As required
38.	Plain and Hole towels	As required
39.	Towel Clips	As required
40.	Catguts and Thread	As required

41.	Suturing Needles	As required
42.	Needle holders	As required
43.	Fumigator (Dhoopan Yantra)	One
44.	Machintosh rubber sheet	As required
45.	Drums	As required
46.	Dressing materials and the like	As required

SCHEDULE XXIX
Minimum requirements of neonatal intensive care unit
(to be adjacent to labour room)
(See Regulation 47)

Serial number	Specification	Minimum requirement
(1)	(2)	(3)
1.	Computer, internet and printer	1
2.	Radiant warmer	1
3.	Phototherapy unit	1
4.	Resuscitation Kit	5
5.	Neonatal Suction Machine	1
6.	Oxygen Unit	1
7.	Oxygen hood nasal prong set	2
8.	Laryngoscope	3
9.	Endotracheal tube	As required
10.	Suction catheter	As required
11.	Neonatal Blood Pressure cuff	2
12.	Neonatal intensive care unit clinical Thermometer	2
13.	Multi-parameter Monitor	1

SCHEDULE XXX
Minimum essential equipment and instruments required for physiotherapy section
(See Regulation 47)

Serial number	Specification	Minimum requirements			
		(3)	(4)	(5)	(6)
	(2)	60	100	150	200
1.	Computer, internet and printer	1	1	1	1
2.	Interferential therapy along with the wires and electrodes	1	1	2	2
3.	Transcutaneous electrical nerve stimulation along with wires and electrodes	1	1	2	2
4.	Ultrasound therapy along with probes	1	1	2	2
5.	Infra-red radiation therapy	4	6	8	10
6.	Hot moist packs unit along with silica packs	1	1	2	2
7.	Cryotherapy unit along with cryo packs	1	1	2	2
8.	LASER therapy	1	1	2	2
9.	Traction unit along with lumbar and cervical belts	2	4	6	8
10.	Suspension therapy along with the slings	As required			
11.	Parallel Bar	1	1	1	1
12.	Treadmill	1	1	2	2
13.	Tilt Table	1	1	2	2
14.	Electrical stimulation along with wires and electrodes	1	1	2	2
15.	Musculoskeletal exercise equipment like shoulder wheel, finger-grip stretcher, rebalanced finger-grip and	2	2	2	2

	the like					
Prasuti related						
16.	Pelvic Floor 360			Assorted		
17.	Perineometer			Assorted		
18.	Kegel Cones			Assorted		
Pediatric-related						
19.	Bobath ball of different sizes			Assorted		
20.	Trampoline			Assorted		
21.	Bolster of different shapes	1	1	1	1	
22.	Sensory integration kit			Assorted		
23.	Small Walkers			Assorted		

SCHEDULE XXXI
Minimum constructed area required for various units under administrative zone
(See Regulation 49)

Serial number	Unit	Minimum constructed area required in square meters as per intake capacity			
		(3)	(4)	(5)	(6)
		60	100	150	200
1.	Medical Director	35	35	35	35
2.	Medical Superintendent	35	35	35	35
3.	Personal Assistant to Medical Superintendent	10	10	10	10
4.	Deputy Medical Superintendent	20	20	40 (20x2)	60 (20x3)
5.	Administrator	20	20	40 (20x2)	60 (20x3)
6.	Matron	20	20	20	20
7.	Assistant Matron	15	15	30 (15x2)	45 (15x3)
8.	Office Superintendent	15	15	15	15
9.	Accountant and other office staff	30	30	30	30
10.	Waiting lounge for visitors	15	15	15	15
11.	Residential Medical Officers room	30	30	45	45
12.	Toilets	20	20	20	20
13.	Pantry	05	05	05	05
14.	Doctors lounge	30	30	40	40
15.	Interns room	50	50	75	100
16.	Staff Room	50	50	75	100
17.	Meeting hall	50	50	75	75
18.	Store	50	75	100	150

ANNEXURE I

FORM-29A
APPLICATION FOR THE ESTABLISHMENT OF NEW AYURVEDA MEDICAL COLLEGE
(UNDERGRADUATE)
(See Regulation 58)

Serial number	Particulars	Details
(1)	(2)	(3)
Part-I - Applicants details		
1.	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2.	Complete address with Pin code	
3.	Official Telephone number	
4.	Official E-mail ID	
5.	Status of applicant whether State	

	Government or Union Territory or University or Trust or Type of institution (Government or Aided or Private)	
6.	Composition of the Trust Particulars of members of the Society or Trust, Head or Project Director of the proposed medical college, head of the existing hospital, qualifications and experience in the field of medical education of members, head of project or director and head of the hospital.	
7.	Registration of the /incorporation of the Applicant Body (number and date, if any)	
8.	Is there any other Ayurveda college run by the same trust or society or university a) If yes, mention the distance between two colleges b) Provide Global Positioning System (GPS) link of the college along with print copy of the same	Yes/ No
9.	Balance sheet for the last three years to be provided if the applicant is a trust.	
10.	Annual audit report (enclosed copy of audit report of last two years)	
11.	a) Means of financing the project b) Contribution of the applicant (Attach Proof) c) Grants (Attach proof) d) Donations (Attach proof) e) Equity (Attach proof) f) Term Loans (Attach proof) g) Other Sources, if any (Attach proof)	
12.	Details of fee paid a) Application fees transactions ID b) Processing fees transactions ID	

Part-II - Essential Requirements

13.	Date of 'Essentiality Certificate' issued by the State Government or Union Territory Administration.	
14.	Validity of essentiality Certificate	From -----to----
15.	Name and address of Affiliating University	
16.	Date of consent of affiliation Form -D for the scheme	
17.	Years of consent of affiliation for the scheme	From -----to----

Part-III- Details of the proposed College

18.	Name of the proposed medical college	
19.	Name of the Principal of the college	
20.	Proposed annual intake capacity of students	
21.	Official Telephone Number	
22.	Official E-mail ID	
23.	GPS link of the college and hospital along with print copy of the same	
24.	Total Land Area	
25.	Land is on Lease or own	
26.	If it is on Lease, Years of Lease	
27.	Category of Land (Tier I and Tier II)	

28.	Relevant Building Permissions from the concerned Authorities	
29.	Blueprint of Building plan (Attach copy)	
30.	Administrative Block Infrastructure Development Phase-I (a) Department of Rachana Sharira (b) Department of Kriya Sharira (c) Department of Samhita Sidhanta (d) Central Library (e) Digital Library (f) Lecture Hall - two <ul style="list-style-type: none">• Teaching staff for first professional departments• Non-teaching staff for administrative and for first professional departments	
31.	The infrastructural standards and the human resource development plan for phase II a) Department of Dravyaguna Vijnana b) Department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana c) Department of Roganidana and Vikruti Vijnana d) Department of Agadatantra e) Department of Swasthavritta and Yoga	
32.	Herbal Garden	
33.	Lecture Halls added	
34.	Teaching Staff	
35.	Non-teaching Staff	
36.	Expansion of Facilities specified for second professional subjects in Yогya-clinical Skill Laboratories	
37.	Addition of Library Books	
38.	Department-wise equipment and Instruments	
39.	The infrastructural standards and the human resource development plan for phase III a) Department of Kayachikitsa b) Department of Panchakarma c) Department of Shalya Tantra d) Department of Shalakya Tantra e) Department of Prasuti and Streeroga f) Department of KaumARBHARITYA	
40.	Lecture Halls	
41.	Teaching Staff	
42.	Non-teaching Staff	
43.	Expansion of Facilities specified for second professional subjects in Yогya-clinical Skill Laboratories	
44.	Addition of Library Books	
45.	Department-wise equipment and Instruments	
46.	Part -IV- Characteristics of proposed site of the Medical College	
	a) Topography	
	b) Plot size	
	c) Permissible floor space index	
	d) Ground coverage	
	e) Building height	
	f) Road access	
	g) Availability of public transport	
	h) Electric supply	
	i) Water Supply	

	j) Sewerage connection					
	k) Communication facilities					
	l) Master Plan of the proposed Medical College					
	m) Layout plans, sections					
	n) Elevations and floor wise area calculations					
47.	Part –V- Banking Details					
	a) Name of the account					
	b) Account Number in College Name					
	c) Name of the Bank					
	d) Name of the Branch of the Bank					
	Part –VI - Details of Hospital					
48.	Name, address and details of the existing hospital					
49.	Date of establishment of Hospital					
50.	Registration certificate of the Hospital					
51.	Fire Safety certificate (attach copy)					
52.	Permission from Pollution Control Board for Biomedical Waste Management (attach copy)					
53.	Renewal of the necessary permissions from local or concerned authorities (valid up to enclosed proof)					
54.	Date and Level of National Accreditation Board for Hospitals(NABH) certification					
	Validity of National Accreditation Board for Hospitals (NABH) Certification	From -----to-----				
55.	Permission of X-Rays					
56.	Bed strength					
57.	(a) Availability of Inpatient Department beds (b) Kayachikitsa ward (c) Panchakarma ward (d) Kaumarabhritya ward (e) VishaChikitsa ward (f) Shalya ward (g) Shalakya ward (h) Prasuti-Streeroga ward					
58.	Availability of biometric attendance of hospital Staff	Yes /No				
59.	Details of working Hospital staff: - (a) Administrative Staff (b) Office Staff (c) Hospital Staff (d) Nursing staff (e) Ancillary staff	S. no.	Name of the staff	Designation	Qualification	Experience
60.	Number of Functioning Out Patient Department Units					
61.	Functional number of Units a) Panchkarma Unit b) Prasuti Tantra Unit					
62.	Total number of out patient department in last two academic years					
63.	Average number of out patient department per day for two last years					
64.	Total number of inpatient department in last two academic year					
65.	Average bed occupancy for last two years					
66.	Number of functioning out patient					

	department units					
67.	Part-VII -Banking details					
	a) Name of the account					
	b) Account number in college name					
	c) Name of the Bank					
	d) Name of the branch of the Bank					
68.	Details of Salary paid to hospital staff (month-wise)					
69.	Details of purchase of medicines (attach indents and payment proof)					
70.	Details of purchase of hospital consumable (attach indents and payment proof)					
71.	Details of payment of relevant taxes (attach copy)					
72.	Details of hospital income (attach copy)					
73.	Hospital record (Tick whichever is applicable) a) Computerized b) Manual					
74.	Whether Hospital developed phase wise Yes/No					
75.	If yes, provide details phase wise	Phase I II	Period		Detail of development	Performance(Hospital structure for that period)
			From	To		

Signature of applicant

Full Name

Place:

Date:

List of enclosures:

1. Certified copy of Bye Laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed with name of trustees.
2. Certified copy of certificate of registration or incorporation of trust.
3. Annual reports and Audited Balance sheets for the last three years.
4. Certified copy of the title deeds of the total available land as proof of ownership or lease agreement deed.
5. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.
6. Proof of ownership of existing hospital with the first hospital registration certificate.
7. Certified copy of the 'No Objection Certificate' or 'Essentiality Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration at the proposed site.
8. Certified copy of the 'Consent of Affiliation' issued by recognised University established under any Central or State or Union territory statute for establishing a new Ayurveda medical college.
9. Affidavit stating that the land and buildings designated for Ayurveda medical college and attached teaching hospital are exclusively for conducting Ayurveda courses recognised by Board of Ayurveda or National Commission for Indian System of Medicine.
10. Affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on National Eligibility cum Entrance Test (NEET) or All India Ayush Post Graduate Entrance Test (AIAPGET) merit and only through counselling (Central or State or Union territory as the case may be) and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
11. Affidavit stating that the curriculum and syllabus, nomenclature of the course or programme, infrastructure, facilities and human resources including student-teacher ratio shall be maintained as per the specifications of the commission specified in the concerned regulations.

12. Proof of application fee and processing fee remitted.
13. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
14. Other enclosures as per the various parts of application form (please indicate details): -
15. Copy of Bank Transaction for the last two year of Official Bank Account: College and Hospital
16. Copy of Biometric Attendance of Hospital Staff for the last two years

Note: All the copies shall be self-attested.

ANNEXURE II

Form-29 B

APPLICATION FOR INCREASE IN ADMISSION CAPACITY IN EXISTING UNDERGRADUATEAYURVEDA MEDICAL COLLEGES

(See regulation 70)

1.	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2.	Complete Address with PIN code, (in BLOCK letters)	
	Official telephone or mobile numbers,	
	Official E-mail ID	
3.	Status of applicant whether State Government or Union territory or University or Trust	
4.	Registration or incorporation (Number and date, if any)	
5.	Name and address of the Ayurveda	
6.	Date of 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union Territory Administration.	
7.	Name and address of affiliating University	
	Date of first affiliation	
	Date of first affiliation for the scheme	
8.	Year of admission of first batch for undergraduate or Post graduate course	
9.	Month and year of completion of first admitted Under-graduate or Post-graduate batch	
10.	No. of seats approved and Date of Recognition by National Commission for Indian System of Medicine or erstwhile Central Council of Indian Medicine for existing Under-graduate or Post-graduate course(s)	
11.	Name of the course (s) of study applied for increase in admission capacity	
12.	Number of seats applied for in each subject or course	
13.	Details of: Additional financial allocation- Provision for additional space, equipment, and other infrastructural facilities- Provision of recruitment of additional staff-	
14.	Any other relevant information	

Signature of applicant

Full Name

Designation:

Place:

Date:

List of Enclosures:

1. Attested copy of the 'Essentiality Certificate or No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration.
2. Attested copy of the 'Consent of Affiliation' to which the college or institute is affiliated.
3. Authorisation letter addressed to the Bankers of the Applicant authorising the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college or institution.
4. Attested copy of the letter from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, National Commission for Indian System of Medicine or erstwhile Central Council for Indian System of Medicine approving recognition of the college or institution, if already permitted to conduct undergraduate or postgraduate degree course or postgraduate programme.
5. Affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on National Eligibility cum Entrance Test (NEET) or All India Ayush Post Graduate Entrance Test (AIAPGET) merit and only through counselling (Central or State or Union territory as the case may be) and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
6. Affidavit stating that the minimum infrastructure, facilities, and human resources including student-teacher ratio shall be maintained in respect of student intake capacity as per the manner and specifications of the commission mentioned in concerned regulations.
7. Proof of application fee and processing fee remitted.
8. Other enclosures,-
 - (a) Certified copy of Bye laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed with name of trustees.
 - (b) Renewed certified copy of the certificate of registration or incorporation.
 - (c) Certified copy of the land documents as a proof of ownership of existing hospital or lease agreement deed.
 - (d) First hospital registration certificate or Panchayat license for hospital.
 - (e) Fire safety certificate.
 - (f) Disaster management certificate (if any).
 - (g) Pollution Control Board certificate.
 - (h) Atomic Energy Regulatory Board permission for radiology unit in the hospital.
 - (i) Biomedical waste management agreement.
 - (j) College and hospital building occupancy certificate.
 - (k) College and hospital building completion certificate.
 - (l) Building plan.
 - (m) Building plan with survey number approved by local authority and endorsed by the architect.
 - (n) Area statement certificate authorised by architect as per these regulations.
 - (o) Purchase bills of equipment, instruments etc.
 - (p) Tax paid receipt for land, building including hospital building.
9. Other enclosures of the documents as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

Note: All the copies shall be self-attested.

ANNEXURES-III**FORM-29 C**

(To be issued by State Government or Union territory)

**ESSENTIALITY CERTIFICATE FOR THE ESTABLISHMENT OF
NEW UNDERGRADUATE AYURVEDA MEDICAL COLLEGE**

(See regulation 58)

Ref. No.

Dated.....

Basic details of Applicant		
1.	Name of the applicant	
2.	Address	
3.	Type of institution (Government or Aided or Private)	
4.	(a) Name of the proposed institute	
	(b) Address of the proposed institute	
	(c) Proposed intake capacity (100 or 150 or 200 in UG)	
5.	Whether the applicant is already running Ayurveda Medical College (s)	Yes/No
6.	If yes, what is the distance between the nearest college and the proposed college (if the distance is 25 or less than 25 kilometre Essentiality certificate shall not be issued)	
Other details		
7.	Number of Ayurveda institutions already existing in the State	
8.	Doctors Registered Medical Practitioners of all Systems to population ratio in the State	
9.	Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of Ayurveda Medical college	Poor/Adequate
10.	Registration number of the hospital	
11.	The restrictions imposed by the State Government, if any, on students who are not domiciled in the State from obtaining admissions in the State be specified.	

**ESSENTIALITY CERTIFICATE TO ESTABLISH
A NEW AYURVEDA MEDICAL COLLEGE**

Essentiality certificate is issued to (**name of the applicant**) for the establishment of ----- (**name of the proposed college**) at ----- (address of the proposed college) with intake capacity----- (100 or 150 or 200 UG). This certificate is issued in consideration of above details or facts or conditions. This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.

The Essentiality Certificate is issued on the following term and conditions:

- College shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine only after obtaining due permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
- College shall not conduct any other colleges or courses or programs in the same premises unless otherwise permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
- College shall maintain all the minimum standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by National Commission for Indian System of Medicine.
- College shall admit the students as per the regulation or guidelines or policy framed by National Commission for Indian System of Medicine from time to time.
- The institute shall abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards or National Commission for Indian System of Medicine or Government of India or University.

6. In case of handing over the college to other society or trust, prior No Objection Certificate (NOC) shall obtain from the state government or Union territory.
7. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities for the Ayurveda Medical College as per the minimum standards specified by National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the College with the permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine.
8. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the college by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine due to non-compliance of the college for Minimum Essential Standards as prescribed by the Commission or Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the College.

(Signature of the Competent Authority)

Office Seal

Date:

Place:

ANNEXURES IV

FORM 29 D

(To be issued by State Government or Union territory)

ESSENTIALITY CERTIFICATE FOR INCREASE STUDENT INTAKE CAPACITY [UNDERGRADUATE]

(See Regulation 70)

Ref. No.....

Dated.....

Basic details of Applicant	
1.	Name of the applicant
2.	Address
3.	Subject of application Increase Intake Capacity From--- to---- (Undergraduate) or (Postgraduate specialty wise)
4.	Name and address of the institute in which the applicant intended to increase the intake capacity in existing Undergraduate program (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) or Postgraduate program
5.	Year of establishment of the institute
6.	Doctors-population ratio in the State
7.	Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of Ayurveda Medical college Poor/Adequate

ESSENTIALITY CERTIFICATE

Essentiality certificate or No Objection Certificate (NOC) is issued to (name of the applicant) for Increase in Intake Capacity fromto in UG Program----- (name of the college) at ----- (address of the college). This certificate is issued in consideration of above details or facts or conditions. This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue.

The Essentiality Certificate or No Objection Certificate is issued on the following term and conditions:

1. College shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine only after obtaining due permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine or Government of India.

2. College shall not conduct any other colleges or courses or programs in the same premises unless otherwise permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine or Government of India.
3. College shall maintain all the minimum standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by National Commission for Indian System of Medicine in accordance with student intake capacity.
4. College shall admit the students as per the regulation or guidelines or policy framed by National Commission for Indian System of Medicine from time to time.
5. The institute shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards or National Commission for Indian System of Medicine or Government of India or University.
6. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities for the Ayurveda Medical College as per the minimum standards specified by National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the College with the permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine.
7. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the college by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine due to non-compliance of the college for Minimum Essential Standards as prescribed by the Commission or Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, the State Government shall take over the responsibility of the students been admitted in the College with the permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

Signature of the Competent Authority

Office Seal

Date:

Place:

ANNEXURE V

FORM 29 E

CONSENT OF AFFILIATION

(To be issued by Affiliating University)

(Pre-requisite for submission of application for starting of new Ayurveda college or increase intake capacity in existing undergraduate or postgraduate programmes or starting of new postgraduate programmes)

(See regulation 58)

Serial number	University Details	
1.	Name of the University	
2.	Address	
3.	Type of University	Central or State or Deemed-Government or Deemed-Private or Private State
4.	Contact Details	
5.	(a) Contact Person	
	(b) (Name and Designation)	
	(c) Mobile Number	
	(d) Mail ID	
6.	Year of Establishment	
7.	Existing Faculties	
8.	Accreditation if any	

CONSENT OF AFFILIATION

The University on the basis of local enquiry Committee report, is agreed upon in principle to issue consent of affiliation to..... (name of the college) with intake capacity of(100/150/200 UG) seats of the proposed college or increase in intake capacity from..... to...../starting ofprograms. The consent of affiliation is issued for the academic year(s).....

Consent of affiliation is issued on the following conditions:

1. The college shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by National Commission for Indian System of Medicine.
2. The college shall admit the students through counselling process (Central or State or Union territory) only as specified by National Commission for Indian System of Medicine in concerned regulations.
3. The college shall ensure the conduction of stipulated hours of teaching and training as specified by National Commission for Indian System of Medicine.
4. The colleges shall obtain continuation of affiliation every year at least three months before the commencement of admission process.
5. Prior No Objection Certificate shall be obtained from the present affiliating university in case of change of affiliation to other University or before applying for Deemed status.
6. In case of disaffiliation with the present university, the existing batches shall continue with the present university till award of degree for the last student.

**Registrar
(Signature with seal)**

Place:

Date:

B. L. MEHRA, Secy. In-charge
[ADVT.-III/4/Exty./080/2024-25]

Interpretation: Any question as to the interpretation of these Regulations shall be decided by the Commission and its decision shall be final and binding in the matter.